भारत में व्याप्त आतंकवाद का राजनैतिक संदर्भ में अध्ययन

(धर्मनिरपेक्षता एवं अलगाववाद के विशेष संदर्भ में)

A Political Study of Terrorism in India

(With Special reference to Secularism and Separatism)

सत्र–2020–21

शोध–प्रबंध

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से राजनीति विज्ञान में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध पर्यवेक्षक
डॉ. (प्रो.) करण सिंह
आचार्य (राजनीति विज्ञान)

शोधार्थी
विरेन्द्र सिंह
(राजनीति विज्ञान)
Reg/VMOU/Research/Ph.D./Jou/2014/24

राजनीति विज्ञान विभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा
रावतभाटा रोड़, कोटा–324010

डॉ. (प्रो.) करण सिंह
आचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **विरेन्द्र सिंह** ने **"भारत में व्याप्त आतंकवाद का राजनैतिक संदर्भ में अध्ययन (धर्मनिरपेक्षता एवं अलगाववाद के विशेष संदर्भ में)"** विषय पर मेरे निर्देशन एवं मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच.डी./उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 में वर्णित दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए अपना शोधकार्य पूर्ण किया है। यह इनका मौलिक कार्य है। यह शोध प्रबंध पत्रकारिता में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि हेतु वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को प्रेषित किया जा रहा है।

दिनांकः

डॉ. (प्रो.) करण सिंह

घोषणा–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे (**विरेन्द्र सिंह**) द्वारा राजनीति विज्ञान में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध जिसका विषय **"भारत में व्याप्त आतंकवाद का राजनैतिक संदर्भ में अध्ययन ((धर्मनिरपेक्षता एवं अलगाववाद के विशेष संदर्भ में)"** है। यह मेरे व्यक्तिगत अनुसंधान पर आधारित मौलिक शोध कार्य है। उक्त शोध कार्य डॉ. (प्रो.) करण सिंह, आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, को के निर्देशन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच.डी./उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 में वर्णित दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए पूर्ण किया गया है।

मेरी व्यक्तिगत जानकारी में इस विषय पर अब तक आज दिनांक तक कोई शोध कार्य नहीं किया गया है।

दिनांकः **विरेन्द्र सिंह**

आभार

प्रस्तुत शोध प्रबंध **"भारत में व्याप्त आतंकवाद का राजनैतिक संदर्भ में अध्ययन (साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद के विशेष संदर्भ में)"** को पूर्ण करने में अपने शोध पर्यवेक्षक **'डॉ. (प्रो.) करण सिंह'**, आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के प्रति कृतज्ञ हूँ तथा हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके आत्मीय उद्‌बोधन, प्रबुद्ध मार्गदर्शन, सुयोग्य निर्देशन, समालोचना एवं सुझावों के फलस्वरूप ही प्रस्तुत सृजनात्मक, शैक्षणिक शोध कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सका हूँ।

आभार प्रदर्शन हेतु मेरे पास उपयुक्त शब्दों का अभाव होने से मात्र इतना ही व्यक्त करना उचित समझता हूँ कि जो कुछ कार्य मैं सम्पन्न कर पाया हूँ उसमें आरम्भ से अन्त तक उनका मार्गदर्शन एवं आशीष मुझे मिलता रहा हैं। मैं हृदय के अन्तःस्थल से उनका आभार व्यक्त करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ।

प्रस्तुत शोध प्रबंध को पूर्ण करते समय जिन मनीषियों, विचारकों, लेखकों, विद्वानों का सानिध्य एवं कृपापूर्ण सहयोग मिला, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मैं अपना परम कर्त्तव्य समझता हूँ। उन्होंने अपना दिशा–निर्देशन एवं बहुमूल्य समय प्रदान कर इस शोध कार्य को पूर्ण करने में मेरी सहायता की। उनकी सतत् प्रेरणा ने मेरे शोध कार्य को नवदिशा प्रदान की।

मैं विभिन्न पुस्तकालय यथा–केन्द्रीय पुस्तकालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय, जवाहर लाल नेहरू, विश्वविद्यालय दिल्ली, डॉ. राधाकृष्णन्न पुस्तकालय, जयपुर, नेहरू संग्रहालय एवं पुस्तकालय त्रिमूर्ति हाऊस नई दिल्ली, प्राकृत भारती पुस्तकालय, जयपुर व सूचना केन्द्र जयपुर आदि पुस्तकालय अध्यक्षों एवं कर्मचारियों के प्रति आभारी हूँ, जिनके सहयोग से मैं अपने शोध कार्य के लिए अध्ययन सामग्री जुटाने में सक्षम हो सका।

मैं अपने पूज्य पिताजी **स्व. श्री अशोक कुमार** एवं पूज्यनीय माताजी **श्रीमती बसन्ती देवी** को आत्मा के अन्तिम छोर से प्रमाण करना चाहता हूँ जिन्होंने अकल्पनीय त्याग कर मुझे शिक्षा के इस स्तर तक पहुँचाया, जिनके संघर्षशील जीवन ने मुझे सदैव आगे बढ़ने को प्रेरित किया। उनके आशीर्वाद एवं अपार स्नेह के बिना यह शोध कार्य पूर्ण नहीं हो सकता था।

मैं अपने समस्त परिवारजनों के प्रति भी आभारी हूँ, विशेषतः मैं मेरे पितृतुल्य बड़े भाई **श्री विनोद कुमार** (राज. पुलिस) एवं मातृतुल्य भाभी **श्रीमती विजयन्ता** के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिनकी प्रेरणा से मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया। शोध कार्य के लिए प्रेरित करने एवं अध्ययन की गतिशीलता को बनाये रखने में मेरे मामाजी **श्रीमान् मन्दरूप सिंह राव उर्फ नेताजी** एवं मेरी मौसी एवं मौसाजी **श्रीमती अनुराधा** एवं **श्रीमान् अशोक कुमार** के आत्मीय व्यवहार एवं प्रेरणा की भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है जिससे मुझे इस अमूल्य एवं गुरुतर कार्य सम्पन्न करना संभव हो सका।

मैं अपने शोध कार्य की पूर्णता का प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने पितृतुल्य एवं मातृतुल्य समान जीजाजी एवं बड़ी बहन **श्री राकेश सिंघल** एवं **श्रीमती रूचिका सिंघल** तथा बडे भाई समान **श्री हिम्मत सिंह** (एडीशनल एस.पी., एटीएस कोटा) एवं भाभी **श्रीमती कीर्ति सिंह** (सहायक आचार्या, वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा) का विशेष आभार व्यक्त करना अपना परम कर्त्तव्य समझता हूँ। जिनकी प्रेरणा एवं आशिर्वाद के बिना इस कार्य को सम्पन्न करना एक कठिन परीक्षा के समान था।

इस शोध कार्य के दौरान मुझे अपनी छोटी बहन **श्रीमती सुमन** एवं जीजाजी **श्रीमान् मुकेशजी** तथा **श्रीमती सरिता राव भैड़ा** (कनिष्ठ लेखाधिकारी, राज. सरकार) एवं **डॉ. विकास कुमार भैड़ा** (सहायक आचार्य, भूगोल विभाग) का

भी निरन्तर स्नेह व प्यार मुझे कदम–कदम पर प्रेरणा देता रहा है। मैं अपने मित्रों **अनिल, अशोक, सुखवीर, राजवीर, शैलेन्द्र, दिवाकर, महेश शर्मा, मुरली शर्मा, अश्वनी पंडित, राजपाल मीणा** (एससी, एसटी, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष) एवं **पी.एन. मीणा** (एडिशनल डायरेक्टर, स्वास्थ्य विभाग), **श्रीमान् सुधीर जैन, श्रीमान् चांदवानी,** का भी आभारी हूँ, जिन्होंने शोध कार्य के दौरान मुझे हर सम्भव सहयोग किया।

मैं अपने प्रिय **सुनीता** (लेखाकार, स्वास्थ्य विभाग, राज. सरकार), **अन्नु शर्मा** (सीएस), **श्रीमती प्रतिभा राव बेनीवाल, श्रीमान् संजीव बेनीवाल, अनिता (छोटू), अपूर्वा सिंघल, आयुष सिंघल (आई.टी. इंजीनियर यू.एस.), प्रतिज्ञा (टीना), अंकित, प्रियांशु (कालिया), विद्या, इन्द्रा, अदिति शर्मा** (स्वास्थ्य विभाग, राज. सरकार), **प्रियंका जांगीड़** (स्वास्थ्य विभाग, राज. सरकार), **नीता** (स्वास्थ्य विभाग, राज. सरकार), **प्रियंका, निशा जाट** (लेखाकार, स्वास्थ्य विभाग, राज. सरकार), **विपिन कुमार भैड़ा (राज. पुलिस)** एवं **सबसे प्रिय विहान भैड़ा** का भी आभारी हूँ इन सभी की मुस्कुराहटों ने मेरे अन्दर सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की।

मैं, **राकेश कुमार शर्मा** (टी.वी.के. कम्प्यूटर्स एवं कॉपियर्स) का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस शोध ग्रंथ को कलात्मक ढंग से त्रुटिरहित टंकण कर इतिश्री प्रदान की हैं। अन्त में, मैं मेरे स्वर्गीय पिताजी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और उनके श्रीचरणों में यह शोधग्रन्थ समर्पित कर परमपिता परमात्मा की कृपा से अत्यंत अभिभूत हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया।

विरेन्द्र सिंह

अनुक्रमणिका (INDEX)

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	तालिका सूची (List of Tables & Figurers)	
	ग्राफ सूची (List of Graphs)	
1.	**अध्याय प्रथमः परिचयात्मक**	**1–91**
	1.1 प्रस्तावना	
	1.2 आतंकवाद की परिभाषा	
	1.3 अलगाववाद की स्पष्ट अवधारणाएँ	
	1.4 प्रस्तुत शोध के संदर्भ में अलगाववाद (क्षेत्रवाद)	
	1.5 साम्प्रदायिकता की स्पष्ट अवधारणाएँ	
	1.6 भारत में साम्प्रदायिकता	
	1.7 भारत में अलगाववाद	
	1.8 भारत में व्याप्त आतंकवाद का राजनैतिक संदर्भ	
	1.8.1 पूर्वोत्तर में आतंकवाद	
	1.8.2 पूर्वोत्तर में आतंकवाद के कुछ महत्त्वपूर्ण जमीनी कारण	
	1.8.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र में एवं शेष भारत में व्याप्त नक्सलवाद	
	1.9 भारत में आतंकवाद के प्रमुख कारण	
	1.9.1 आर्थिक कारण	
	1.9.2 राजनैतिक कारण	

1.9.3 सामाजिक कारण

1.9.4 मनोवैज्ञानिक कारण

1.9.5 धार्मिक कारण

1.9.6 सैन्य कारण

1.9.7 प्रमुख आतंकी घटनाएँ व उनका समकालीन असर

1.9.8 देश में सक्रिय आतंकी संगठनों की सूची

1.10 आतंकी घटनाओं का समकालीन भारत पर प्रभाव

1.10.1 सामाजिक क्षेत्रों पर प्रभाव

1.10.2 राजनैतिक क्षेत्रों पर प्रभाव

1.10.3 आतंकवाद का धर्म पर प्रभाव

1.10.4 आतंकवाद का पर्यावरण पर प्रभाव

2. अध्याय द्वितीय शोध प्रविधि एवं सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन **92–107**

2.1 सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा

2.2 अध्ययन के उद्देश्य

2.3 शोध पद्धति

2.4 शोध क्षेत्र और सीमांकन

2.5 न्यादर्श विधि

3. अध्याय तृतीय : राजस्थान एवं हरियाणा में व्याप्त आतंकवाद का राजनैतिक संदर्भ **108–176**

3.1 राजस्थान की भौगोलिक स्थिति

3.2 राजस्थान में साम्प्रदायिक घटनाएँ

3.3 राजस्थान में व्याप्त आतंकवाद का राजनैतिक संदर्भ में अध्ययन

3.4 हरियाणा की भौगोलिक स्थिति

3.5 हरियाणा में व्याप्त आतंकवाद का राजनैतिक संदर्भ में अध्ययन

3.6 राजस्थान एवं हरियाणा में आतंकवाद के प्रमुख कारण

4. चतुर्थ अध्याय क्षेत्रीय समस्या का तथ्यात्मक अध्ययन 177–208

4.1 राजस्थान एवं हरियाणा में राजनीतिकरण एवं सांस्कृतिक मूल्य, अर्थ एवं महत्त्व

4.2 आतंकवाद, साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद (क्षेत्रवाद) का अध्ययन

5. पंचम अध्याय : निष्कर्ष एवं सुझाव 209–228

5.1 निष्कर्ष

5.2 सुझाव

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 229–234

परिशिष्ट

सारणी सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
3.1	राज्य में जिलों का निर्माण	114
3.2	राज्य में वर्ष 2001 से 2012 तक (31 मार्च, 2012 तक) घटित सांप्रदायिक दंगा/घटना/तनावों के आंकड़ों की तालिका	115
4.1	राजस्थान तथा हरियाणा में उत्तरदाताओं का धर्मानुसार वर्गीकरण	179
4.2	राजस्थान एवं हरियाणा में स्वतन्त्रता के पश्चात् साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की स्थिति के बारे में उत्तरदाताओं के विचार	181
4.3	पिछले दस वर्षों में इन राज्यों में साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की स्थिति की समस्या	183
4.4	साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद का आर्थिक आधार	185
4.5	विभिन्न धर्मावलम्बियों के साथ निवास करने में कठिनाईयाँ	186
4.6	राजस्थान में साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद विद्वेष विषय की वरीयता का क्रम	188
4.7	अपने धर्म से सम्बन्धित उत्सवों, प्रदर्शन आदि का राजस्थान तथा हरियाणा में संगठित आयोजन/संचालन करने में कठिनाईयाँ	190
4.8	अन्य धर्मावलम्बियों के द्वारा सामान्य जीवन में आपके प्रति किये गए व्यवहार का स्वरूप	191
4.9(क)	राजस्थान में विभिन्न घटकों की सर्वोपरिता	193
4.9(ख)	हरियाणा में विभिन्न घटकों की सर्वोपरिता	194
4.10	राजनीति और धर्म की पृथक्ता के रूप में	195

4.11	वर्तमान राजनीति में साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की समस्या की भूमिका	196
4.12(क)	राजस्थान में राजनीतिक दलों में साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की वृद्धि में वरीयता क्रम	198
4.12(ख)	हरियाणा में राजनीतिक दलों में साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की वृद्धि में वरीयता क्रम	198
4.13	बहुसंख्य धर्मों के मतावलम्बियों से बनी सरकार और अल्पसंख्यकों के हित में विचार	200
4.14	दोनों राज्यों में नौकरशाही के निष्पक्ष आचरण पर विचार	201
4.15	क्या आपने कभी आतंकवादी परिस्थितियो का सामना किया है?	202
4.16	क्या आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है?	203
4.17	क्या सांप्रदायिक दंगे आतंकवाद की श्रेणी में आते है?	204
4.18	क्या अलगाववाद आतंकवाद को बढ़ावा देने का एक कारण है?	204
4.19	क्या भौगोलिक परिस्थितियों व विषमता के कारण आतंकवाद पनपता है?	205
4.20	क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया आतंकवाद का प्रचार करता है?	206
4.21	क्या आर्थिक असमानताएं आतंकवाद को बढावा देने मे योगदान देती है?	207
4.22	क्या शैक्षणिक स्तर का प्रभाव आतंकवाद पर पडता है?	207

ग्राफ सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
4.1	राजस्थान तथा हरियाणा में उत्तरदाताओं का धर्मानुसार वर्गीकरण	180
4.2	राजस्थान एवं हरियाणा में स्वतन्त्रता के पश्चात् साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की स्थिति के बारे में उत्तरदाताओं के विचार	182
4.3	पिछले दस वर्षों में इन राज्यों में साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की स्थिति की समस्या	184
4.4	साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद का आर्थिक आधार	185
4.5	विभिन्न धर्मावलम्बियों के साथ निवास करने में कठिनाईयाँ	187
4.6	राजस्थान में साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद विद्वेष विषय की वरीयता का क्रम	190
4.7	अपने धर्म से सम्बन्धित उत्सवों, प्रदर्शन आदि का राजस्थान तथा हरियाणा में संगठित करने में कठिनाईयाँ	191
4.8	अन्य धर्मावलम्बियों के द्वारा सामान्य जीवन में आपके प्रति किये गए व्यवहार का स्वरूप	195
4.9	राजस्थान में विभिन्न घटकों की सर्वोपरिता	197
4.10	बहुसंख्यक धर्मों के मतावलम्बियों से बनी सरकार एवं अल्पसंख्यकों के हित में विचार	200
4.14	दोनों राज्यों में नौकरशाही के निष्पक्ष आचरण पर विचार	201

अध्याय प्रथम

परिचयात्मक

प्रथम अध्याय

परिचयात्मक

1.1 प्रस्तावना–

आतंकवाद के महत्त्व को आंकने के क्रम में सबसे कठिन समस्या आतंकवाद की एक निश्चित परिभाषा पर आम सहमति का भय है। आतंकवाद को एक परिभाषा के दायरे में लाना एक बहती नदी को कुएँ में समाने जैसा है। इस बारे में अलग–अलग विद्वानों के अलग–अलग मत हैं जो भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में, अलग–अलग परिवेश में और अलग–अलग समय में कई रूपों में व्यक्त किए गए हैं। आतंकवाद एक विवादास्पद मसला है जिसने राष्ट्रीय राज्यों की स्थिरता व भौगोलिक अखण्डता को प्रभावित किया है। साथ ही यह विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए भी दूरगामी संकट पैदा करने वाला है।

किसी व्यक्ति, स्थान, समूह या देश–विदेश के लिए जो आतंकवादी या अलगाववादी हैं हिंसक या देशद्रोही हैं, वही दूसरे व्यक्तियों, समूह या देश के लिए देशभक्त या स्वतन्त्रता सेनानी की श्रेणी में आ सकता है या रखा जा सकता है। जिन्दा या मूर्दा जो आतंकवादी किसी विशेष दृष्टिकोण वाले समूह में घृणा का पात्र होता है या कानून का गुनाहगार होता है वही दूसरों के लिए देशभक्त का दर्जा रखता है और मरने पर शहीदों की सूची में अपना नाम दर्ज कराता है। यह विरोधाभास भी आतंकवाद को परिभाषित करना कठिन कर देता है।

आतंकवाद एक विवादास्पद मसला है जिसने राष्ट्रीय राज्यों एवं विश्व शांति व सुरक्षा के लिए उत्पन्न किया है। आतंकवाद हिंसा का आपराधिक

स्वरूप है। इससे तात्पर्य उस हिंसक कार्यवाही से है जो किन्हीं निहित राजनीतिकउद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जा रही है। इस प्रकार आतंकवादी एक राजनीतिक इकाई के रूप में देखे जा सकते हैं। एक सोची–समझी चाल के रूप में आतंकवाद को देखा जा सकता है जो कि संगठित व प्रशिक्षित रूप में अपने लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास करते है।

आतंकवाद एक ऐसी मानसिकता है जिसमें आतंक, भय, दहशत और अन्य साधनों द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति करने का सफल या असफल प्रयास किया जाता है। वैसे तो आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है परन्तु इसको परिभाषित करने का प्रयास कुछ समीक्षकों ने किया है।

इस प्रकार आतंकवाद एक **"आवश्यक प्रतियोगिता अवधारणा"** की श्रेणी में आता है जहां राजनीति विज्ञानी आतंकवाद को गैर राज्य संगठनों द्वारा राज्य और नागरिकों के विरूद्ध की गई सुनियोजित हिंसा तक ही सीमित करना चाहते है। वहीं इतिहासकार, सामाजिक वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानूनी कार्यकर्ता तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानूनी विशेषज्ञ इसे एक विस्तृत परिभाषा देते है जिसमें हिंसा के सभी प्रकार शामिल है तथा यह स्टेट तथा नॉन स्टेट दोनों प्रकार के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है।

'Terror' शब्द फ्रांस और लैटिन भाषा के 'Terror' से बना है जिसका अर्थ है डराना (To frighten) आतंक का अर्थ है संत्रास, भय अथवा एक ऐसी मानसिक अवस्था जो पीड़ा की आशंका अथवा प्रतिकूल एवं आशंकाजनक घटनाओं से उद्भूत होती है।

गैर राज्य संगठन सामान्यताया 1960 के संयुक्त राष्ट्रसंघ की सामान्य सभा द्वारा पारित उस प्रस्ताव का उद्धरण देते हैं जिसमें उपनिवेशों द्वारा अपनी

आजादी के लिए किए गए कृत्यों को वैध ठहराया गया था। वास्तव में यह प्रस्ताव कहता है कि–"स्वनिर्णयन के बलपूर्वक दमन का बलपूर्वक विरोध या बलपूर्वक संघर्ष उचित एवं वैध है।" यह भी कहता है कि नॉन स्टेट ग्रुप इस काम के लिए बाह्य सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। इन अनेक मतों में जो विशेष बात है, वह यह है कि आतंकवाद सामान्यतः दो प्रकार का ही है, एक तो वह है जिसे राज्य आतंकवाद कहते हैं, तो दूसरा वह है जिसे नॉन स्टेट एक्टर्स राज्य का आतंक कहते हैं।

इस प्रकार हिंसा का उपयोग यदि वैध है तो वह आतंकवाद नहीं है और अवैध है तो वह आतंकवाद हो सकता है, इस वैधता या अवैधता का निर्णय पूर्णतः एक राजनीतिक निर्णय है।

1.2 आतंकवाद की परिभाषा

नवम्बर 2004 में U.N.O. के एक पैनल में आतंकवादी की परिभाषा इस प्रकार दी–"ऐसे कार्य जिनका उद्देश्य नागरिकों या असैनिकों की मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति हो तथा जो एक जनसंख्या को या किसी सरकार को अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को किसी काम को करने या न करने के लिए किसी भी प्रकार से विवश करे।"

उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद की परिभाषा तथा अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

कन्साईज एनसाइक्लोपिडिया ब्रिटेनिका के अनुसार,"आतंकवाद एक विशेष राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चित जनसंख्या के बीच हिंसा के रचनात्मक प्रयोग द्वारा भय का वातावरण बनाने को कहते हैं।"

दर्शनशास्त्र शब्दकोश के अनुसार, "राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, हिंसा का सुविचारित प्रयोग, विशेषकर भय को अत्यधिक मात्रा में फैलाने का कृत्य आतंकवाद है।"

अमेरिकी इतिहास विश्वकोष के अनुसार, "आतंकवाद एक राजनीतिक युक्ति है जिसमें हिंसा या हिंसा के भय का प्रयोग सामान्यतः नागरिकों के विरूद्ध किया जाता है तथा जिसका उद्देश्य कुछ निश्चित राजनीतिक मांगों की पूर्ति होता है।"

कोलम्बिया इन साइक्लोपीडिया के अनुसार, "सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, हिंसा का प्रयोग या उसकी धमकी देना विशेषकर नागरिकों पर तथा इस प्रकार अपने विरोधियों को विवश करना आतंकवाद है।"

आतंकवाद के अन्तर्गत राजनीतिक हत्याएं, बम विस्फोट, अंधाधुंध हत्याएं तथा विमान अपहरण को शामिल किया जाता है। इसका प्रयोग राजनीतिक, न कि सैनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामान्यतः उन संगठनों द्वारा किया जाता है जो आमने–सामने का युद्ध करने में सक्षम नहीं होते है।

ब्रायन एम. जेनकिन्स के अनुसार, "हिंसा की धमकी, व्यक्तिगत हिंसात्मक कृत्य और लोगों को आतंकित करने के उद्देश्य से हिंसा का विचार आतंकवाद है।"

मिडईस्ट तथा अफ्रीका इनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, "प्रथमतया और विशेषतया नागरिकों की ओर निर्देशित तथा उन्हें राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विवश करने के लिए, बदला लेने के लिए अथवा अपनी शिकायतें मनवाने के लिए लक्षित हिंसा को ही आतंकवाद कहते हैं।"

विलकिन्सन के अनुसार,"आतंकवाद एक विशेष प्रकार की हिंसा है जिसे हम संक्षेपतः किसी को भी भय दिखाकर कुछ करने के लिए बाध्य कर देने का प्रयास कह सकते है। इस तरह हिसां में आतंकी हत्या, शारीरिक क्षति अथवा विध्वंस की धमकी देकर अपने कोप भाजन से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है।"

जिनाम के अनुसार, "आतंक हिंसा की पराकाष्ठा है।"

बोसिऑनी, 1981 के अनुसार, "आतंकवाद किसी समाज के वर्ग–विशेष में आतंक उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाई गई हिंसा की रणनीति है।"

मैलिन 1977 के अनुसार, "सैन्य तकनीक के रूप में आतंकवाद एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का अस्त्र है।"

जी. पार्थ सारथी (पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त) के अनुसार, "आतंकवाद एक भावना भी है और एक विचार धारा भी है। भावना के रूप में वह लोगों को संगठित करती है। तथा विचारधारा के रूप में वह लोगों में आस्था पैदा करती है।"

के. आर. नारायणन (भारत के पूर्व राष्ट्रपति) के अनुसार, "निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का संगठित–परिवर्तित होना आतंकवाद का द्योतक है।"

महात्मा गाँधी के अनुसार, "आदर्शवाद जब बिगड़ता है तो वह बीच का मार्ग न अपनाकर आतंकवादी बन जाता है तब वह साधन एवं साध्यों को आतंक का पर्याय मानकर कार्य करता रहता है।"

13 नवम्बर 1974 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को सम्बोधित करते हुए यासर अराफात ने कहा – "आतंकवादी व क्रान्तिकारी के बीच का अन्तर इस

कारण में निहित है जिसके लिए वह संघर्ष करता है वैध कारण के लिए ताकि अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए आक्रमणकारियों से लड़ना आतंकवाद नहीं है। संभवतः ऐसे आक्रमणकारी तथा शासक आतंकवादी नहीं कहे जाएंगे।

वोल्टर लैक्यूअर (एज ऑफ टेरर 1987) के अनुसार, "आतंकवाद निर्दोष तथा मायूस लोगों पर राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति का असंवैधानिक प्रयोग है।"

योना अलेक्जेण्डर (मध्य–पूर्व आतंकवाद)–1977 के अनुसार, "रणनीतिक या राजनीतिक लाभों को प्राप्त करने के लिए संप्रभु राष्ट्रों या आधारी संगठनों द्वारा हिंसा या हिंसा के प्रयोग को जान बूझकर करना धार्मिक आतंकवाद है।"

ये परिभाषा आतंकवाद को समझने की एक दृष्टि है। एक अन्य अर्थ में आतंकवाद को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि आतंकवाद की कोई मानक परिभाषा नहीं होने के पीछे समझ यह है कि समय, परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार आतंकवाद के अर्थ में हेर–फेर किया जा सके। 11 सितम्बर 2001 के हादसे के बाद आतंकवाद की परिभाषा में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर काट–छाँट की गई। पहले तो यह कहा गया कि अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ कहीं भी हिंसा की गतिविधि आतंकवाद है। यदि ऐसी हिंसा किसी दूसरे देश के नागरिकों के खिलाफ हो तो भी हिंसा की यह गतिविधि, आतंकवाद नहीं मानी जायेगी। अमेरिका इस प्रकार की परिभाषा का पक्षधर रहा है।

यह भी देखने को मिला है कि उग्र एवं हिंसात्मक गतिविधियों के संलग्नवादी राज्य आतंकवाद की भर्त्सना करते हैं पर स्वयं आतंकवादी नहीं, अपितु जेहादी या स्वतंत्रता सेनानी कहते है। राज्य स्वयं अपनी हिंसा को आतंकवाद नहीं मानता है अपितु राज्य के अनुसार तो वह कार्यवाही राष्ट्रीय

सम्प्रभुता की सुरक्षा के लिए है कुछ विद्वान तो अब भूख, गरीबी, बेरोजगारी और पर्यावरण विनाश को भी आतंकवाद मानने लगे है।

इस प्रकार बहुत ही संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद एक बहुत ही विस्तृत अर्थ को समाहित करता है जिसकी कि कोई एक तथा सर्वमान्य परिभाषा देना अत्यन्त कठिन है। फिर भी आतंकवाद की कुछ सामान्य विशेषताओं पर सर्वसम्मति है। जैसे हिंसा का प्रयोग, नागरिकों तथा राज्यों के विरूद्ध, हिंसा, राज्य द्वारा हिंसा आदि।

जम्मू कश्मीर में अलगाववादी की जड़ें बड़ी गहरी है। 1947 के शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के शासक बने और उन्होंने 1951 में स्वतंत्र कश्मीर का सपना देखना शुरू कर दिया इसलिए अगस्त 1953 में शेख अब्दुल्ला को बंदी बनाया गया। कश्मीर में अलगाववाद का एक महत्त्वपूर्ण कारण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है जिसने कश्मीर को विशेष दर्जा दे रखा है। 1987–88 में अलगाववादी गतिविधियाँ तेज हो गई। इन अलगाववादियों को पाकिस्तान का पूर्ण समर्थन प्राप्त है जिस कारण ये कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षण, सहायता और प्रोत्साहन मिल रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय विरोधी तत्त्व विदेशी पर्यटकों का अपहरण करके उनकी हत्या कर देते हैं। उन अलगाववादियों से निपटने के लिए प्रशासन बड़े पैमाने पर कार्यवाही कर रहा है उनकी मुख्य मांग कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार देना और आजाद कश्मीर की है इस मांग के लिए अलगाववादी तत्व पाकिस्तान की उकसाहट के कारण खूनी संघर्ष का रास्ता अपनाये हुए हैं।

1.3 अलगाववाद (क्षेत्रवाद) की स्पष्ट अवधारणाएँ

भारत में क्षेत्रीयता को एक ऐसी घटना के रूप में बताया है जिसमें लोगों की राजनीतिक निष्ठाएँ एक क्षेत्र में केन्द्रित हो जाती है। इसमें लोगों का लगाव देश की अपेक्षा एक विशिष्ट क्षेत्र के साथ बढ़ जाता है।

क्षेत्रवाद से आशय किसी देश के छोटे से भू–भाग में निवास करने वाले लोगों की सांस्कृतिक भाषागत, जातिगत, पारंपरिक, राजनीतिक व सामाजिक आर्थिक समानताओं के आधार पर अपने क्षेत्र विशेष के विकास एवं प्रगति हेतु लामबद्ध होकर आवाज उठाने से है। यह एक भावनात्मक सम्बन्ध है जो परम्परागत समाज के संस्कारों का वाहक होता है और आधुनिक चेतना के अनुरूप विकास करना चाहता है राष्ट्र के बजाय क्षेत्रीय भू–भाग छोटा होता है और 'संकीर्ण' हितों का प्रतिनिधित्व करता है।

अतः क्षेत्रीयता के विचार का अस्तित्व क्षेत्र भी अवधारणा के पास केन्द्रित होता है। हर क्षेत्र अपनी भौतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण अपने पड़ोसी से भिन्न होता है। भारत में क्षेत्र का प्रयोग पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के लिए किया जा सकता है।

1.4 प्रस्तुत शोध के सन्दर्भ में अलगाववाद (क्षेत्रवाद)

भारत भारतीय राज्यों के निवासियों के उस विशेष वर्ग को संबोधित करता है जो सम्पूर्ण राष्ट्र, राज्यों एवं समुदाय की तुलना में अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ मानता है, प्राथमिकता देता है। यह संकीर्ण क्षेत्र प्रेम को प्रदर्शित करता है।

अलगाववाद (क्षेत्रवाद) की अनेक अवधारणाएँ व परिभाषाएँ हैं जिनसे इसका स्वरूप समझा जा सकता है। साधारण अर्थ–Secession लेटिन भाषा के शब्द secession से लिया गया है। जिसका मतलब किसी बड़े वर्ग (सामान्यतः किसी देश की राजनीतिक संस्था, संघ, सैन्य गठबंधन) में से एक वर्ग का अलग होना।

साधारण अर्थों में प्रान्तवाद और क्षेत्रवाद को पर्यायवाची शब्दों के रूप में उपयोग किया जाता है जिसका अर्थ है, स्थानीयतावाद, पृथक्वाद और अलगाववाद।

वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, "क्षेत्रवाद में एक विशिष्ट उपराष्ट्र या अधोराष्ट्र क्षेत्र के प्रति जागरूकता और भक्ति पाई जाती है जिसकी विशेषता सामान्य संस्कृति, पृष्ठभूमि या हित है।

लुण्डबर्ग के अनुसार, "क्षेत्रवाद उस अध्ययन से सम्बन्धित है जिसमें एक भौगोलिक क्षेत्र तथा मानव व्यवहार के बीच पाए जाने वाले सम्बन्ध पर बल दिया जाता है इस रूप में क्षेत्रीयता एक प्रकार का विश्व परिस्थिति का विज्ञान है क्योंकि इसकी रुचि विभिन्न क्षेत्रों के बीच तथा एक ही क्षेत्र के विभिन्न अंगों के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक सावयवी सम्बन्धों से है।

लुण्डबर्ग ने अपनी इस परिभाषा में क्षेत्रवाद को एक विज्ञान के रूप में देखा है जो मानवीय व्यवहार एक क्षेत्र के बीच पाए जाने वाले सम्बन्धों का अध्ययन करता है। प्रत्येक क्षेत्र में अपनी विशेषताएँ एवं चरित्र होता है जो वहाँ के निवासियों के व्यवहार से स्पष्ट झलकता है।

बोगार्ड्स के अनुसार, "यह है कि एक भौगोलिक क्षेत्र के साधनों का विकास इस प्रकार से जाए के वहाँ के लोगों में सामूहिक हितों क्षेत्रीय लक्षणों एवं आदर्शों का विकास हो जाए तो क्षेत्रवाद कहेंगे।"

एलेन बन्पनान के अनुसार, "कि अलगाववाद कुछ निश्चित परिस्थितियों में किसी जाति समूह द्वारा अन्य जातीय समूहों के लोगों के उत्पीड़न से सम्बन्धित है।"

अलेक्जेंडर पावयोविक के अनुसार, "पांच प्रकार के अलगाववाद हैं–(1) अजरातकतावाद (2) पूंजीवाद (3) राजनैतिक संगठन (4) निजी सम्पत्ति में अधिकार (5) समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का समूह।"

- **प्रजातांत्रिक अलगाव**–एक क्षेत्रीय समूह अपने मौजूदा राजनीतिक समुदाय से अलग होने की इच्छा रखें।
- **सामुदायिक अलगाव**–एक विशेष वर्ग क्षेत्र जब अपने मौजूदा राजनीतिक समुदाय से अलग होने की इच्छाएँ।
- **सांस्कृतिक अलगाववाद**–यदि किसी क्षेत्र में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को डराए तो अल्पसंख्यक अलगाववाद करने अलग क्षेत्र की भी मांग कर सकते हैं।

1.5 साम्प्रदायिकता की स्पष्ट अवधारणाएँ–

संप्रदायवाद का अर्थ दो समुदायों में विद्यमान विशेष तनाव संदेह अथवा संघर्ष के भाव को व्यक्त करना होता है। इस प्रकार का विद्वेष अथवा तनाव धर्म, भाषा अथवा प्रजाति के तत्वों पर आधारित होता है। साम्प्रदायिकता अपने ही जातीय समूह के प्रति न करके समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है। दूसरे राज्यों में साम्प्रदायिकता का अर्थ है कि किसी धर्म, भाषा इत्यादि के

प्रति विशेष लगाव को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखकर अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता का व्यवहार करना साम्प्रदायिक संगठन प्रायः संर्कीण हितों के आधार पर शासन पर अनुचित दबाव का प्रयोग करते हैं। साम्प्रदायिकता की विभिन्न अवधारणाएँ है।

प्रस्तुत शोध के संदर्भ में साम्प्रदायिकतावाद भारत व भारतीय राज्यों के उन धार्मिक समूहों से सम्बन्धित है जो अपनी भाषा संस्कृति व अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते है। अन्य धर्मो के प्रति घृणा या उपेक्षा का भाव रखते है।

यह एक मत विशेष को मानने वाले समुदाय में आकर रूढ़ हो गया है। इस रूढ़ अर्थ में बंधकर इसने एक वाद का रूप ग्रहण कर लिया है। जब कभी संप्रदायवाद, साम्प्रदायिकतावाद, सामुदायिक दृष्टिकोण आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तब इसका अर्थ दो सम्प्रदायों में विद्यमान विद्वेष, तनाव, संघर्ष अथवा संदेह के भाव को व्यक्त करता होता है। इस प्रकार का विद्वेष अथवा तनाव धर्म, भाषा अथवा प्रजाति के तत्वों पर आधारित होता है। भारत के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग विशेषतः विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच अलगाव एवं वैमनस्य के भाव को अभिव्यक्त करता है। साम्प्रदायिकता एक समुदाय विशेष के लोगों के लिए इस विश्वास पर आधारित अवधारणा है कि किसी खास धर्म को मानने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हित भी समान होते है।

साम्प्रदायिकता को परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार एवं विचारक विपिनचंद्र ने भी इसी तरह के विचार प्रकट किए है कि "साम्प्रदायिकता का आधार यह धारणा है कि भारतीय समाज कई ऐसे सम्प्रदायों में बंटा हुआ है जिनमें हित न सिर्फ अलग है बल्कि एक दूसरे के विरोधी भी हैं। गोपीनाथ

कालभोर समूहों के हितों के बीच होने वाले टकराव का रूप जब विध्वन्स और दंगाई हो जाए तो वह साम्प्रदायिकता कहलाता है।"

राम आहुजा के अनुसार "साम्प्रदायिकता दो या दो से अधिक समुदायों के टकराव एवं संघर्ष पर फलती–फूलती है इस प्रक्रिया में वह हिंसक हो उठती है।"

इन्द्रकुमार गुजराल (पूर्व प्रधानमंत्री) मानते है कि लोगों को यह बताने की जरूरत है कि धार्मिक रिवाजों का पालन साम्प्रदायिकता नहीं है लेकिन राजनीति में हथियार के रूप में धर्म का उपयोग निश्चित ही साम्प्रदायिकता है।

1.6 भारत में साम्प्रदायिकता

भारत में साम्प्रदायिकता का प्रारम्भ अंग्रेजी शासन की 'फूट डालो और राज करों' की नीति का परिणाम है। बंगाल विभाजन (1905) मार्ले मिण्टो (1909), मुस्लिम लीग का सुधार गठन (1906) 1919 में मोन्टेस्क्यू चैम्सफोर्डसुधारों से सिक्ख यूरोपियन तथा आंग्ल भारतीयों को पृथक् प्रतिनिधित्व में शामिल करना आदि जिन्ना के द्वि राज्य सिद्धान्त (1940) जैसे साम्प्रदायिक कदमों का जीवन्त प्रभाव भारत व पाक विभाजन है।

संकुचित जातीय धार्मिक भावनाएं आर्थिक सामाजिक राजनीतिक भेदभाव तथा वोट बैंक की राजनीति बहुत हद तक भारत में साम्प्रदायिकता की आग लगाने के लिए उत्तरदायी है। हिन्दुओं में हिन्दू राष्ट्रवाद, मुस्लिमों का सितम सिक्खों का धार्मिक दंगा कई कारण सांप्रदायिक सद्भाव (Communal Harmony) को तार–तार करने में लगे हुए है। देश में अब तक साम्प्रदायिक दंगों में कई निर्दोष लोगों को जान गंवानी पड़ी है।

कश्मीर, भागलपुर, वाराणसी, अहमदाबाद, मुम्बई जैसे स्थानों पर हुए दंगे पंथनिरपेक्ष राज्यों को क्षति पहुंचाने का कार्य करते है। सिक्ख दंगे (1984) गोधरा काण्ड (2002) तथा हाकिया (2013) में मुजफ्फरनगर में साम्प्रदायिक दंगों से लोगों के जीवन में घने अंधकार को लाकर रख दिया है। बल्कि राष्ट्र की शासन व्यवस्था को व्यापक धक्का पहुंचता है। यह राष्ट्र की एकता व अखण्डता तथा संप्रभुता के लिये अत्यधिक घातक है। जो धीरे–धीरे आतंकवाद का रूप ले रही है।

1.7 भारत में अलगाववाद (क्षेत्रवाद)

भारत में अलगाववाद पुरानी एवं बड़ी समस्या है देश के कोई हिस्से में अलगाववाद को स्पष्ट तो कही धुंधला असर दिखाई दे रहा है। जिसको दो रूपों में देखा जा सकता है–

(1)सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रवाद–सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रवाद अपनी सामग्री मुख्यतया उस क्षेत्र की सामाजिक सरंचना और सांस्कृतिक, धार्मिक अथवा जातीय रूपरेखा से प्राप्त करता है इसमें शामिल मूल मुद्दे पहचान अथवा संरक्षण संवर्धन और सामाजिक रूप से परिभाषित समूहों के कल्याण से सम्बन्धित होते है।

कश्मीर "आजाद कश्मीर की मांग"–जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की जड़ें बड़ी गहरी है। 1947 के शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के शासक बने और उन्होंने 1951 में स्वतंत्र कश्मीर का सपना देखना शुरू कर दिया इसलिए अगस्त 1953 में शेख अब्दुल्ला को बंदी बनाया गया। कश्मीर में अलगाववाद का एक महत्त्वपूर्ण कारण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है जिसने कश्मीर को विशेष दर्जा दे रखा है। 1987–88 में अलगाववादी गतिविधियाँ तेज हो

गई। इन अलगाववादियों को पाकिस्तान का पूर्ण समर्थन प्राप्त है जिस कारण ये कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षण, सहायता और प्रोत्साहन मिल रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय विरोधी तत्व विदेशी पर्यटकों का अपहरण करके उनकी हत्या कर देते हैं। उन अलगाववादियों से निपटने के लिए प्रशासन बड़े पैमाने पर कार्यवाही कर रहा है उनकी मुख्य मांग कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार देना और आजाद कश्मीर की है इस मांग के लिए अलगाववादी तत्त्व पाकिस्तान की उकसाहट के कारण खूनी संघर्ष का रास्ता अपनाएं हुए है।

उत्तर पूर्वी राज्य मिजो आन्दोलन–असम में मिजो हिल के लोगों ने भारत से अलग होने की मांग की और इस मांग को पूरा करवाने के लिए उन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) की स्थापना की। चीन के आक्रमण के समय मिजो नेशनल फ्रंट को अवैध घोषित कर दिया और मिजोरम को नाम दिया गया और इसका उद्घाटन इन्दिरा गांधी ने 21 जनवरी 1972 को किया। मिजो नेशनल फ्रंट ने लालडेंगा के नेतृत्व में स्वतंत्र मिजोरम के लिए आतंकवादी गतिविधियाँ जारी रखी। 1972 में लालडेंगा इग्लैण्ड भाग गए और वहां से मिजो नेशनल फ्रंट को निर्देश देते रहे। 1976 और 1980 में लालडेंगा से समझौते के लिए बातचीत हुई जो विफल रही। तीसरी बार बातचीत अक्टूबर 1984 से प्रारम्भ हुई और 25 जून 1986 को केन्द्रीय सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट में समझौता हुआ और लालडेंगा को मुख्यमंत्री बनाया गया।

नागालैण्ड आन्दोलन–मिजो लोगों की तरह असम में नागा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने स्वतंत्र नागा राज्य की मांग की। उन्होंने नागा राज्य की मांग को मनवाने के लिए "नागा नेशनल काउंसिल"(Naga National Council) की स्थापना की। नागाओं ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हिंसा और अराजकता का मार्ग अपनाया, जिससे सेना को तैनात करना पड़ा। 1962 में

10वें संशोधन द्वारा नागालैण्ड को भारतीय संघ का 16वां राज्य बनाया गया। इसके बाद भी नागालैण्ड में कई विद्रोही नागाओं ने अपना आंदोलन जारी रखा।

गोरखालैण्ड आंदोलन–1985 ई. में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों ने सुभाष खीसिंग के नेतृत्व में गोरखालैण्ड राज्य बनाए जाने की मांग रखी। गोरखा निग्रेशन फ्रंट में गोरखा राज्य के लिए व्यापक आन्दोलन चलाया और अंत में अगस्त 1988 में एक समझौता हआ जिसके अन्तर्गत दार्जिलिंग पर्वतीय गोरखा परिषद् की मांग को स्वीकार कर लिया गया। दार्जिलिंग पर्वतीय गोरखा परिषद् के चुनाव दिसम्बर 1988 में हुए जिसमें राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा को 28वाँ स्थान प्राप्त हुआ।

झारखण्ड आंदोलन–झारखण्ड मुक्ति मोर्चा बिहार, पं. बंगाल, उड़ीसा और मध्यप्रदेश की 21 जिलों को मिलाकर झारखण्ड राज्य की मांग कर रहा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछले 50 वर्षों में कई बार जोरों से आन्दोलन चलाए। झारखंड नेताओं ने 15 सितम्बर 1992 को झारखंड बंद और 18 से 30 सितम्बर तक बिहार में नाकेबंदी का आह्वान किया। 15 मार्च 1993 को झारखंड बन्द कर दिया गया और 16 मार्च से आर्थिक नाकेबंदी को 20 अप्रैल को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव ने समस्या के निदान हेतु द्विपक्षीय बैठक बुलाने के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया। वार्ता के कई दौर चले पर झारंखड समस्या का कोई हल नहीं निकला। 17 मार्च 1994 को अखिल झारखंड विद्यार्थी संघ व झारखंड पिपुल्स पार्टी के आह्वान पर 48 घंटे के बंद के दौरान कई जगहों पर हिंसक वारदातें भी हुई। 22 सितम्बर 1994 को केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार व झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर एक समझौता किया। जिसके अंतर्गत झारखंड के विकास के लिए एक स्वायत्तशासी विकास परिषद् की स्थापना की जानी थी जिसमें 100 सदस्य,जिनमें से 90

सदस्य निर्वाचित और 10 मनोनीत होने थे परन्तु इन व्यवस्थाओं के बावजूद झारखंड आन्दोलन चलता रहा। अंततः केन्द्र सरकार ने झारखंड वालों की बात मानते हुए नवम्बर 2005 में झारखंड नाम का एक नया राज्य बना दिया।

उत्तरांचल आन्दोलन–उत्तरांचल राज्य की मांग के बाद कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल राज्य की मांग चलती रही। जनवरी 1990 में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव डॉ. मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एक उत्तरांचल राज्य संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल गृहमंत्री से मिला और उनसे उत्तरप्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर उत्तरांचल राज्य की स्थापना की मांग की। दिसम्बर 1993 में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव ने भी उत्तरांचल राज्य की मांग का समर्थन किया। 1994 में उत्तरांचल आन्दोलन तीव्र गति से चला। 2 अक्टूबर 1994 को तल उत्तरांचल के आन्दोलनकारी बसों से दिल्ली आ रहे थे तब मुजफ्फरपुर में पुलिस ने उन पर हर तरह से अत्याचार किये। मई 1998 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तरांचल को राज्य बनाने की घोषणा की। केन्द्र सरकार ने उत्तरांचलवासियों की मांग को मानते हुए नवम्बर 2009 में उत्तरांचल नामक नया राज्य बना दिया।

पंजाब आन्दोलन–तमिलनाडू (मद्रास) राज्य की तरह पंजाब में मास्टर तारा सिंह ने पंजाब को एक अलग सिक्ख राज्य बनाने की मांग रखी। 1950 से लेकर 1966 तक अकाली दल ने पंजाबी सूबा बनाने के लिए कई आंदोलन चलाए। नवम्बर 1966 को में पंजाब का पुनर्गठन करके पंजाब और हरियाणा दो राज्यों की स्थापना की गई। 1971 में डॉ. जगजीत सिंह ने खालिस्तान की मांग को दोहराया जिसकी पंजाब के नेताओं ने कड़ी आलोचना की। 1973 में पास किए गए आनन्दुपर साहिब प्रस्ताव के आधार पर अकाली दल ने भारत के भीतर ऐसे सिक्ख राज्य की स्थापना की मांग की जिसमें चार विषयों प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और यातायात व संचार के साधनों को छोड़कर

अन्य सभी विषय राज्य सरकार को सौंप देने चाहिए। अपनी इस मांग को पूरा करवाने के लिए अकाली दल के एक धड़े ने जत्थेदार जगदेव सिंह के नेतृत्व में आन्दोलन चलाया। इस आंदोलन के अतिरिक्त अकाली दल ने प्रारम्भ किया। इस आंदोलन में दमदमी तकसाल के मुखिया संत जनरैल सिंह भिंडरवाला और उनके समर्थक भी सम्मिलित थे। जून 1984 में सरकार को विवश होकर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए स्वर्ण मन्दिर परिसर में तथा अन्य स्थानों पर सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी जुलाई 1985 में शिरोमणी अकाली दल के प्रधान संत हरचंद लोंगेवाला और प्रधानमंत्री राजीव गांधी में एक समझौता हुआ जिसको पंजाब समझौता कहा जाता है।

(2) **राजनीतिक–आर्थिक क्षेत्रीयवाद**–यह क्षेत्रीयवाद मुख्य केन्द्र राज्य अथवा अतः राज्यीय विवाद की प्रकृति का है। जैसे–महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमा विवाद एवं तमिलनाडू और कर्नाटक तथा पंजाब हरियाणा के बीच जल विवाद।

क्षेत्रीयता की समस्या का एक अन्य रूप राज्यों के बीच पारस्परिक विवाद है। इस तरह का पहला विवाद कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुआ। पंजाब और हरियाणा के बीच 1996 से विवाद चला आ रहा है। आज भी चण्डीगढ़ दोनों प्रान्तों में विवाद का मुख्य कारण बना हुआ है। असम नागालैण्ड सीमा विवाद बहुत समय से चल रहा है और नवम्बर 1987 में इस विवाद ने पुनः उग्र रूप धारण कर लिया। नदियों के पानी के इस्तेमाल के लिए इन राज्यों में विवाद होते रहते है। नर्मदा नदी के पानी का मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में काफी समय से विवाद चलता रहा और इसका हल मार्च 1975 में हुआ।

महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में कृष्णा नदी के पानी का बंटवारा विवाद का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और

तमिलनाडू राज्यों में तनाव का मुख्य कारण है। 29 जुलाई 1991 को केन्द्रीय श्रममंत्री के. राममूर्ति ने कावेरी जल विवाद के मसले पर मंत्रीमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। कावेरी जल विवाद का मामला अगस्त 1991 में सर्वोच्च न्यायालय के पास ले जाया गया। 22 नवम्बर 1991 के अपने फैसले के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक घोषित कर दिया। जुलाई 1998 में अन्ना हजारे से आग्रह किया गया कि कावेरी जल विवाद को शीघ्रता से निपटाया जाए। आजकल यह मामला दोनों राज्यों के मध्य संघर्ष का कारण बना हुआ है। इसका एक अन्य आर्थिक कारण केन्द्र द्वारा किसी राज्य को पर्याप्त अनुदान अथवा विधियों या संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में आवंटन न करना भी इसी श्रेणी में आते हैं।

1.8 भारत में व्याप्त आतंकवाद का राजनैतिक संदर्भ

यदि आतंकवाद को शांतिकाल में होने वाले युद्ध का पर्याय मान लें तो भारत में आतंकवाद की समस्या भारत की आजादी के समय से ही है। भारत के जिन हिस्सों में आतंकवाद की समस्या (शायद ही कोई हिस्सा अछूता हो) है वे इस प्रकार है–जम्मू कश्मीर, मध्य भारत (बिहार, पं. बंगाल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, आन्ध्रप्रदेश), राजस्थान, पंजाब, गुजरात एवं जहां नक्सलवाद की समस्या है उत्तर पूर्व (आसाम, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा) आदि। इसके अलावा छिटपुट आतंकवादी हमले लगभग भारत के हर हिस्से में होते हैं।

भारत की ओर से यह आरोप लगता रहा है कि जहां आतंकवाद को फैलाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी का हाथ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आईएसआई पर न केवल भारत,अपितु दुनियाभर में होने वाले आतंकवादी हमलों में शामिल होने के आरोप लगते रहते है।कश्मीर आतंकवाद

का प्रसार तथा पिछले कुछ वर्षों में भारत में हुए विभिन्न बम विस्फोटों जैसे मुम्बई बम विस्फोट (2006), संसद पर हमला (2001), वाराणसी बम विस्फोट (2006), हैदराबाद बम विस्फोट (2007), जयपुर बम विस्फोट (2007) आदि में भी पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आईएसआई की भागीदारी के प्रमाण मिले हैं।

1.8.1 पूर्वोत्तर में आतंकवाद

पूर्वोत्तर भारत में सात राज्य आते हैं इन्हें सात बहनें(Seven Sisters) भी कहते है, जिनमें–असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर तथा नागालैण्ड आते है। इन राज्यों में दो प्रकार के असंतोष है, जिसके कारण यहाँ आतंकवाद की समस्या है। पहला कारण तो इन राज्यों की सरकार से यह शिकायत है कि इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है तथा दूसरा कारण वहाँ भारत के अन्य भागों, विशेषकर हिन्दी भाषी प्रदेशों से आकर बसे लोगों तथा मूल निवासियों के बीच आये दिन होने वाले संघर्ष हैं। यहां के लोग सरकार पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि उनके विकास पर केन्द्र सरकार उचित ध्यान नहीं देती है। असम, नागालैण्ड, मिजोरम, तथा त्रिपुरा चार राज्य ऐसे है जहां आतंकी आन्दोलनों की संख्या सबसे अधिक है। इनमें से अधिकतर आंदोलनों की मांग या तो संप्रभुता की है या स्थानीय स्वशासन का अधिकार है। इन क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा कड़े तथा अमानवीय कानूनों को लागू करना आतंकवाद के बढ़ने का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारण है, आये दिन भारतीय सेना द्वारा इन क्षेत्रों में मानवाधिकार हनन की घटनाएं होना भी है। इन कानूनों में सबसे अमानवीय कानून आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अर्थात AFSPA है जिसके अन्तर्गत सेना को किसी को भी संदेह के आधार पर गोली मारने का अधिकार है।

1.8.2 पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद के कुछ महत्त्वपूर्ण जमीनी कारणः–

1. ऐतिहासिक रूप ये यदि देखा जाए तो इस क्षेत्र में तीन सभ्यताओं का विकास हुआ है, ये है–ब्रह्मपुत्र घाटी सभ्यता, बराक सभ्यता तथा मणिपुर घाटी सभ्यता। ये तीनों ही सभ्यताएं नृजातीय भिन्नता उत्पन्न करती है, जो आपसी संघर्षों का भी एक महत्त्वपूर्ण कारण है।
2. उत्तरपूर्व की भूमि एक तो अधिकतर ऐसे देशों से घिरी है जो भारत के अच्छे दोस्त नहीं रहे है तथा दूसरी यह भूमि भारतीय भूमि से एक संकरे मार्ग द्वारा जुड़ी है। (22 किलो मीटर लम्बा सिलिगुड़ी गलियारा) जो कई बार विशेषकर बरसात के समय बहुत ही दुर्गम हो जाती है, इसी स्थिति में आतंकवाद को उदय होने में सहायता मिलती है।
3. नृजातीय भाषाई तथा सांस्कृतिक एकरूपता का अभाव एक ऐसी धीमी राजनीतिक वृद्धि को जन्म देता है, जिसमें विद्रोहियों को आम जनता की भावनाओं को अपने स्वार्थों के लिए उपयोग करने का अवसर मिल जाता है।
4. भौगोलिक तथा ऐतिहासिक बाध्यताओं ने इस क्षेत्र को मुख्य धारा से अलग रखा है जिसके कारण एक गहरा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा क्षेत्रीय अविश्वास की भावना का विकास हुआ है।

दुर्गम भू–आकृतिक संरचना पूर्वोत्तर में विकास कार्यों की धीमी गति का एक प्रमुख कारण है। इस विकास के अभाव ने ही पूर्वोत्तर में एक प्रकार के असंतोष को जन्म दिया तथा दुर्गम क्षेत्र होने के कारण विद्रोहियों को अपने ऑपरेशन चलाने में सहायता मिली।

नागालैण्ड–नागालैण्ड भारत का राज्य है जहां स्वतंत्रता के ठीक बाद से ही विद्रोह तथा विघटन के एक्ट उभरे थे इन्हें 1980 तक भारतीय सेना ने दबा

दिया तथा यह भारत का अंग बना रहा किन्तु विद्रोह के एक्ट पूरी तरह दबे नहीं नेशनल सोशलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैण्ड इसाक मुइवा (NSCN-IM) ने एक स्वतन्त्र नागालैण्ड की मांग जारी रखी तथा भारतीय सेनाओं पर हिंसक आक्रमण करते रहे है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1992 से 2000 के बीच 599 निर्दोष नागरिक, 235 सुरक्षाकर्मी तथा 862 आतंकवादी मारे जा चुके है। 14 जून 2001 को भारत सरकार तथा NSCN-IM के बीच एक शांति समझौता हो गया जिसे नागालैण्ड में भारी समर्थन मिला है आतंकवादी संगठनों जैसे–"नागा नेशनल काउंसिल–फेडरल (NNC-F) तथा नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैण्ड खापलांश (NCN-K)" आदि ने भी युद्ध विराम की प्रशंसा की। परन्तु मणिपुर की तरफ से इस पर आपत्ति की गई उसका कहना था कि सैनिक वापस चले जाने से (NSCN) फिर हिंसा करने लगेगा। युद्ध विराम के बावजूद NSCN द्वारा हिंसा में कमी की सूचना नहीं मिली।

असम–नागालैण्ड के बाद असम सबसे अधिक हिंसाग्रस्त राज्य रहा। यहाँ हिंसक आंदोलनों की शुरूआत 1979 से शुरू होती है जब स्थानीय लोगों ने बांग्लादेशी शरणार्थी जो असम में जाकर बस गये थे, को यहाँ से बाहर निकालने की मांग की। आंदोलनों का नेतृत्व ऑल असम स्टुडेन्ट्स यूनियन (ASU) ने अहिंसक तथा सत्याग्रही तरीके से किया, जिसमें असहयोग, धरना तथा गिरफ्तारी देना शामिल था। 1983 में यहां चुनाव कराये गये जिसका नेताओं ने कड़ा विरोध किया। चुनावों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, अंततः आंदोलन के नेताओं द्वारा एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया जो केन्द्र सरकार के साथ किया गया था, इसके अनुसार जो व्यक्ति जनवरी 1966 तथा मार्च, 1971 के बीच असम आये थे उन्हें वहां बने रहने की अनुमति होगी किंतु वे दस वर्ष तक मतदान नहीं कर सकेंगे हिंतु 1971 के बाद आने वाले लोगों को निष्कासित कर दिया जायेगा। नई दिल्ली की सरकार ने बोड़ो लोगों को

प्रशासनिक स्वायतत्ता दे दी किंतु इनकी मांग अलग बोडोलैण्ड की बनी रही, जिसका परिणाम भारतीय सेना और बोड़ों लोगों के बीच संघर्ष रहा।

उल्फा**"यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम**(ULFA)**"** उन अनेक संगठनों में सबसे महत्त्वपूर्ण है। जो असम की स्वतंत्रता की मांग करते हैं। उल्फा ने असम में भारतीय सैनिकों पर अनेक आतंकवादी हमले किए हैं इनका मुख्य लक्ष्य रेलवे ट्रेक्स, राजनीतिक विरोधी तथा सुरक्षाकर्मी होते हैं। माना जाता है कि उल्फा के गहरे सम्बन्ध NSCN, माओवादियों और नक्सलवादियों से है। इनके अधिकतर कार्य भूटान से संचालित होते है। भूटान सरकार ने भारतीय सेना की सहायता से बड़े पैमाने पर उल्फा, आतंकवादियों को अपनी सीमा से बाहर किया है। 2004 में उल्फा ने एक पब्लिक स्कूल पर हमला किया जिसमें 19 बच्चे तथा 5 वयस्क मारे गये। भारतीय सेना की यहाँ मानवाधिकारों को लेकर आलोचना होती रही है, क्योंकि सेना यहां आतंकवाद उन्मूलन के नाम पर निर्दोषों की भी हत्या कर देती है।

हाल ही में असम में कराये गये एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि चार प्रतिशत से भी कम लोग स्वतंत्र असम की मांग करते हैं। अपहरण, लूट खसोट, हत्या व फिरौती उल्फा की नियति बन गई है, इस कारण उसका जनाधार लगभग समाप्त हो गयी है। इसी कारण उसे देश के बाहर बांग्लादेश में अपने शिविर बनाने पड़े है। साथ ही साथ पाकिस्तान खुफिया एजेन्सी आईएसआई की भी पकड़ इस पर मजबूत हो गई है। यहीं उल्फा का शीर्ष नेतृत्व तथा कमांडर इन चीफ परेश बरूआ भी रहता है। असम के लिए उल्फा आज एक बेजान संगठन हो गया है शायद इसलिए वह आईएसआई की रणनीति को वहां अंजाम दे रहा है। आईएसआई इलाकों से असमियाँ लोगों को खदेड़कर वहाँ बांग्लादेशी मुसलमानों को बसा कर अपना नेटवर्क बड़ा करना चाहता है। दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क अलकायदा के लिए भी यह स्वर्ग

समान हो गया है। सितम्बर 2007 में म्यांमार की सीमा से घुसते हुए अलकायदा के 15 आतंकवादी मणिपुर में पकड़े गये हैं। जो असम के बारपेटा में शरण लेने के लिए भारत में प्रवेश कर रहे थे। यही नहीं, उल्फा में पिछले कुछ समय से हिंदी भाषियों जिनकी संख्या लगभग 15 लाख है, को अपना निशाना बनाया है।

त्रिपुरा–1990 के बाद से त्रिपुरा में आतंकवादी गतिविधियों की सूचना प्राप्त होती है। इस समय अचानक ही यहां आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ सी गई। भारत, बांग्लादेश पर यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देने तथा आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाता रहा है। "त्रिपुरा ट्राईबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल" के अधीन क्षेत्र की सीमा को भारत सरकार, त्रिपुरा राज्य सरकार तथा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बीच एक त्रिस्तरीय समझौते द्वारा बढ़ा दिया गया। इसके बाद से यहाँ होने वाले आंदोलनों पर नियन्त्रण है फिर भी कभी–कभी छिट–पुट विद्रोह होते रहते हैं। त्रिपुरा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा परंपरागत रूप से कुछ भिन्न है, यहां की मुख्य समस्या साम्प्रदायिक हिंसा है जिसका कारण यहाँ की जनसंख्या घनत्व में बांग्लादेशी घुसपैठ से आई भिन्नता है। यहाँ के मूल निवासी जिनकी संख्या 1931 में 70 प्रतिशत थी 1991 में घटकर 30 प्रतिशत हो गई। यह बांग्लादेशी घुसपैठ का स्पष्ट प्रमाण है।

मणिपुर–मणिपुर में आतंकवादियों ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नाम का संगठन बना लिया है, इनका मुख्य लक्ष्य बर्मा के मोती आदिवासियों को एकजुट कर एक स्वतंत्र मणिपुर राज्य बनाना है हालांकि 1990 में भारतीय सेना ने कड़ी कार्यवाही कर इस आंदोलन को दबा दिया। 18 सितम्बर 2005 को छह अलगाववादी आपसी संघर्ष में मारे गये। यहाँ लगभग 30 विद्रोही संगठन है, जिनमें 17 पूर्ण रूप से क्रियाशील है। विभिन्न आतंकवादी संगठनों

के सदस्यों की संख्या लगभग 5000 तथा उनके पास हथियारों की संख्या लगभग 3600 है जिसमें A/K 56, 47, SLR, LMG कार्बाइन एवं पिस्टल शामिल है। पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के सदस्यों की संख्या 2500 है। इनके अलावा भी यहां कार्यरत अनेक आतंकी संगठन है इनके द्वारा किए जाने वाले मुख्य अपराधों में मुखबिरों की हत्या, फिरौती के लिए बंधक बनाना, हथियार लूटना तथा बड़े सरकारी कर्मचारियों या व्यापारियों का अपहरण करना शामिल है। मणिपुर में कार्यरत लगभग सभी संगठन अपना ऑपरेशन म्यामांर से संचालित करते हैं किन्तु अभी हाल ही में म्यांमार के सुरक्षा बलों ने म्यांमार स्थित भारतीय विद्रोहियों के केम्पों को नष्ट कर दिया है जिसमें UNLF तथा NSCN (K) है। अब ये संगठन कहीं और अपना अड्डा बनाना चाहते है। 2000 से 2006 को UNLF नेताओं को भारत–बांग्लादेश सीमा पर गिरफ्तार किया गया जिससे इस अनुमान को बल मिलता है कि ये अपने ऑपरेशन का केन्द्र बदलना चाह रहे है। नेपाल जाते हुए UNLF चैयरमैन आर के मेघन को दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। जिससे यह अनुमान लगता है कि शायद ये माओवादियों से सम्बन्ध साधना चाहते है।

मेघालय–मेघालय NSCM-IM संगठन को बांग्लादेश जोन की पारगमन सुविधा के लिए आदर्श स्थान है, इसके ठिकानें गाते पहाड़ियों में है। अधिकतर विद्रोही गुटों की कुछ न कुछ उपस्थिति मेघालय की राजधानी शिलांग के आस–पास भी है।

1.8.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र में एवं शेष भारत में व्याप्त नक्सलवाद

नक्सलवादी आंदोलन का नाम एक नक्सलवाड़ी के नाम से जुड़ा हुआ है। जो भारत के राज्य पं. बंगाल (कलकत्ता में विशेषकर), नेपाल और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। 1967 में यहां आदिवासियों ने

भू–स्वामियों के खिलाफ हथियार उठा लिये थे। इसके बाद यह आंदोलन जंगल की आग की तरह देश के अन्य भागों में फैल गया। देश के कुछ भागों के सर्वश्रेष्ठ और बड़े बुद्धिमान लोग घर और कॉलेज छोड़कर इस आंदोलन से जुड़ गए और उन्होंने एक नयी सामाजिक व्यवस्था के सपने देखे। स्वाधीनता प्राप्ति के दो दशक के बाद भी भारत की आबादी का एक बड़ा तबका किसान, श्रमिक और आदिवासी शोषण का शिकार हो रहा है। ऐसा महसूस किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीकों से जरूरी परिर्वतन नहीं आ पाएंगे क्योंकि निहित स्वार्थों के हाथ में सत्ता और उन लोगों का नियन्त्रण बना हुआ है और खेतिहर वर्ग पर प्रमुखतः सामंती पकड़ बनी हुई है। उनका विचार था कि इन सबसे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका था सशस्त्र–क्रान्ति।

नक्सलवाद का इतिहास–

नक्सलवादी के तीर–धनुषधारी संस्थानों ने कुलक की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया और मालिकाना हक जताने के लिए उस पर हल चलाया। जिन लोगों ने अपने भंडार में धान जमा कर रखा था उनके घर के सामने प्रदर्शन किए गए। अनेक मामलों में पूरा स्टॉक छीन लिया गया और उसे या तो बाँट दिया गया या सस्ते दाम पर बेच दिया गया। खूनी झड़पें हुई। मार्च से मई 1967 के बीच पुलिस को इस प्रकार की लगभग 100 वारदातों की खबरें मिली। हालत धीरे–धीरे और खराब होती गई। कुछ हिचकिचाहट के बाद पं. बंगाल सरकार ने कार्यवाही करने के निर्देश दिए। आंदोलन दबा दिया गया लेकिन नक्सलवादी से अनेक भ्रान्तियां दूर हो गई। चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी ने भारत की मार्क्सवादी पार्टी के गठन का स्वागत किया। ब्रिटेन, अल्बानिया और श्रीलंका के लेनिनवादी समूहों ने भी इसे मान्यता प्रदान की।

नक्सलवाद का उत्थानः–

माओवादी विचारधारा से प्रेरणा लेने वाले नक्सलवादी इस पार्टी के गठन के दो साल बाद तक बहुत चर्चा में रहे। यह स्थिति जून, 1971 तक चली। नक्सलवादी से शुरू यह आंदोलन दूर–दूर तक फैल गया और देश के लगभग हर भाग तक पहुंच गया। पूर्वोत्तर राज्यों, गोवा, पांडिचेरी और देश के लगभग सभी क्षेत्र में यह आंदोलन होने लगा। आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम, पश्चिम बंगाल के देबरा गोपीवल्लभपुर, बिहार के मुसहरी और उत्तर–प्रदेश के लखीमपुर जिले के बलिया/पलिया इलाके में इसका खास असर दिखाई दिया।राजनीतिक दलों को एक नयी ताकत के उबरने का आभास हुआ। सरकार इस नये खतरे से चौकस हुई। यह न सिर्फ कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती थे बल्कि इससे लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को भी खतरा था।सन् 1980 में आंध्र प्रदेश में कोड़ापल्ली सीतारमैया के नेतृत्व में पीपुल्स वार ग्रुप (PWG) के गठन के साथ इस आंदोलन में फिर जान आ गई। पीपुल्स वार ग्रुप के कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें शामिल थीः–

- ❖ भूमि का पुनर्वितरण।
- ❖ खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाना।
- ❖ कर और जुर्माना लगाना।
- ❖ जन अदालतों का संचालन करना।
- ❖ सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना।
- ❖ सरकारी कर्मचारियों का अपहरण करना।
- ❖ पुलिस कर्मियों पर हमला करना।
- ❖ सामाजिक संहिता लागू करना।

विश्वास किया जाता है कि पीपुल्स वार ग्रुप ने आन्ध्रप्रदेश में करीब पांच लाख एकड़ भूमि का पुनर्वितरण किया है। इसके कार्यकर्ता न्यूनतम दिहाड़ी और सालभर की मजदूरी की फीस (जीतागाडू) लागू करते है। गरीब तबके को लगा है कि अब तक राजनीतिक नेता जो बातें करते थे और सरकार जो वादे करती आ रही थी, वह नक्सलवादी एक ही झटके में लागू कर रहे है दूरदराज के इलाकों में उन्हें गोराकला डोरा (झाड़ियों में छिपा देवता) कहा जाने लगा। अपने गिरफ्तार सदस्यों को छुड़ाने के लिए उन्होंने बंधक बनाना शुरू कर दिया। 27 दिसम्बर 1987 को उन्होंने पूर्वी गोदावरी जिले के पुलिमातु में 6 IAS अधिकारियों को तब बंधक बना लिया जब वे एक आदिवासी कल्याण मीटिंग से लौट रहे थे।

1992 में आंध्रप्रदेश में नक्सलवादियों की बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियाँ हुई। 1987 से 1992 के छह वर्षो के दौरान बिहार में गया, चतरा और औरंगाबाद जिलों में आठ बड़ी वारदातें हुई जिनमें मरने वाले 97 नागरिक एवं तीन पुलिसकर्मी शामिल थे। बिहार में एक अन्य नक्सलवादी संगठन–माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टर (MCC) सक्रिय था और उसने अनेक हिंसक गतिविधियाँ की। इसका संगठनात्मक ढांचा बिहार के मध्यवर्ती जिलों में सक्रिय था। 2009 में पं. बंगाल में हुआ लालगढ़ घटनाक्रम भी इससे ही सम्बन्धित था।

1.9 भारत में आतंकवाद के प्रमुख कारण

आतंकवाद एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो कई–एक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कारणों के ऊहापोह की उपज है। यह जरूर हो सकता है कि इनका प्रतिशत अलग हो, या विभिन्न स्थितियों में यह प्रतिशत कभी किसी एक कारण के पक्ष में ज्यादा हो या/अथवा दूसरी स्थिति में या समय में दूसरे कारण के पक्ष में। यह भी जरूरी नहीं कि एक देश या क्षेत्र–विशेष में

आतंकवाद के जो कारण रहे हों, वे दूसरी जगह भी होने से वहाँ आतंकवाद जन्म लें। अलग–अलग देशों या क्षेत्रों के लोगों की सहनशक्ति, संवेदनाओं और जानकारियों में अन्तर होना स्वाभाविक है। मूलतः आतंकवाद का बीज एक छोटे से कारण के रूप में उगता है और धीरे–धीरे यह बीज एक विशाल विनाशकारी कांटेदार पेड़ का स्वरूप अख्तियार कर लेता है। यदि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा जाए तो आतंकवाद के कई प्रकार के आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य कारण है।

1.9.1 आर्थिक कारण

जैसे–जैसे मनुष्य तरक्की कर रहा है और विज्ञान पर ज्यादा निर्भर होता जा रहा है। उनकी आवश्यकताएँ और आकाक्षाएं बढ़ती जा रही है। आवश्यकताओं, की तुलना में धन–सम्पत्ति नहीं बढ़ती और एक असंतोष पनपता है और यह एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। जिसके द्वारा आतंकवाद की उत्पत्ति ही नहीं होती, इसको बढ़ावा भी मिलता है। निम्न आर्थिक कारण अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए उत्तरदायी है।

- बेरोजगारी या निम्न रोजगारी।
- गरीबी।
- धन–सम्पत्ति के स्वामित्व में भारी अन्तर।
- एक विशेष इलाके का पिछड़ापन।
- अतिभोगवाद।
- एक सम्प्रदाय जाति, धर्म–समूह आदि का आर्थिक पिछड़ापन।
- उद्योगों की कमी।
- एक विशेष वर्ग का आर्थिक शोषण, जमींदारी प्रथा, बंधुआ मजदूरी आदि।
- राष्ट्र की कमजोर मुद्रा, नकली मुद्रा का प्रचलन।

- बाहरी आर्थिक मदद का आसानी और अधिकता से मिलना।
- आर्थिक अपराधों को बढ़ावा।
- कमजोर, भ्रष्ट और गैर जिम्मेदाराना न्याय प्रणाली और टैक्स प्रणाली, अनुचित व शिथिल आर्थिक तंत्र।

एक सामान्य सी कहावत है–भूखे पेट वाले व्यक्ति से कुछ भी गुनाह करवाया जा सकता है। एक तरह से विश्व में जो छोटी–मोटी आतंकवादी घटनाएँ होती है उनकी पीछे भूख, अभाव, शोषण और उपेक्षा बहुत बड़े कारण हैं। विश्व की आज हालत यह है कि उसकी 80 प्रतिशत जनसंख्या के पास संसार के 20 प्रतिशत से भी कम संसाधन है और 20 प्रतिशत जनसंख्या के पास 80 प्रतिशत से भी अधिक संसाधन है।

विश्व बैंक का अध्यक्ष एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक उसकी स्थापना से लेकर आज तक के बीते इतने दशकों में गैर अमेरिकी नहीं बना है। उसने इन संस्थाओं की नीतियां इस तरह से बनाई है। जिनसे उसके आर्थिक हितों का सरंक्षण हो सके और गरीब राष्ट्र और अधिक गरीब होकर उस पर पूरी तरह से आश्रित हो जाए। अमेरिका ने केवल अपने हितों के लिए पहले तो इन राष्ट्रों को आर्थिक सहायता का सब्ज–बाग दिखाकर उन्हें जाल में फंसा दिया और अब उन्हें ऋण नहीं चुकाने के नाम पर आतंकित किया जाता है। लीबिया, सूड़ान, नाईजीरिया, श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान जैसे राष्ट्रों में आतंकवाद का विस्तार गरीबी के कारण हुआ है।

भारत में भी कश्मीर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, आन्ध्रप्रदेश जैसे प्रांतों में आतंकवादी गतिविधियों का सबसे बड़ा कारण वहाँ के लोगों की दरिद्रता है। यह दरिद्र व्यक्ति कब तक और कितना सहन करते रह सकता है कि एक ओर बहुमंजिली अट्टालिकाएँ बनती जाएँ, कुछ भी काम नहीं करने वाले लाखों

रूपये की गाड़ियों में घूमतें रहे और दूसरी और गरीबों को पसीने की जगह खून बहाने पर भी पेट भरने तक की मजदूरी नहीं मिले।

1.9.2 राजनैतिक कारण

आतंकवाद के निम्न राजनैतिक कारण है।

1. राजनैतिक भेदभाव
2. राजनैतिक अस्थिरता
3. विकास–कार्यों में राजनैतिक दबाव, भेदभाव, हस्तक्षेप और एक क्षेत्र–विशेष की अवहेलना।
4. जन आकांक्षाओं के विपरित् एक राजनैतिक तंत्र की स्थापना एवं संचालन।
5. कमजोर, गैर–जिम्मेदाराना, अनुभवहीन, निष्प्रभावी नेतृत्व।
6. एक तंत्र विशेष (प्रजातंत्र, राजतंत्र, तानाशाही) आदि।
7. राजनैतिक और वैचारिक मतभेद
8. कुंठा–ग्रस्त नौजवानों या समूहों को राजनैतिक शरण, जो कम पढ़े लिखे लोगों या बेरोजगार युवकों को अपनी और आकर्षित कर लेती है।
9. असंतुष्ट समूहों/राजनीतिक दलों का विदेशी शक्तियों, सुपर पॉवर्स या दुश्मन पड़ौसी देशों द्वारा फायदा उठाना।
10. कठपुतली सरकारें या भ्रष्ट चुनावी प्रक्रिया से चुनी सरकारें।
11. राजनीति और निजी स्वार्थों की तुलना में देश हित को कम महत्त्व।[6]
12. सरकार और राजनेताओं द्वारा छोटी–छोटी समस्याओं और छोटे–छोटे आंदोलनों की अनदेखी।
13. राजनीतिज्ञों एवं आम आदमी के मध्य बढ़ती दूरी।

14. अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए राजकीय आतंकवाद का प्रचार–प्रसार और रेडियो, टी.वी., साहित्य आदि का गलत उपयोग।
15. राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों को राजनैतिक और शह।
16. विदेशी शक्तियों या पड़ौसी दुश्मन राष्ट्रों द्वारा राजनैतिक अस्थिरता पैदा करना।
17. एक आतंकवादी संगठन का प्रभाव कम करने एवं राजनैतिक फायदे के लिए दूसरे आतंकवादी संगठन को राजनैतिक प्रश्रय।

1.9.3 सामाजिक कारण

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज और आस–पास के सामाजिक परिवेश का उस पर प्रभाव पड़ना लाज़मी है। सामाजिक मूल्यों में गिरावट, सामाजिक संस्थाओं का विघटन, वैज्ञानिक प्रगति के कारण पनपता सामाजिक प्रदूषण आदि ऐसे तत्त्व है। जो मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति पर विराम लगाने की बजाय उन्हें बढ़ावा देते है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये आतंकवाद के बीज उगा देते हैं, और फिर उन्हें बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होते है।

कुछ सामाजिक कारण निम्नलिखित है–

1. वर्ण व्यवस्था और छुआछूत।
2. सामाजिक मूल्यों का गिरना और नैतिक शिक्षा का अभाव।
3. अमीरी व गरीबी में दिन–ब–दिन बढ़ती खाई।
4. वैज्ञानिक प्रगति और भौतिकता की ओर अग्रसर युवा वर्ग।
5. समाज में अपराधियों और अपराधों की अनदेखी करने की प्रवृत्ति अपराधियों का डर और सामाजिक चेतना का अभाव।[8]
6. शहरीकरण और अपराधियों के छिपने के पर्याप्त एवं सुरक्षित स्थान।

7. आवागमन के तीव्र उपलब्ध साधन, संचार माध्यमों द्वारा सूचनाओं का समाज की बीचों–बीच तीव्रता से पहुंचने की सुविधा।
8. खराब शिक्षा प्रणाली में जिसमें राष्ट्र–भक्ति, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा की अनदेखी की जाती है।
9. संयुक्त परिवारों का टूटना, बुजुर्गों और उनकी नैतिक बातों की अनदेखी, सामाजिक अनुशासनहीनता।
10. बेरोजगारों युवकों को सामाजिक संरक्षण प्राप्त न होना, सरकारी नौकरियों के लिए भागदौड़ और युवकों की भावनाओं की अवहेलना।
11. बुद्धिजीवी व अभिजात्य वर्गों में हताशा एवं मोहभंग की स्थिति।

1.9.4 मनोवैज्ञानिक कारण

आतंकवाद का अपना मनोविज्ञान है। एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति वाला व्यक्ति ही हिसंक होता है, आतंकवादी बन सकता है और हिंसा को अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जायज करार दे सकता है। आतंकवाद के मनोविज्ञान पर हम कुछ निम्नलिखित कारण मान सकते है।

1. मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक अलगाव की भावना।
2. प्रेस की भूमिका एवं गलत प्रचार–प्रसार का आम लोगों पर मनोवैज्ञानिक असर और विश्व जनमत का धीरे–धीरे बनना।
3. भीड़ का मनोविज्ञान।
4. स्वतंत्र होने की इच्छा, बलपूर्वक गुलाम बनाए गए राष्ट्रों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न होना।
5. राष्ट्रीय एकता की कमी।
6. उपराष्ट्रीयता

7. किसी क्षेत्र, भाषा, धर्म–विशेष आदि की अनदेखी के कारण पनपते असंतोष से नए राष्ट्र की कल्पना।
8. कट्टरवाद
9. अफवाहें और उन पर विश्वास
10. आतंकवादियों में तीव्र भावनात्मक महत्त्वकांक्षाएँ
11. आतंकवादियों द्वारा अपने कार्य को एक पवित्र कार्य के तौर पर पेश करना और जनता का उसे मान लेना।
12. जनमत की शक्ति के पीछे होने का मनोविज्ञान उन्हें व्यक्तिगत तौर पर अपनी कार्यवाही करने, लोगों को कष्ट देने और मरने व मारने की शक्ति देता है।
13. आतंकवादियों में ऐतिहासिक प्रेरणा, विषय की भावना और उसके विपरीत सैन्य बलों और प्रशासन में पराजय की भावना पनपना।
14. किसी क्षेत्र, भाषा, धर्म की अनेदेखी एवं एक आंदोलन के पीछे का जनमत, उसकी प्रेस से चर्चा तथा अच्छा और प्रभावशाली नेतृत्व ऐसे कारण है जो इसे चर्चित करने के साथ–साथ देश और विदेश में कुछ ऐसे समूह इकट्ठे/एकत्रित कर देते है जो एक आंदोलन विशेष का समर्थन करने लगते है।

1.9.5 धार्मिक कारण

आज विश्व आतंकवाद के जिस दौर से गुजर रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण धर्म है। धर्म एक ऐसी चीज है जिसने क्षेत्र, राष्ट्र, जाति, भाषा आदि की सभी सीमाएँ तोड़कर आतंकवाद को एक नया आयाम दिया है, यानि इसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जो धर्म के नाम पर लोगों को एक स्वर में बोलने को कहते है और विश्व में कहीं भी धर्म के नाम पर अपनी कार्यवाही को अंजाम

देने में सक्षम है। साथ ही जिसने इनका विरोध किया वे चाहे विश्व में कहीं भी हों इनके दुश्मन बन जाते है।

आतंकवाद के धार्मिक कारणः–

1. धार्मिक कट्टरवाद या धर्मान्धता
2. धर्म का अधूरा ज्ञान और उसकी शिक्षा को तोड़–मरोड़कर आम आदमी तक पहुंचना
3. अनैतिक कार्यों को धर्म युद्ध का नाम देकर करना।
4. अपने धर्म को सर्वोपरि बताना और गलत तरीकों से उसका प्रसार प्रचार करना।[11]
5. धार्मिक स्थानों का कट्टरता फैलाने में उपयोग।
6. वास्तविक अर्थों में धर्म निरपेक्ष राजनीतिज्ञों, क्षेत्रों, और राष्ट्रों का अभाव।
7. धर्म और राजनीति का गठजोड़ स्थापित करना और वोट बैंक स्थापित करना।
8. धर्म गुरूओं, पादरियों या मुल्लाओं का वर्चस्व और उनके द्वारा गलत शिक्षा। इनके द्वारा धर्मयुद्ध, जिहाद, होली वार आदि की शिक्षा और हिंसा को इसके लिए जायज (जायद फसल) ठहराने की प्रवृत्ति।
9. धार्मिक स्थानों का आतंकवादियों द्वारा शरणस्थल के तौर पर उपयोग और सैन्य बलों की इन स्थनों पर कार्यवाही करने की सीमाएँ।

आज पूरे संसार में जो आतंक फैलाया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा योगदान धर्म का है। इस्लामी कट्टपंथी आतंकवाद भारत की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। वास्तव में इसका जन्म पाकिस्तान व अफगानिस्तान में हुआ है। आज तालिबान अफगानिस्तान के शासन तथा समूचे विश्व का सिरदर्द बना हुआ है।

1.9.6 सैन्य कारण

विश्व में कई जगह जनता आंदोलन या संघर्ष को सैन्य बलों द्वारा गलत ढंग से संभालने के कारण उसका प्रभाव–क्षेत्र बढ़ता चला गया। भावनाओं को समझें बिना इसे जितना कुचलने की कोशिश की गई, उतनी ही ज्यादा वो भावनाएं भड़की और एक बड़ी समस्या बन गई। आतंकवाद ग्रसित इलाकें में लोगों को भ्रमित करना और भड़काना बड़ा आसान होता है। किंतु इस पक्ष का समर्थन करने के साथ–साथ इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि सैन्य बलों द्वारा मानवाधिकारियों का पालन न करना और हर आम आदमी को आतंकवादी की श्रेणी में खड़ा कर उनके साथ दुर्व्यवहार करना, आग में घी का काम करता है। कुछ एक सैन्य कारण इस प्रकार है–

1. सैन्य बलों पर राजनैतिक प्रभाव।
2. मानवाधिकारों का ज्ञान न होना।
3. सैन्य बलों और आतंकवादियों द्वारा एक–दूसरे के विरूद्ध की गई कार्यवाहियां तथा इस क्रम का न रुकना।
4. सैन्य बलों की असंतुलित एप्रोच, शक्ति से ज्यादा काम करना और सिविल एक्शन पर कम ध्यान देना।
5. आतंकवादियों द्वारा सैन्य बलों के परिवारों को निशाना बना और उनकी हर उचित कार्यवाही को भी आतंकवादी संगठनों और प्रेस द्वारा दुष्प्रचारित करना। फलतः सैन्य बलों में बदले और द्वेष की भावनाओं का पनपना।
6. सैन्य बलों द्वारा मानवाधिकारों के हनन को छिपाना और उनके अपराधों पर पर्दा डालना।
7. सैन्य बलों द्वारा आम आदमी का शोषण और अनैतिक कार्यवाहियाँ।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद किसी एक कारण से जन्म जरूर ले सकता है किंतु समस्या तब खड़ी होती है जब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कई छोटे–बड़े कारण जुड़ जाते है। अगर एक स्थापित व्यवस्था में मनुष्य को मनुष्य की तरह रहने का अधिकार मिले, उसे अपने जीवन–यापन के लिए मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त हो और सबको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर बराबर का दर्जा प्राप्त हो तो आतंकवाद का जड़ जमाना मुश्किल हो जाएगा।

1.9.7 प्रमुख आतंकी घटनाएँ व उनका समकालीन असर

एक सामान्य धारणा के अनुसार "आतंकवाद हिंसा की धमकी के उपयोग द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिये संघर्ष की एक विधि व राजनीति है, अपने शिकार में भय पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह क्रूर व्यवहार है जो मानवीय प्रतिमानों का पालन नहीं करता। इसकी रणनीति में प्रचार एक तत्त्व है।

भारत में आतंकवादी गतिविधियों के प्रारम्भिक समय में हम जिन चार प्रकार के आतंकवाद का सामना कर रहे थे अथवा अब भी कर रहे हैं, वे हैं–

(1) पंजाब में खालिस्तान उन्मुखी आतंकवाद

(2) कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित उग्रवादियों का आतंकवाद

(3)बंगाल एवं आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादी आतंकवाद

(4) असम में उल्फा और बोडो आतंकवाद।

इसके पूर्व नागालैण्ड (1965), मिजोरम (1965), मणिपुर (1966), त्रिपुरा (1980), और गोरखालैण्ड का बंगाल ने भी इस समस्या कासामना किया था। खालिस्तानी उन्मुखी सिख आतंकवाद–पृथक्तावाद द्वारा एक 'मजहबी राज्य' के

स्वप्न पर आधारित थाय नागालैण्ड और मिजोरम आतंकवाद 'पहचान' की संकट स्थिति पर आधारित था, और बंगाल, बिहार और आन्ध्र प्रदेश व पंजाब में सिख आतंकवाद 'परिवेदना की स्थिति' या सिखों के पहचान की संकट स्थिति' पर आधारित होता तो उससे राजनैतिक वार्ता और संवैधानिक साधनों से निपटा जा सकता था, परन्तु जब तक वे देश से पृथक होकर और उसके बंटवारे से एक मजहबी राज्य के लक्ष्य पर आधारित था तो सरकार को उसके प्रति–आतंक युक्तियों से सामना करना पड़ा था।

पंजाब में आतंकवाद का 1984–85 में एक खतरनाक स्थिति में पदार्पण हुआ। इससे पहले 1982–83 के दौरान बहुत से निर्दोष व्यक्ति, अधिकांश हिन्दू अन्धाधुन्ध मारे गये थे। इसके बाद की अवस्था में हिन्दुओं के साथ–साथ सिख भी मारे गये। पूजा–स्थलों को शस्त्रागारों में बदल दिया गया था। मई 1985 में देहली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई ट्रांजिस्टर बम बिस्फोट हुए, जिनमें बहुत सी जानें गयी। संतअकादी दल के लोंगोवाल अध्यक्ष की, 20 अगस्त, 1985 में एक गुरूद्वारों के अन्दर हत्या कर दी गयी।

आतंकवादी पंजाब विधान सभा में जून, 1991 में होने वाले चुनाव के विरूद्ध थे। काँग्रेस (आई) और दक्षिणपथी दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। केवल सिख संगठन और भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ रही थी। पंजाब में अकाली दल सात गुटों (मान, बादल, लोगोंवाल, कैप्टेन, अमरेन्दर सिंह, बाबा जोगेन्दर सिंह फेरूमन और राजदेव समूहों में) बंटा हुआ था। अखिल भारतीय सिख विद्यार्थी फेडरेशन (ए.आई. एस. एफ.) भी छः समूहों में बंटी हुई थी।

दूसरे के विरूद्ध थे (मंजीत, मेहता–चावल, दलजीत, विट्टा, पादरी और खेलों) पाँच पंथिक कमेटियाँ थीं (सोहन सिंह, तफ्फरवाल, मनोचहल, उस्मानाला

और भुट्टङ) चुनाव में राष्ट्रीय और पृथकतावादी शक्तियों के बीच एक संघर्ष होना था। स्वतंत्र चुनाव संभव नहीं थे क्योंकि उम्मीदवारों को डराने और जान से मारने की आतंकवादी युक्तियाँ अपनायी जा रही थीं। केन्द्र में चन्द्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव कराने पर अटल थी परन्तु केन्द्र में काँग्रेस सरकार के सत्ता में आने के एक दिन पहले चुनाव स्थगित कर दिये गये। आतंकवादियों का सिखों के लिए स्वशासित स्वायत्त राज्य, जहाँ सिख स्वतंत्रता के प्रकाश का अनुभव कर सकते, की माँग पूरी नहीं हो सकी। जनवरी, 1991 और सितम्बर, 1991 के मध्य मारे गये नागरिकों की संख्या प्रतिमाह 210 और 250 के बीच थी, अक्टूबर 1991 में 500, नवम्बर, 1991 और दिसम्बर, 1992 के मध्य 40–50 के बीच और जनवरी–फरवरी 1993 में 5 और 10 के बीच थी। मारे जाने वाले आतंकवादियों की संख्या भी इस बीच 100–200 प्रतिमाह रही साम्राज्यवादी ताकतें तो भारत के टुकड़े करना चाहती हैं और हमारे देश को कमजोर एवं अस्थिर और उसका विघटन तक कराना चाहती थी। वे खालिस्तान की माँग को समर्थन और प्रोत्साहन देते हुए सिक्ख युवकों को उकसा रही थी।

1993 तक पंजाब में व्यक्तियों की आत्मा आतंकवाद से थक चुकी थी। अब कोई गुस्सा नहीं था, यद्यपि आतंक का भय था, जो एक मानसिक स्थिति बन गयी थी। ऐसी अराजकता में जनता की पीड़ा दब के रह गयी थी। मार्च 1993 से मार्च 1994 तक एक वर्ष में पुलिस और सरकार द्वारा अपनाये गये उपायों के कारण पंजाब में आतंकवाद समाप्ति के कगार पर पहुँच गया।

नक्सलवादी आतंकवाद का प्रादुर्भाव बंगाल में 1987 में हुआ। 1969 में इसे बढ़ावा मिला जब सी.पी.आई. (एम.एल.) को चीन, जो कि भारत को कमजोर करना चाहता था, के उकसाने पर इसका जन्म हुआ। नक्सलवादी विचार को सैद्धान्तिक समर्थन अप्रैल 1968 में हुई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की

कांग्रेस से प्राप्त हुआ जब कि माओ के विचारों को मार्क्सीज्म की चरम सीमा कहा गया। इन विचारों का उपयोग करते हुए, नक्सलवादी नेता, चारू मजूमदार ने घोषणा की थी कि 'चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन हैं। बंगाल में नक्सलवादी आन्दोलन भूमिहीन श्रमिकों की ओर से संघर्ष करने के लिए बिहार में फैला। फिर यह आन्दोलन बंगाल और बिहार से आन्ध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडू और त्रिपुरा में फैल गया। आन्ध्र प्रदेश में 1960 और 1995 के दौरान आतंकवादियों ने लगभग 400 हत्यायें की और 200 लूट के मामलों में लिप्त रहे।

बिहार में 1988 और 1999 के बीच स्थिति और भी अधिक खराब थी, यद्यपि सब मिलाकर अब भी शोषित, निर्धन और जनजातियाँ अपने को पूर्व–जमींदारों, साहूकारों और शोषकों से बचाने हेतु नक्सलवादी आतंकवाद का अनुसरण करते हैं। सरकार इस नक्सलवादी आतंकवाद से केवल कानून और व्यवस्था की समस्या की तरह ही निपटने की युक्ति अपनाती है।

कश्मीर में उग्रवादियों के आतंकवाद ने 1988 से एक नया रूप धारण कर लिया है। उग्रवादी कश्मीर में और देश में राजनैतिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी अलग पहचान पर बल देने के लिए एक रक्त युद्ध छेड़ दिया। पड़ोस के देश, जो घाटी में अशांति को जारी रखने पर दृढ़ संकल्प है, आतंकवादियों को प्रशिक्षण और हथियार दे रहे हैं। कश्मीरी नागरिकों का भी इतना मत–आरोपितकिया जा रहा है कि वे भी पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की ज्यादातियों के बारे में बात करते हैं। उग्रवादियों के लिए कश्मीरी नागरिकों द्वारा सरकार की आलोचना का अर्थ कि वे उन्हें समर्थन देने के लिए अत्यधिक सहमत हैं। दूसरी ओर हिन्दुओं को उग्रवादियों द्वारा कश्मीर छोड़ने पर बाध्य किया गया है। 'प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1988 और 1997 के बीच लगभग दो लाख हिन्दू जम्मू

और कश्मीर छोड़ गये जो अभी तक वापस नहीं आ पाए हैं। हिन्दू दावा करते हैं कि कट्टरवादी और उग्रवादी कश्मीर घाटी में सरकार के प्रत्येक क्षेत्र में घुस गये हैं और जहां इनका शासन चलता है, वहाँ सरकार की अपितु नहीं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट की हुकूमत है। पाकिस्तानी समर्थक शक्तियों ने घाटी पर इतना प्रभुत्व जमा लिया था कि एक प्रकार से शासन ठप हो गया था। 1999 में कारगिल क्षेत्र में हमारी फौजों ने आतंकवादियों को मार कर खदेड़ दिया था। मुसलमानों का दावा हैं कि वे निर्दोष हैं और उन्हें अनावश्यक रूप से तंग किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि हजारों प्रशिक्षित उग्रवादी घाटी में आँख बचाकर अब भी आने को तैयार हैं। उग्रवादियों ने पैसे के लाभ और राजनैतिक उद्देश्य से पैसा ऐंठा है और अपहरण किया है। घाटी में हथियारों की कोई कमी नहीं है और उन्हें चलाने के लिए कुंठित युवाओं की भी कोई कमी नहीं है।

कुछ स्रोतों का दावा है कि उग्रवादियों को सऊदी अरब, पाकिस्तान और लिबिया से सहायता प्राप्त हो रही है। केन्द्रीय गृहमंत्री की पुत्री का अप्रैल, 1991 में अपहरण, दो स्वीडिश इंजीनियरों का अप्रैल, 1991 में (जो अन्त में 6 जुलाई, 1991 को बच निकले), आठ इजराइली पर्यटकों को 27 जून 1991 को और बन्दी बनाकरउग्रवादियों की रिहाई की मांग, अक्टूबर–नवम्बर 1993 में हजरतबल दरगाह मेंचालीस व्यक्तियों को बन्धक के रूप में 32 दिन तक बन्द रखने, दिसम्बर 1999 में 155 यात्रियों सहित एक भारतीय विमान को हाईजैक कर कंधार ले जाना और तीन उग्रवादियों को छुड़वाने के बाद विमान यात्रियों को सात दिन बाद छोड़ देना, अगस्त 2000 के प्रथम सप्ताह में उग्रवादियों द्वारा 30 अमरनाथ यात्रियों सहित 110 व्यक्तियों का मार देना, मार्च 2000 में अमरीकन राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा के समय जम्मू के एक गाँव में 20 सिखों का कत्ल, उन नयी रणनीतियों की ओर संकेत करता हैं जो उग्रवादी

आज अपना रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान सरकार को उग्रवादियों से लड़ने की समस्या का ही केवल सामना करना नहीं पड़ रहा है, अपितु जुलाई 2000 में नेशनल काँफ्रेस को राज्य सरकार द्वारा स्वायत्तता देने और 1953 से पहले की स्थिति स्थापित करने की मांग का और सैनिक शक्तियों की कुछ ज्यादतियों के लिए लोगों के कोप/क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। अतः सरकार को दूरदर्शी राजनैतिक पहलों से विश्वास के पुल भी बनाने हैं।

असम में आतंकवाद 1980 के बाद आगे उभरा। असमियों ने पहले से ही 'विदेशियों को निकालने और उनके नाम निर्वाचन सूचियों से हटाने का मामला उठा दिया था। जब सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, तो फरवरी 1983 के चुनाव में उग्र आन्दोलन हुए, जिनमें 5000 लोगों की जाने गयी। ए.ए.एस.यू. के आन्दोलन के पश्चात् जब असम गणपरिषद् सत्ता में आयी तो यह सोचा गया की राज्य का विकास होगा। परन्तु दलबन्दी से असम गणपरिषद् टूट गयी।

उग्रवादी गतिविधियों ने जून 1991 के चुनाव में भी कोई बाधा नहीं डाला। यह आशा की जाती थीं कि कांग्रेस सरकार जिसका 30 जून 1991 को गठन हुआ था, ए.ए.एस.यू., ए.पी.जी, यू.एम.एफ., उल्फा, और एएस.बी. सी. संगठनों की आतंकवादी गतिविधियों को रोक देगी। परन्तु राज्य के विभिन्न भागों में 1 जुलाई, 1991 को 14 व्यक्तियों का अपहरण जिसमें ओ.एन.जी.सी. के छह अधिकारी सम्मिलित थे, इन आशाओं को धूमिल कर दिया।

वर्तमान के पिछले 10 वर्षों से चल रही असम में बोर्ड लैण्ड की समस्या गम्भीर बनी हुई है। बोडो लोग दो संगठनों–बोडो विद्यार्थी संगठन और बोडो। पीपुल्स एक्शन कमेटी द्वारा एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं तथा अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की आतंकवादी गतिविधियाँ चलायी हैं। 1990 में 10 जिलों में छोटे–बड़े विस्फोटों द्वारा उन्होंने 75 लोगों को मार

दिया था व 240 को घायल किया था। अक्टूबर, 1992 में उन्होंने 22 लोगों की हत्या की एवं 50 को घायल किया। फिर एक बम विस्फोट में राजधानी गुवाहाटी में 44 व्यक्ति मारे गये।

फरवरी 1993 में असम राज्य 'बोडोलैण्ड' कौंसिल स्थापित करके बोडो आतंकवाद समाप्त करने का प्रयास किया गया। परन्तु अब फिर पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आई.एस.आई. ने बोडो उग्रवादियों को भड़काना आरंभ किया है। तथा स्वतंत्र बोडोलैण्ड के लिए विभिन्न अपहरण, बलपूर्वक वसूली, और हिंसात्मक विध्वंसककारगुजारियों में उनकी सहायता कर रही है।

पंजाब, कश्मीर व असम के अलावा कुछ और प्रान्तों में भी आतंकवादी गतिविधियाँ पाई गयी हैं। मुंबई में मार्च 12, 1993 को आतंकवादी ने ग्यारह व्यापारिक दृष्टि से प्रमुख व भीड़ वाले स्थानों पर तीन घंटो में विभिन्न बम विस्फोट द्वारा भय व आतंक पैदा किया था। इनमें 235 व्यक्ति मारे गये तथा 1,214 घायल हुए थे। संबंधित व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर बहुत से हथियार व गोला–बारूद मिले थे, तथा पड़ोसी राज्यों के अन्तर्सया गुप्तचर संस्था एवं इसी देश द्वारा समर्थित दुबई में बसे मुस्लिम तस्करों का इसमें गहरा हाथ पाया गया था। इसी प्रकार का बम विस्फोट कलकत्ता में 16 मार्च2003 को हुआ था, जिसमें 86 व्यक्ति मारे गये।

भारत सरकार की सूचनाओं के अनुसार 16 मई 1804 की घटना इस बात के पक्षका सबूत हैं कि पड़ोसी देश अलगाववादियों और आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए काठमाण्डू (नेपाल), ढाका और चटगाँव (बंग्लादेश) एवं कनाडा को अड्डे बनाकर उनकी गतिविधियाँ' संचालित कर रहा है। पंजाब की समस्या पर यद्यपि काबू पा लिया गया है, परन्तु कश्मीर के समान ही उत्तर पूर्व के नागलैण्ड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की स्थिति बिगड़ती जा

रही है। इन क्षेत्रों के आतंकवादियों को बंग्लादेश सीमा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार में नेपाल और बांग्लादेश सीमा से होकर गुप्तचर संस्था (आई. एम.आई.) की गतिविधियाँ संचालित की जा रही है।इसी प्रकार आतंकवादियों ने अपने गतिविधियों को गति देते हुए 12 दिसम्बर 2003 को भारतीय संसद पर, 24 सितम्बर 2002 गुजरात स्थित अक्षर धाम मन्दिर पर, 7 मार्च, 2005 को वाराणसी में संकटमोचन मन्दिर एवं वाराणसी कैण्ट स्टेशन पर तथा 8 सितम्बर 2006 को माले गाँव कब्रिस्तान में बम विस्फोट करके सैकड़ों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया।

इसी प्रकार भारत ही नहीं पूरे विश्व को दहला देने वाली आतंकी घटना 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुई। यहाँ आतंकवादियों ने मुम्बई के तीन प्रतिष्ठित होटला होटल ताज, होटल ओबेराय एवं होटल नरीमन हाउस) में 50 घंटे से अधिक समय तक कब्जाकर 10 विदेशी सैलानियों, 155 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया जिसमें 70 लोग घायल हुए।

25 अगस्त, 2003 का दिन शिवनारायण पांडे को दक्षिण मुंबई में दर्शनीय स्थलों की यात्रा, खरीददारी तथा इसके लिए 1,000रु. का एडवांस बहुत बड़ा सौदा लग रहा था, अनुभवी टैक्सी चालक पांडे को भान तक नहीं था कि वे जिन दो मर्दो, एक बुर्काधारी महिला और एक बच्चे को लेकर जा रहे थे, उनके पास बम टिक–टिक कर रहा था. 24 अगस्त की सुबह में पांडे को अंधेरी में शॉपर्स स्टॉप के पास चार लोगों का परिवार मिला जो खास तौर पर सीएनजी टैक्सी से शहर की सैर करना चाहता था। कांदिवली के निवासी 55 वर्षीय पांडे को तब बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि वह यात्रा गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबा देवी मंदिर के पास उनकी टैक्सी एम.एच.आर. 2007 के नीचे बम रखने का अभ्यास मात्र थीं 25 अगस्त को दिन में 1 बजे उनकी कार में विस्फोट होने से पहले तक वे इससे बिल्कुल अनजान थे। संयोगवश वे खाना

खाने के लिए थोड़ी देर पहले ही वहां से चले गए थे। उस बम की तीव्रता ने उनकी गाड़ी और पास में खड़ी दूसरी गाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए।

इस घटना से स्तब्ध पांडे खुद को खुश किस्मत मानते हैं कि वे बाल–बाल बच गए लेकिन गुजरात के सुरेंद्रनगर का मारवाड़ परिवार तबाह हो गया। कुंभ मेले में स्नान करने के लिए नासिक जाने से पहले मारवाड़ परिवार कुछ दर्शनीय स्थालों का नजारा करने के लिए मुंबई में रुका था। उस दिन गेटवे ऑफ इंडिया पर लोगों की भीड़ देखकर लगता था कि मानो लोग रविवार को छुट्टी मना रहे हों। पर्यटकों के फोटो खींचकर अपनी आजीविका कमाने वाले करीब 100 पेशेवर फोटोग्राफरों का कारोबार ठीक–ठाक चल रहा था। मारवाड़ कुनबे के 27 सदस्यों में से आठ लोग उस समय गेटवे ऑफ इंडिया पर फोटो खिंचवा रहे थे उसी समय विस्फोट हुआ। उन लोगों में जीवित बचे सिंघाभाई, जेठाभाई मारवाड़ का कहना है, मुझे सिर्फ बहुत तेज धमाके और मेरे परिवार के लोगों के खून में सने क्षतविक्षत शवों की याद है।

पिछले आठ महीनों में मुंबई में छठे और सबसे विनाशक विस्फोट में मारवाड परिवार के आठ सदस्यों समेत कुल 52 लोग मारे गए और 150 से अधिक लोग घायल हो गए। एक के बाद एक बम विस्फोट–एक गेटवे ऑफ इंडिया और दूसरा मुंबादेवी मंदिर (यह शहर उन्ही के नाम पर बसा है) के पास वेहद भीड़भाड़ वाले झावेरी बाजार क्षेत्र में से 12 मार्च 1993 की घटना के दोहराने की आशंका पैदा हो गई। 1993 में दहशत पैदा करने वाली विस्फोटों की शृंखला में 257 लोग मारे गए थे और 750 से अधिक लोग जख्मी हो गए थे।

यह शहर के सांकेतिक गौरव और देश के व्यापारिक केंद्र में आधिकारिक तबाही मचाने की सुनियोजित साजिश थी। गेटवे ऑफ इंडिया पर

घटना के समय मौजूद एक फोटोग्राफर, 29 वर्षीय द्विजेंद्र मिश्र का कहना है कि धमाके की वजह से वे हिल गए। हड़कंप मचने के साथ ही लोग विस्फोट स्थल की ओर दौड़ पड़े। मिश्र को याद आया कि उनका छोटा भाई अश्विनी, जो खुद भी फोटोग्राफर हैं, पार्किंग स्थल के पास ही खड़ा था, वे भी अपने भाई को देखने दौड़ पड़े। मिश्र कहते हैं, "लग रहा था जैसे किसी बूचड़खाने में घुस रहा हैं। विस्फोट की वजह से जमीन में एक फुट गढ्ढा बन गया था। चारों ओर के शव और शरीर के हिस्से फैले हुए थे। धोती–कुर्ता पहने एक लहूलुहान बुजुर्ग समुद्र के किनारे की दीवार का सहारा लेते हुए खड़े हुए और उन्होंने किसी तरह की सहायता लेने से इनकार कर दिया। अपने पर्यटक दल के दूसरे सदस्यों की ओर इशारा करते हुए वे बोले, "मैं ठीक हूँ, दूसरों की मदद कीजिए। लेकिन थोड़ा ही देर बाद उनकी सांसे थम गई। समुद्र के किनारे दीवार पर बैठे आठ पर्यटक विस्फोट की धमक से पानी में गिर गए।"

आतंकवादी हमले के एक हफ्ते बाद 3 दिसंबर को शाम 6.50 बजे मुंबई के भीड़ भरे रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी) के प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर 8 किलो विस्फोटक आरडीएक्स से भरे दो थैले बरामद हुए। यह आरडीएक्स ऐसे थैले में रखे गए थे जैसे आतंकवादी अपने पीठ पर लादे हुए थे। और ये उनके हमले के शिकार हुए यात्रियों के सामान के साथ टर्मिनस के एक कोने में रखे थे। यह शहर स्तब्ध है और ऐसी पुलिस के भरोसे है जिससे हमेशा चौकन्ना रहने की उम्मीद की जाती है। आपने सोचा होगा कि सीएसटी पर हमले के बाद पुलिस ने सबूत के लिए चप्पे–चप्पे को छान लिया होगा और सूंघने वाले कुत्तों को लगा दिया होगा और सारे सामान की जांच कर ली गई होगी। लेकिन एक सप्ताह बाद भी सीएसटी पर विस्फोटक बरामद किए गए।

इसी लापरवाही, और स्थिति को भांपकर कार्रवाई करने की अक्षमता के कारण आतंकवादियों को अपनी ऐसी साजिश को अंजाम देने का मौका मिल गया जिसे भारत का 9/11 बताया जा रहा है। इस हमले में 173 लोगों की मौत हो गई और 288 लोग घायल हो गए। आतंकवाद से निबटने की बुनियादी रणनीति/राजनीति का शिकार हो गई। अमेरिका में 9/11 हमलों की जांच करने वाले नेशनल कमीशन के प्रमुख थॉमस कीन ने कहा था कि इन हमलों ने खुफिया नाकामी नहीं बल्कि नीति, प्रबंधन, क्षमता और सबसे बढ़कर ''परिकल्पना की विफलता'' को उजागर कर दिया। उनकी यह इसलिए थी कि बात 26/11 मुंबई में आतंकवादी समुद्र के रास्ते आए। ताज और ओबेराय के टावरों को निशाना बनाया और एक हवाई अड्डे को उड़ाना चाहते थे एवं विदेशी नागरिकों तथा सबसे बढ़कर नरीमन हाउस में एक यहूदी आउटरीच सेंटर को निशाना बनाकर अपने मकसद का अंतरराष्ट्रीय आयाम प्रदान करना चाहते थे।

रिसर्च ऐंड एनालिसिस विंग (रॉ) ने सितंबर से 19 नवंबर के दौरान कम–से–कम छह खुफिया रिपोर्टों में समुद्री रास्ते से फिदायीन हमले की आशंका जताई थी, उनमें बार–बार कहा गया था कि ताज होटल और सीएसटी स्टेशन पर हमले हो सकते हैं इसके बावजूद आतंकवादी आराम से समुद्री रास्ते से आए, बेरोकटोक तट पर उतरे और पूरे शहर में कहर बरपाया। जैसा कि होता है, राज्य सरकार ने कहा कि उसे कोई चेतावनी नहीं मिली और केंद्र सरकार जोर देती रही कि उसने राज्य को चेता दिया था। भारतीय परम्परा के अनुरूप, यहां हर कोई जिम्मेदार है लेकिन कोई जवाबदेह नहीं है।

घटनाओं के तार जोड़ने से पता चलता है कि जो कुछ बिगड़ सकता था, सब बिगड़ गया। यह शहर मानो इस हमले का इंतजार कर रहा था। मिसाल के तौर पर तीन एजेंसियों की गश्त लगती है। समुद्र में नौसेना,

तटरक्षक दल और मरीन पेट्रोल। नौसेना ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वह समुद्र के 55 इलाकों की निगरानी करती है। तटरक्षक दल ने पर्याप्त कर्मचारी और उपकरण ने होने का बहाना बनाया। आखिर इस क्षेत्र में 5,000 ट्रॉलर हैं और उन सबकी जांच करना नामुमकिन है। इसके अलावा, आतंकवादी ऐसे इलाके में उतरे जिसकी निगरानी मरीन पुलिस करती है। 1993–94 से लागू मरीन फिशिंग ''एक्ट (एमएफआरए) के तहत केन्द्र राज्य सरकारों की गश्ती नौकाएं और सपा उपकरणों की खरीद के लिए सौ फीसदी रकम सहायता का रूप में दे सकता है। लेकिन राज्य सरकारें इस योजना को लागू करने में विफल रही हैं। महालेखा परीक्षण और नियंत्रण (सीएजी) के मुताबिक, महाराष्ट्र ने रखरखाव का काम पूरा नहीं किया और पैसे का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। आप माने या न मानें, पुलिस के पास महाराष्ट्र के 760 किमी समुद्र तटों की निगरानी के लिए मात्र पांच नौकाएं हैं, जिनमें से दो खराब हैं, प्रशासन की शर्मनाक लापरवाही का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस तथ्य पर गौर कीजिए कि आतंकवादियों ने कुछ मील की दूरी और तय की होती तो वे पश्चिमी तट पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या नौसैनिक ठिकानों या फिर तेल शोधक कारखानों पर धावा बोल सकते थे। इसके नतीजों की मात्र कल्पना ही की जा सकती है।

मुख्य स्थल पर क्षमता कोई बेहतर नहीं है। जब आतंकवादियों ने लगभग एक साथ तीनों स्थानों पर हमला किया तो मुंबई पुलिस दयनीय नेतृत्व, खराब तालमेल और पुराने तौर–तरीकों तथा हथियारों के साथ दुश्मन से जूझने की कोशिश कर रही थी। उनका आंकलन भी सही नहीं था। पुलिस महानिदेशक ए.एन. राय, आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) के प्रमुख हेमंत करकरे और उप–मुख्यमंत्री आर0आर0 पाटील 26नवम्बर की रात 9.15 बजे एक बैठक से निकलकर घर जा रहे थे तभी उन्हें पहला कॉल मिला। पहला

आकलन थाः लियोपोल्ड कैफे के बाहर अपराधी गिरोहों के बीच गोलीबारी हो रही है। हमला बढ़ने के साथ ही अधिकारी घटनास्थल की ओर रवाना हो गए यह जानते हुए कि आतंकवादी एके–47 से लैस है। मुंबई पुलिस कार्बाइन और 9एमएम की पिस्तौल के साथ सड़क पर उतर गई। एक ओर जहाँ पुलिस इंस्पेक्टर शशांक शिंदे आतंकवादियों से निबट रहे थे, उन्हें अपनी राइफल लाने के लिए मालखाने में जाना पड़ा। जब तक वे लौटे तब तक आतंकवादियों ने 58 लोगों को मार डाला था और शिंदे शहीद हो गए थे। अब आतंकवादियों से इसकी तुलना कीजिए। प्रत्येक आतंकवादी के पास एक कलाश्निकोव, नौ मैगजीन (प्रत्येक में 30 गोलियाँ), अलग से 150 गोलियाँ, नौ हथगोले और पांच मैगजीन के साथ एक पिस्तौल तथा उसकी हर मैगजीन में 18 गोलियाँ थीं और इतने बड़े संकट से निबटने के लिए एटीएस के मात्र 35 सदस्य थे। 1999 में 200 सदस्यीय कमांडो फोर्स गठित किया गया था लेकिन बाद की सरकारों ने उसे प्रतिबंधित कर दिया था।

उपकरणों की कहानी त्रासदीपूर्ण है। करीब 18 महीने पहले ही तत्कालीन पुलिस महानिदेशक पी0एस0 पसरीचा ने हथियारों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा था। लेकिन वित्त, योजना और गृह विभाग के बीच रार के चलते उस प्रस्ताव को पिछले महीने सिद्धान्त रूप में मंजूरी मिल पाई। इस रफ्तार से पुलिस को 2010 तक हथ्यिार नहीं मिल पाएंगे। पुरानी 303 राइफलों और उनकी गोलियों का उत्पादन बंद हो गया है लिहाजा उन्हें फायरिंग रेंज में परखने का काम नहीं होता। कई राइफलें जाम पड़ी हुई थी। सीएसटी पर कांस्टेबल अजीत कुमार नलवाड़े ने एक पेयजल नल के पीछे से आतंकवादियों पर तीन गोलियां चलाई और उनकी कार्बाइन जाम हो गई। अधिकारियों ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रख थे लेकिन एके–56 और एके–47 से दागी गई गोलियों ने उन्हें भी भेद दिया। 2004 में इन जैकेटों के नमूने फायरिंग रेंज में

जांच के लिए भेजे गए थे। एसएलआर और एके–47 की हर गोली ने उन्हें भेद दिया, हालांकि उन पर एक निशाना साधा गया था। पूर्व आइपीएस अधिकारी वाई0पी0 सिंह कहते हैं पुलिस के आधुनिकीकरण पर हर साल 100 करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च किया जाता है। लेकिन इस्तेमाल होने वाले जैकेट की क्वालिटी बेहद खराब होती है। नागप्पा माली और उनकी टीम ने दूरदर्शिता और अव्वल दर्जे की बहादुरी के बूते आतंकवादियों को गिरगांव चौपाटी में पकड़ा, जबकि किसी भी कांस्टेबल के पास बुलेटप्रूफ जैकेट नहीं था।

करकरे, इंस्पेक्टर विजय सालसकर और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक कामटे का मारा जाना पुलिस की अधूरी तैयारी और प्रशिक्षण तथा संकट के समय में रणनीति या योजना का अभाव जाहिर करता है। दरअसल, राय भी मानते हैं कि वे फौरन हरकत में आ गए जबकि इस पर गौर किया जाना चाहिए था। कि वे आतंकवादियों को निबटने में सक्षम थे या नहीं। तीन गंभीर आतंकवादी हमले झेल चुके राज्य में यह स्वीकारोक्ति उदासीनता की कहानी है। दो होटलों और सीएसटी को निशाना बनाए जाने के घंटे भर के अन्दर ही उन्हें स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि यह बड़ा आतंकवादी हमला है।

राय मुख्यालय के भीतर सचिव के नेतृत्व में संकट प्रबंधन समूह के सदस्यों के साथ थे, संकट कक्ष में डीजीपी, पाटील और आला अधिकारी बैठे हुए थे तथा गृह सचिव चित्रकला जुत्थी दूसरे लोगों के साथ ही ताज के सी लाउंज में फंसी हुई थीं और मदद की गुहार लगा रही थी। मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख केरल में थे और सुबह 3 बजे मुंबई पहुँचे। राज्य सरकार के पास सलाह की कमी नहीं थी। देशमुख ने पिछले मंगलवार को ही राज्य को सलाह देने के लिए महाराष्ट्र सुरक्षा परिषद् के गठन की घोषणा की थी। मुंबई में सीरीयल बम धमाकों के बाद सितंबर, 2006 में इसी तरह की परिषद्

का गठन किया गया था। जिसमें सेना और पुलिस के अधिकारी शामिल थे। परिषद् के सदस्य और उग्रवाद तथा आतंक विरोधी अभियानों का 20 साल का अनुभव रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल डी. बी. शेकटकर बताते हैं कि अगस्त, 2007 के बाद परिषद् की एक भी बैठक नहीं हुई। इससे भी बदतर यह कि उसके सुझावों जिसके अन्तर्गत तटीय क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाना और कोली समुदाय को इसके अन्तर्गत जोड़ना शामिल थाकाफी हद तक नजर अंदाज कर दिया गया।

इस लापरवाही ने आतंवादियों को अपनी मर्जी से हमले करने के लिए रास्ता बना दिया। जुत्थी ओर होटलों में फंसे दूसरे बंधकों की मदद की गुहार के मद्देनजर राज्य को एनएसजी की फौरन मांग रख देनी चाहिए थी। लेकिन राज्य ने केन्द्र से आधी रात में एनएसजी की मांग की। इतने घंटे में काफी लोगों को बचाया जा सकता था। कमांडो 27 नवंबर को सुबह 6 बजे मुंबई पहुँचे और टेलीविजन देख रहे दुनिया भर के लोगों ने उन्हें बेस्ट की बसों में घटनास्थल की ओर जाते देखा।

मुम्बई आतंक की दरिंदगी एक दृष्टि में –

1. कोलाबा रात 9 बजे : मोटरयुक्त छोटी नौकाओं से आतंकियों का एक गिरोह समुद्री रास्ते से पहुँचा।
2. कैफे लियोपॉल्ड 9.30 बजे : कैफे के भीतर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की दूसरी टुकड़ी ने नरीमन हाउस में लोगों को बंधक बनाया।
3. छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रात 10 बजे : आतंकियों के एक अन्य दस्ते ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी की तथा दो अन्य मेट्रो सिनेमा की ओर दौड़े।

4. ताज होटल 10.30 बजे : शहर के प्रमुख लक्जरी होटल के बाहर आतंकियों ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर गोली चलाई।
5. ओबेराय होटल 10.15 बजे : ओबेराय ट्राइडेंट होटल में 40 लोगों को बंधक बना लिया गया।

प्रतिक्रिया

स्वीडन ने भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसी मुख्य शक्तियों के दावे पर जोर देते हुए कहा कि मुंबई के आतंकवादी हमले की जड़ें पाकिस्तान में हैं। स्वीडन। ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ज्यादा प्रभावी कदम उठाने की मांग की। वहीं, पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने जमात–उद–दावा के नेताओं को गिरफ्तार कर और उसके दफ्तरों को बंद कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव के तहत अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूराकिया है। पाकिस्तान को भारत से ठोस सबूतों का इंतजार है। देश इस घृणित कृत्य के लिये दोषी और जिम्मेदार लोगों का पर्दाफाश करने के लिए सहयोग को तैयार हैं। स्वीडन के विदेश मंत्री कार्ल बिल्ड्ट ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी के साथ बैठक के बाद कहा कि मेरे विचार से मेरे पास उपलब्ध जानकारी से यह निश्चित तौर पर स्पष्ट किया कि मुंबई हमले की जड़ें पाकिस्तानी जमीन से जुड़ी पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकवादी समूहों को दुनिया के लिए 'खतरा' करार देते हुए अमेरिका ने वहाँ के हुक्मरानों से मुंबई हमलों की जाँच में भारत के साथ सहयोग करने और ऐसे संगठनों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए आतंकवादी नेटवर्क की तह में जाने को कहा।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से दिये गये बयान के मुताबिक अमेरिकी उपमंत्री एवं दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के प्रभारी रिचर्ड बाउचर

ने बीजिंग में कहा था कि पाकिस्तान के उग्रवादी समूह देश के लिए, पड़ोस के लिए और जैसा कि हमने मुंबई में देखा अमेरिकियों और भारतीयों और अन्य राष्ट्रों के नागरिकों के लिए खतरा है। बाउचर ने कहा है कि प्राथमिक जांच के अलावा पाकिस्तान को अपनी जमीन से सरगर्मियां चला रहे आतंकवादी नेटवर्क की तह में जाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि यह देखना जरुरी है कि उन्होंने कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया है।

बाउचर ने कहा, 'मैं समझता हूँ कि यह देखना जरूरी है कि वे पाकिस्तानी जमीन से हमले को संचालित एवं संगठन की क्षमता को खत्म करने के संदर्भ में क्या कार्यवाही करते है। चीन कैसे अपने प्रभावों का उपयोग करता है?

और मुंबई हमलों की जांच में पूरा सहयोग करने के लिए पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकता है। इस पर अमेरिकी विदेश उप मंत्री ने कहा कि बेहतर होगा यह मामला छोड़ा जाए जो पाकिस्तान को आतंकवादी समूहों से मुक्त करने की हिमाकत है। अमेरिका ने कहा है कि मुंबई के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर वह भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा को लेकर जरा भी चिंतित नहीं है। सहायक विदेश मंत्री रिचर्ड बाउचर ने कहा था कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र कोई होटल नहीं होता और आप उसकी सुरक्षा अलग ढंग से करते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या इनके बाद अमेरिका भारत में असैन्य परमाणु ऊर्जा के विस्तार को रोक सकता है। बाउचर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत में बनने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र आसपास के वातावरण को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा के साथ बनाए जाएंगे। बाउचर का यह बयान विदेश विभाग की ओर से जारी किया गया। इस बयान में कहा गया, मुझे नहीं लगता कि मुंबई हमलों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर किसी संभावित खतरे से जोड़ा जा सकता है।

दिल्ली में आतंकवाद

इंडियन मुजाहिदीन ने जब दिल्ली में करोलबाग के भीड़ भरे बाजार गफ्फार मार्केट, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश के. एम. ब्लॉक मार्केट पर निशाना साधा तो 24 लोग मारे गये और 50 लोग गंभीररूप से घायल हो गये, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, "हम तो स्तब्ध रह गये, हमें इसके बारे में कोई खुफिया जानकारी नहीं मिली थीं।''

देश के सर्वाधिक सुरक्षित माने जाने वाले शहर के नागरिकों के लिए यहकोई सुकून की बात नहीं थी, ग्रेटर कैलाश–1 में विस्फोट के समय वहाँ मौजूद राजेश सिंह कहते हैं, ''बम की फर्जी सूचनाओं और विस्फोटों की अफवाह ने दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा के एहसास को छीन लिया है, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, "इस असहायता की वजह है इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) का मौत का संदेश (मेसेज ऑफ डेथ) नामक ई–मेल जिसमें भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी गयी थी कि वह इन हमलों को 'रोक सकें तो रोक ले', आइएम ने तो आगे बढ़कर हमले की जिम्मेदारी भी ले ली कि इसने ऑपरेशन बैड (बीएडी) यानी बंगलूरु, अहमदाबाद और दिल्ली में आतंकवादी हमलों का मिशन पूरा कर लिया है।

यह इस तथ्य के बावजूद कि गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद विस्फोटों की पड़ताल करते हुए दावा किया था कि 15 अगस्त को उसने सिमी के अखिल भारतीय नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है हमले के कथित मुख्य सूत्रधार मुफ्ती अबू बशीर समेत दस लोग गिरफ्तार किए गये, इस महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के दो महीने बाद यह वाकई स्तब्ध कर देने वाली बात थी कि सुरक्षा एजेंसियां आपरेशन 'बैड' से अनभिज्ञ रहीं, उसी का नतीजा था कि दिल्ली "खूनी शनिवार" को आतंकवादी हमलों का शिकार बन गयी।

दिल्ली के मामले में तो लापरवाही और अधिक कष्टदायक लगने लगती है क्योंकि दूसरे राज्यों के विपरीत दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के विशेष अपराधों से निबटने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मानते हैं, ''हमारे साथ एक समस्या है, खुफिया जानकारियों की हम तक पहुंच की समुचित व्यवस्था नहीं है दूसरी जगह तो हाल और बुरा है "दिल्ली के विस्फोटों की शुरुआती जांच में आइएम का हाथ होने की ही पुष्टि करती है यानी विस्फोट के लिए स्थान और तकनीकी रूप से दक्ष मुसलमानों का इस्तेमाल अब्दुल सुभान तौकीर दिल्ली के हमलों का मुख्य सूत्रधार माना जाता है।" करती है यानी विस्फोट के लिए स्थानीय भ्रमितका इस्तेमाल अब्दुल सुभान कुरैशी उर्फबारह साल पहले जब राजधानी में इस्लामी आतंकवाद ने पहली बारपांव रखे, तब से हमले के तौर–तरीकों में बहत फर्क आ चुका है, 21 मई 1996 की शाम लाजपत नगर मार्केट विस्फोटों से दहल गयी थी, विस्फोटों में 13 लोग मरे और 39 घायल हुए थे इसके बाद हुए हर हमले में आतंक के सौदागरों के हौसले बुलंद होते गए, अगला निशाना जनवरी 1997 में दिल्ली पुलिस मुख्यालय था इसके बाद 1997 के अक्टूबर और दिसंबर के बीच राजधानी में छह अलग–अलग स्थानों पर विस्फोट हुए, इनमें एक थी सदर बाजार की थोक मार्केट, जहाँ 16 लोग घायल हुए और नौ दिन बाद शांतिवन, कौड़िया पुल और किंग्सवे कैंप इलाके में हुए तीन विस्फोटों में एक की मृत्यु हो गयी और 16 अन्य घायल हो गये, इसके एक हफ्ते बाद ही रानी बाग मार्केट इलाके में दो विस्फोट हुए जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी और 23 घायल हो गये, चार दिनों के अंतराल से दो विस्फोट करोल बाग और लाल किले में हुए इनमें चार लोगों की मौत हो गयी, एक महीने बाद ही पंजाबी बाग के निकट बस में हुए बम विस्फोट में चार यात्री मारे गए।

लाल किला फिर एक बार आतंक का निशाना बना और 22 दिसंबर 2000 को इस ऐतिहासिक इमारत पर फिर हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय लोकतंत्र की पीठ, संसद पर आतंकवादियों ने निशाना साधा जिसमें सात लोगों की जानें गयी। इसके चार साल बाद अक्टूबर 2005 में शहर के दोअक्टूबर इलाकों–सरोजनी नगर और पहाड़गंज में हुए विस्फोटों में 6 लोग मारे गये और 70 घायल हो गये। विस्फोटों में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गयाथा।

पिछले हफ्ते दिल्ली में हुए बम विस्फोट बदली रणनीति का हिस्सा हैं। जिनमें हमलों को अंजाम देने के लिए स्थानीय लोगों की मदद ली गयी है। अमोनियम नाइट्रेट और टीएनटी जैसी सहज उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। भीड़ भरे इलाकों में इनका इस्तेमाल भारी तबाही ला देता है। आतंकवादी आपदाओं से निबटने के लिए अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त युद्धवीर सिंह डडवाल ने पुलिस बल को और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। गौरतलब है कि 60,000 पुलिसवालों की बदौलत दिल्ली पुलिस सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस है। 17 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल 17,000 लोगों को शामिल करने पर राजी हो गया। 11 नये थानों की मंजूरी मिली और राजधानी के 58 बाजारों में क्लोज सर्किट टीवी मॉनिटरिंग सुविधा का आदेश दिया गया। यह सब दिल्ली को भावी आतंकवादी हमलों से कितना बचा पायेगा, यह बहस का विषयहै।

उत्तर प्रदेश में आतंकवाद

उत्तर प्रदेश के लिए 23 नवंबर 'ब्लैक फ्राइडे' साबित हुआ। जुमे की दोपहर में जब लोग कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान की तैयारी में लगे थे तो लखनऊ सहित तीन अहम शहरों–वाराणसी और फैजाबाद में एक साथ

अलग–अलग जगहों पर 6 विस्फोट हुए और देखते ही देखते चार वकीलों सहित 14 लोगों की जान चली गयी, 80 से अधिक लोग घायल हो गए और उत्तर प्रदेश का चेहरा आतंकवादी समूह द्वारा बहाये गए मासूमों के खून से लाल हो गये। सारा देश और ज्यादा लोग इसलिये भी सहम गये क्योंकि अयोध्या में 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए 4 लाख श्रद्धालु उस वक्त मौजूद थे तो वाराणसी में भी 2 लाख लोग पहुंचे थे। लेकिन आतंकियों ने तीनों जगह भीड़भाड़ वाली सिविल अदालतों को निशाना बनाया, दरअसल लखनऊ और दूसरे स्थानों के वकीलों ने किसी भी आंतकी का मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया था। कुछ आतंकियों की कोर्ट परिसर में पिटाई की गई थी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की फाइलों में यह बात दर्ज है कि राज्य के कई शहरों में आतंकियों के छोटे–छोटे गुट (मॉड्यूल) हरकत में है और कभी भी, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, पिछले हफ्ते ही राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने जैश–ए–मोहम्मद के तीन खतरनाक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था।

जाहिर है, मकसद था लोगों में जुमे के दिन और कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर दहशत फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने शैव नगरी वाराणसी के संकटमोचन मंदिर में संध्या आरती के समय विस्फोट करके की थी। 23 नवंबर के सिलसिलेवार विस्फोटों का जिम्मा एक अनजान आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने लिया। धमाकों से कुछ मिनट पहले एक प्राइवेट समाचार चैनल को मिले ई–मेल में दावा किया गया कि हमलों के जरिए वकीलों को निशाना बनाया गया है, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने आतंकियों की पिटाईकी बल्कि उनके मुकदमे लड़ने से भी इंकार किया। हालांकि ई–मेल की सच्चाई को लेकर संदेह जताए जा रहे हैं। ई–मेल में धमकी दी गयी कि अगला निशाना पुलिस है। इसमें दावा किया है कि

संगठन का किसी भी पड़ोसी देश, आइएसआइ, लश्करे–तय्यबा या हरकत उल जेहाद ए इस्लामी (हूजी) से कोई संबंध नहीं है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एसीपी संजीव यादव कहते हैं कि "आइएसआई, पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन और बांग्लादेश में सक्रिय कुछ कट्टरपंथी संगठन छद्म नामों से आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं।"

लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ताजा वारदातों में हरकत–उल–जेहाद–ए–इस्लामी का हाथ हो सकता है। इस प्रतिबंधित संगठन से जुड़े उग्रवादी राज्य में समय–समय पर गिरफ्तार होते रहे हैं। इससे जुड़े उग्रवादियों को पुलिस ने 23 जून को गिरफ्तार किया था और जुलाई में इसी संगठन से जुड़े एक उग्रवादी की निशानदेही पर राज्य छोटे जिले उन्नाव के औद्योगिक इलाके से विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। इन वारदातों ने दिखा दिया है कि राज्य में इस्लामी उग्रवादियों की पैठ कितने निचले स्तर तक पहुंच गयी है लेकिन उनसे निबटने के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सरीखे आतंकवाद से प्रभावित राज्यों की तरह राज्य में कोई आतंकवाद विरोध दस्ते नहीं है। न तो तत्कालीन/समकालीन अखिलेश यादव सरकार ने और न ही मायावती की सरकार ने इसमें कभी कोई दिलचस्पी दिखाई। राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के आंकड़े बताते हैं कि राज्य भर में विभिन्न आतंकवादियों के 400 से अधिक स्लीपिंग मॉड्यूल हैं। राज्य के 70 जिलों में से आधे से अधिक में आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। या वहां आतंकी गिरफ्तार किये जा चुके हैं या वहां उनके छिपने के अड्डे हैं। सबसेबड़ी बात तो यह है कि आतंकवादी जहाँ चाहे. जान व माल को नुकसानइसके बावजूद, नीति–निर्माता और राजनैतिक नेतृत्व खून–खराबे पर राजनीति करने से बाज नहीं आता। पर्व मख्यमंत्री मायावती ने इसका ठीकरा केंद्र सरकार के मत्थे फोडा। उन्होंने कहा, "केंद्रीय खुफिया तंत्र राज्य को कोई पूर्व सूचना नहीं

मिली। यह केंद्रीय खुफिया तंत्र कीअसफलता है। मायावती विस्फोटों के तुरन्त बाद कैबिनेट सचिव शशांक शेखर और पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह को साथ लेकर पहले फैजाबाद, फिर वाराणसी गयी और अस्पतालों में घायलों से मिलीं, राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को 2 लाख रु. और घायलों को 50,000 रु. देने की घोषणा की। मायावती ने उस समय राय में हुए बम विस्फोटों की जिम्मेदारी केंद्रीय एजेंसियों पर डालकर भले हाथ झाड़ लिए हों लेकिन इससे राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली को पुनः कठघरे में ला खड़ा किया है।

उ0प्र0 में आतंकवादियों की गतिविधियाँ एक दृष्टि में –

पिछले सात वर्षों में उग्रवादियों के हाथों विस्फोट उनकी गिरफ्तारी और विस्फोटों की बरामदगी का यह 55वां मामला है, इनमें से 24 मामले पिछले तीन साल में हुए इनसे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश आतंकवादियों का ठिकाना भी है और निशाना भी।

- 16 नवंबर, 2007 : जैश–ए–मोहम्मद के तीन उग्रवादियों को स्पेशल टास्क फोर्स ने लखनऊ में गिरफ्तार किया। उनका मंसूबा कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी काअपहरण करने या उन्हें उड़ाने का था।
- 27 जुलाई, 2007 : एसटीएफ ने हरकत–उल–जेहाद–ए–इस्लामी से जुड़े, बंगाल। मूल के उग्रवादी नूर इस्लाम उर्फ मामा की निशानदेही पर उन्नाव से दो किलो आरडीएक्स और दो डेटोनेटर बरामद किए।
- 23 जून, 2007 : पुलिस ने हूजी से जुड़े नौशाद और बाबूभाई को गिरफ्तार किया कई किलो आरडीएक्स और एके–47 राइफल भी बरामद।

- 21 जून, 2007 : पुलिस ने बिजनौर के मोहम्मद याकूब और नासिर को गिरफ्तार कर सात किलो आरडीएक्स, छह डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की। उनकी मंशा रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और धार्मिक स्थलों पर विस्फोट करने की थी।
- 24 मई, 2007 : इलाहाबाद पुलिस ने 50 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 1000 मीटर मैग्नेटिक फ्यूज वायर बरामद किया जो मध्य प्रदेश से लाया जा रहा था। यह बारमदगी जिले के शंकरगण कस्बे में एक जीप से हुई थी।
- 23 मई, 2007 : फैजाबाद रेलवे स्टेशन के द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय से रात के दो बजे रेलवे पुलिस ने करीब 10 किलो विस्फोटक सामग्री और 20 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद की।
- 22 मई, 2007 : गोरखपुर में तीन धमाकों में छह लोग घायल हुए। विस्फोट शाम 7 बजे के बाद पांच मिनट के अतंराल पर हुए थे। एक विस्फोट बलदेव प्लाजा, दूसरा समीप के जल विभाग दफ्तर के पास और तीसरा पार्क होटल के पास ।
- 1 फरवरी, 2007 : एसटीएफ ने इलाहाबाद निवासी जावेद अख्तर को कुछ संवेदनशील जानकारियाँ देते हुए गिरफ्तार किया, अभियुक्त लाहौर में रहते हैं। प्रदेश में सेना के प्रमुख ठिकानों, टी–90 टैकी दस्तावेज आदि बरामद।।
- 28 दिसम्बर, 2006 : लखनऊ के कैसरबाग इलाके से अब्दुल अंजुम उर्फ आदिल नामक आई.एस.आई. एजेंट पकड़े गये। दोनों मुल्तान के रहने वाले थे।

- 13 सितंबर 2006 : लखनऊ में तासीम नामक आई.एस.आई. एजेंट वह 8 सितंबर को मालेगांव में हुए विस्फोटों में अभियुक्त था और दो साल लखनऊ में एक प्लेसमेंट एजेंसी चला रहा था।
- 5 अप्रैल, 2006 : वाराणसी में हुए बम धमाकों का अभियुक्त वलीउल्लाह गिरफ्तार, उसके साथी महबूब अली, सैयद शुएब हुसैन, फरहान, मोहम्मद, रिजवान सिद्दीक और मोहम्मद साद अली भी विभिन्न हिस्सों से धरे गए।
- 25 मार्च, 2006 : मिर्जापुर के लालगंज इलाके में एक जीप से 250 किलो विस्फोट सामग्री और 1500 डेटोनेटर्स बरामद।
- 7 मार्च, 2006 : वाराणसी में तीन धमाकों में 21 लोग मारे गए और 62 जख्मी, इसके कुछ ही घंटे बाद लखनऊ में सालार उर्फ डॉक्टर नामक एक उग्रवादी पलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ और आरडीएक्स और डेटोनेटर्स बरामद।
- 1 फरवरी, 2006 : वाराणसी पुलिस ने जुबैद नामक युवक को गिरफ्तार किया। जिसके बारे में कोलकाता के पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि वहलश्कर–ए–तैयबा के दो अन्य गुर्गों के साथ मिलकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में ऐसे विस्फोट की साजिश रचने में मशगूल था जिसे विफल कर दिया गया।
- 23 अगस्त, 2005 : दुबई में लश्कर–ए–तैयबा का चीफ कोआर्डिनेटर अब्दुल रज्जाक मसूद दिल्ली में गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी से पहले वह मुजफ्फरनगर होकर आया था।
- 10 अगस्त, 2005 : दिल्ली पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया और 1840 किलो कारतूस और अन्य असलहा बरामद किया। यह सामग्री मेरठ से लाई गयी थी।

- 7 अगस्त, 2005 : आई.एस.आई. एजेंट मोबिन अंसारी और अश्फाक अहमद गिरफ्तार उनसे 68,500 रु. मूल्य के पांच–पांच सौ के नकली नोट बरामद।
- 28 जुलाई, 2005 : जौनपुर से करीब 60 किलोमीट दूर श्रमजीवी एक्सप्रेस के एक कोच में विस्फोट से 12 लोग मरे और 52 जख्मी हुए।
- 22 जुलाई, 2005 : दिल्ली का एक यूनानी डॉक्टर इरफान खान सहारनपुर के नुक्कड़ से गिरफ्तार, वह अयोध्या विस्फोटों के एक अभियुक्त अमीन उर्फ जुबेर का साथी था।
- 16 जुलाई, 2005 : हनीफ और यामीन नामक आई.एस.आई. एजेंट पकड़े इसका सुराग असम पुलिस ने दिया था। यामीन गौतबुद्ध नगर के जेवर कस्बे का था। कुछ संवेदनशील दस्तावेज भी बरामद हुए।
- 11 जुलाई, 2005 : फैजाबाद से आधा दर्जन लोग गिरफ्तार, जिनमें चार एक ही परिवार के थे, ये अयोध्या के विवादित स्थल पर हमलों से भी जुड़े थे और सिमी से संबद्ध बताए गये।
- 5 जुलाई, 2006 : विस्फोटकों से लैस उग्रवादियों को अयोध्या पर हमले की कोशिश में मार गिराया गया।
- 27 मई 2006 : एसटीएफ ने सादात राशिद और मसूद आलम नामक दो संदिग्ध उग्रवादी गिरफ्तार किए, उनसे एक किलो मोर्फीनमसूद आलम नामका लश्कर–ए–तैयबा से एक किलो मोर्फीन और एक रिवॉल्वर बरामद की गई।
- 10 मार्च, 2005 : मेरठ के लालकुर्ती से एक आई.एस.आई. एजेंट पकड़ा गया जिसकी पहचान खलील हुसैन के रूप में की गयी।

बहरहाल, विस्फोटों की खबर से दिल्ली भी सन्न रह गयी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विरफोटों की निंदा करते

हुए मृतकों के आश्रितों को एक–एक लाख रु. और घायलों को 50,000 रु. देने की घोषणा की। लोकसभा में विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गृह मंत्री शिवराज पाटील से मांग की कि उन्हें हाल में हुई सभी आतंकी वारदातों का विस्तृत ब्यौरा देना चाहिए। उनका कहना था कि "ताबड़तोड़ विस्फोट बार–बार हो रहे हैं।" गृहमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि इसे रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं। पाटील ने लोकसभा में इन विस्फोटों को राष्ट्रविरोधी तत्वों की एक और करतूत बताया। गृहसचिव मधुकर गुप्ता राज्य के पुलिस प्रमुख विक्रम सिंह के संपर्क में रहे और गृह मंत्रालय ने फोरेंसिक विशेषज्ञों समेत कुछ टीमें वारदात स्थल की ओर रवाना कीं। तत्कालीन गृहमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल को वाराणसी भेजा गया। जायसवाल ने विस्फोटों के फौरन बाद दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, इतने बड़े राज्य में कई बार आतंकी संगठन पुलिस को गवा देने में सफल हो जाते हैं पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसे किस संगठन ने अंजाम दिया।

पिछले वर्षों से हो रही वारदातें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश आतंकवादियों के लिए आसान ठिकाना और निशाना दोनों बन गया है। राज्य में विस्फोटकों की बरामदगी और संदिग्ध उग्रवादियों की गिरफ्तारी होती रहती है। इस्लामी उग्रवादी संगठन राज्य में अपनी जड़े जमा चुका है और हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के कार्यकारी निदेशक अजय साहनी कहते हैं. अक्षम प्रशासन अकुशल पुलिस तंत्र, अपराधों की बाढ़ और देश विरोधी संगठनों की सक्रियता के चलते देश के दुश्मनों को यहाँ कोई–न–कोई सहयोगी मिल ही जाता है, ''केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भी इस बात की पुख्ता सूचनाएँ हैं कि आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल देश के छोटे–बड़े शहरों में मौजूद हैं जो कभी भी सक्रिय हो जाते हैं, स्लीपर सेल

आतंकी संगठनों की ऐसी कड़ी हैं जिसमें शामिल सदस्यों का इस्तेमाल लश्कर–ए–तय्यबा और जैश–ए–मोहम्मद जैसे संगठन कर रहे हैं।

खास बात यह रही कि 23 नवंबर को हुए धमाकों में जो शहर चुने गये, उन सभी की अदालतों में उस दिन आतंकी घटनाओं से संबंधित महत्त्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हो रही थी। लखनऊ में 16 नवम्बर को गिरफ्तार किए गये जैश के आतंकियों के मामले की सुनवाई हो रही थी, जहाँ वाराणसी में संकटमोचन विस्फोट मामले के आरोपी वलीउल्लाह की सुनवाई थी तो वहीं फैजाबाद में राम जन्मभूमि मामले में हुए आत्मघाती हमले के मामले की सुनवाई हो रही थी।

इन तीनों जगहों पर विस्फोट दोपहर 1 बजे से 1.30 बजे के बीच जिला अदालतों के भीतर हुए, उस समय अदालतों का कामकाज जोरों पर था, जज मामलों की सुनवाई कर रहे थे और कचहरी परिसर में वकीलों और मुवक्किलों कीभीड़ थी। फैजाबाद कचहरी परिसर में जब कानफोडू विस्फोट हुआ तो लोगों ने सोचा कि किसी ने शरारत करने के लिए 'दीवाली के बाद पटाखा फोड़ दिया है, लेकिन दोहपर 1:18 बजे कचहरी की साइड नं० 3 के पास हुए इस खतरनाक विस्फोट में शाम तक एक खुशमिजाज वकील राधा मिश्र, मुंशी फागुन और स्टॉफ वेंडर ओम प्रकाश पांडे समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल 14 लोग फैजाबाद जिला अस्पताल में भर्ती थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि अधिवक्ताओं के उस शेड की एसबस्टस की छत के टुकड़े 100 मीटर दूर तक जा गिरे। थोड़ी देर बाद जब धुंआ छंटा तो निगाहें सफेद रंग के उस पार्सल पर पड़ीं जिस पर हाजी नसीर अहमद रियाद लिखा हुआ था। प्रारंभिक सूचनाओं के मुताबिक विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट–जिसे गोरखपुर में 22 मई को हुए सीरियल बम विस्फोटों में भी प्रयोग किया गया था, उसी पार्सल में रखा गया था। इन बमों के विस्फोट में टाइमर

डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था, पुलिस और एसटीएफ को इन 7 महीनों में मई में हुई वारदातों के बारे में कोई सुराग तक नहीं मिला गौरतलब है कि फैजाबाद आतंकवादियों के एजेंडे में होने के कारण पहले से ही हाई एलर्ट जोन था। इसके बावजूद आतंकवादी वहां घुसने और अपने काम को अंजाम देने में सफल हो गये, फैजाबाद के एसपी (नगर) जी.एन. खन्ना के मुताबिक, तीर्थयात्रियों को आतंकी गतिविधियों से बचाने के लिए लगभग 2000 पुलिस और अर्धसैनिक बलतैनात किए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या में विवादित रथल पर बने अस्थायी राम मंदिर की घेराबंदी कर दी। अयोध्या 1992 के ''अपमान का बदला लेने के लिए आतंकी समूहों का मुख्य निशाना रहा है, मंदिरों के इस शहर पर लगभग आधा दर्जन हमले हो चुके हैं।

विस्फोट के बाद वाराणसी में भी सब कुछ अस्तव्यस्त था। जमीन के एक मामले में वाराणसी की कचहरी में पहुंचे रमेश पांडेय कहते हैं, ''हम अदालत के मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़े थे कि हमने एक जबरदस्त धमाका सुना, विस्फोट के बाद चारों तरफ अफरातफरी मच गयी, सन् 2006 में प्रसिद्ध संकटमोचन मंदिर और रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया जिसमें 11 लोग मारे गये थे और बीसों घायल हुए थे। पिछली बार, मंदिर को निशाना बनाया गया था तो इस बार अदालतें निशाने पर थीं।

आतंकियों की हिट लिस्ट में रहने वाले वाराणसी में तीसरी बार। शक्तिशाली बम विस्फोट कर दशतगर्दों ने 10 निरपराध लोगों की जान ले ली। जबकि 43 लोग घायल हो गये, मरने वालों में तीन वकील भी थे। बम विस्फोट यहां कचहरी परिसर में 3 मिनट के अंतर पर दो जगहों पर, जहाँ वकील बैठते हैं, किए गये। पहला विस्फोट दीवानी कैंप में अधिवक्ता महेंद्र यादव की चौकी के पास, दोपहर बाद 1.30 बजे और दूसरा इसके ठीक तीन मिनट बाद 13 बजे कलेक्ट्रेट कैंपस में अधिवक्ता चंद्रमा सिंह की चौकी के पास

हुआ। जिस साइकिल के झोले में बम रखा था, उसका एक फ्रेम 50 मीटर दूर जाकर गिरा और दीवानी अदालत की नई बिल्डिंग की तीनों मंजिलों की खिड़कियों के पूरे शीशे चकनानूर होकर जमीन पर आ गिरे, विस्फोट में घायल अधिवक्ता महेंद्र यादव कहते हैं, ''मैं अपनी चौकी पर मुवक्किलों से बात कर रहा था कि सवा बजे के लगभग धमाका होने के साथ मुझे लगा कि मेरे ऊपर कुछ अचानक गिर गया सामने कई लोग गिरकर छटपटा रहे थे, खून ही खून दिख रहा था।

वारदात के दिन काशी में गंगा महोत्सव चल रहा था और अगले दिन देव–दीवाली थी। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने लाखों लोग शहर मेंपहुंच चुके थे। फैजाबाद और वाराणसी की तुलना में लखनऊ के बम विस्फोट कीतीव्रता काफी कम थी, लखनऊ की सत्र अदालतो की भीड़ भाग्यशाली थी क्योंकिविस्फोट में केवल पांच लोगों को छर्रे लगे आतंकियों ने बमों को सार्वजनिक शवालयके ठीक पास एक साइकिल में छिपा रखा था सत्र अदालतों के दो वरिष्ठ अधिवक्तालालधर सिंह और जे.के. मिश्र बताते हैं कि''जिस समय हम अदालत कक्ष से बाहर निकल रहे थे, हमने विस्फोट होते सुना इससे आतंक फैल गया कुछ मिनट बाद हमने उसी साइकिल को क्षत–विक्षत हालत में पाया।

फैजाबाद, वाराणसी और लखनऊ से सीरियल विस्फोटों की खबरें आने के साथ ही पुलिस के आला अधिकारी सक्रिय हो गए, लखनऊ के एसएसपी अखिल कुमार दौड़कर घटनास्थल पर गए। पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह भी दल–बल के साथ वहाँ पहुँच गए। लेकिन अधिक देर तक नहीं रुके। क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह की अगुआई में वकीलों का एक तबका कानून–व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ववर्ती मायावती सरकार की विफलता के खिलाफ नारे लगा रहा था। इस बीच, एक जिंदा बम मिलने से विस्फोट स्थल

के पास एक बार फिर भय की लहर दौड़ गयी, लेकिन पुलिस के बम डिस्पोजल दस्ते ने जल्द ही बम को निष्क्रिय कर दिया।

जब लखनऊ पुलिस और एसटीएफ ने तीन कट्टर आतंकवादियों– मोहम्मद आबिद उर्फ फाटे, युसूफ उर्फ फैसल और मिर्जा राशिद बेग उर्फ रजा कज्जाफीदृ को पकड़ा और अदालत में पेश किया तो वकीलों के एक समूह ने उन्हें उतनी बुरी तरह पीटा कि अदालत को अगली सुनवाई जेल में ही करनी पड़ी। वाराणसी में वकीलों ने संकटमोचन मंदिर विस्फोटों के मुख्य अभियुक्त वलीउल्लाह का मामला लेने से इनकार कर दिया। इसी तरह फैजाबाद में वकीलों ने डॉ. इरफान को पीटा उस पर संदेह था कि वह 2005 में अयोध्या में रामलला मंदिर पर हुए हमले में शामिल था। राज्य में एक के बाद एक आतंकी घटनाएं घटीं लेकिन राज्य सरकार ने अतीत से कोई सबक नहीं सीखा। अब एक और आतंकी हमले के साथ ही अक्सर शुरु होने वाले आरोप–प्रत्यारोप का खेल हिलोरें मारने लगा। न तो केंद्र और न हीं राज्य सरकार हावी होते आतंकवाद से निपटने की कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाई। एक तरफ दहशत गर्द नए–नए दांव चलाकर असुरक्षित लोगों को निशाना बना रहे हैं तो दूसरी ओर नीति निर्माताओं ने खुद को ब्लैक कैट कमांडों के घेरे में पूरी तरह महफूज कर रखा था।

आतंकवाद की चपेट में असम

देश एक ओर जहाँ आंतकवाद एवं नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहा है वहीं असम में उल्फा फिर से सक्रिय है। नक्सलियों और साथ ही उल्फा के मामले में सरकार को अब दो–टूक फैसला लेना होगा। उल्फा के लोग किसी भी समझौते का पालन नहीं करते। जब भी उन्हें मौका मिलता है वे उग्रवादी घटनाएं अंजाम देने से बाज नहीं आते। उल्फा उग्रवादियों ने कई बार

विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी चल नहीं पाई। तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का एक बार फिर से असम की। जनता ने बहुमत दिया और उन्हें असमी तथा गैर असमी दोनों वर्गों का समर्थन मिला। तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली सरकार बनी। चुनावों के नतीजे उल्फा और मुस्लिम कट्टपंथियों, दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका था। यही कारण है कि तकरीबन एक साल तक उल्फा उग्रवादी खामोश बैठे रहें। धीरे–धीरे उन्होंने फिर से अपना वही पुराना राग अलापना शुरु किया तथा असमी और गैर–असमी का विवाद उभारने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं कि असम की जनता ने उल्फा की इस नीति को कोई समर्थन नहीं दिया। उल्फा उग्रवादी सिर्फ बिहारी मजदूरों को मारते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सभी हिंदी भाषियों पर हमले बोलने शुरु कर दिया। जब उल्फा उग्रवादियों ने बिहारी मजदूरों को मारना शुरु किया था तो बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी की सरकार थी और उन्होंने धमकाया था कि बिहार में असम के लोगों के साथ यही सलूक हो सकता है।

2004 में केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करके असम में इतना पुलिस बल भिजवाया कि उल्फा को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी थी। उल्फा की सोच थी कि देश के अन्य राज्यों में असमी लोगों पर हमले हों ताकि उसकी प्रतिक्रिया असम में हो और असम के लोग उल्फा को हमदर्द मानने लगे। उल्फा की छवि अभी तक असम में एक हिंसक और लूटमार व अपहरण करने वाले गिरोह की है, जिससे लोग डरते हैं। यही उल्फा का सबसे बड़ा दर्द है कि जो प्रभाव उसका असम की जनता पर होना चाहिए था वह अभी तक नहीं बन पाया है। अब उन्होंने फिर से बंदूक उठाकर गरीब मजदूरों को असमवाद बनाम गैर–असमी के नाम पर मारना शुरु कर दिया। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि पैसे के लिए उल्फा ने न जाने कितने असमियों का कत्लेआम किया है।

मतलब साफ है कि उल्फा के मन में असमियों के लिए कोई जगह नहीं है। वे तो सिर्फ अपना आंदोलन चलाने के लिए एक ढोंग रचते रहते हैं। दरअसल उल्फा के खिलाफ एक जबरदस्त सैन्य अभियान चलाकर उसके उग्रवादियों का सफाया कर देना चाहिए। राजनीतिक बातचीत में हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। भारत एक गणतंत्र है, जिसमें एक प्रदेश के नागरिक किसी भी प्रदेश में रह सकते हैं। आज असम के न जाने कितने लोग देश के तमाम कोनों में रह रहे हैं और इस तरह की हरकतों से उनकी जिदंगी खतरे में पड़ जाती है। यदि उल्फा के लोगों के मन में इन असमी लोगों से जरा भी हमदर्दी है तो उन्हें हत्याओं का खेल तुरंत बंद करना होगा। शांतिपूर्ण विरोध पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंसा और मार–काट के जरिए अपनी बात कहने से उसकी प्रतिक्रिया अन्य राज्यों में भी हो सकती है। ऐसा लगता है कि इस हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है और वे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को एक बार फिर से उग्रवाद को आग में झोंकना चाहते हैं। उन्हें देश के अन्य हिस्सों में सफलता नही मिल रही है, इसलिए असम सहित उत्तर–पूर्व के राज्यों को अपना निशाना बना रहे हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि असम में जो घटनाएं हो रही है उनको बांग्लादेश और म्यांमार में बैठे हुए उग्रवादी संगठनों का पूरा समर्थन हासिल है। अक्सर कहा जाता है कि आजकल आई.एस.आई. का सबसे बड़ा अड्डा बांग्लादेश बन गया है और वहीं से आई.एस.आई. उत्तर–पूर्वी राज्यों में आतंकवादीगतिविधियाँ बढ़ा रही है। अमेरिका के दबाव में पाकिताान को म्यांमार में आतंकवादी गतिविधियां कम करनी पड़ी है। पाकिताान तथा म्यांमार में सक्रिय संगठन उत्तरी–पूर्वी राज्यों में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। इसलिए उसने अपनी मदद की भी पेशकश की थी। अमेकिा ने एफबीआई की सहायता की बात कही थी। आखिर अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की

मदद ले रहा है। तथा दोनों देशों के बीच आतंकवादियों से संबंधित सूचनाओं का आदान–प्रदान जारी है। इसके अलावा आतंकवाद से लड़ने के लिए एक समूह "मी" बनाया गया है, जो तेजी से काम कर रहा है। दोनों देशों की सेनाएं मिलकर अभ्यास भी कर रही हैं। इन हालातों में यदि उत्तर–पूर्वी राज्यों में बढ़ रहे आतंकवाद पर काबू पाने के लिए अमेरिका की कुछ मदद ले ली जाती है तो इसमें कुछ हर्ज नहीं होना चाहिए। रॉ और आईबी दोनों को पूर्वोत्तर राज्यों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए एफबीआई से सूचनाओं का आदान–प्रदान करना चाहिए तथा अन्य जो भी मदद आवश्यक हैं उसे लेने का प्रयास करना चाहिए। इस बार ऐसा पता चल रहा है कि उत्तर–पूर्वी राज्यों में सक्रिय उग्रवादी संगठन अब एक हो रहे हैं। इस सूचना से भारत सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक है और शायद इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय उत्तर–पूर्वी राज्यों में ज्यादा सेना भेजना चाहता है।

आतंकवाद की चपेट में बंगलूरु

देश में सूचना प्रौद्योगिकी के सबसे बड़े केंद्र कर्नाटक की राजधानी बंगलूरु (सिलिकन वैली) में शुक्रवार दोपहर में 75 मिनट के दरम्यान नौसिलसिलेवार बम धमाके हुए। विस्फोट में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गयी और 12 लोग जख्मी हुए हैं।

केन्द्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने धमाकों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इस तरह की घटनाएँ सरकार को आतंकियों से निपटने की सख्त नीति से नहीं डिग्न सकती। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विस्फोट की कड़ी निंदा करते हुए लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने भी विस्फोटों की निंदा करते

हुए कहा कि यह माहौल को बिगाड़ने और लोगों को असमंजस में डालने की योजनाबद्ध साजिश थी। बेंगलूरु के पुलिस कमिश्नर शंकर बिदरी के मुताबिक धमाके दोपहर 1. 30 से 1.45 के बीच हुए सबसे पहले धमाका होसर रोड और मडीवाला नाके पर हुआ। इसके बाद अदूगोड़ी, नायानदहल्ल, पंथारापैय्या और विट्टल माल्या रोड व रिचमंड सर्कल पर विस्फोट हुए। एक धमाका माल्या अस्पताल के सामने स्थित एक पार्क के पास हुआ। विस्फोटकों की क्षमता दो ग्रेनेडों के बराबर बताई जा रही है। बिदरी ने कहा कि इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को अंजाम देने वालों का मकसद कर्नाटक की जनता के बीच दहशत फैलाना था। उन्होंने जनता से आतंकित नहीं होने और अपने रोजमर्रा के काम में जुट रहने की अपील की।

गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार धमाके में प्रतिबंधित संगठन सिमी के स्थानीय कैडा का हाथ होने का जताया। यह भी कहा गया कि विस्फोटक पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर–ए–तैयबा द्वारा मुहैया कराया गयाथा। कर्नाटक के समाज कल्याण मंत्री शोबा ने धमाके में महिला के मारे जाने पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार उसके परिजनों को एक लाख रूपये और सभी घायलों के इलाज का खर्च मुहैया कराएगी। विस्फोट में मारी गयी महिला की पहचान लक्ष्मी के रूपमें की गयी। वह माडीवाला में बस का इंतजार कर रही थी। बस स्टॉप पर उसके साथ खड़े उसके पति और बच्चे गंभीर रूप में जख्मी हुए हैं।28 दिसंबर, 2005 को आतंकवादियों ने बंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईएसआई) में प्रवेश कर एके 56 से अंधाधुंध गोलियाँ चलाई जिसमें आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर एम.एस.सी. पुरी की मौत हो गयी एंव चार अन्य घायल हुए।

1.9.8 देश में सक्रिय आतंकी संगठनों की सूची

असम

- यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
- नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड
- यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलिडरिटी
- कामतापु लिबरेशन टाइगर फोर्स (बीएलटीएफ)
- मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ असम
- यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ बराक वैली
- मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम
- मुस्लिम सेक्युरिटी काउंसिल ऑफ असम
- यूनाइटेड लिबरेशन मिलिशिया ऑफ असम
- इस्लामिक लिबरेशन आर्मी ऑफ असम
- मुस्लिम वोलंटियर फोर्स (एमबीएफ)
- मुस्लिम लिबरेशन आर्मी (एमएलए)
- मुस्लिम सेक्युरिटी फोर्स (एमएसएस)
- इस्लामिक सेवक संघ (आईएसएस)
- इस्लामिक यूनाइटेड रिफारमेशन प्रोटेस्ट ऑफ इंडिया (आईयूआरपीआई)
- यूनाइटेड मुस्लिम लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम
- रेवोल्यूशनरी मुस्लिम कमांडोज (आरएससी)
- मुस्लिम टाइगर फोर्स (एमटीएफ)
- पीपुल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (पीयूएलएफ)
- आदम सेना (एएस)
- हरकतउल–मुजाहिदीन
- हरकतउल–जिहाद

जम्मू–कश्मीर

- लश्कर–ए–उमर
- हरकत–उल–मुजाहिदीन
- जैश–ए–मुहम्मद
- जमायत–उल–मुजाहिदीन
- हरकत–उल–जिहाद–ए–इस्लामी
- मुजाहिदीन–ए–तंजीम
- अल जिहाद
- मुस्लिम जांबाज फोर्स
- अल जिहाद फोर्स
- महाज–ए–मुजाहिदीन
- जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट
- इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग
- तहरीक–ए–हुरियत–ए–कश्मीर
- तहरीक–ए–जेहाद–ए–इस्लामी
- अल मुजाहिदीन
- इस्लामी इनक्लाबी महाज
- हिब्ब–उल–मुजाहिदीन
- लश्कर–ए–तोएबा
- अल बदर
- लश्कर–ए–जब्बार
- अल–बक
- तहरीक–उल–मुजाहिदीन
- जम्मू एंड कश्मीर नेशनल लिबरेशन आर्मी
- कश्मीर जिहाद फोर्स।
- अल–उमर–द–मुजाहिदीन
- इस्लामी जमात–ए–तुल्बा
- इख्वान–उल–मुजाहिदीन
- तहरीक–ए–निफाज–ए–फिकर जफारिया
- अल–मुस्तफा–लिबरेशन फाइटर्स
- मुस्लिम मुजाहिदीन
- तहरीक–ए–जिहाद
-

मणिपुर

- मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट
- नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड
- इसाक मुइवा
- पीपुल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (पल्फ)
- नार्थ ईस्ट माइनोरिटी फ्रंट (नेम्फ)
- इस्लामिक नेशनल फ्रंट (आईएनएफ)
- इस्लामिक रेवोल्योशनरी फ्रंट (आईआरएफ)
- यूनाइटेड इस्लामिक लिबरेशन आर्मी
- यूनाइटेड इस्लामिक रेवोल्योशनरी आर्मी

मेघालय

- एचएनएलसी
- एएनवीसी

नागालैंड

- नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (इसाक–मुइवा)
- नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (खपलांग)
- नगा नेशनल काउंसिल

पंजाब

- बब्बर खालसा इंटरनेशनल
- इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन
- खालिस्तान कमांडों फोर्स।
- भिडरांवाला टाईगर्स फोर्स ऑफ खालिस्तान
- खालिस्तान लिबरेशन आर्मी

त्रिपुरा

- नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
- आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स

कर्नाटक/आन्ध्र प्रदेश

- मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट
- मुस्लिम डिफेंस फोर्स
- इंडियन मुस्लिम मोहम्मदी मुजाहिदीन
- दीनदार अंजुमन

केरल

- सिमी
- इंडियन मुस्लिम मोहम्मदी मुजाहिदीन
- इस्लामिक सेवा समिति
- मुस्लिम नेशनल डेवलेपमेंट पार्टी
- ऑल इंडिया जेहाद कमेटी

तमिलनाडु

- मुस्लिम मुनेत्र कड़गम
- इंडियन मुस्लिम मोहम्मदी मुजाहिदीन

1.10 आतंकी घटनाओं का समकालीन भारत पर प्रभाव

आतंकवाद के प्रभाव की तुलना अगर एक आण्विक विस्फोट से की जाए तो अनुचित नहीं होगा। जिस तरह हीरोशिमा और नागाशाकी पर बम गिराए जाने के बाद न केवल मनुष्य जाति बर्बाद हुई बल्कि जीव–जन्तु, पेड़–पौधेऔर पूरा पर्यावरण प्रभावित हुआ। वर्तमान के साथ–साथ भविष्य भी प्रभावित हुआ। कई पीढ़ियों तक यह बोझ हम झेलते रहेंगे और यही हाल होता है आतंकवाद

की बीमारी लग जाने के बाद। हम किसी एक क्षेत्र की कल्पना करें तो पाएंगे कि वो क्षेत्र इससे प्रभावित है। इसके प्रभाव से भौतिक चीजों के अलावा व्यक्ति की मानसिकता भी प्रभावित होने लगती है जैसा कि आज भारत में हो रहा है। एक आम नागरिक का अपनी व्यवस्था, सरकार, सैन्य बलों और यहाँ तक कि अपने आप पर से विश्वास उठ जाता है और इस तरह के प्रश्न पूछने लगा है–'क्या हम स्वतंत्र हैं?, क्या हम मानव हैं या कीड़े–मकोड़े?' आदि–आदि। इन प्रश्नों में कुछ अजूबा–सा नहीं है जब एक व्यक्ति आतंकवाद से इतना त्रस्त हो चुका हो कि उसे आतंकवाद और आतंकवादी का वर्चस्व ही सर्वत्र नजर आए तो वह और क्या सोचेगा? आतंकवाद का प्रभाव इतना व्यापक है कि वो प्रत्यक्ष रूप से और वर्तमान में चाहे हमें नजर नआए लेकिन वो उस दीमक की तरह है जो अंदर ही अदंर एक अच्छे खासे और विशाल पेड़ को खोखला करती चली जाती है, उसकी पत्तियाँ भी हरी–भरी रहती हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि क्या हो रहा है। एक हवा के झोंके की जरुरत है और पूरा का पूरा वटवृक्ष जमीन पर ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। अभी तक नरसंहारो और विनाश लीला में सब पर विश्व युद्ध का नाम लिया जाता था। नागासाकी और हिरोशिया के उदारण दिए जाते थे पर आज मानव जाति पर हर पल एक नागासाकी और हिरोशिया का खतरा मंडरा रहा है। हर देश इससे इतना प्रभावित है कि रोज विश्वयुद्ध की भूमिका तैयार हो जाती है। इसका प्रभाव उस बीमारी की तरह इतना बढ़ गया है जिस पर दवाइयों का असर नहीं होता। बल्कि ये दवाइयाँ ही ऐसे प्रभावित हो जाती हैं कि उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। जिस समाज की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही समाप्त हो जाए तो बीमारी के लिए दिए जाने वाले टीके भी वहाँ निष्प्रभावी हो जाते हैं। यहाँ भिन्न–भिन्न क्षेत्रों पर आतंकवाद के प्रभाव की हम विवेचना करने की कोशिश करेंगे।

1.10.1 सामाजिक क्षेत्रों पर प्रभाव

इस धरती पर कुछ भी हो समाज को उसका अच्छा–बुरा भुगतना पड़ता है क्योंकि जो हो रहा है वो समाज में ही हो रहा है और समाज के ही लोगों द्वारा किया जा रहा है। जब तक अन्यत्र मानव जाति के अस्तित्व के प्रमाण नहीं मिल जाते तब तक इस धरती पर किसी भी कुप्रभाव के हम स्वयं दोषी हैं। समाज में आतंकवाद के पैदा होने और जड़े जमा लेने के बाद वहाँ पर एक सामाजिक असुरक्षा (Social Insecurity) की भावना पनपती है। विघटनकारी ताकतें अपना सिर उठाने लगती हैं, युवा जगत बिना सोचे समझे हिंसक रास्ते अख्तियार करने लगता है और अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाता है। भारतीय परिवेश में तो जहाँ पर विभिन्न धर्म, जातियाँ, भाषाएँ आदि हों और इतने विशाल देश कीभौगोलिक स्थिति भी अलग–अलग प्रकार की हो वहाँ आतंकवाद की विपरीत परिस्थितियाँ विस्फोटक हो सकती है। आतंकवाद का सहारा लेकर चंद गिने–चुने और बाहरी शक्तियाँ एक वर्ग विशेष को बहला फुसला सकती हैं, उन्हें सहायता दे सकती है और अपने घर में बैठे ही हमारे घर में रिमोट कंट्रोल से आग लगा सकती हैं। एक बार सामाजिक वैमनस्य घर कर गया, रिश्तों में दरारें पड़ गयी और एक दूसरे के लिए दोस्ती का जज्बा खत्म हो गया तो समझिए उस राष्ट्र के अस्तित्व की उल्टी गिनती शुरु हो गयी। रूस के विघटन में कुछ ऐसी ही दरारें थीं जिन्हें समय रहते नहीं देखा गया और इसे आज भी भुगता जा रहा है।

समाज में पैदा भर हो जाने से एक प्राणी मनुष्य नहीं हो जाता। उसके लिए उसे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसे समाजशास्त्री 'समाजीकरण' कहते हैं। गिलिन एंड गिलिन के अनसार

"By the socialization we mean the process by which the individual develops into functioning members of the group; acting according to its discipline; conforming to its moral; observing its traditions and adjusting himself to the social situations he meets sufficiently well command the tolerance if not the admiration of his fellows"

समाजीकरण से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी समूह के एक क्रियाशील सदस्य के रूप में विकास प्राप्त करता है। उसके व्यवहार में समाज के अनुशासन का पालन, उसकी नैतिकताओं के प्रति सम्मान, परंपराओं का निर्वहन तो होना ही चाहिए साथ ही सामाजिक स्थितियों से समंजस्य बनाते हुए उसे दूसरों की प्रशंसा के योग्य नहीं तो कम से कम उनके लिए सहनीय तो अवश्य होना चाहिए।

उपरोक्त परिभाषा पर गौर किया जाए तो हम पाएंगे कि आतंकवादी अपनी कार्यवाहियों द्वारा न तो समाजीकरण की प्रक्रिया के अनुरूप व्यवहार करते हैं बल्कि अन्य लोगों के समाजीकरण को भी प्रतिकूल तरीकों से प्रभावित करते हैं।

आतंकवादियों की भर्ती से लेकर प्रशिक्षण, कार्यवाही, रहन–सहन आदि को ऐसे नियोजित किया जाता है कि उसमें तमाम मानवीय वृतियाँ दया, ममता, करुणा, भाईचारा एक योजनाबद्ध तरीके से खत्म हो जाए और प्रतिक्रिया स्वरूप समाज में भी ये बातें न्यून होती जा रही हैं।

समाजीकरण की प्रक्रिया में बचपन में तो माँ–बाप और परिवार का सीधा असर हो सकता है किन्तु इस प्रक्रिया में अनुकरण (Imitation), हालतों को समझना (Perceiving the stitutaion), नई प्रतिक्रियाएँ (New Responses), परस्पर व्यवहार (Mutual behavious), सहयोग (Co-Operation) आदि शामिल

हैं जिन्हें एक व्यक्ति बाहरी वातावरण से अपने व्यक्तित्व में समाहित करता है और उससे प्रभावित होता है। आतंकवादी हालातों में इन तत्वों पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं।

आम समाजीकरण में जो चार बातें अड़चन डालती हैं उनमें अगर व्यक्ति की अपनी शारीरिक अक्षमता को छोड़ दिया जाए तो बाकी की तीन बातें ऐसी हैंजिनका संबंध समाज से हैं। ये है–असंतुलित सामाजिक संरचना, नई सांस्कृतिक मान्यताओं की अवहेलना और पुरानी घिसी–पिटी परंम्पराओं पर जोर। आतंकवादी सामाजिक संरचना को असंतुलित करते हैं इसमें कोई दो मत नहीं। इनमें ज्यादातर लकीर के फकीर होते हैं विशेषकर धर्मान्ध कट्टरपंथी आतंकवादी जो सामान्य सामाजिक विकास में बाधक होते हैं।

समाज और मानवाधिकार का एक गहरा संबंध है। यह अधिकार पशुओं के लिए नहीं मनुष्यों के लिए स्थापित किए गये हैं। पर आतंकवाद जहाँ एक ओर बड़े पैमाने पर इनका हनन करता है वहीं दूसरी ओर अन्य लोगों को भी इस हनन का भागीदार बनाता है। महिलाओं की स्वतंत्रता और शिक्षा पर पाबंदी, एक धर्म विशेष से घृणा, आम आदमी के सम्मान और जीने के अधिकार से खिलवाड़, बच्चों को आतंकवादी बनाकर उनकी आयु सीमित कर देना, निर्दोष लोगों पर ज्यादतियां आदि ऐसे कृत्य हैं जिनसे बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन होता है और जो परिस्थितियाँ बनती हैं वो समाज के सामान्य विकास को अवरुद्ध करने के साथ–साथ हमें प्रतिकूलता की स्थिति में फेंक देती हैं।

समाज कुछ संस्थाओं और गतिविधियों से नियंत्रित और अनुशासित रहता है और विकास करता है। इनमें धर्म, कानून और व्यवस्था, आम सहमति और राय, प्रेस और प्रोपेगेंडा, शिक्षा, कला, नेतृत्व, मनोरंजन और खेलकूद

प्रमुख हैं। आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो इन तमाम संस्थाओं में सेंध लगाकर इन्हें खोखला कर रही है। अफगानिस्तान में वर्षों शिक्षण संस्थाएँ बंद रहीं, में आज भी आम मनोरंजन गृह और खेल–कूद नहीं हो रहे हैं, कश्मीर में कई स्थान ऐसे हैं। जहाँ की शिक्षण संस्थाएँ छावनियों में तब्दील हो चुकी हैं, इराक में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं आदि सैंकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिनमें आतंकवाद का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है।'

विश्व का कोई भी कोना हो, रूस हो या अफगानिस्तान, फिलिस्तीन हो या इजराइल, भारत का काश्मीर हो, पंजाब हो या उत्तर पूर्व, आतंकवाद का सबसे प्रतिकूल प्रभाव हमारे उन युवाओं की शिक्षा पर पड़ता है जो किसी भी देश केभावी कर्णधार है। कच्ची उम्र में जिन्हें शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो अगर अपराध जगत से जुड़ जाए, हिंसा में विश्वास करने लग जाए, हाथ में कलम की जगह बंदूकें थाम लें, खेल–कूद के बजाय राजनीति की चापलूसियाँ सीखने की कोशिश करें तो समझ लीजिए वो अपने और अपने समाज के भविष्य के लिए चिंतित नहीं है। आतंकवाद पनपने के बाद युवा वर्ग उपरोक्त सभी व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं का न खुलना, आतंकवादियों द्वारा इनका नुकसान, रोज मर्रा के बंद और हड़तालें आदि ऐसी गतिविधियाँ हैं जो एक आम विद्यार्थी को भी तंग करते हैं। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर शिक्षा के प्रति सतर्क अभिभावकों और युवाओं ने कश्मीर, बिहार, झारखंड और यहाँ तक कि पंजाब छोड़कर दिल्ली, बैंगलोर और देश के अन्य शहरों में शरण लेकर अपने बच्चों की शिक्षा पूरी करनी चाहिए। जिन लोगों के सामर्थ्य में था उन्होंने विदेश जाना ही हितकर समझा।

अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि आज समाज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ उसे निर्णय लेना है कि या तो वो आतंकवाद के सामने आत्मसमर्पण कर इंसान और युवाओं के सपनों को टूटकर बिखर जाने दे या

फिर जीवन के उच्चतर आदशों और मान–मर्यादाओं की खातिर एक ऐसी दीवार बनकर खड़ा हो जाए कि आतंकवाद का प्रभाव समाज पर न हो और उसका भविष्य सुरक्षित रहे।

1.10.2 राजनैतिक क्षेत्रों पर प्रभाव

आतंकवाद एक हिंसा की रणनीति जरुर है, पर उसके मूल में एक स्पष्ट राजनैतिक उद्देश्य पल रहा हैं। आतंकवादी एक स्थापित व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहता है। उसका संघर्ष राजनैतिक है पर कृत्य हिंसात्मक। यह एक विद्रोह के अस्त्र के रूप में जरूर प्रारंभ होता है पर इसकी नजरें उन राजनीति के गलियारों पर होती हैं जहाँ वो अपनी हुकूमत अपने ढंग से और अपने कायदे कानूनों से चला सके।

आतंकवाद का प्रभाव आंतरिक एवं बाह्य दोनों राजनीतिक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के बार में हम अलग से चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्यतः राजनीतिक प्रभावों तक सीमित रहेंगे।

आतंकवाद को एक विचारधारा की संज्ञा दी जाती है पर यह अब अपने आप में एक व्यवस्था बनती जा रही है। इसका कार्यक्षेत्र इतना व्यापक है कि दुनिया की सारी व्यवस्थाएँ एक होकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। राष्ट्रों की सीमाएँ हैं। यह असीमित है, तंत्रों के कायदे–कानून और मर्यादाएँ हैं, यह इन सबसे परहेज करता है। ओसामा बिन–लादेन जैसे लोग बिना राष्ट्र के राष्ट्रपति थे बिना प्रजा के राजा थे, बिना जमीन के जमींदार थे, जिनको किसी लिखित आदेशों की जरुरत नहीं। न ही इन्हें अपने कानूनों को किसी संसद में पास करना होता है। यह जिस तरह से विश्व में विद्रोहों का ठेकेदार, एक धर्म विशेष का स्वयंभू रखवाला बनकर व्यवसायिक तरीकों से आतंकवाद का राजपाट चलाया है उससे आने वाला भविष्य कहीं आतंकवाद को

आयात–निर्यात की वस्तु न समझ ले। छोटे स्तरपर दूसरे देशों में भाड़े के सैनिक भेजना आदि तो पहले ही शुरु हो गया है और अबू निदाल जैसे किराए के आतंकवादी भी मौजूद थे। पर राजनीति में बाकायादा इनकी सीट आरक्षित नहीं थी, अब होने लगी है और यहाँ तक कि जनरल मुसर्रफ का बस चले तो वो आतंकवादी सरगनाओं को 28 तोपों की सलामी भी देने लगे। वो आतंकवादियों की खरीद फरोख्त के लिए एक बाजार बना दें जिसमें भारत के लिए आतंकवादी खरीदने पर विशेष रियायत के तौर पर एक आतंकवादी खरीदने पर एक मुफ्त मिले। तानाशाहों को राजनीति करने दी गयी तो यही होगा और प्रजातंत्र की जड़े खोखली होती जाएंगी।

आतंकवाद का राजनीति पर प्रभाव उसके और राजनीतिज्ञों के बीच गुप्त और अलिखित समझौते और संधियों में निहित है। जहाँ एक और ऐसे राजनैतिक दल होते हैं जो एक विशेष विचारधारा, धर्म या इलाके से संबंध रखते हैं और उनके विभिन्न मतभेद भी सत्ताधारी एवं अन्य दलों से होते है। आतंकवादी ऐसे दलों का लाभ उठाते हैं तो यह राजनैतिक दल भी आतंकवादियों का फायदा उठाने से नहीं चूकते। जहाँ–जहाँ मसल पावर की जरुरत होती है इन्हें आगे किया जाता है। अगर ऐसे दल खुदा न खास्ता सत्ता के गलियारों पर पहुंच गये तो आतंकवादियों की पौ बारह हो जाती है। फलतः राजनीति को वैसे ही "गंदा खेल" कहा गया है और ज्यादा दूषित हो जाता है। देश–विदेश में ऐसे अनेकों उदाहरण मौजूद हैं जहाँ पूर्व के आतंकवादी आज के राजनेता बन गए। कभी–कभी राजनेताओं की सांठ–गाँठ और यहाँ तक कि आतंकवादी गतिविधियों से उनका सीधा–सीधा संबंध उजागर हुआ और उन्हें अपने पदों से हाथ धोना पड़ा। कई राजनीतिज्ञ जो आतंकवादी को आम अपराधी समझकर उसे जो शह और शरण देते हैं। वो कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता।

हमारे देश में भी यह देखा गया है कि कुछ आतंकवादी राजनीतिज्ञों का मुखौटा पहनकर अंबरेला ऑर्गनाइजेशन (Umberlla Organisation) बना लेते हैं और आतंकवादियों के सरगना और आवाज बन जाते हैं। इन्हें आतंकवादी संगठनों से खूब पैसा मिलता है और विदेशों से मिलने वाले पैसे के लिए भी ये बिचौलियों का काम करते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणालियों में इन संगठनों के खिलाफ सख्ती करना दुष्कर हो जाता है जिससे काफी विपरीत प्रभाव राजनीतिक माहौल पर पड़ता है। लेकिन इसके प्रतिकूल प्रभावों के अलावा कभी–कभी लाभदायक प्रभाव भी होते हैं। यह ऐसे संगठन और लोग होते हैं जिनके द्वारा सरकार और आतंकवादियों में मध्यस्थता की जा सकती है। कभी–कभी इनके नेता सरकार के हाथों बिक भी जाते हैं या फिर अपनी राजनीतिकमहत्त्वाकांक्षा पूरी होती देख यह अपने खोखले और दिखावटी सिद्धांतों को ताक में रखकर राजनैतिक और सरकारी ओहदों पर भी आसीन हो जाते हैं।

ऊपर के सभी प्रभाव आपसी समझौतों पर निहित हैं और उसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं। किंतु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर आतंकवादियों द्वारा दुष्प्रभाव ही छोड़ा जाता है और जो भविष्य के लिए अच्छे नहीं होते। प्रजातंत्र में आतंकवादियों के बढ़ते प्रभाव से इस व्यवस्था पर लोग उंगलियां उठाने लगते हैं और कुछ इसे कमजोर व्यवस्था की संज्ञा देने से भी नहीं चूकते। उसी तरह से किसी देश विशेष का कानून और न्यायपालिका, जो आम हालतों में एक आदर्श व्यवस्था हो सकती है, आतंकवाद से पीड़ित होने पर अपना रवैया बदल देती है। कठोर कानूनों की वकालत की जाने लगती है। मानवाधिकारों के सम्मान के साथ–साथ उन्हें आतंकवादियों के लिए सीमित करने की पेशकश होने लगती है और नई विचारधाराएं, जो मानवहित में नहीं होती है, चर्चा में आ जाती हैं।

राजनीतिक खेल जो आतंकवादी स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध खेल रहे होते हैं, उनमें आम आदमी सबसे ज्यादा पिसता है। उसकी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आम राजनैतिक अधिकारों की सबसे अधिक बलि चढ़ती है।

अंत में इतना ही कहना उचित होगा कि हर राष्ट्र की अपनी शासन प्रणालियाँ और तंत्र होते हैं जिन्हें वहाँ मान्यता प्राप्त होती है। यदि आतंकवाद राजनीति को इतना प्रभावित कर दे कि तानाशाही और मार्शल–लॉ जैसी व्यवस्थाओं की वकालत होने लगे, लोग देश–विदेश में लाचारी से उसे सहते रहें। और महाशक्तियाँ उन्हें अपने स्वार्थों के लिए मान्यता प्रदान कर दें, तो जीत मानवाधिकारों और जनतंत्र की नहीं बल्कि आतंकवाद की हुई ऐसा हमें मानकर चलना चाहिए। साँप के जहर को साँप के जहर से खत्म करना तो स्वीकार्य हैं पर घर–घर में साँप पालकर जहर का प्रोडेक्शन करना प्रलयकारी होगा।

1.10.3 आतंकवाद का धर्म पर प्रभाव

धर्म ही मानवीय गरिमा की पहचान है। किसी भी बुद्धिजीवी के लिए धर्म की समझ असंभव नहीं है किंतु किसी भी बौद्धिक प्रयास के जरिए अधर्म के मार्ग भी तलाशे जा सकते हैं। धर्म की समझ उन्हीं को उपलब्ध होती है जिन्होंने अपना सिर काटकर अलग कर दिया हो तथा अपने हृदय में आस्था विश्वास का प्रकाश जगाने में सफल हो गये हों। संशय अस्तित्व से पृथक करता है जबकि विश्वास जोड़ता है। धर्म विश्वास से प्रारंभ होता है। विश्वास एवं आस्था विचार से निम्नतर नहीं बल्कि उच्चतर स्थिति में उपलब्ध होती है।

समाज और धर्म अभिन्न हैं। यह एक दूसरे से ऐसे सम्बद्ध हैं कि इन दोनों का प्रतिबिम्ब एक दूसरे में दिखाई देता है। धर्म कोई भी हो बड़ा पवित्र होता है औरउसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। आम तौर

पर इसकी पवित्रता उसे आतंकवाद जैसी घृणित सोच से बहुत दूर रखती है पर आतंकवादी जिस तरह धर्म का उपयोग अपने लाभ के लिए कर रहें हैं उससे धर्म और धार्मिक मान्यताएं प्रदूषित और प्रभावित हो रही हैं, उसे मानने वाले प्रभावित हो रहे हैं. धर्म की नई परिभाषाएं दी जा रही हैं, उसे नए क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है। समाजशास्त्री वास (Wash) के अनुसार ''The Influence of religion, Sociologically speaking, is two fold; there is positive or cohesive integrating influence and is negative destructive, disintegrating influence''

अगर वास के कथन के पहले भाग पर गौर करें तो हम कह सकते हैं कि उसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव तो है पर इन आतंकवादियों पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं। यह दूसरे रूप से प्रभावित है और उसे स्वयं भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। धर्म के नाम पर विध्वंशकारी शक्तियों का ध्रुवीकरण शुरु हो गया है। जहाँ पहले राष्ट्रीयता सर्वोपरि थी और राष्ट्र पर संकट की घड़ी आने पर लोग जाति, भाषा, क्षेत्र और धर्म को भूलकर एक हो जाया करते थे अब धर्म के नाम पर एक हो रहे हैं और अपने देश और देशवासियों के खून के प्यासे हो रहे हैं। धर्म की जो भव्य संरचना है उसमें कल्याण और सृजन कम होता जा रहा है। एक–दूसरे के धर्म का आदर करने के बजाय अब अनादर की परंपरा चल पड़ी है। इसको संहारक के रूप में प्रतिपादित किया जाने लगा है। कल्याण, दया, प्रेम, करुणा, भक्ति के सिद्धांतों की जगह धर्म युद्धों की बातें प्रचलित हैं और धर्म के नाम पर हिंसा को जायज करार किया जा रहा है।

इस कुप्रभाव का दूसरा पहलू है धर्म और राजनीति के प्रगाढ़ होते सम्बन्ध। पहले भी राजनैतिक फायदों के लिए धर्म का उपयोग होता था पर आतंकवाद जो राजनैतिक महत्त्वाकांक्षा की पैदाइश है, राजनीति के धर्म का

उपयोग नहीं करता बल्कि धार्मिक राजनीति करता है। फलतः यहाँ भी भीड़तंत्र का मनोविज्ञान हावी हो जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे दरकिनार कर दिए जाते हैं और धर्म ही मुद्दा बना दिया जाता है। इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। सांप्रदायिक दंगों का भविष्य। पूर्व में ऐसे दंगे किसी छोटी–सी बात से स्थानीय स्तर पर शुरु होकर फैलते थे पर अब इस तरह के दंगे आतंकवादियों द्वारा कराए जाते हैं और फिर उनका खूब प्रचार कर उनसे फायदा उठाना आम चलन हो गया है।

आतंकवाद ग्रसित क्षेत्रों में धर्मिक नेताओं और कट्टर–पंथियों का प्रभाव स्वतः ही होता है जो देश–विदेश में बढ़ता जाता है। शिक्षा और ज्ञान के अभाव में लोग इनके कुप्रचार और दकियानूसी दलीलों को खूब सुनते हैं और मानने लगते हैं। इसके बाद की स्थिति और विस्फोटक हो जाती है जब यह लोग राजनीति को प्रभावित करने के साथ–साथ स्वंय भी राजनेता बन बैठते हैं। इन नए प्रयोगों और समीकरणों से विकास सीधे–सीधे प्रभावित होता है और प्रगति की जगह इंसान को कुछ सदियों पीछे चले जाने का डर जायज हैं।

आतंकवाद का सांप विध्वंशकारी गतिविधियों के रूप में जो विष उगल रहा है उसे धर्म का सपेरा काबू में कर सकता है लेकिन यह सपेरा ही आतंकवादियों के हाथों का खिलौना बन गया तो विषैले सांपों की ऐसी फौज तैयार होगी जिन पर विजय पाना दुष्कर ही नहीं असंभव होगा।

1.10.3 आतंकवाद का पर्यावरण पर प्रभाव

आतंकवाद मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरा है। इससे मानव समाज ने जितनी पीडा भोगी है वह वास्तव में हृदय–विदारक तो है किन्तु पर्यावण भी इससे अछूता रहा हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर्यावरण को भी आतंकवाद के दुष्परिणाम मानव जाति की भांति ही भोगने पड़े हैं। चाहे

स्वच्छ झरने हो, जंगल या हिमाच्छादित पर्वत शृंखलाएं आदि सभी के नैसर्गिक स्वरूप में आतंकवाद ने विकृति पैदा कर दी है। आतंकवादी अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए जितने भी साधन काम में लाते हैं उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पर्यावरण सहन करता है।

सबसे पहले हम जंगलों और वन्य प्राणियों की बात करें। आतंकवादी कोई भी कार्य करे लेकिन अपने को सेना और खुफिया तंत्र की निगाहों से बचाकर रखना चाहते हैं। अपनी शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से ये अपने लिए सुरक्षित स्थान तलाशते हैं और जंगलों से बढ़कर सुरक्षित स्थान कोई नहीं हो सकता। जंगल दो मुँही तलवार की तरह है, यह न केवल छुपाव उपलब्ध कराते हैं बल्कि सुरक्षा बलों के लिए ऑपरेशनों में भारी दिक्कतें भी पैदा करता हैं। भारत में असम और कश्मीर में आतंकवादियों की सफलताएँ इसका उदाहरण हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार का मोस्ट वांटेड वीरप्पन तो जंगलों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। उसने न केवल चंदन की बेशकीमती लकड़ी के लिए जंगलों को लीला अपितु 800 से अधिक हाथियों को मारकर अपने को पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन सिद्ध कर दिया।

आतंकवादी जंगलों में अपना प्रशिक्षण शिविर चलाने के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई करते हैं। वन संपदा का निहित स्वार्थों के लिए दोहन करते हैं। चाहे कुछ भी हो लेकिन कटना प्रकृति के इन बेजुबान रखवालों को ही पड़ता है। उत्तर–पूर्व और कश्मीर में जंगलों की अवैध कटाई आतंकवादियों की आय का भी एक जरिया है। एक तरफ आतंकवादियों को लकड़ी से पैसा मिलता है तो दूसरी तरफ सरकार की आमदनी में कमी होती है। जहाँ सरकारी कटाई में औषधीय गुण वाले और अन्य बहुमूल्य पेड़ों का ध्यान रखा जाता है वहीं आतंकवादी केवल अपने स्वार्थों के खातिर अंधाधुंध कटाई करने में विश्वास रखते हैं।

आतंकवादी को खुद पता नहीं होता कि उसकी साँसे कितने दिन की है। उसे अपना अंजाम पता होता है इसलिए वह जीवन के हर शौक को पूरा कर लेना चाहता है। जंगलों में रहते हुए उसे शिकार जैसे शौक हो जाते हैं। उसके इन शौकों के शिकार बेजुबान वन्य प्राणी बनते हैं। चूंकि आतंकवादी दयाभाव को त्याग चुका होता है, इसलिए उसे निरीह जीवों को मारने में कोई संकोच नहीं होता। शिकार एक शौक ही नहीं बल्कि कई दुर्गम जगहों पर जरूरत भी बन जाता है। कई ऐसी जगह हैं जहाँ ताजा सब्जी फल आदि नहीं मिल सकते ऐसी स्थिति में मांस सबसे अच्छा आहार है।

कभी–कभी आतंकवादी, सेना को रोकने या अपने शिविर स्थापित करने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं जिससे की वन्य प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। बढ़ती हुई आबादी और विकास की तीव्र दौड़ में वैसे भी अन्य प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। ऊपर से आतंकवादियों का बेपरवाह शिकार उन्हें और बदतर स्थिति में पहुंचाता है। पूर्वोत्तर और कश्मीर के आतंकवादीमुख्यतः मांसाहारी है। खाने–पीने के लिए अन्य साधनों का अभाव और दुर्गम स्थानआतंकवादियों को जंगली जीवी का शिकार करने को मजबूर भी कर देते हैं। यह मजबूरी हो, जरूरत हो या शौक, वन्य प्राणियों के घर में इस तरह और आतंकवादी चले गए तो इनका विनाश निश्चित हैं।

आतंकवाद से वायु भी प्रदूषित होती है। वर्तमान समय में आतंकवाद जिस गति से बढ़ रहा है ऐसा लगता है जैसे फांसीवाद और नाजीवाद का एक नए रूप में आगमन हुआ हो। हिटलर और मुसोलीनी ने जैसे विश्व को 'द्वितीय विश्वयुद्ध में झोंका उसी तरह आज वैश्विक स्तर पर फैल चुके आतंकवादी फिर से एक विश्वयुद्ध का वातावरण तैयार कर रहे हैं। ओसामा के अल–कायदा संगठन ने अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं पेंटागन पर आतंकी हमले कर निर्दोष मानवों का ही खून नहीं बहाया बल्कि हजारों लीटर पेट्रोल

जलाकर वायु प्रदूषण भी फैलाया। बात यहीं खत्म नहीं होती। पर्यावरण को इससे भी बड़ा नुकसान तब हुआ जब प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका ने अफगानिस्तान और फिर इराक पर हमला कर उन्हें कब्रगाहों में बदल दिया। बारुदी धमाकों और प्रकृति के बहुमूल्य उपहार ईंधन का उपयोग मानवता और पर्यावरण को खराब करने में प्रयुक्त हुआ। जो कसर बची उसे तेल के कुओं में आग लगाकर पूरी की गयी।

वायुमंडल प्रदूषण में घटती आक्सीजन की मात्रा और बढ़ती विषाक्त गैसों और कणों के साथ–साथ अब आतंकवाद की भी भागीदारी बढ़ती जा रही है। पश्चिम एशिया को ही लीजिए जिसकी अर्थव्यवस्था लगातार पड़ रहे अकालों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहले ही चरमराई हुई थी और अब बारुदी धुआँ पर्यावरण को और असंतुलित बनाता जा रहा है। साथ ही साथ भविष्य में होने वाले युद्धों के कारण पर्यावरण को जितनी हानि हुई और होगी वह अपूरणीय क्षति है।

शीतल हवा के झोंके और केसर की क्यारियाँ, हिमाच्छादित पोटियाँ, कल–कल बहते झरने और यौवन आशा से लबरेज युवतियों और हर तरफ प्रसन्नता इस वर्णन के बाद पूछा जाए कि में कहाँ की कल्पना है तो शायद आपका कहना होगा यह कल्पना नहीं हकीकत है और इस हकीकत का नाम है कश्मीर। लेकिन शायद आपको यह भी पता होगा कि यह हकीकत कश्मीर का अतीत बनती जा रही है। धरती का स्वर्ग कहीं जाने वाली हसीन वादियों की यह भूमि लगातार आतंकवाद की पीड़ा भोगते भोगते थक चुकी है। आतंकवादियों द्वारा बार–बार विस्फोट आगजनी और लगातार छद्म युद्ध की गोलाबारी से कश्मीर घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता खोने लगी है। कभी शांत सैरगाह कही जाने वाली यह धरती अब धीरे–धीरे प्रदूषण का अंगार बनती जा रही है।

नाभिकीय, जैविक और रासायनिक हथियारों का आतंकवादियों द्वारा उपयोग भी पर्यावण को प्रभावित करता है। आज का आतंकवादी पायलेट, डाक्टर और वैज्ञानिक हो सकता है। यह विनाश के अभिनव प्रयोग करता है। पहले उसने आत्मघाती दस्ते तैयार किए और अब विमानन आतंकवाद का ताजा उदाहरण अमेरिका पर हुए हमलों को ले सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वह भविष्य में जैविक और रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग कर सकता है। आतंकवादी को अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना स्वीकार है। जरा सोचे कि 'महाविनाश के हथियार' यदि मानवता के इन दुश्मनों के हाथों लग गया तो कितना विनाश होगा। वर्तमान में जो घाव लगेंगे वो सदियों तक रिसेंगे, प्रत्यक्ष में कुछ लाख लाशें होंगी पर पर्यावरण को होने वाले नुकसान को करोड़ों वर्ष भुगतान होगा। वियतनाम इसका साक्ष्य है।

यदि वायु प्रदूषित होती है वह यह नहीं कहेगी कि मैं अमुक आदमी पर अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखाऊँगी। जरा विचार करें–क्या वह सोचेगी कि तू हिंदू है, यह मुसलमान है, यह हिंदुस्तानी है और वह पाकिस्तानी है। यह आम आदमी हैं या आतंकवादी। महाविनाश के हथियारों के प्रयोग के बाद आतंकवादियों के हित सुरक्षित रहेंगे यह कहना ठीक नहीं है।

यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद जिस गति से फैल रहा है उतनी ही गति से यह पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। चाहे वो पहाड़ियों और जंगलों में फैला कचरा और प्लास्टिक हो, जल स्रोतों को रासायनिक हथियारों से विषाक्त होने का डर या जैविक हथियारों द्वारा फैलाई गयी महामारियाँ, यह सब और मंडल के सबसे जीवंत और सुंदर ग्रह को नष्ट करने की साजिश है। हम सब उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर बैठे हैं।

आतंकवाद एक विकृत और रुग्ण मनोवृत्ति तो है ही साथ ही साथ यह हर क्षेत्र में लोगों की मानसिकता को भी प्रभावित करता है और लोग अनेक तरह के मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू–कश्मीर में पिछले 14 साल से जारी आतंकवाद के कारण लगभग 84 हजार लोग मानसिक रोगों से पीड़ित हैं, जिनमें कई तो पागल हो चुके हैं। ज्यादा तादाद बच्चों और महिलाओं की है। दिल्ली के एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट के सलाहकार सर्जन डॉ० एस०बजाज के नेतृत्व में मानसिक रोग विशेषज्ञों की एक टीम इन दिनों जम्मू–कश्मीर में ऐसे रोगियों की जांच कर रही है। इस टीम ने अपनी पहली रिपोर्ट में कहा है। कि रोज–रोज होने वाले बम धमाकों, मुठभेड़ों अपहरणों और बलात्कारों का सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। खुली और स्वच्छ आबोहवा में घूमने–फिरनेके आदी लोग बंद कमरों की घुटनभरी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। इससे इनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है।

डॉ० बजाज का यह भी कहना है कि यदि जम्मू–कश्मीर में हालात सुधर भी गये तो भी ऐसे करीब 5 लाख लोगों को संभालना कठिन होगा। विस्थापित शिविरों में रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं की दिमागी हालत भी खराब है। क्योंकि उनको अपने बसे–बसाए घर छोड़कर खानाबदोश की तरह रहना पड़ रहा है। यही नहीं आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे जवानों का मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है।

आतंकवाद के विस्तृत प्रभाव क्षेत्र के निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि आतंकवादियों का सवेरा मंदिरों से आती शंखों की ध्वनियों और मस्जिदों से आती अजानों से नहीं गूंजता। यह गूंजता है कर्कष और दिल दहलाने वाले बमों के धमाकों और गोलियों की टक–डम, टक–डम से। आज की शामें मंदिर कीआरतियों और दीपकों की लौ की बजाए घरों, खेतों जंगलों में लगी आग या

पैरा–बमों से प्रकाशमान होती हैं। विश्व का कोई कोना, व्यक्ति और यहाँ तक कि जीव–जन्तु और पेड़–पौधे भी आतंकवाद के दुष्प्रभाव से अछूते नहीं रहे हैं। केवल युद्ध का न होना ही शांति और सुरक्षा नहीं है। इसके मायने मानवता की जड़ों में है। उस मानव अस्तित्व का क्या लाभ जिसमें आदमी जिंदा लाश की तरह दिन गुजार रहा है। भुखमरी, गरीबी और अत्याचार का शिकार हो रहा है। जब तक राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय पहल नहीं की जायेगी तब तक आतंकवाद जिंदा रहेगा। यदि आतंकवाद का यह तूफान इतना प्रलयकारी हो जाए कि मानवता को ही निगल जाए तो इसका इलाज क्या है? शांति भी एक मानवाधिकार है। आतंकवाद के आदी लोग बंद कमरों की घुटनभरी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। इससे इनकामानसिक संतुलन बिगड़ रहा है।

डॉ० बजाज का यह भी कहना है कि यदि जम्मू–कश्मीर में हालात सुधर भी गये तो भी ऐसे करीब 5 लाख लोगों को संभालना कठिन होगा। विस्थापित शिविरों में रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं की दिमागी हालत भी खराब है। क्योंकि उनको अपने बसे–बसाए घर छोड़कर खानाबदोश की तरह रहना पड़ रहा है। यही नहीं आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे जवानों का मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है।

आतंकवाद के कुप्रभावों को न सिर्फ नकारने की जरुरत है बल्कि मानवता के इस दुश्मन का सर्वनाश ही सर्वहित में होगा।

अध्याय द्वितीय

शोध प्रविधि एवं सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा

द्वितीय अध्याय

शोध प्रविधि एवं सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा

2.1 संबंधित साहित्य की समीक्षा–

- माइकल बाल्जर (2008) ने टेररिज्म ब्रिटेन इन साइक्लोपीडिया मे आतंकवाद एक भावना भी है और एक विचार धारा भी है भावना के रूप में वह लोगो को संगठित करती है तथा विचारधारा के रूप मे वह लोगो में आस्था पैदा करती है अर्थात आतंकवाद की ओर एक अग्रसर चेहरा है।

- बाथम मनोहर लाला बाथम (2003) ने आतंकवाद चुनौती और संघर्ष मे बताया कि आतंकवाद का द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान आतंक का नया रूप देखने को मिला नाजी सरकार ने जब जाति विशेष को समूल नष्ट करने का अभियान छेडा तो कुछ सैनिक उसके विरूद्ध खडे हुए यह भी आतंक की चिनगारी थी।

- हालमान बी. (2003) ने इनसाइड टेरोरिज्म मे आतंकवाद का मूल्य कारक अधिक माना और बताया कि जैसे–जैसे मनुष्य तरक्की कर रहा है और विज्ञान पर ज्यादा निर्भर होता जा रहा है उसकी आवश्यकताएं और आकांक्षाए बढती जा रही है, आवश्यकताओं की तुलना मे धन संपत्ति नही बढती और एक असंतोष पनपता है। यह एक बहुत बडा कारण बन जाता है। जिसके द्वारा आतंकवाद की उत्पति ही नही होती, इसको बढावा भी मिलता है।

- विलकिसन्न पी. (2006) ने टेरोरिज्म वर्सेज डेमाक्रेसी लन्दन मे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों को इसका कारण माना उन्होने बताया कि

विदेशी शक्तियों या पड़ौसी दुश्मन राष्ट्रों द्वारा राजनैतिक अस्थिरता पैदा करना भी आतंकवाद का पर्याय है।

- विलिस एम (1997) ने द इस्लामिस्ट चैलेंज अल्जीरिया न्यूयॉर्क में बताया कि सामाजिक मूल्यों का पतन भी आतंकवाद की और अग्रसर कर रहा है उन्होने बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है समाज और आस–पास के सामाजिक परिवेश का उस पर प्रभाव पडना लाजमी है। सामाजिक मूल्यों मे गिरावट, सामाजिक संस्थाओ का विघटन, वैज्ञानिक प्रगति के कारण पनपता सामाजिक प्रदूषण आदि ऐसे तत्त्व है जो मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति पर विराम लगाने की बजाय उन्हे बढ़ावा देते है ओर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये आतंकवाद के बीज उगा देते है और फिर उन्हे बढ़ावा देने मे भी मददगार साबित होते है।

- बाथम मनोहर लाल (2003) ने आतंकवाद चुनौती और संघर्ष मे बताया कि मनोवैज्ञानिक कारण भी आतंकवाद बढ़ा रहा है उन्होने स्पष्ट किया कि आतंकवाद का अपना मनोविज्ञान है एक विशेष प्रकार की मनोवृति वाला व्यक्ति ही हिंसक होता है जो आतंकवादी बन सकता है और हिंसा को अपने लक्ष्यो की पूर्ति के लिए जायज करार दे सकता है।

- खडेला मानचन्द (2007) ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद मे बताया कि किसी क्षेत्र भाषा धर्म की अनदेखी भी आतंकवाद की ओर प्रेरित करने का कृत्य है।

- खडेला मानचन्द्र (2007) ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद बताया कि अपने धर्म को सर्वोपरि बताना ओर गलत तरीकों से उसका प्रसार–प्रचार करना भी आतंकवाद है।

- सांकृत्यायन राहुल (1997) ने इस्लाम धर्म की रूपरेखा में बताया कि आज पूरे संसार मे जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसमें सबसे बडा योगदान धर्म का है। इस्लाम कट्टरपंथी आतंकवाद भारत की सबसे बडी समस्या बनता जा रहा है वास्तव मे इसका जन्म पाकिस्तान व अफगानिस्तान में हुआ है जो आज तालिबान अफगानिस्तान के शासक तथा समूचे विश्व का सरदर्द बना हुआ है।

- कुली जान के (1999) ने अनहोली वार्स न्यूयॉर्क में बताया कि सैच कारण भी आतंक का रूप ले रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्व मे कई जगह जनता आन्दोलन या संघर्ष को सैन्य बलों द्वारा गलत ढंग से संभालने के कारण उसका प्रभाव क्षेत्र बढता गया, भावनाओं को समझे बिना इसे जितना कुचलने की कोशिश की गई उतनी ही ज्यादा वो भावनाएं भड़की और एक बडी समस्या बन गई जो आतंकवाद की ओर अग्रसर है।

- हैडर सन हैरी (2003) ने ग्लोबल टेरोरिज्म में बताया कि सैन्य बलो द्वारा आम आदमी कोसैन्य और अनैतिक कार्यवाहियां आतंकवाद की ओर ले जाने वाली समस्याऐं है जो आतंक को बढावा देती है।

- गुर टी आर (2003) ने "टेररिज्म दन डेमोक्रेसीव वेन इट अकरस वाई इट फेल्स"—न्यूयार्क में बताया कि अपमान की खाद हो, नफरत की मिट्टी और समर्थन रूपी पानी की बूंदे हो तो एक छोटे से उद्देश्य की जड़ पर आतंकवाद का छोटा सा पौध देखते ही देखते एक वट वृक्ष बन जाता है ऐसे मे जो ज्वालामुखी फूटता है उसे खुद अपने स्वरूप और अंदर की विनाशकारी शक्तियां का अंदाजा नही होता और वह इतनी तबाही मचाता है कि समय उसकी मर्यादाऐं ओर कायदे कानून कुछ भी उसको सीमित नही रख सकते है।

- सांकृत्यायन राहुल (1997) ने इस्लाम धर्म की रूपरेखा मे स्पष्ट किया कि प्रथमतया और विशेषतया नागरिकों की ओर निर्देशित तथा उन्हें राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विवश करने के लिए बदला लेने के लिए अथवा अपनी शिकायतें मनवाने के लिए लक्षित हिंसा ही आतंकवाद है।

- विलकिसंस पी. (2006) ने टेररिज्म वर्सेज डेमोक्रेसी मे बताया कि सैन्य तकनीक के रूप मे आतंकवाद एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का अस्त्र है।

- वाल्जर माइकल (2006) ने टेररिज्म वर्सेज डेमोक्रेसी मे बताया कि आतंकवाद एक भावना भी है और एक विचार धारा भी है भावना के रूप में वह लोगोंको संगठित करती है तथा विचारधारा के रूप में वह लोगो में आस्था पैदा करती है।

- Contermpetay Islamic, Terrortism, www.worldpress.org/mideast/2607.cffm (13 september) 2009 में बताया कि राजनीति या राजनीतिक लाभो को प्राप्त करने के लिए संप्रभू राष्ट्रीय आधारी संगठनो द्वारा हिंसा या हिंसा के प्रयोग को जान बूझकर करना धार्मिक आतंकवाद है।

- www.iaea.org/publication/documents/terrorist.(13 sep) में बताया कि आतंकवाद निर्दोष तथा मासूम लोगो पर राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति का असंवैधानिक प्रयोग है।

- गौड विरेन्द्र कुमार (2004) ने विश्व में आतंकवाद में स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति, स्थान, समूह या देश विदेश के लिए जो आतंकवादी या अलगाव वादी है, हिंसक या देशद्रोही है, वही दूसरे व्यक्तियों, समूह या देश के लिए देशभक्त या स्वंत्रता सेनानी की श्रेणी मे आ सकता है या रखा जा सकता है जिन्दा या मुर्दा जो आतंकवादी किसी विशेष दृष्टिकोण वाले समूह मे

घृणा का पात्र होता है या कानून का गुनाहगार होता है वही दूसरी के लिए देशभक्त का दर्जा रखता है और मरने पर शहीदों की सूची मे अपना नाम दर्ज कराता है यह विरोधाभास भी आंतकवाद को परिभाषित करना कठिन कर देता है।

- नारायण उषा (1966) ने ''ह्यूमन राइट्स इन एजुकेशन इन इण्डिया'' वॉल्यूम 2(अप्रैल 1966 पृ. 7273) मे बताया कि शिक्षा और संस्कृति की एशिया एकेडमी शिक्षा और संस्कृति विकास मानवाधिकारों व शिक्षा पर कार्य करने के लिए राज्य के विभिन्न जिलो में लोगो के मानवाधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करती है। इस संस्था ने तीस शोधपत्र प्रस्तुत किये जो मानवाधिकारों से संबंधित थे जो आतंकवाद की ओर बढ रहे थे जो मानवाधिकारों पर आधारित थे तथा लगभग सभी मानवाधिकारों की स्थिति को गम्भीर बताते हुए इस क्षेत्र मे अत्यधिक सुधार की आवश्यकता बताई।

- शुक्ल डॉ. कृष्णन् (2005) ने नक्सलवाद बनाम आंतरिक सुरक्षा (चुनौतियाँ एवं समाधान) मे लिखा है कि राष्ट्र–राज्य उद्भव काल से ही राष्ट्रो के मध्य शांति संघर्ष की समस्या रही। उपरोक्त पुस्तक में यह बताया कि भू–मण्डल के समस्त राष्ट्र इस समस्या से त्रस्त है यह भी विवेचित किया गया है कि भारत आंतरिक सुरक्षा की चुनौती से भी संघर्ष और शांति की धूप व छांव का खेल निरंतर जारी है।

- www.untreatyunorg/ing/terrorism/asp (16 sep) 2009 मे बताया कि क्षेत्रीय समस्या भी आतंकवाद की और बढ़ रही है इसमे बताया गया कि भौगोलिक तथा ऐतिहासिक बाध्यताओ ने इस क्षेत्र को मुख्य धारा से अलग रखा जिसके कारण एक गहरा भावनात्मक मनोवैज्ञानिक तथा क्षेत्रीय अविश्वास की भावना का विकास आतंकवाद की ओर अग्रसर है।

- कोम्बस, सीसी (2000) ने टेररिज्म इन द टुवन्टी फर्स्ट सेन्चुरी में बताया कि आज कल आतंकवाद का ज्यादातर रूप राजनैतिक है। राजनीति राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की भी होती है और विश्व मंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी राजनैतिक आतंकवाद के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि केवल एक भ्रम है कि यह स्थापित शासन सत्ता के विरोध में होता है पर ऐसा नहीं है किसी भी संगठन या व्यक्ति द्वारा हिंसा का प्रयोग या उसकी धमकी इसी श्रेणी में आती है चाहे वो शासन सत्ता राज्य के समर्थन में हो या विरोध मे यह एक राजनीतिक चेहरे का आतंकवाद है।

- पीलर पी आर (2001) ने टेरोरिज्म एड यू एस फाईन पॉलिसी में बताया कि धार्मिकता के नाम पर आतंकवाद इस्लामी आतंकवादी कृत्यों को सामान्यतः जिहाद का नाम दिया जाता है तथा चेतावनियां या धमकियां दी जाती है, या फतवे जारी किये जाते है, इसके शिकार तथा लक्ष्य मुस्लिम तथा गैर मुस्लिम दोनो ही होते हैं। इस्लामी आतंक के सूत्रधार अपनी विचारधारा को ईसाइयत तथा इस्लाम के ऐतिहासिक संघर्ष से जोडते है जिनके अनुसार इसाईयों ने तो इस्लाम के विरूद्ध सदियों से धर्मयुद्ध छेड रखा है उदाहरण के लिए ओसामा बिन लादेन अपने शत्रुओ को आक्रमणकर्ता मानता है तथा स्वरक्षा मे जिहाद को न्यायोचित ठहराता है।

- गौड विरेन्द्र कुमार (2004) ने विश्व मे आतंकवाद में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनय एवं युद्धो के नियमो से हटकर की गई हिंसा आतंकवाद है यह संघर्ष का नया साधन है।

- कोम्बस सीसी (2000) ने टेरोरिज्म इन द ट्वन्टी फर्स्ट सेन्चूरी में बताया कि आतंकवाद ऑक्सफॉर्ड डिक्सनरी के अनुसार राजनीतिक उद्देश्यों अथवा

सरकार पर दबाव डालकर (भय द्वारा) हिंसा द्वारा अपने कार्यों की सिद्धि है।

- सहगल, विनोद(2004)ने "अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद" में बताया कि राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा का सुविचारित प्रयोग विशेषकर भय को अत्यधिक मात्रा में फैलाने का कृत्य आतंकवाद है।

- विनायक, अचिन (2008)ने "ग्लोबल पॉवेर्टी एंड वायोलेंस" में बताया कि आतंकवाद एक राजनीतिक युक्ति है जिसमें हिंसा या हिंसा के भय का प्रयोग सामान्यतः नागरिकों के विरूद्ध किया जाता है जिसका उद्देश्य कुछ इस प्रकार की राजनीतिक मांगों की पूर्ति होना है।

- कोठारी, रजनी(1970)ने भारत के संदर्भ में राजनीतिक नीतियों पर सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक शक्तियों के प्रभाव की सीमाओं का स्पष्ट वर्णन किया है।

- सिंह, पवन कुमार(2001)ने "आतंकवाद का वर्णन करते हुए लिखा है कि जैसे कैंसर कोशिकाएं शरीर के भीतर बढ़ती है और एक दिन शरीर को गिरा देती है ठीक उसी तरह 'घुसपैठ' करके आतंकवादियों ने दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक प्रगति व सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पैदा कर दिया है।

- शुक्ल, कृष्णानंद(2009)ने "नक्सलवाद बनाम आंतरिक सुरक्षा" (चुनौतियाँ एवं समाधान) में भारत के आतंकवाद को बहुत पुराना बताया है किन्तु इस वैश्वीकरण के इस युग में इसका एक नया भयावह रूप जो कि राज्यों के समक्ष सुरक्षा का संकट खड़ा कर दियाहै। क्या एक राष्ट्र इसका सामना

कर सकता है अथवा नही इस प्रकार की नई समस्या नक्सलवाद है। जो वर्तमान में भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती है।

- यादव, धराराम(2014)ने अपने लेख "आतंकवाद के तीन चेहरे" में बताया कि भारत में आतंकवाद के तीन चेहरे देखे जा सकते हैं पहला–धर्म/जेहाद के नाम पर, दूसरा–प्रादेशिक संप्रभुता के नाम पर, और तीसरा–नकसलवाद है।

- गुप्ता, दीपिका(2009)ने अपने लेख "आतंकवाद का बदलता स्वरूप, भारत की सुरक्षा चिंताएं" में आतंकवाद के लिए पड़ौसी देशों तथा उनकी महत्त्वाकांक्षाओं को उत्तरदायी बताया है।

- 'राष्ट्रवाद', ब्रह्मदत्त अवस्थी, लोकहित प्रकाशन संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ, 1992.पुस्तक में लेखक ने राष्ट्रवाद का स्पष्ट विवेचन किया हैं। इसमें राष्ट्रवाद शब्द की भ्रमपूर्ण धारणाओं का निराकरण करने का प्रयास किया हैं। लेखक ने भारतीय जीवन शैली की तुलना पाश्चात्य जीवन शैली से करते हुए कहा है कि पाश्चात्य देशों में आर्थिक मापदण्ड के आधार पर ही व्यक्ति का विश्लेषण किया जाता हैं। लेकिन भारत में मानव का विश्लेषण मानवीयता के मापदण्ड के आधार पर किया जाता हैं।

- राजनीति के विविध आयाम : अरूण चतुर्वेदी, सोहन लाल मीणा, रूपा ऑफसेट प्रिन्टर्स, जयपुर, 1996.पुस्तक में राष्ट्रीय आन्दोलन का उद्‌भव एवं विकास की पद्धतियों को केन्द्र में रखकर उसका विवेचन किया गया हैं। भारत के एक बहुत बड़े समाज में कुछ समय पहले की घटनाओं पर नजर डालने का प्रयास किया गया हैं।

- भारत में उपनिवेशवाद, स्वतन्त्रता संग्राम और राष्ट्रवाद : शिवानी किंकर चौबे, श्याम बिहारी राय ग्रन्थ शिल्पी प्रा.लि., दिल्ली, 2000पुस्तक में भारत के औपनिवेशिक और मुक्ति संघर्ष के अनुभवों को एक राजनीति विज्ञानी की नजरों से जांचा–परखा गया हैं। इस संघर्ष के दौरान ही भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म और विकास हुआ। पुस्तक में इस दौर के समग्र राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूपान्तरण को समझने की कोशिश की गई हैं जिसके चलते इस देश का विभाजन और इसकी सत्ता का हस्तांतरण हुआ और इस प्रकार यहाँ की जनता के भाग्य का निर्णय भी हो गया।

- भारत में सामाजिक समस्याएं, प्रकाश नारायण नाटाणी, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2000 पुस्तक में सामाजिक समस्याओं की अवधारणा, अपराध एवं बाल अपराध, जनसंख्या की समस्या, उसके नियंत्रण के कार्यक्रम, गरीबी, अशिक्षा बेरोजगारी, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य कमजोर वर्गों के लोगों की समस्याओं की जानकारी दी गई हैं।इस पुस्तक में राष्ट्रीय एकीकरण, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद तथा भ्रष्टाचार आदि समस्याओं का विवेचन किया हैं।

- भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि : ए.आर. देसाई,राजीव बिहारी फोर मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 2001.इस पुस्तक में लेखक ने राष्ट्रवाद के सामाजिक सन्दर्भ का निर्माण करने वाले तत्वों की भूमिका को समझने और उनका मूल्यांकन करने तथा राष्ट्रवाद के उत्थान की प्रक्रिया को अभिचित्रित करने का प्रयास किया हैं।

- भारतीय राजनैतिक चिन्तन : डॉ. उर्मिला शर्मा, डॉ. एस.के. शर्मा, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2001 पुस्तक में लेखक ने भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु से डॉ. भीमराव अम्बेडकर तक के भारतीय राष्ट्रवादी राजनीतिक चिन्तन का विश्लेषण किया हैं। भारतीय राजनैतिक चिन्तन में आशीर्वाद और यथार्थवाद, आध्यात्मिकता एवं उपयोगितावाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सर्वोदय का समन्वय देखा जा सकता हैं।

- भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का उद्भव एवं विकास : एम.एल. धवन, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2003 पुस्तक में राष्ट्रीय आन्दोलन का उद्भव एवं विकास की पद्धतियों को केन्द्र में रखकर उसका विवेचन किया गया हैं। भारत के एक बहुत बड़े समाज में कुछ समय पहले की घटनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया हैं।

- भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास : विपिन चन्द्र, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2004.इस पुस्तक में लेखक ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की आर्थिक नीतियों की समीक्षा की हैं। इसके साथ ही इस पुस्तक में उन विचारकों के विचारों जो आर्थिक प्रश्नों के बारे में उभरते राष्ट्रवादी जनमत के साथ रहें हैं, के विचारों का भी विश्लेषण किया गया हैं।

- राजनीतिक विचारधाराएं उद्भव और विकास : विश्वप्रकाश गुप्त, मोहिनी गुप्त, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2005 पुस्तक में लेखक ने मानवता के नवनिर्माण में कार्यरत विविध राजनीतिक विचारधाराओं के उद्भव और विकास स्थापनाओं और विसंगतियों, उनके पुरोधाओं की देन तथा शक्ति–सीमाओं का विवेचन किया गया हैं।

- भारत की विदेश नीति और आतंकवाद, जे.एन. दीक्षित, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2006.यह पुस्तक भारत के विदेशी मामलों और उनमें हुई प्रगति पर लिखे लेखों का एक संकलन हैं और यह 1994 से 2001 तक के समय पर आधारित हैं। इन लेखों की प्रासंगिकता इतनी हैं कि यह पुस्तक पिछले 7 वर्षों की घटनाओं और उनका क्षेत्रीय राजनीति पर प्रभाव और उनको भारत के हितों पर प्रभावों का विश्लेषण करती हैं।

- भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद : डॉ. सत्याएम.राय, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली, 2011.इस पुस्तक में साम्राज्यवाद के सिद्धान्त में नव साम्राज्यवाद से सम्बन्धित नई सामग्री शामिल की गयी हैं और औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत 'आदिवासी' विद्रोह, रियासतों में जनतांत्रिक आन्दोलन (शम्सुल इस्लाम) राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाएँ : भूमिका के सवाल आदि का अध्ययन किया गया हैं।

- ''टेरोरिज्म एण्ड होमलेण्ड सिक्योरिटिः एन इन्ट्रोडक्सनः'' अमेरिकी राष्ट्रीय आतंकी विशेषज्ञ– जोनाथन आर व्हाइट के अनुसार आतंकी कैसे बनते है और कैसे कार्य करते है। आतंकवाद की पृष्ठभूमि, इसके चमत्कारी उदय एवं समकालिक झगडों को समाहित करते हुये विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। वर्तमान विश्व परिदृश्य के लिये जिम्मेदार मूल कारकों के बारे में बताया है। पुस्तक में राज्य सुरक्षा के लिये गठित संगठन हेतु एकीकृत सूचना (सिंद्धात) प्रतिपादित किये है।

- ''इनसर्जेसी एण्ड टेरोरिज्मः फ्रॉम रेवोलयुसन टू एपोकाल्यप्से'' लेखक बार्ड ओ निल ने पुस्तक में आतंकवाद एवं शासन के विरुद्ध घटनाक्रम का विश्लेषण एवं आतंकवाद से उसकी तुलना की है। 1990 में प्रकाशित प्रथम संस्करण की तुलना में इस पुस्तक में लेखक ने अत्यधिक सावधानी से

नवीनतम संशोधन किये है। अफगानिस्तान, इराक फिलिपीन्स, कोलम्बिया और अन्य स्थानों पर आतंकवाद के नये तरीके एवं हथियारों के प्रयोग तथा आतंकवादी धमकियों के बारे में बताया है।[3]

- ''टेरर ऑन द इन्टरनेटः दा न्यू ऐरिना दा न्यू चैलेन्जेसं'' मार्च 2006 लेखक गेरबिल विमन के अनुसार आतंकवादी संगठनों के सहयोंगियों द्वारा सैकड़ों वेबसाईट संचालित की जा रही है। इन अवैध, अंजान, गैर–कानूनी वेबसाइटों द्वारा मैसेज भेजकर यह आतंकवादी संगठन अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं गत वर्षो में इन संगठनों द्वारा किस तरह वेबसाइट का दुरूपयोग कर कोष इकट्ठा करना, इत्यादि के बारे में विस्तृत बताया है।[4]

- ''अन्डरस्टेण्डिंग टेरर नेटवर्क'' 2007 लेखक मार्क सेगेमन ने अपने आनुभविक दृष्टिकोण से सामाजिक मनौवैज्ञानिक कारणों के द्वारा बताया है कि कैसे एक व्यक्ति अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन का सदस्य बन जाता है। आतंकवादी संगठन के निर्माण, विकास, संचार को सामाजिक मनौवैज्ञानिक पहलुओं से समझाया है।[5]

- ''इनसाइड टेरोरिज्म ब्रुस'' 2008 हॉफमेन द्वारा रचित पुस्तक में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित मुख्य ऐतिहासिक परिवर्तनों को स्पष्ट उजागर किया है। उन्होंने राजनीतिकएवं धार्मिक आतंकवाद के लिये अभिप्रेरित करने वाले कारकों को स्पष्टतः परिभाषित किया है। तथा बताया है कि कैसे धार्मिक आंतकवाद का उदय होता है। हथियारों की उपलब्धता को विध्वंस से जोडकर भविष्य में अत्यधिक विंध्वस होने की भविष्यवाणी भी की गई है।[5]

- आतंकवाद पर वी. डी. चौपडा ने अपनी कृति ग्लोबल चैलेन्ज ऑफ टैरेरिज्म में आतंकवाद की रणनीति, भू–राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और विचारधारागत कारकों का निदान इसी क्रम में करने की अनुशंसा है।

- भारत में आतंकवाद के प्रारंभिक प्रकट रूप पंजाब में आतंकवाद पर बारिकी से सत्यपाल डॉग ने प्रकाश डाला है। साथ ही आतंकवाद से निपटने के तौर तरीकों की कमजोरियों पर भी उन्होंने लिखा है।डॉ. सुनील सौधी ने अपनी कृति ''ग्लोबल टेरोरिज्म में 9/11 के बाद विश्व में भय और एकता की ओर संकेत करते है। भय आतंक का और एकता उससे लड़ने की शक्ति है। अब इसका प्रतिकार आमूलरूप से करना होगा ऐसा लेखक का मत है।

- नोम चोमस्की ने अपनी पुस्तक ''कल्चर ऑफ टेरेरिज्म'' में आतंकवाद के पूँजीवादी चेहरे को सामने लाने का प्रयास किया है। इसकी उत्पत्ति को औपनिवेशक इतिहास से जोडते हुए समग्र न्याय संगत, विधि संगत अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रयासों में इसका निदान ढूंढते हैं।

उपरोक्त कथनों, समस्याओं एवं चुनौतियों को देखते हुए इनके समाधान के वास्तविक कारणों एवं समाधान के लिए इन व्याप्त समस्याओं पर शोध की जरूरत है इसलिए प्रस्तुत शोध के लिए इस विषय को चुना है जो कि इस समय के लिए अति संवेदनशील एवं ज्वलंत मुद्दा हैं। इसलिए इस विषय पर शोध होना प्रासंगिक है।

2.3 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन में शोध समस्या के समाधार हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया हैः–

1. आतंकवाद के प्रमुख कारणों एवं उसके बढ़ने के पीछे विभिन्न भौगोलिक परिवेश की भूमिका का अध्ययन करना।

2. राज्य के आर्थिक पिछड़ापन का आतंकवाद, साम्प्रदायिकतावाद, अलगाववाद पर पड़ने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन करना।
3. साम्प्रदायिकता के विभिन्न कारणों का अध्ययन करना जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है।
4. अलगाववाद के विभिन्न कारकों का अध्ययन करना जो आतंकवाद से प्रभावित होती है।
5. विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन करना जिनके कारण साम्प्रदायिकतावाद, अलगाववाद एवं आतंकवाद उत्पन्न होते है।
6. आतंकवाद, साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस योजना तैयार करना।

2.4 शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध ग्रन्थ **"भारत में व्याप्त आतंकवाद का राजनैतिक संदर्भ में अध्ययन"** का अधुनातन रूप से विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। इस शोध ग्रन्थ में द्वितीयक स्रोत एवं सहायक स्रोत, दोनों का उपयोग करते हुए भारत में व्याप्त आतंकवाद को समझाने के लिए तलस्पर्शी अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। भिन्न–भिन्न स्रोतों से प्राप्त शोध सामग्री का विश्लेषणात्मक पद्धति के द्वारा विवेचन किया गया है तथा अंत में शोध निष्कर्ष निकाले गये हैं। इस शोध ग्रंथ में शोधार्थी का यह प्रयास रहा है कि जहाँ तक संभव हो सका, अध्ययन स्रोतों का दोहन किया किया गया है और तत्पश्चात् तलस्पर्शी विश्लेषण प्रस्तुत गया है। प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक तीनों पद्धतियों का समन्वयात्मक तरीके से प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध समस्या के समाधान हेतु शोध अध्ययन की प्रविधियां निम्नानुसार होगीः–

1. प्रविधिः मिश्रित शोध (परिमाणात्मक व गुणात्मक शोध पद्धति)
2. नमूना चयन प्रविधिः यादृच्छिक चयन (सुद्देश्य नमूना)
3. आंकड़ेः

प्राथमिक आंकड़े –

(अ) अनुसूची

(ब) मापनी

(स) साक्षात्कार

(द) व्यक्तिगत क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि द्वारा किया जाएगा।

द्वितीय आंकड़े–

(अ) समाचार पत्र पत्रिकाएँ

(ब) सरकारी सर्वे रिपोर्ट (भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों की)

(स) शोध पत्र पत्रिकाएँ

(द) दैनिक समाचार पत्र

4. साधनः

(अ) सर्वेक्षण पद्धति

(ब) प्रश्नावली पद्धति

(स) साक्षात्कार विश्लेषण : प्रचलित विश्लेषण।

2.5शोध क्षेत्र और सीमांकनः–

समय और स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर भारत में व्याप्त आतंकवाद को जानने के लिए प्रस्तुत शोध अध्ययन में–

- भारत के हरियाणा और राजस्थान राज्यों को विशेष रूप से अध्ययन हेतु लिया गया है।
- आतंकवाद के अलग–अलग प्रकारों में से साम्प्रदायिकता तथा अलगाववाद का अध्ययन किया जायेगा।
- आतंकवाद पीड़ित क्षेत्रों का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया जायेगा।
- पीड़ित पक्षों के लिए गठित कमेटियों, सम्बंधित विभागों, शिक्षाविद् एवं सामाजिक संगठनों कोअध्ययन में विशेष रूप से लिया जायेगा।

2.6 न्यायदर्शन विधिः–

भारत में व्याप्त आतंकवाद से संबद्ध पक्षों का अध्ययन उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श/प्रादर्श विधि से किया जायेगा।

अध्याय तृतीय

राजस्थान एवं हरियाणा में व्याप्त आतंकवाद का राजनैतिक संदर्भ

अध्याय–तृतीय

राजस्थान एवं हरियाणा में व्याप्त आतंकवाद का राजनैतिक संदर्भ

3.1 राजस्थान की भौगोलिक स्थिति

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पर गौर करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल करीब 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं और यह सीमा करीब 1070 किलोमीटर है। राज्य का उत्तर–पश्चिमी इलाका रेतीला है तो मध्य पर्वतीय एवं दक्षिण–पूरब का हिस्सा मैदानी है।

वाल्मीकि कृत रामायण में हमारे प्रदेश के लिए **'मरुकान्तर'** शब्द का प्रयोग हुआ है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत बसन्तगढ़ (सिरोही) का शिलालेख है, जिसमें **'राजस्थानीयादित्य'** शब्द उत्कीर्ण है। "मुहणोत नैणसी री ख्यात" एवं राजरूपक नामक ग्रन्थों में भी **'राजस्थान'** शब्द का उल्लेख हुआ है। राजस्थान के सैन्य भू–भाग (जिसके अन्तर्गत मारवाड़ तथा थार रेगिस्तान का भू–क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आदि जिले सम्मिलित थे) के लिए मरु या मरुदेश का उल्लेख हमें ऋग्वेद, महाभारत, वृहत्संहिता आदि प्राचीन ग्रन्थों तथा रूद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख तथा पाल अभिलेखों में मिलता है। (स्रोत–राजस्थान थ्रू द एजेज : दशरथ शर्मा) सत्रहवीं शताब्दी के लगभग लिखित शक्तिसंगमंत्र में मरुदेश का बहुत रोचक वर्णन हुआ है।

गुरुरात्पर्व भागे त द्वारकातो हि दक्षिणे ।

मरुदेशों सहेशानि उष्ट्रोप्पत्ति परायणः ।।

महाभारत में प्रयुक्त कुरु–जांगल एवं मरु–जांगल के उल्लेख से प्रतीत होता है कि जांगल के अन्तर्गत केवल राजस्थान का उत्तरार्द्ध भाग ही नहीं बल्कि पंजाब का दक्षिण–पूर्वी भाग भी सम्मिलित था। जांगल क्षेत्र (हर्ष, नागौर व सांभर) के अधीश्वर होने के कारण शाकम्भरी और अजमेर के चौहान नरेशों को प्रायः जांगलेश भी कहा जाता था। इसी जांगल क्षेत्र के अधिपति होने के कारण ही आगे चलकर बीकानेर के **राजा जंगलधर पातिसाह** कहलाये। राजस्थान का पूर्वी भाग (वर्तमान जयपुर, दौसा, अलवर तथा भरतपुर का कुछ भाग) मत्स्य प्रदेश कहलाता था। महाभारत में मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर (आधुनिक बैराठ) तथा मत्स्य राज्य पाण्डवों का प्रबल पक्षधर के रूप में उल्लेख है। मत्स्यवासियों से ही अभिन्नतः सम्बद्ध साल्ववासी थे। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता कर्निंघम का मत है कि साल्व जनपद की राजधानी साल्वपुर ही वर्तमान अलवर है। शूरसेन जनपद के अन्तर्गत मथुरा सहित अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली का सीमावर्ती क्षेत्र सम्मिलित था। शिवि जनपद चित्तौड़ का समीपवर्ती क्षेत्र था। चित्तौड़ से लगभग 7 मील उत्तर पूर्व में स्थित नगरी नामक प्राचीन गांव में से उपलब्ध मुद्राओं पर उत्कीर्ण मज्झिममिकया शिवि जनपद से इसकी पुष्टि होती है। टोंक के पास रैढ़ की खुदाई में मिले सिक्कों पर उत्कीर्ण मालव जनपद से यह असंदिग्ध रूप से सिद्ध है कि मालवजनपद भी राजस्थान के इसी क्षेत्र के अन्तर्गत था। गुर्जर अथवा गुर्जस्त्र नाम से अभिहित क्षेत्र में राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी भू–भाग (सिवाणा, जालौर आदि) आता था। जिसकी प्राचीन राजधानी **भीनमाल** थी। जैसा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री युवानच्वांग (ह्वेनसांग) के यात्रा विवरण से संकेत मिलता है। आठवीं शताब्दी (778 ई.) में उद्योतन सूरि लिखित कुवलयमाला से भी गुर्जरदेस तथा

भिल्लमाल (भीनमाल) का उल्लेख हुआ है। मेदपाट मेवाड़ का ही पुराना नाम है। मेवाड़ के गुहिल राजवंश की स्थापना से पहले यहां कदाचित मेदों या मेरों का शासन था। इसलिए इसका प्राचीन नाम मेदपाट था। मेदपाट को ही प्राग्वाट भी कहा जाता था। माँड नाम जैसलमेर में निकटवर्ती के लिए आज भी प्रचलित है, जिससे सम्बद्ध मॉड राग राजस्थान के अतिशय लोकप्रिय है। अन्य क्षेत्रीय नामों से वल्लमण्डल, अनन्तगोचर आदि भी उपलब्ध होते हैं। नाडौल (वर्तमान पाली जिले में) के चौहानों का राज्य सप्तशत के नाम से जाना जाता था। मारोठ (नागौर–मारवाड़) भू–भाग पर किसी समय गौड़ों का राज्य रहा था जिसके फलस्वरूप यह प्रदेश गौड़ाटी कहलाया। खींची चौहानों द्वारा अधिकृत होने के कारण गागरोण व उसका समीपवर्ती क्षेत्र खींचीवाड़ा, झालाओं द्वारा शासित झालावाड़, राव शेखा के वंशजों द्वारा अधिकृत प्रदेश शेखावाटी, तंवर क्षत्रियों के अधीन नीम का थाना तथा कोटपूतली का निकटवर्ती प्रदेश तोरावाटी (तंवरावाटी) कहलाया। मेव बाहुल्य अलवर प्रदेश मेवात, मेवों की अधिकता के कारण अजमेर का निकटवर्ती इलाका मेरवाड़ा कहलाया। आदिवासी भीलों के बाहुल्य के कारण ही भीलवाड़ा ने अपना यह नाम पाया।

राजपूत काल एवं मध्यकाल में यहां पर राजपूत राजाओं ने शासन किया, अतः यह क्षेत्र राजपूताना कहलाया। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। अंग्रेजी शासनकाल में राजपूताना के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक एनॉल्स एण्ड एण्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान (सेन्ट्रल एण्ड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इण्डिया) में इस प्रदेश के लिए तीन शब्दों, रजवाड़ा, रायथान एवं राजस्थान का प्रयोग किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् एकीकरण के प्रक्रिया में 25 मार्च, 1948 को गठित पूर्व राजस्थान संघ में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। 28 जनवरी 1950 को इस प्रदेश

का नाम विधिवत् रूप से राजस्थान रखा गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने (लावा, नीमराणा, कुशलगढ़) एवं अजमेर–मेरवाड़ा केन्द्र शासित प्रदेश थे। इन सबके एकीकरण के पश्चात् 1 नवम्बर, 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया। एकीकरण के चौथे चरण में 30 मार्च, 1949 को राज्य की चार वृहद् रियासतों–जोधपुर, जयपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर के विलय से एकीकरण का अधिकांश कार्य पूर्ण हुआ। इस इकाई का नाम वृहद् राजस्थान रखा गया। एकीकरण का अधिकांश कार्य 30 मार्च 1949 को पूरा होने पर इसे राजस्थान के गठन की तिथि माना गया। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है।

राजस्थान राज्य की आकृति विषमकोण चतुर्भुज या पतंगाकार है। राज्य का विस्तार 23º30´उत्तर से 30º12´उत्तरी अक्षांश एवं 69º30´से 78º17´पूर्वी अक्षांश के मध्य है। राजस्थान में देशान्तरीय विस्तार के कारण पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा में स्थानीय समय का लगभग 36 मिनट (4×9ºदेशान्तर $= 36$ मिनट) का अन्तर रहता है। धौलपुर में सूर्योदय के 36 मिनट बाद जैसलमेर में सूर्योदय होता है। कर्क रेखा (23.5ºउत्तरी अक्षांश) राज्य के दो दक्षिणतम जिलों बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर से गुजरती है। बांसवाड़ा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लम्बाई बांसवाड़ा जिले में है। राज्य की स्थलीय सीमा का कुल घेरा 5920 किमी है, इसमें पाकिस्तान के साथ लगी 1070 किमी लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा (Redcliff Line)भी शामिल है। पाकिस्तान की सीमा से राज्य के चार जिले (उत्तर से दक्षिण) गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर लगते हैं, लम्बाई की दृष्टि से इन जिलों का अवरोही क्रम (घटते क्रम में) जैसलमेर (464 किमी) बाड़मेर (229 किमी), गंगानगर (210 किमी) एवं बीकानेर (168 किमी) है। **यह सीमा रेखा श्रीगंगानगर जिले के हिन्दुमलकोट नामक गांव से प्रारम्भ होकर बाड़मेर जिले के शाहगढ़ गांव तक है।** पाकिस्तान

की ओर इस सीमा पर सिंध प्राप्त के तीन जिले–**बहावलपुर, खैरपुर** एवं **मीरपुर खास** स्थित है। पाक सीमा सबसे नजदीक जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर है। राज्य की सीमा देश के पांच राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से लगती है। इसमें सबसे लम्बी सीमा मध्यप्रदेश से 1600 किमी एवं सबसे कम पंजाब से 89 किमी लगती है। पंजाब की सीमा (89 किमी) पर राज्य के दो जिले श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ स्थित हैं जबकि पंजाब के फिरोजपुर एवं मुक्तसर जिले राज्य से लगते हैं।

हरियाणा के साथ राज्य के सात जिलों (उत्तर से दक्षिण क्रमशः) हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूँ, सीकर, जयपुर, अलवर एवं भरतपुर की सीमा लगती है। इस सीमा का सबसे नजदीक जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ है। हरियाणा के भी 8 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात (नुह) एवं गुड़गांव की सीमा राज्य से लगती है। उत्तरप्रदेश के साथ राज्य के दो जिलों भरतपुर एवं धौलपुर की सीमा लगती है। उत्तरप्रदेश के भी दो जिले आगरा एवं मथुरा राज्य से लगे हुए हैं। मध्यप्रदेश के साथ राज्य के 10 जिलों धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा की सीमा लगती है। मध्यप्रदेश के भी 10 जिलों – मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम एवं झाबुआ की सीमा राज्य से लगी हुई है। चम्बल एवं पार्वती नदियां राज्य की मध्यप्रदेश के साथ सीमा बनाती है। चम्बल एवं पार्वती नदियां राज्य की मध्यप्रदेश के साथ सीमा बनाती हैं। गुजरात के साथ राज्य के छह जिले बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा लगे हुए हैं। गुजरात की ओर से कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहल एवं दाहोद कुल पांच जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के बाद क्रमशः मध्यप्रदेश (308000) महाराष्ट्र

(307713), आन्ध्रप्रदेश (275069) एवं उत्तर प्रदेश (240928) भारत के बड़े राज्य हैं। देश के कुल भू–भाग का 10.41 प्रतिशत राजस्थान के अन्तर्गत आता है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े पांच जिले (क्रमशः) जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर एवं नागौर हैं।

तालिका संख्या 3.1:

राज्य में जिलों का निर्माण

26वाँ जिला	अजमेर	1 नवम्बर 1956
27वाँ जिला	धौलपुर	15 अप्रेल 1982
28, 29 एवं 30वां जिला	डी.आर.डी.	10 अप्रेल, 1991
31वाँ जिला	हनुमानगढ़	12 जुलाई 1994
32वाँ जिला	करौली	19 जुलाई 1997
33वाँ जिला	प्रतापगढ़	26 जनवरी 2008

राज्य की लम्बाई (पश्चिम से पूर्व) 869 किमी एवं चौड़ाई (उत्तर से दक्षिण) 826 किमी है। राज्य का उत्तरतम गांव गंगानगर जिले का कोणा, पश्चिमतम गांव जैसलमेर का कटरा, दक्षिणतम गांव बांसवाड़ा का बोरकुण्डा एवं पूर्वतम गांव धौलपुर जिले का सिलान है। राज्य में कुल आठ जिले ऐसे हें जो किसी देश अथवा राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। (आंतरिक जिले)। ये हैं—पाली, राजसमन्द, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बूंदी एवं टोंक। राज्य के पाली जिले की सीमा सर्वाधिक आठ जिलों जालौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमन्द, अजमेर, नागौर, जोधपुर एवं बाड़मेर से लगती है। इस राज्य में अरावली पर्वत की श्रृंखलाऐं हैं। इस राज्य का 60 प्रतिशत भाग रेगिस्तानी है।

सारणी–3.2

राज्य में वर्ष 2001 से 2012 तक (31 मार्च, 2012 तक) घटित सांप्रदायिक दंगा/घटना/तनावों के आंकड़ों की तालिका

सांप्रदायिक दंगा/ घटना/तनावों का वर्ष	दंगा	घटना	तनाव	योग
2001	—	05	54	59
2002	—	22	62	84
2003	1	01	37	39
2004	—	02	15	17
2005	—	05	19	21
2006	—	02	15	17
2007	—	03	19	22
2008	—	02	21	23
2009	—	09	20	29
2010	—	05	12	17
2011	—	01	15	16
2012 (31.1.2012तक)	—	—	02	02
योग	**01**	**54**	**291**	**346**

3.2 राजस्थान में साम्प्रदायिक घटनाएं

- **कस्बा नसीराबाद जिला अजमेर (4.5.2001)**–मोहर्रम के अवसर पर मुस्लिम युवकों द्वारा मंदिर पर पत्थर फेंकने, दुकानों की ट्यूब–लाईटें तोड़ने व मूर्तियों को स्केच करने के विरोध जिला अजमेर में हिन्दुओं द्वारा पत्थरबाजी व नारेबाजी करने एवं ताजियों में आग लगाने के कारण घटित हुई। इस घटना में 3 मुकदमे दर्ज किये गये। अभियोग में 15 हिन्दू व 3 मुस्लिम व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं 151 जा0फौ0 में 7 हिन्दू व 2 मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया। घटना में 4 हिन्दू एवं 12 पुलिस कर्मी। घायल हुए। इस दौरान 15 राउण्ड फायर किये गये तथा दिनांक 5–4–2001 को कर्फ्यु लगाया जो 19–4–2001 तक रहा।
- **कस्बा ब्यावर जिला अजमेर (16.4.2001)**– रावला बाडिया में अवैध मस्जिद को हटाने गये प्रशासन व पुलिस जिला अजमेर पर किये गये हमले के विरोध में विश्व हिन्दू परिषद के आह्वान पर ब्यावर में आयोजित रैली पर मुस्लिम समुदाय द्वारा पथराव, बोतले व सरिये फेंकने के कारण घटित हुई। इस घटना में 18 मुकदमे दर्ज किये गये। अभियोगों में 17 हिन्दू व 14 मुस्लिम व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं धारा 151 सीआरपीसी में 26 हिन्दू व 22 मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा 36 रबड़ बुलेट का प्रयोग किया गया एवं 24 लोंग रेंज सैल एवं 4 शोर्ट रेंज सेल काम में लिये गये। घटना में 5 हिन्दू व 1 मुस्लिम व 16 पुलिस कर्मी घायल हुये। घटना के दौरान 16.4.2001 से 6.5.2001 तक कर्फ्यू लगाया गया।

- **बांसवाड़ा शहर (20.5.2001)**– हिन्दू ट्रक ड्राईवर द्वारा ट्रक की टक्कर से 3 मस्लिम व्यक्तियों की मृत्यु होने के विरोधस्वरूप स्थानीय उत्तेजित मुस्लिम युवाओं द्वारा हिन्दू समुदाय की बस्तियों पर पथराव करते हुए नारेबाजी करने के कारण घटना घटित हुई। इस घटना में काई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ तथा 11 मुकदमे दर्ज किये गये। अभियोगों में 6 हिन्दू व 3 मुस्लिम व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं 151 जा0फौ0 में 2 हिन्दू व 3 मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना में20–5–2001 से 24–5–2001 तक कर्फ्यू लगाया गया। पुलिस द्वारा कोई भी फायरिंग नहीं की गई एवं सेना की भी कोई सहायता नहीं ली गई।
- **कस्बा आसिन्द जिला भीलवाड़ा (27.7.2001)**–बाड़िया बाबा की दरगाह में उर्स के दौरान जाने वाले जायरिनों को हिन्दुओं द्वारा रोकने, टैन्ट को जलाने एवं कथित मस्जिद की भीलवाड़ा दीवार तोड़ने के कारण घटना घटित हुई। इस घटना में न किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई और नहीं कोई घायल हुआ। उक्त घटना में 8 मुकदमे दर्ज किये गये। अभियोगों में 10 हिन्दू व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा कोई भी फायरिंग नहीं की गई एवं सेना की भी कोई सहायता नहीं ली गई। सेना की भी कोई सहायता नहीं ली गई। दिनांक 6–8–2001 से 30–8–2001 तक धारा 144 सीआरपीसी लागू रही एवं कर्फ्यू नहीं लगा।
- **ग्राम बालाखेड़ा थाना अन्ता जिला बारां (8.10.2001)**–बजरंग दल द्वारा आयोजित जलाभिषेक कार्यक्रम के दौरान जुलूसार्थियों द्वारा मस्जिद के सामने बैण्ड बजाने के कारण घटना घटित हुई।

- **कस्बा रोलसाहबसर जिला सीकर (1.1.02)**–रामदरबार में स्थित मंदिर की मूर्तियों को मुस्लिम समुदाय द्वारा तोड़कर सड़क पर फेंकने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **ग्राम झिगना थाना टपूकड़ा जिला अलवर (6.1.2002)**–मुस्लिम युवक अरशद द्वारा हिन्दू लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई। इस घटना में एक हिन्दू व्यक्ति घायल हुआ।
- **हसनपुरा जिला जयपुर शहर (16.1.2002)**– नगर निगम सफाई कर्मचारियों द्वारा नाले की सफाई करते समय मुस्लिम युवकों द्वारा मारपीट करने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **रामगंज जिला जयपुर शहर (28.1.2002)**–मुस्लिम समुदाय के शादी समारोह में सुअर आ जाने एवं एक–दूसरे समुदाय द्वारा पथराव करने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई। इस घटना में 10 मुस्लिम व्यक्ति घायल हुये।
- **कस्बा खुनखुना जिला नागौर (1.2.2002)**–मुस्लिम ड्राईवर की जीप में सवार होकर पीहर जाते हुए हिन्दू महिला की मृत्यु हो जाने के विरोध में कस्बे में पथराव व आगजनी एवं लूट के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **कस्बा किशनगढ़ जिला अजमेर (1.3.2002)**–27.2.2002 को गोधरा काण्ड (गुजरात) के विरोध में विश्व हिन्दू परिषद द्वारा 1.3.2002 को राजस्थान बंद के दौरान बंद समर्थकों द्वारा कस्बे में तोड़फोड़ व आगजनी के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई। इस घटना में एक हिन्दू व्यक्ति घायल हुआ।

- **उदयपुर शहर (1.3.2002)**–27 फरवरी, 2002 को गोधरा काण्ड (गुजरात) के विरोध में विश्व हिन्दू परिषद द्वारा 1–3–2002 को राजस्थान बंद के दौरान बंद समर्थकों द्वारा कस्बे में तोड़फोड व आगजनी के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **डूंगरपुर शहर (1.3.2002)** –27 फरवरी, 2002 को गोधरा काण्ड (गुजरात) के विरोध में विश्व हिन्दू–परिषद् द्वारा 1–3–2002 को राजस्थान बंद के दौरान बंद समर्थकों द्वारा कस्बे में तोड़फोड व आगजनी के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **कस्बा आसपुर जिला डूंगरपुर (1.3.2002)**– 27 फरवरी, 2002 को गोधरा काण्ड (गुजरात) के विरोध में विश्व हिन्दू–परिषद द्वारा 1–3–2002 को राजस्थान बन्द के दौरान बंद समर्थकों द्वारा कस्बे में तोड़फोड़ व आगजनी के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **कस्बा सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर (1.3.2002)**–27 फरवरी, 2002 को गोधरा काण्ड (गुजरात) के विरोध में विश्व हिन्दू–परिषद् द्वारा 1–3–2002 को राजस्थान बंद के दौरान बंद समर्थकों द्वारा कस्बे में तोड़फोड़ व आगजनी के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **कस्बा स्वरूपगंज जिला सिरोही (3.3.2002)** – मुस्लिम समुदाय द्वारा हिन्दुओं के साथ मारपीट के विरोध में दोनों स्वरूपगंज समुदायों के व्यक्ति आमने सामने होकर लूटमार एवं आगजनी करने जिला सिरोही के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **कस्बा आबूरोड़ (21.3.2002)** – हिन्दू युवक मुकेश द्वारा मुस्लिम युवक कल्लू से पैसे मांगने व उसे चाकू से वार कर घायल करने के विरोध में

असामाजिक तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारेबाजी करने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।

- **ग्राम लाम्बिया जिला पाली** (25.3.2002)–शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा बालाजी मंदिर के सामने भजन कीर्तन कर मोहर्रम के जुलूस का रास्ता अवरूद्ध करने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **कस्बा गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर** (25.3.2002)–हिन्दू संगठनों द्वारा बालाजी के मंदिर के सामने पूर्ण आहूति यज्ञ शुरू कर मोहर्रम के अवसर पर ताजियों का रास्ता अवरूद्ध करने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **चित्तौड़गढ़ शहर** (31.3.2002) – शरारती तत्वों द्वारा हनुमान मंदिर की मूर्तियों को खण्डित करने के विरोध में भीड़ द्वारा कस्बे में तोड़फोड़ व पत्थरबाजी, आगजनी के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **अलवर शहर** (5/6.8.2002)– मुस्लिम युवकों द्वारा ट्रेक्टर से कावड़ियों को हिन्दू युवकों द्वारा मोटर साईकिल से मिठाई लेजाते हुए को टक्कर मारने के विरोध में आस–पास के क्षेत्र के निवासियों द्वारा कस्बे में रास्ता जाम एवं आगजनी करने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **गांव कैरू थाना सूरसागर जिला माधोपुर** (13.8.2002)– मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दू युवक निर्मल सिंह का अपहरण करने के विरोध में भीड़ द्वारा कस्बे में पत्थरबाजी व रास्ता जाम एवं आगजनी करने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **कस्बा कलिंजरा जिला बांसवाड़ा** (8.9.2002)– मुस्लिम लड़कों द्वारा हिन्दू औरत के साथ छेड़छाड़ करने के विरोध में भीड़ द्वारा कस्बे में

जगह–जगह तोड़फोड़, पथराव व आगजनी करने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।

- **ग्राम बस्सी थाना विजयपुर जिला चितौड़गढ (21.9.2002)–** आपसी रंजिश से हिन्दू व्यक्तियों द्वारा होटल पर बैठकर चाय पी रहे मुस्लिम व्यक्तियों के साथ मारपीट करने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **कस्बा पाटन जिला भीलवाड़ा (26.9.2002)–** गुजरात के गांधीनगर स्थित लक्ष्मीनारायण सम्प्रदाय के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादियों द्वारा नरसंहार के विरोध में विश्व हिन्दू–परिषद् के आह्वान पर भारत बंद के दौरान भीड़ द्वारा मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के साथ मारपीट करने एवं उनके घरों में आगजनी करने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **कस्बा बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (28.9.2002) –** आपसी रंजिश से पशु मेला देखने जाते हुए हिन्दू लड़कों के साथ मुस्लिम लड़कों द्वारा मारपीट करने के विरोध में भीड़ द्वारा कस्बे में मुस्लिम घरों पर पथराव करने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **कस्बा गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (22.12.2002)–**कैलाश टॉकिज में चलचित्र देखतेसमय विष्णु बंसल की सीट पर इमरान खां द्वारा पैर रखने की बात को लेकर आपसी कहासुनी व मारपीट करने के विरोध में भीड़ द्वारा कस्बे में तोड़फोड़ व आगजनी के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **कस्बा सलूम्बर जिला उदयपुर (17.8.2003)–**ऐथलेटिक्स खेल प्रतियोगिताओं के दौरान मुस्लिम समुदाय के लड़कों द्वारा हिन्दू लड़कों

को खेल में भाग न लेने की धमकी के विरोधस्वरूप हिन्दुओं द्वारा आगजनी व मारपीट करने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।

- **कस्बा अकलेरा जिला झालावाड़ (16.9.2003)**–बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित रक्षा संकल्प सूत्र कार्यक्रम में रोडवेज बस द्वारा भाग लेने जाते समय बस कण्डेक्टर उक्त कार्यकर्ताओं से किराये के पैसे मांगने पर कार्यकर्ताओं द्वारा बस कण्डेक्टर के साथ मारपीट करने एवं बस के शीशे तोड़ने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।

साम्प्रदायिक घटना वर्ष 2004

- **कस्बा सराड़ा जिला उदयपुर (29.7.2004)**–सराड़ा (उदयपुर) बस स्टेण्ड पर शांतिलाल मीणा (आदिवासी) निवासी पालसराड़ा व गुड्डू उर्फ अशफाक में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी होकर झगड़ा हो गया। 30.7.04 को आदिवासी लोग बलुवा जाने वाली रोड़ पर स्थित लेम्पस के पास 2 दुकानों, चक्की व गोदाम में तोड़–फोड कर आग लगा दी तथा मुस्लिम बस्ती व पलटन मस्जिद पर हमला करने के आशय से यह उग्र भीड़ मुस्लिम मौहल्ले के नजदीक पहुंच गई व बुर्ज के पास स्थित मजार में तोड़फोड़ कर वहां बने कमरे में भी आगजनी की।
- **कस्बा बालोतरा ग्राम आसोतरा जिला बाड़मेर (29.9.2004)** – 29.9.2004 को निसार खां गोयला मुसलमान निवासी बालोतरा की पुरानी रंजिश के चलते ओमाराम लौहार से कहा–सुनी हो गई। 29.9.04 को ही करीब 70–80 हिन्दू युवकों द्वारा रास्ता जाम किया गया एवं मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति मुसाखां व उसके लड़ों पर पथराव किया जिसके परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष ने भी पथराव करना शुरू कर दिया। गांव के बाहर कब्रिस्तान की भूमि पर कच्चे झुपे में आग लगा दी गई।

साम्प्रदायिक घटना वर्ष 2005

- **कस्बा सोजत सिटी जिला पाली (26.3.2005)**–26.3.05 को कस्बा सोजत सिटी में होली के बाद धुलण्डी की गैर (घांची समाज) हर वर्ष की भांति ढाल की गली से होती हुई चारभूजा मंदिर की तरफ जा रही थी। इस दौरान ढाल की गली में पहुँची तो सांयकाल 5.15 बजे खेरूनिसा पत्नि अब्दुल अजीज नामक औरत ने गैर में ढोल ढमाके बजाने का ऐतराज किया तथा पुलिस को उक्त ढोल बंद कराने के लिए कहाँ परढोल बंद नहीं हुये तो उसी दौरान मुस्लिम समुदाय के शरारती तत्वों द्वारा मकानों की छतों से अचानक ही पथराव शुरू करने के कारण साम्प्रदायिक स्थिति उत्पन्न हुई।
- **कस्बा माण्डल जिला भीलवाड़ा (8–4–2005)**– 8.4.2005 को कस्बा माण्डल के सदर बाजार स्थित मोहर्रम वाली मस्जिद में प्रातः 4.30 बजे के लगभग अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मस्जिद के मुख्य द्वार पर लोहे के दरवाजे के भीतर की तरफ अखबार को गोल करके जिसमें एक केसरिया झण्डी जिस पर जय श्रीराम लिखा हुआ था, लगा दिया। रूस्तम अली पुत्र इस्माईल खां मस्जिद पर फ़जर की नमाज की अजान देने पहुंचे तब उनके द्वारा सर्वप्रथम उक्त झण्डी को देखा गया जिसकी सूचना रूस्तम अली ने प्रातः 5. 00 बजे नमाज के दौरान नमाजियों को दी, जिसके कारण मुस्लिम समुदाय में रोष व्याप्त हो गया तथा प्रातः 8.00 बजे के लगभग इसकी सूचना थानाधिकारी माण्डल को दी गई। थानाधिकारी ने मौके पर पहुँच झण्डी को जब्त कर रूस्तम अली की रिपोर्ट पर म. न. 84/05 धारा 295 भादसं में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया। सांयकाल हिन्दू समाज के लोगों द्वारा भगवान चार भुजा नाथ का बेवाण का जूलूस निकाला जा रहा था। सायं 6.15 पर जब जुलूस लखारा चौक पहुंचा तब आक्रोशित 1000–1500 मुस्लिम समुदाय की भीड़ द्वारा जुलूस का विरोध किया गया।

साम्प्रदायिक घटना वर्ष 2006

- **पाली शहर (11.4.2006)**–11 अप्रैल, 2006 को पाली शहर में स्थानीय जैन समाज के जयन्ती के उपलक्ष में शोभा यात्रा का जुलूस निकल रहा था, 9. 30 बजे जुलूस शहर की पुरानी सब्जी मण्डी के आगे रूई कटला में पहुंचा। इस स्थान पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा एक तणी बांधी गई थी जिस पर झण्डियाँ लगी हुई थी। जैन समाज ने झण्डियां हटाने की मांग की, जिसका मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने विरोध किया। मौके पर उपप्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों द्वारा दोनों समुदायों में आपसी समझ कर, तणी को हटाकर, जुलूस को आगे रवाना किया। जुलूस के आगे बढ़ने के पश्चात् मकानों के ऊपर से शरारती तत्वों द्वारा पत्थर फेंके गये।
- **करौली शहर (14.6.2006)**– 14 जून, 2006 को प्रातः 11–12 बजे राजेन्द्र सिंह राजपूत नाम के एक व्यक्ति ने किसी दुकान से कुरान शरीफ के हिन्दी अनुवाद की किताब खरीद कर करौली अनाज मण्डी की रोड़ पर डालकर कुरान शरीफ की किताब पर गोबर डाल दिया और गाली गलौच की। जिसका पता मुस्लिम पल्लेदारों को चल गया। उन्होनें इस पुस्तक को जबरदस्ती ले लिया तथा अपने समाज के लोगों को दिखाया तो कुछ मुस्लिम समुदाय के नवयुवकों द्वारा आक्रोश जताया तथा कुरान शरीफ की पुस्तक में राजेन्द्र सिंह राजपूत द्वारा एक पन्ने पर सुअर इसे पहले पढ़ता है, लिखा होना बताया। इस बात को लेकर दिनांक 15 जून, 2006 को ढोलीखार मौहल्ले से मुस्लिम समाज के करीब 300–400 लोग एकत्रित होकर, जुलूस के रूप में गणेश गेट, अम्बेड़कर सर्किल होते हुए, कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनमें से कुछ नवयुवकों द्वारा रास्ते में तोड़फोड़ की घटनाएँ की गई तथा कलेक्ट्रेट पहुंचकर, अब्दुल हलीम, एडवोकेट के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को पेश कर, राजेन्द्र सिंह राजपूत की गिरफ्तारी की मांग

की। बाद ज्ञापन वापस जाते वक्त भी कुछ तोड़फोड़ की घटनाएं की। इसके विरोध में हिन्दू समुदाय के कुछ नवयुवकों द्वारा पुराने ट्रक यूनियन तिराहे पर रास्ता रोका, जो पुलिस की समझाईश के बाद खोल दिया। सांयकाल जिला कलेक्टर के कार्यालय में दोनों समुदायों की शांति समिति के सदस्यों की मीटिंग हुई, जिसमें शांति बनाये रखने का निर्णय लिया व कस्बे में जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा शांति समिति के सदस्यों के साथ पैदल घुमकर, दोनों समुदाय के लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की।

- 19 जून, 2006 को 15 जून को घटित घटना को लेकर विरोध में विहिप व अन्य हिन्दू संगठनों ने पूर्व निर्णयानुसार करौली बाजार पूर्णरूपेण बंद रखा। बंद के दौरान महेन्द्र मीणा, संयोजक, प्रदेश बजरंग दल के नेतृत्व में त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में भीड़ (3000) एकत्रित होकर, शहर के मुख्य मार्गों से एक जुलूस के रूप में निकाला गया। उसमें से कुछ लोग गलियों की तरफ चले गये, जिनको हल्का बलप्रयोग कर, वापस जुलूस में मिलाया गया। जुलूस की पूरी भीड़ कलेक्ट्रेट के सामने मैदान पर पहुंची, लेकिन उसमें से मात्र 20 प्रतिशत लोग ही सभा में बैठे, शेष भीड़ अलग–2 बिखर के शहर की गलियों में जाने लगी,जिसको मोबाईल पार्टीज लगाकर, गलियों में से जाने से रोका गया। जुलूस को महेन्द्र मीणा,संयोजक, प्रदेश बजरंग दल व अशोक सिंह गुर्जर, प्रान्तीय संयोजक, बजरंग दल, प्रेमसिंह शेर, अखण्ड हिन्दू स्थान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एंव विहिप के केन्द्रीयमंत्री पूर्व सांसद अशोक पाठक, हिण्डौन,भाजपा आदि ने 15 जून को मुस्लिम संगठनों द्वारा की गई घटना के विरोध में भाषण दिये। कलेक्ट्रेट से बिखरने के बाद कुछ नवयुवकों द्वारा एक कच्चा छप्पर पोश मुर्गीखाना, सड़क पर पड़े हुए नाकारा टायर एंव 2–3 लकड़ी के खोखों को जला दिया।

- 20 जून को कस्बा करौली में गणपतलाल महाजन के पुराने मकान को अफसर हुसैन ने गोदाम के रूप में किराये पर ले रखा है। अफसर हुसैन ने दो लड़के गोदाम से केले और बर्फ निकालने के लिए भेजे, जो 15–16 साल की उम्र के थे। बर्फ की सिल्ली को एक सब्बल से तोड़ रहे थे। सिल्ली का एक टुकड़ा टूटकर, धड़ाम से जमीन पर गिरा, जिसकी आवाज सुनकर, हिन्दू समुदाय के दो लड़के आये और उन्होंने यह हल्ला कर दिया कि इस गोदाम के अंदर बदमाश घुसे हुए हैं और तलवार से एक आदमी मार दिया।

साम्प्रदायिक घटना वर्ष 2007

- **कस्बा केशोराय पाटन जिला बूंदी (18–1–2007)–** दिनांक 13 जनवरी, 2007 को राजू उर्फ राजकुमार धाकड़ के साथ इमरान तथा सिराजुद्दीन ने मारपीट की थी। इस मामले में थाना केशोरायपाटन (बून्दी) में मु0नं0 12/07 धारा 323,341,34 भादंसं में इमरान व सिराजुद्दीन के खिलाफ दर्ज किया गया था। दोनों व्यक्तियों– इमरान तथा सिराजुद्दीन को 107, 151 सीआर0पी0सी0 में गिरफ्तार किया गया था। इसी दल में 18 जनवरी, 2007 को सिराजुद्दीन को राजू धाकड निवासी केशोराय ने सुबह बाजार में देखा तो उसे पकड़ने व पीटने की नियत से पकड़ना चाहा। सिराजुद्दीन अपने घर की तरफ भागा, उसके मौहल्ले के मुसलमान उसके बचाव में एकत्रित हुए तथा राजू के साथी भी इकट्ठे हो गये। इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तब थाना जाप्ता पहुंचा, दोनों समुदायों की एकत्रित भीड़ को समझाया। इसी समझाईश के समय मुस्लिम समुदाय ने पत्थरबाजी की।
- **कस्बा बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (17.3.2007)** –17 मार्च को कस्बा बेगू के हिन्दू समुदाय के लोगों द्वारा रंग तेरस के पर्व के अवसर पर एक जुलूस

(800–1000) लालबाई, फुलबाई चौक बेगू से रवाना होकर मोमीन मौहल्ला मस्जिद के सामने से गुजर रहा था तब मुस्लिम मकानों से अज्ञात लोगों द्वारा जुलूस पर 2–3 पत्थर फैके गये व मुस्लिम मकान की दूसरी मंजिल से जुलूस की तरफ तलवार दिखाने से हिन्दू लोगों में रोष व्याप्त हो गया।

- **गांव जवानपुरा जिला चित्तौड़गढ (22.12.07)** –22–12–2007 को गाँव जवानपुरा थाना कपासन (चितौडगढ़) में एक गाय कटी हुई अवस्था मिलने पर करीब 300–350 लोग गाँव सिंधी खेड़ा से 2 कि0मी0 दूरी पर गुमानपुरा चौराहा पर एकत्रित होकर दोषियों को गिरफ्तार कर रहे थे। इसी दौरान गुमानपुरा चौराहा पर एक मुसलमान की"दिवाना बस" को स्थानीय नागरिकों ने आग लगा दी, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

साम्प्रदायिक घटना वर्ष, 2008

- **चित्तौड़गढ़ शहर जिला चित्तौड़गढ़ (22.3.08)** –20–3–2008 की रात्रि 1–2 बजे अज्ञात युवकों द्वारा सब्जीमण्डी, चितौडगढ़ के पास खड़े दो गन्ने के ठेलों पर तोड़फोड की तथा श्री भोला राम, पार्षद की कार पर खरोंचे डाल दी गई तथा गालियां लिख दी गई। 21–3–2008 को बारावफात के जुलूस के मार्ग (गांधी चौक) में हर वर्ष से अलग हट कर बड़े आकर में टेण्ट एवं डेकोरेशन किये जाने से प्रातः 8.30 बजे गांधी चौक, चितोडगढ़ में शिव सेना के नगर प्रमुख गोपाल वैद, बन्ने सिंह, (प्रमुख, शिव कमाण्डों फोर्स), राकेश चौधरी (कार्यकर्ता, विहिप), प्रशान्त गोस्वामी (संयोजक, बजरंग दल) आदि के नेतृत्व में 125–150 हिन्दु समुदाय के लोग तथा मस्जिद नुमा टेण्ट को हटाने का प्रयास किया।
- 22–3–2008 को गांधीनगर सेक्टर–4 (चितौड़गढ़) स्थित खनिज विभाग के कार्यालय की दीवार पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुस्लिम समुदाय के विरूद्ध

आपत्तिजनक शब्द कोयले से लिख दिये थे, जिसकी जानकारी पास ही स्थित मुस्लिम समुदाय की गांधीनगर के बस्ती निवासी युवकों को मिलने पर करीब 30–40 व्यक्ति एकत्रित होकर रोष प्रकट करने लगे।

- **डूंगरपुर शहर (27/28.9.2008)–** 27, 28–9–2008 की मध्य रात्रि में डूंगरपुर शहर स्थित फौज के बड़ला पुलिस थाना कोतवाली पर स्थित गणेश मंदिर पर गणेशजी के प्रतिमा पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा गुटखा/पान की पीक डालने, महाकाल मंदिर घाटी के मुख्य द्वार पर खुले में स्थित महादेव की प्रतिमा खण्डित गई। उक्त घटना के विरोध में 28–9–2008 को बजरंग दल व भाजपा नगर मण्डल के कार्यकर्ता द्वारा महेन्द्र भोई (नगर संयोजक, बजर दल) एवं शार्दुल सिंह (मण्डल अध्यक्ष, भाजपा) के नेतृत्व में (150–222) एकत्रित होकर घटना पर आक्रोश व्यक्त किया तथा इस संबंध में असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग का प्रार्थना छ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रस्तुत किया।

साम्प्रदायिक घटना वर्ष 2009

- **कस्बा कोटड़ा जिला उदयपुर (25.3.2009)** –कस्बा कोटड़ा में एक टैम्पों से एक आदिवासी युवक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के विरोध में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा टैम्पों मालिक रईस के चाकू से वार कर घायल कर दिया, जिसकी मृत्यु हो जाने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **बांसवाड़ा शहर (25.4.2009)**–बांसवाड़ा शहर में हिन्दू युवकों द्वारा राजतालाब की ओर मोटर साईकिल पर सवार होकर आपत्तिजनक नारे मुस्लिम समुदाय के प्रति लगाये जाने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।

- **ग्राम जावर (झालावाड़) (19.5.2009)**–ग्राम जावर में लालचन्द पुत्र लाल लोधा नि0 जावर के मुस्लिम व्यक्ति ईदरीश द्वारा मारूति से टक्कर मारने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **कस्बा फतेहगढ़ (जैसलमेर) (23.9.2009)**– कस्बा फतेहगढ़ (जैसलमेर) में विवादित प्लाट को लेकर हिन्दू–मुस्लिम गुटों केबीच गाली गलौच, मारपीट होने से व मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **टोंक शहर (19.10.2009)**– टोंक शहर में बड़ा कुंआ स्थित मौहल्ला छोटा तख्ता के हिन्दू समुदाय द्वारा दीपावली के अवसर पर पटाखा चलाने का मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध करने पर आपस में कहासुनी व मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा हिन्दू व्यक्तियों के साथ मारपीट करने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **कस्बा राजनगर (राजसमंद) 28.12.2009** –कस्बाराजनगर में नन्दालाल माली के बाड़ में बंधे हुए गाय व बछड़े किन्हीं अज्ञात कारणों से जल गये थे। जिसके विरोधस्वरूप हिन्दू समुदाय के लोग एकत्रित होकर नारेबाजी कर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने एवं मुस्लिम समुदाय के ताजिये को नहीं निकालने दिया जा रहा था। आक्रोशित भीड़ द्वारा कस्बे में तोड़फोड़/आगजनी करने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।
- **कस्बा सांगानेर (भीलवाड़ा) (28.12.2009)**–कस्बा सांगानेर में नीलगरों की मस्जिद से ताजियों का जुलूस रवाना होकर रावला चौक पहुंचकर ताजियों को कर्बला में ठण्डा किया जाना शेष था। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने अफवाह फैलादी कि हिन्दू समुदाय के व्यक्ति गाली गलौच कर रहे हैं। इस पर जुलूस से लौट रहे मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति आवेश में आकर हिन्दू व्यक्तियों के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर

दिया। घटना के विरोध में आक्रोशित भीड़ द्वारा कस्बे में तोड़फोड़ व आगजनी करने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।

- **बैरा चौक जिला पाली (26.9.2009)**– बैरा चौक, बाली (पाली) में देवेन्द्र कुमार जैन खड़ा था, उस समय एक जीप में जैन समाज के लोग गणेश बाजार होते हुए बोम्बे जा रहे थे, इसी दौरान मुस्लिम व्यक्ति अजु उर्फ अजुरुद्दीन व देवेन्द्र जैन के बीच रोड़/सड़क छोड़ने की बात को लेकर आपस में कहासुनी व मारपीट हो गई। इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग तलवारों, लाठियों से लैस होकर बैरा चौक पर खड़े हिन्दू युवकों के साथ मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। घटना के विरोध में हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा बैरा चौक पर एकत्रित होकर मुल्जिमों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की गई तथा कस्बा बाली को बंद रखा गया।
- **कस्बा छबड़ा जिला बारां (25.12.2009)** –कस्बा छबड़ा में अंहिसा सर्किल से गौवंश से भरे हुये ट्रक गुजर रहे थे, तभी हिन्दू समुदाय व हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा मौके पर पहुँचकर ट्रक ड्राईवर के साथ मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया।

साम्प्रदायिक घटना वर्ष 2010

- **डूंगरपुर शहर (11.2.2010)** – डूंगरपुर शहर के किशन लाल गर्ग उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र योगेन्द्र सिंह की मुस्लिम छात्रों द्वारा आपसी रंजिश को लेकर चाकू मारकर हत्या करने के कारण साम्प्रदायिक घटना की स्थिति उत्पन्न हुई।
- **कस्बा गंगापुर (भीलवाड़ा) (30.3.2010)** – कस्बा गंगापुर (भीलवाड़ा) में हनुमान जयन्ती के जुलूस के दौरान मस्जिद चौक, गंगापुर के जनरेटर के

तार हटा देने से लाईटें बंद होने के कारण हिन्दु–मुस्लिम व्यक्तियों के मध्य कहासुनी व मारपीट के कारण साम्प्रदायिक घटना की स्थिति उत्पन्न हुई।

- **कस्बा बालेसर सता (जोधपुर ग्रामीण) (22.5.2010)**–कस्बा कस्बा बालेसर सता (जोधपुर ग्रामीण) में नरेगा के अन्तर्गत ग्रेवल सड़क का निर्माण किया जा रहा था, जहां ईदगाह का पिछला भाग ग्रेवल सड़क को चौड़ी करने को ईदगाह की जमीन का किनारा रास्ते में आने पर 7–8 मुस्लिम युवकों द्वारा विरोध किया गया व सरपंच रेवन्त राम के साथ मारपीट की गई।
- **कस्बा सराड़ा (उदयपुर) (25.7.2010)**–कस्बा सराड़ा (उदयपुर) में हिन्दू समुदाय के व्यक्ति मोहन लाल मीणा का शहजाद पुत्र बेहराम खां मुसलमान व उसके दो सार्थियों द्वारा अपहरण कर हत्या कर दी गई।
- **कस्बा मनोहरथाना जिला झालावाड़ (16.9.2010)** –16.9.2010 को मुस्लिम समाज के तीन लड़कों द्वारा आदिवासी मनोहरथाना भील समाज की औरत बरफी बाई का जबरन अपहरण कर बलात्कार किया गया। इसी घटना को लेकर 20.9.2010 को आदिवासी भील समाज के लोग 3–4 हजार की उग्र भीड़ एकत्रित होकर कस्बा मनोहरथाना में मुस्लिम समाज के घरों में लूटपाट, आगजनी करने के कारण साम्प्रदायिक घटना घटित हुई।

साम्प्रदायिक घटना वर्ष 2011

- **कस्बा गोपालगढ़ जिला भरतपुर (14.9.2011)** –भरतपुर जिले के गोपालगढ़ कस्बा में खसरा नम्बर 642 पर कब्जे के विवाद को लेकर गुर्जर और मेव समुदाय के लोगों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रातः 11 बजे दोनों समुदायों के मध्य तनाव एवं गोलीबारी की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक मय अतिरिक्त पुलिस बल गोपालगढ़ पहुंचे। अधीक्षक मय अतिरिक्त पुलिस बल गोपालगढ़ पहुँचे। गोपालगढ़ कस्बे में

अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दोनों पक्षों के मध्य टकराव को टालने का प्रयास करते हुए जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ थाने में वार्ता कर दिया का हल निकालने का प्रयास किया। वार्ता के बावजूद विवादास्पद भूखण्ड एवं मस्जिद के पास एकत्रित दोनों समुदायों की भीड़ के मध्य पत्थरबाजी एवं गोलीबारी के कारण स्थिति अचानक बिगड़ने लगी।

साम्प्रदायिक तनाव वर्ष, 2001

- **कस्बा सांगोद कोटा ग्रामीण (2.11.2001)** –मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दू लड़की से छेड़छाड़ करने के विरोधस्वरूप हिन्दू युवकों द्वारा मुस्लिम युवकों पर तलवा व चाकुओं से हमला कर घायल करने के कारण तनाव हुआ।
- **झालावाड़ शहर (22.1.2001)**–हिन्दू विद्यार्थी दीपचन्द सोनी की साईकिल की टक्कर मुस्लिम युवक रफीक के लगने के विरोध में मुस्लिम युवक रफीक के लगने के विरोध में मुस्लिम युवकों द्वारा दीप चन्द सोनी के साथ मारपीट करने के कारण तनाव हुआ।
- **कस्बा सूरतगढ़ जिला गंगानगर (25.1.2001)**–मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दू लड़की के साथ छेड़छाड़ करने पर हिन्दू युवकों द्वारा ऐतराज करने पर मुस्लिम युवकों द्वारा रमेश कुमार को चाकू से हमला कर घायल करने के कारण तनाव घटित हुआ।
- **अजमेर शहर (16.2.2001)**–अजमेर शहर हिन्दू समुदाय द्वारा झरनेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी का देहान्त होने के उपरान्त उसकी शव यात्रा को दरगाह बाजार में ले जाने के कारण मुस्लिम समुदाय द्वारा ऐतराज करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।

- **कस्बा सलूम्बर जिला उदयपुर (19.2.2001)** – एक मुस्लिम व्यक्ति के स्कूटर से जैन मुनि को टक्कर लगते–लगते बची। इस पर साथ चल रहे जैनियों द्वारा उक्त मुस्लिम की मारपीट करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **ग्राम बारोठ थाना राजगढ़ जिला अलवर (19.2.2001)** –मुस्लिम व्यक्ति सैय्यद अहमद सुजात अली द्वारा चारागाह की जमीन पर अतिक्रमण करने पर हिन्दूओं द्वारा ऐतराज करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **जयपुर शहर (24–2–2001)** – आरएसएस की शाखा में मुस्लिम युवकों द्वारा क्रिकेट की गेंद चले जाने व स्वयं सेवकों द्वारा मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दुओं के साथ मारपीट करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **ग्राम खतोली थाना किशनगढ़ (8–3–2001)** – आपसी रंजिश से हिन्दू व मुस्लिम समुदाय के बच्चों में आपस में झगड़ा होने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा कोटड़ा जिला उदयपुर (10–3–2001)** – होली के अवसर पर हिन्दू युवकों द्वारा चन्दा मांगने के विरोध में हिन्दू व मुस्लिम समुदाय द्वारा परस्पर पथराव व मारपीट करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (10–3–2001)**– धुलण्डी के अवसर पर हिन्दूओं द्वारा गैर खेलते समय जमील की चाय की दुकान पर रखे दूध में रंग गिर जाने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **टोंक शहर (13–3–2001)** – हिन्दू युवक की मोपेड से मुस्लिम लड़के सईद की साईकिल के टक्कर हो जाने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू (5–4–2001)**– अज्ञात व्यक्ति द्वारा बालाजी की तस्वीर के ऊपर इन गुमटी को क्षतिग्रस्त करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।

- **पीपाड़ शहर जिला जोधपुर (5–4–2001)**– ताजियों को कर्बला ले जाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत रूट बदलने पर हिन्दू संगठनों द्वारा विरोध करने पर तनाव ग्रामीण उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (5–4–2001)** – मोहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा बाजार में दुकानों की लाईट व दुकानों में तोड़फोड़ करने के विरोधस्वरूप हिन्दूओं द्वारा ताजिये नहीं निकालने में कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **जैसलमेर शहर (13.4.2001)** – मुस्लिम युवक सलीम द्वारा हिन्दू लड़की अंजू के साथ बाजार से सब्जी लेने जाते समय छेड़छाड़ करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **ग्राम खुटीयां थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़** – मुस्लिम युवक अहमद शाह द्वारा गायों को जिन्दा जलाने के मामले को लेकर तनाव उत्पन्न हुआ। इस संबंध में मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
- **कस्बा बिगोद जिला भीलवाड़ा (18.1.2001)**– मुस्लिम युवक गफ्फार द्वारा गांव के रास्ते में अतिक्रमण करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **जैसलमेर शहर (23.4.2001)** – हिन्दू व्यक्ति उदयसिंह की जीप से राह चलते हुए मुस्लिम व्यक्ति कासीम खां के हल्का से धक्का लग जाने के विरोध में मुस्लिमों द्वारा उदयसिंह के साथ मारपीट करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **दौसा शहर (4.5.2001)**– हिन्दू दम्पत्ति अजय शर्मा व उसकी पत्नी के साथ ऑटो रिक्शा में जाते समय मुस्लिम ड्राईवर रईश व उसके साथियों द्वारा छेड़छाड़ व मारपीट करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।

- **कस्बा मदनगंज, किशनगढ़ जिला अजमेर (8.5.2001)**– हिन्दू व्यक्ति राजेश राठी की खडी मोटर साईकिल के मुस्लिम व्यक्ति फारूक के ठेले की टक्कर लगने से मोटर साईकिल गिरने के विरोध में दोनों में मारपीट हो जाने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा सरवाड़ जिला अजमेर (14.5.2001)**– मुस्लिम समुदाय द्वारा सामुदायिक भवन के पास बने नोहरे के काफी दिनों से बंद पड़े दरवाजे को खोलने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **ग्राम ढाबाझलार थाना सूरतगढ़ जिला गंगानगर (10.5.2001)**– त हिन्दू व्यक्ति मनोहर लाल के घर पर चल रहे रामायण पाठ को मुस्लिम समुदाय द्वारा बंद कराने व रामायण को फाड़ने के विरोध में तनाव उत्पन्न हुआ।
- **ग्राम खेड़ीराडान थाना लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (24.5.2001)** – मुस्लिम व्यक्ति इलियास द्वारा हिन्दू व्यक्ति डुंगाराम के खेत की जमीन पर अतिक्रमण करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **गांव हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (2.6.2001)**– स्थानीय विश्वनाथ मंदिर पर मुस्लिम युवकों द्वारा ताश खेलने से मंदिर के पुजारी द्वारा मना करने के विरोध में मुस्लिम युवकों द्वारा पुजारी की पिटाई करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा मकराना जिला नागौर (21.6.2001)** – आपसी रंजिश से मुस्लिम युवक मोहम्मद यासीन द्वारा हिन्दू युवक राजू के साथ मारपीट करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **दौसा शहर (22.6.2001)** – हिन्दू युवकों द्वारा मुस्लिम महिला के साथ छेडछाड करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।

- **कस्बा मेड़ता सिटी जिला नागौर (30.6.2001)** – रुपयों के लेन–देन के मामले को लेकर मुस्लिम युवक नसीर धोबी द्वारा अशोक मालानी के साथ मारपीट करने से अशोक की मृत्यु हो जाने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **ग्राम सबलाना जिला भरतपुर (1.7.2001)** – हिन्दू व्यक्ति शिवचरण हुन् को कैंस की बच्ची (पाडी) मुस्लिम व्यक्ति खुर्शीद नेद के खेत में चले जाने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **जोधपुर शहर (7.7.2001)** – हरिजन युवकों द्वारा शराब पीकर मुस्लिम युवकों को गाली गलोच व झगडा करने के कारण तनाव उत्पन हुआ।
- **कस्बा जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (16/17.7.2001)** – मुस्लिम समुदाय के दो श्रद्धास्थल मजारों को अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **ग्राम विन्ध्याभाटा थाना जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (10.8.2001)**– मजार की जाली को क्षतिग्रस्त करने के मामले को लेकर तनाव उत्पन्न हुआ।
- **ग्राम पण्डेर जिला भीलवाड़ा (12/13.8.01)**– मुस्लिम समुदाय की मस्जिद में रखी कुरान की पुस्तकों को बाहर निकालकर जलाने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **ग्राम हमीरनाड़ा जिला जैसलमेर (16.8.2001)** – मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दू व्यक्ति प्रेम सिंह पर धारदार हथियारों से हमला कर घायल करने के कारण तनाव उत्पन्न हो गया।
- **जोधपुर शहर (17.8.01)** – मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दू युवक संजय भंसाली के साथ मारपीट के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।

- **कस्बा हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (31.8.2001)** – मुस्लिम युवक मुबारिक हुसैन द्वारा राजेन्द्र मीणा के आपसी रंजिश से झगड़ा करने के कारण तनाव व्याप्त हुआ।
- **कस्बा कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (14.9.2001)** – सूफी सन्त की दरगाह पर लोहे का दरवाजा लगाने के विरोध में हिन्दू संगठनों द्वारा ऐतराज करने के कारण तनाव व्याप्त हुआ।
- **कस्बा आबूरोड़ जिला सिरोही (5/6.9.2001)**– आपसी रंजिश को लेकर मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दू युवक देवी सिंह के साथ मारपीट करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा हिण्डौन जिला करौली (4.9.2001) – अज्ञात हिन्दू युवकों के शव मिलने** के कारण जिनकी शिखाख्त करने पर वीरेन्द्र सिंह व भोला के रूप में हुई। जिससे तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा डीडवाना जिला नागौर (24.9.2001)** – हिन्दू समुदाय द्वारा बंदर की समाधी स्थल पर अवैध रूप से चबूतरा बनाने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **भीलवाड़ा शहर (27.9.2001)** – मुस्लिम समुदाय द्वारा खाली पड़ी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **चित्तौड़गढ़ शहर (2.10.2001)** – बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा मुस्लिम व्यक्तियों के मछली पकड़ने का विरोध करने एवं दूसरे दिन एक मुरिलम व्यक्ति की हत्या के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **चित्तौड़गढ़ शहर (5.10.2001)** – हिन्दू संगठनों द्वारा मुस्लिम समाज की जुम्मे की नमाज में व्यवधान उत्पन्न करने एवं नारेबाजी करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।

- **कस्बा प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (8.10.2001) –** मुस्लिम समाज की ईदगाह मस्जिद के मीनार को अज्ञात जिला चितौडगढ़ व्यक्तियों द्वारा क्षतिग्रस्त करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर (14/15.10.2001) –** हिन्दू समुदाय के चमत्कारेश्वर हनुमान मंदिर में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा माँस के टुकड़े फेंकने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा सरवाड़ जिला अजमेर (16.10.2001) –** मुस्लिम युवक यूसुफ व कम्यूम (उपाध्यक्ष नगर पालिका सरवाड़) द्वारा विवादित भूमि पर स्थित दरगाह के अजमेर नवनिर्मित प्लेटफार्म पर ईटों की दीवार बनाने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा मकराना जिला नागौर (27.10.2001) –** हिन्दू युवक जितेन्द्र उर्फ जीतू द्वारा मुस्लिम युवक नवाब अली के चाकू मारकर घायल करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **गांव भाडेरड़ा जिला सवाई माधोपुर (28.10.2001) –** खेत मालिक मुस्लिम की बिना अनुमति के हिन्दुओं द्वारा खेत में भैरू जी की मूर्ति स्थापित करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा मण्डार जिला सिरोही (9.11.2001) –** हिन्दू युवक सुमेर सिंह द्वारा मुस्लिम युवक गुलाब नबी के पैसे के लेन–देन के मामले को लेकर थप्पड़ मारने के कारण तनाव व्याप्त हुआ।
- **बीकानेर शहर जिला बीकानेर (15.11.2001) –** हिन्दू युवकों द्वारा मुस्लिम महिला रसीदा बेगम को अपशब्द कहकर टिप्पणी करने के कारण तनाव व्याप्त हुआ।

- **बांसवाड़ा शहर (16.11.2001)** – मुस्लिम युवकों के नमाज अदा कर आते समय रास्ते में हिन्दु युवकों से कहा–सुनी होने के कारण तनाव व्याप्त हुआ।
- **बारां शहर जिला बारां (2.12.2001)** – हिन्दुओं द्वारा भैरूजी के मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान पटाखे छोड़ने से नमाज में बाधा उत्पन्न करने के कारण तनाव व्याप्त हुआ।
- **कस्बा जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (9.12.2001)**– मुस्लिम समाज द्वारा मिठ्ठू शाह बाबा की मजार पर अवैध रूप से निर्माण करने के कारण तनाव व्याप्त हुआ।
- **कस्बा पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण (25.12.2001)** – अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लक्ष्मीनारायण मंदिर पर आपत्तिजनक पोस्टर चस्पा करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।

साम्प्रदायिक तनाव वर्ष, 2002

- **गाँव आवा थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण (5–1–2002)** –हिन्दू व्यक्ति के मकान पर कब्जा कर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शिवलिंग स्थापित करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा नसीराबाद जिला अजमेर (23–1–2002)**– सार्वजनिक पार्क में एक अतिरिक्त प्रवेश द्वारा मुस्लिम समुदाय द्वारा निकाले जाने को लेकर साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **गाँव भूरानपुरा तहसील टिबी जिला हनुमानगढ़ (28–1–2002)**– मुस्लिम युवकों द्वारा मंदिर में रखी हुई रामायण को जलाने व पुजारी के साथ

मारपीट करने व आपत्तिजनक नारेबाजी करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।

- **ग्राम नातौड़ा थाना सुल्तानपुर जिला कोटा (1–2–2002)**– आपसी रंजिश से मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दू सरपंच के साथ मारपीट कर घायल करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा समदड़ी जिला बाड़मेर (1–3–2002)**– गोधरा (गुजरात) में 27 फरवरी, 2002 को रेल के डिब्बों को हिंसात्मक भीड़ द्वारा आगजनी करने से 56 व्यक्तियों की निर्मम हत्या के विरोध में विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा राजस्थान बंद के दौरान बंद समर्थकों द्वारा मुस्लिम समुदाय की केबिनों को जलाने एवं तोड़फोड़ करने व मस्जिद पर पथराव करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **बांसवाडा शहर (1–3–2002)**– गोधरा (गुजरात) में 27 फरवरी, 2002 को रेल के डिब्बों को हिंसात्मक भीड़ द्वारा आगजनी करने से 56 व्यक्तियों की निर्मम हत्या के विरोध में विश्व हिन्दू परिषद द्वारा राजस्थान बंद के दौरान बंद समर्थकों द्वारा मुस्लिम समुदाय के घरों पर पथराव व आगजनी करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा बिलाड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण (1–3–2002)**– गोधरा (गुजरात) में 27 फरवरी, 2002 को रेल के डिब्बों को हिंसात्मक भीड़ द्वारा आगजनी करने से 56 व्यक्तियों की निर्मम हत्या के विरोध में विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा राजस्थान बंद के दौरान बंद समर्थकों द्वारा मुस्लिम समुदाय के घरों में तोड़फोड़ व पत्थरबाजी करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा रेवदर जिला सिरोही (2–3–2002)**– असामाजिक तत्वों द्वारा मुस्लिम समुदाय की कैबिनों में आगजनी व मारपीट एवं लूटमार करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।

- **पीपाड शहर जिला जोधपुर ग्रामीण (15–3–2002)–** मोहर्रम के पूर्व आयोजित जुलूस में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पथराव करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा कनवास जिला कोटा ग्रामीण (23–3–2002)–** मोहर्रम का जुलूस करनेश्वर महादेव मंदिर के सामने से गुजरने पर हिन्दू समुदाय द्वारा आपत्तिजनक नारेबाजी करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा नसीराबाद जिला अजमेर (25–3–2002)–** मोहर्रम का जुलूस मंदिर के सामने से गुजरने पर हिन्दू समुदाय द्वारा आपत्तिजनक नारेबाजी करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **बांसवाड़ा शहर (25–3–2002)–** मोहर्रम के त्यौहार पर पूनमचन्द कलाल भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ताजियों के पास तम्बू लगाने व हिन्दुओं द्वारा मुस्लिम समुदाय के घरों में आगजनी व पथराव करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई।
- **भीलवाड़ा शहर (28–3–2002)–** हिन्दू युवक श्याम लाल द्वारा रास्ते जाते मुस्लिम युवकों को राम–राम सा कहने के विरोध में हिन्दू लड़के की पिटाई करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **गाँव नणाऊ थाना नोहर जिला हनुमानगढ़ (28–3–2002)–** हिन्दुओं द्वारा होली दहन स्थल पर जाते समय सुभान खां द्वारा रास्ता रोकने के विरोध में दोनों समुदायों द्वारा एक दूसरे पर पथराव करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा परबतसर जिला नागौर (2–4–2002)–** बालाजी के मंदिर में स्थित माताजी की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा खण्डित करने के विरोध में हिन्दुओं द्वारा आपत्तिजनक नारेबाजी करने के कारण तनाव उत्पन्न हुआ।

- **ग्राम राजूरिया थाना प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (4.4.2002) –** हिन्दु समुदाय द्वारा हनुमान जी के मंदिर निर्माण के दौरान छत का छज्जा मुस्लिम व्यक्ति छोटे खां की जमीन की सीमा में आ जाने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **टोंक शहर (9.4.2002)–** हिन्दु दुकानदार नरेन्द्र से मुस्लिम लड़कों द्वारा लिम्का की बोतलें पीने के बाद पैसे नहीं देने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **नागौर शहर (30.4.2002) –** नगरपालिका द्वारा कब्रिस्तान की चार दीवारी का निर्माण कार्य करवाने पर हिन्दुओं द्वारा विरोध करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **ग्राम खेड़ी थाना रेठाजना जिला चित्तौड़गढ़ (12.5.2002)–** मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा सगसजी बाउजी की मूर्ति खण्डित करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा कामां जिला भरतपुर (17–5–2002)–** अयोध्या में कार सेवकों द्वारा दान में दिया हुआ गेहूं एकत्रित कर रास्ते में लाते समय मुस्लिम युवकों द्वारा मारपीट व पथराव करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **झालावाड़ शहर (19–5–2002)–** मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दू व्यक्ति नितिन व्यास को रास्ते में रोककर चाकू से वार कर घायल करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कोटा शहर (3–6–2002)–**गोदावरी धाम के हिन्दू मंदिर के पण्ड़ितों द्वारा चम्बल नदी में नहानें गये मुस्लिम युवकों को पकड़ कर मारपीट करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।

- **जोधपुर शहर (10.6.2002)** – आपसी रंजिश से हिन्दु युवक उदित सोनी ने मुस्लिम युवक वजीद के साथ मारपीट करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई।
- **ग्राम सांवलासी थाना बाखासर (11.6.2002)**– मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा गाय का वध करने के विरोध में हिन्दुओं द्वारा रास्ता रोकने व आपत्तिजनक नारेबाजी करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा ब्यावर जिला अजमेर (13.6.2002)**– बंद पड़े स्लाटर हाउस को पुनः चालू करने की संभावना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा नगरपालिका कार्यालय के सामने धरना, प्रदर्शन करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा धौंद जिला सीकर (16.6.2002)**– हिन्दू व्यक्ति रणजीत द्वारा मुस्लिम युवक मोहम्मद के पास रखी केटली के बारे में पूछने पर आपस में बोलचाल व मारपीट करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई।
- **कस्बा नसीराबाद जिला अजमेर (22.7.2002)**– हिन्दु व्यक्ति नाथू लाल धौंसी के मकान के बाहर मुस्लिम व्यक्ति अकील द्वारा स्कूटर खड़ा करने के मामले को लेकर साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **गंगापुर सिटी जिला सवाई (24–7–2002)**– मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दू लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **गॉव टांडा रतना सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (2–8–2002)**– मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा हिन्दू महिला श्रीमती माध्वी के साथ छेड़छाड़ व बलात्कार करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई।

- **झुन्झुनू शहर (7–8–2002)**– मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दू युवक ओम प्रकाश सोलंकी के साथ मारपीट करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **गाँव अलगानी थाना सीकरी जिला भरतपुर (20–8–2002)**– हिन्दू व्यक्ति बलदेव सरकार की भैंस के साथ मुस्लिमयुवक इकबाल के द्वारा पत्थर व लाठी से वार कर घायल करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा (10.8.2002)**– मुस्लिम युवकों द्वारा आपसी रंजिश से हिन्दू युवक विनोद कुमार व लक्ष्मीनारायण के साथ मारपीट करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **गॉव लुहारिया थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा (12.8.2002)**– हिन्दू व्यक्ति जयराम द्वारा अपने खेत की सीमा पर थोर काटते समय मुस्लिम व्यक्ति अमीन खां द्वारा थोर अपने खेत की सीमा में होने की बात पर ऐतराज करने एवं आपस में मारपीट करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **ग्राम बासनी जिला नागौर (20.8.2002)**– मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा हिरण का शिकार करने पर हिन्दुओं द्वारा ऐतराज करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई।
- **खेतड़ी हाउस जयपुर शहर (25.8.2002)**– मुस्लिम युवकों द्वारा किकेट खेलते समय गेंद हिन्दू व्यक्ति राजेश शर्मा के मकान में चली जाने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा सांगानेर जिला भीलवाड़ा (10.9.2002)**– मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दू महिला श्रीमती दुर्गादेवी के साथ छेड़छाड़ करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।

- **कस्बा माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (11/13.9.2002)**– मुस्लिम युवक मुंशी मोहम्मद एवं फारूख द्वारा कुल्हाड़ी मारकर गाय को घायल करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **इंदिरा कॉलोनी कस्बा प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (13.9.2002)**– मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा गणेश प्रतिमा को खण्डित करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा मोखमपुरा जिला चित्तौड़गढ़ (14.9.2002)**– मुस्लिम युवक पप्पू खां की मोटर साईकिल से हिन्दु युवती कुमारी शैफाली के टक्कर लग जाने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर (25.9.2002)**– हिन्दू व्यक्तियों द्वारा मुस्लिम युवक नफीस व नसीम को रास्ते जाते हुए को रोककर मारपीट करने व देशी कट्टे से फायर कर घायल करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा भांवता थाना पीसांगन जिला अजमेर (26.9.2002)**– गुजरात के गांधीनगर स्थित लक्ष्मीनारायण सम्प्रदाय के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादियों द्वारा नरसंहार के विरोध में विश्व हिन्दू–परिषद् के आह्वान पर भारत बंद के दौरान भीड़ द्वारा बिहारी निवासी मौलवी को उठाकर ले जाकर उसके साथ मारपीट करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा पिण्डवाड़ा जिला सिरोही (26.9.2002)** – आपसी रंजिश से टैक्सी में सवारियाँ भरने के मामले लेकर मुस्लिम व्यक्ति के साथ हिन्दू व्यक्ति द्वारा धक्का मुक्की करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई।
- **कस्बा लुहारपुरा जिला नागौर (26.9.2002)** – गुजरात के गांधीनगर स्थित लक्ष्मीनारायण सम्प्रदाय के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादियों द्वारा नरसंहार

के विरोध में विहिप के आह्वान पर भारत बंद के दौरान बंद समर्थकों द्वारा मुसलमानों की दुकानों को जबरन बंद कराने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।

- **सवाई माधोपुर (26.9.2002)** – गुजरात के गांधीनगर स्थित लक्ष्मीनारायण सम्प्रदाय के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादियों द्वारा नरसंहार के विरोध में विहिप के आह्वान पर भारत बंद के दौरान जुलूस द्वारा आपत्तिजनक नारेबाजी करने के कारण साम्प्रदाय तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा बिलाड़ा जिला जोधपुर (26.9.2002)** – गुजरात के गांधीनगर स्थित लक्ष्मीनारायण सम्प्रदाय के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादियों द्वारा नरसंहार के विरोध में विहिप के आह्वान पर भारत बंद के दौरान बंद समर्थकों द्वारा मुसिलम व्यक्ति सलीम के मकान में आगजनी करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू (1.10.2002)** – हिन्दू व्यक्तियों द्वारा मुस्लिम व्यक्ति बाबू खां के साथ मारपीट कर घायल करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा झालरापाटन जिला झालावाड़ (8.10.2002)** – बजरंग दल के जिला संयोजक अमित जैन व राहत अली मुसलमान में साईड नहीं देने के मामले को लेकर आपस में धक्का मुक्की व राहत अली के साथ मारपीट करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा कोटड़ा जिला उदयपुर (9.10.2002)** – अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मुस्लिम समुदाय की मजार की चादर चुराने व क्षतिग्रस्त करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।

- **कस्बा भवानी मण्डी जिला झालावाड़ (13.10.02)** – अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कब्रिस्तान से लगी भूमि पर संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **गाँव कुरज जिला राजसमंद (26.10.02)** – मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों द्वारा गाय के बछड़ों का वध करने के विरोध में भीड़ द्वारा मुस्लिम समुदाय की दुकानों में आग लगाने कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा सरदारगढ़ थाना आमेट जिला राजसमंद (29.10.02)** – अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मंशादेव हनुमान मंदिर में स्थित हनुमान मूर्ति को खण्डित करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई।
- **कस्बा निम्बाहेड़ा जिला चितौडगढ़ (17.11.02)** – हिन्दू समुदाय द्वारा मंदिर मस्जिद के बीच की जमीन पर अतिक्रमण कर पीपल के पेड़ की टहनी रोपने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **कस्बा सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (26.11.02)** – मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दू लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के विरोधस्वरूप हिन्दू लड़कों के साथ मारपीट करने के कारण साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
- **चितौडगढ़ शहर**–जिस पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँचकर मुस्लिम समुदाय के मौजिज लोगों को बुलाकर टेण्ट एवं डेकोरेशन हटवाया गया। टेण्ट हटाने पर मुस्लिम समुदाय के भी व्यक्तिएकत्रित होकर विरोध करने लगे तथा हिन्दू समुदाय के लोग कन्हैया लाल MV (अनुसूचित जाति मोर्चा, भाजपा) के साथ कुछ लोग ढोल बजाने के साथ नारेबाजी करने लगे। इसी तरह दोनों समुदायों में तनाव उत्पन्न होने के कारण कुछ समय के लिए स्थानीय बाजार बंद रहा।

3.3 राजस्थान में व्याप्त आतंकवाद का राजनैतिक संदर्भ में अध्ययन

यदि आतंकवाद को शांतिकाल में होने वाले युद्ध का पर्याय मान ले तो राजस्थान में आतंकवाद की समस्या भारत की आजादी के समय से नहीं रही है। राजस्थान के अनेक हिस्सों में आतंकवाद की समस्या नहीं थी लेकिन कुछ छुटपुट घटनाओं के अलावा कोई बड़ी घटना का जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन वर्ष 1990 के पश्चात् राजस्थान के कुछ जिलों इस समस्या से अछूते नहीं रहे वे इस प्रकार है–राजधानी जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर। इसके अलावा क्षेत्रीय समस्याएँ आजादी से पूर्व भी थी और आजादी के बाद भी यथावत् बनी रही। वर्तमान में कुछ राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भी क्षेत्रवाद की समस्या अपनी जड़ें बनाए हुए है।

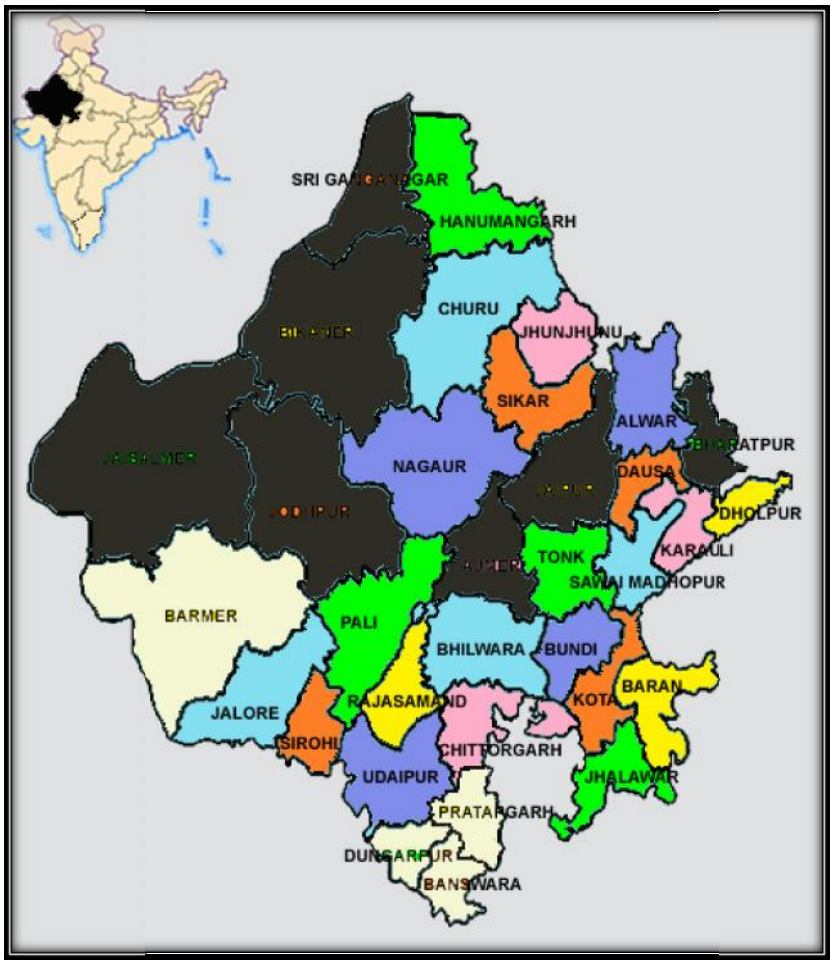

जयपुर सीरियल बम विस्फोट मामले में चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है. दो दिन पहले ही स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में चार को दोषी करार दिया था, जबकि एक को बरी कर दिया था 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट में कुल 80 लोगों की जानें गई थीं, जबकि 170 लोग घायल हुए थे. मामले में तीन ऐसे आतंकी शामिल थे, जिनका नाम अन्य सीरियल ब्लास्ट की घटनाओं में शामिल रहा है. राजस्थान के आतंकवाद निरोधक दस्ता भी मानता है कि जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस के दो आरोपी 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे. जयपुर सीरियल बम विस्फोट मामले में कुल 8 एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि 4 चार्जशीट दाखिल हुए थे. राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जयपुर बम विस्फोट मामले में 18 दिसंबर को चार आरोपियों को दोषी तथा एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया.

इसके बाद मामले में अदालत के न्यायमित्र (एमिक्स क्यूरी) शाहबाज हुसैन ने संवाददाताओं को बताया था, ''अदालत ने आरोपी शाहबाज हुसैन को दोषमुक्त करार दिया क्योंकि उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके. बाकी चार आरोपियों को आईपीएस की धारा 120 बी के तहत दोषी माना गया है शाहबाज पर इन धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाला ईमेल भेजने का आरोप था। बाकी चार दोषियों के नाम मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्द सलमान और सैफुर्रहमान है ये सभी अदालत में मौजूद थे लगभग 11 साल पहले 2008 में हुए आठ सिलसिलेवार बम धमाकों ने जयपुर के परकोटे इलाके को हिला दिया था उल्लेखनीय है कि इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अजमेर दरगाह में साल 2007 में हुए बम विस्फोट के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी पाए गए भावेश पटेल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता देवेंद्र गुप्ता और को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसके साथ ही पटेल पर 10,000 रुपये तथा गुप्ता पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

वहीं इस मामले में बचाव पक्ष के वकील जेएस राणा ने कहा कि यह सजा संभावनाओं के आधार पर सुनाई गई है. हम इसे निश्चित रूप से चुनौती देंगे. इससे पहले, जब इसी महीने 16 तारीख को विशेष अदालत में ये मामला आया था, तो बचाव और अभियोजन पक्ष दोनों ने अभियुक्तों, देवेन्द्र गुप्ता और भावेश पटेल की सजा को लेकर अपनी अपनी दलीले अदालत के सामने पेश की थी. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा पर फैसला बुधवार 22 मार्च तक के लिए टाल दिया था.

इस मामले में जयपुर की नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 3 लोगों भावेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता तथा सुनील जोशी को दोषी ठहराया, जबकि 5 को बरी कर दिया था. एनआईए कोर्ट से RSS नेता इंद्रेश कुमार को क्लीन चिट मिल गई थी, वहीं स्वामी असीमानंद को भी बरी कर दिया गया था, जबकि एक अन्य दोषी सुनील जोशी की मौत हो चुकी थी।

अजमेर स्थित प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को प्रेशर कूकर बम से ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 3 जायरीनों की मौत हो गई थी, जबकि 15 जायरीन घायल हुए थे. विस्फोट के बाद पुलिस को तलाशी के दौरान लावारिस बैग मिला था, जिसमें टाइमर लगा जिंदा बम मिला था. इसके बाद इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को

सौंप दी गई. एनआईए ने अपनी जांच में कुल 13 लोगों को धमाके का दोषी पाया था.

इस ब्लास्ट केस में स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, चंद्रशेखर लेवे, मुकेश वासनानी, लोकेश शर्मा, हर्षद् भारत, मोहन रातिश्वर, संदीप डांगे, रामचंद कलसारा, भवेश पटेल, सुरेश नायर और मेहुल आरोपी थे. एक आरोपी सुनील जोशी की हत्या हो चुकी है. वहीं आरोपियों में से संदीप डांगे और रामचंद कलसारा अभी तक गायब हैं।

3.4 हरियाणा की भौगोलिक स्थिति

हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चण्डीगढ़ है। इसकी सीमायें उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। यमुना नदी इसके उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा से तीन ओर से घिरी हुई है और फलस्वरूप हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र नियोजित विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है।

यह राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान है। इस क्षेत्र में विभिन्न निर्णायक लड़ाइयाँ भी हुई हैं जिसमें भारत का अधिकत्तर इतिहास समाहित है। इसमें महाभारत का महाकाव्य युद्ध भी शामिल है। हिन्दू मतों के अनुसार महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ (इसमें भगवान कृष्ण ने भागवत गीता का वादन किया)। इसके अलावा यहाँ तीन पानीपत की लड़ाइयाँ हुई। ब्रितानी भारत में हरियाणा पंजाब राज्य का अंग था जिसे 1966 में भारत के 17वें राज्य के रूप में पहचान मिली। वर्तमान में खाद्यान और दुध उत्पादन में हरियाणा देश में प्रमुख राज्य है। इस राज्य के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। समतल कृषि भूमि निमज्जक कुओं (समर्सिबल पंप)

और नहर से सिंचित की जाती है। 1960 के दशक की हरित क्रान्ति में हरियाणा का भारी योगदान रहा जिससे देश खाद्यान सम्पन्न हुआ।

हरियाणा, भारत के अमीर राज्यों में से एक है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह देश का दूसरा सबसे धनी राज्य है। वर्ष 2012–13 में देश में इसकी प्रति–व्यक्ति भारतीय रुपया 1,19,158 (अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर भारत के राज्य देखें) और वर्ष 2013–14 में भारतीय रुपया 1,32,088 रही। इसके अतिरिक्त भारत में सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पति भी इसी राज्य में हैं। हरियाणा आर्थिक रूप से दक्षिण एशिया का सबसे विकसित क्षेत्र है और यहाँ कृषि एवं विनिर्माण उद्योग ने 1970 के दशक से निरंतर वृद्धि का प्राप्त की है। भारत में हरियाणा यात्रि कारों, द्विचक्र वाहनों और ट्रैक्टरों के निर्माण में सर्वोपरी राज्य है। भारत में प्रति व्यक्ति निवेश के आधार पर वर्ष 2000 से राज्य सर्वोपरी स्थान पर रहा है।अरावली पर्वतमाला का विस्तार हरियाणा राज्य के दक्षिणी हिस्से में है।

हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक स्थलरुद्ध राज्य है। इसका विस्तार 27º39´ उत्तर से30º35´उत्तर तक के अक्षांशों तक और74º28´ पूर्व से77º36´ पूर्व तक के देशान्तरों तक है। राज्य की सीमायें उत्तर में हिमाचल प्रदेश, तथा दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ इसकी पूर्वी सीमा को यमुना नदी परिभाषित करती है। हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भी तीन ओर से घेरता है। राज्य का क्षेत्रफल44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का1.4 प्रतिशत है, और इस प्रकार क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का इक्कीसवाँ सबसे बड़ा राज्य है। समुद्र तल से हरियाणा की ऊंचाई700 से 3600 फीट (200 मीटर से 1200 मीटर) तक है। हरियाणा में आंतकवाद एवं साम्प्रदायिकता से सम्बन्धित कई मामले हुए है जिनमें निम्न मामले अग्रणी है–

बल्लभगढ मे दंगे के खिलाफ हरियाणा भवन पर विरोध प्रदर्शन

बल्लभगढ हरियाणा मे गत 25 मई को मुस्लिम समुदाय के लोगो पर हिन्दुत्ववादी कट्टरपंथियों द्वारा किये गये बर्बरतापूर्ण हमले और अमानवीय कृत्य के खिलाफ दिशा छात्र संगठन, आईसा, आईपवा, जन हस्तक्षेप आदि संगठनो ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पर विरोध प्रदर्शन किया।

दिल्ली में हरियाणा भवन पर प्रदर्शन करते दिशा छात्र संगठन के नौजवान एवं अन्य लोग

अटाली गांव से कुछ नागरिक भी इस प्रदर्शन मे शरीक हुए। ज्ञात हो कि बल्लभगढ मे अंतर्गत आनेवाले गांव अटाली मे 30 साल पुराने एक मस्जिद को मुद्दा बनाकर हिंसक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दिशा छात्र संगठन की वारूणि ने कहा कि सांप्रदायिक विद्वेष भडकाकर लोगो को आपस मे लडाने की यह घटना पहली नही है। देश मे अच्छे दिनों की शुरूआत हो चुकी है। असहमति और विरोध के स्वरो को कुचलने की पूरी तैयारी हो चुकी है।

हरियाणा की यह घटना सांप्रदायिक–फासीवाद की अभिव्यक्ति है। भाजपा के नेतृत्व वाली मनोहर लाल खट्टर की सरकार चुप है। यह चुप्पी सरकार की पक्षधरता को साफ बयान कर रही है। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय पर यह हमला जानबूझकर कराया गया है। दरअसल भाजपा की यह नीति ही रही है कि धार्मिक उनमाद फैलाकर लोगो को आपस मे लडाया जाये। केन्द्र मे मोदी सरकार और अन्य रायज्यो मे भाजपा की सरकार आने के बाद से तमाम हिन्दुत्ववादी नेता ओर संगठन प्रतिक्रियावादी बयानबाजियां करते रहे है ओर इस तरह की घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार करते रहे है।

हम बता देना चाहते है कि इस तरह के कृत्यो को कतई बर्दाश्त नही किया जाएगा ओर हम इस घटना पर मुख्यमंत्री से जवाब चाहते है और मांग करते है कि घटना की तुरंत विशेष जांच टीम द्वारा जांच करायी जाये और दोषियों को तुरंत सजा दी जाये। पीडित परिवारों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जायें। मुख्यमंत्री को इस बाबत एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमे छात्रो–युवाओं एवं नागरिको के हस्ताक्षर शामिल थे। कार्यक्रम मे नोजवान भारत सभा, जेएनयूएसयू तथा अन्य छात्र संगठनों ने भी भागीदारी की।

जुनैद हत्याकांड को लेकर पीडितों से मिले कांग्रेसी नेतागण

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर व अखिल भारतीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन खुर्शीद सैय्यद ने गांव खंदावली पहुंचकर रेल सफर के दौरान हुई जुनैद की हत्या पर उसके परिवारजनों कों सांत्वना दी। पीडितों का दुख बांटते हुए उन्होने इस घटना की कडी निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए समाज मे कोई स्थान नही है और सरकार को चाहिए कि इस हत्याकांड के दोषियों को सख्त सजा देकर पीडितों को न्याय दिलाना चाहिए। केन्द्र व प्रदेश मे भाजपा सरकार आई है, तब से समाज मे जात–पात व धर्म के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है। और षडयंत्र के तहत समाज मे भाईचारा बिगाडने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होने कहा कि भाजपा सरकार मे कानून व्यवस्था इस कद्र लचर हो चुकी है कि अपराधियों व असामाजिक तत्व बिना किसी डर के समाज के माहौल को बिगाडने मे लगे हुए है इसलिए आज हम सभी को एकजुट होकर ऐसी ताकतों से मिलकर लडने की आवश्यकता है। उन्होने खट्टर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस हत्याकांड के 14 दिन बीतने के बावजूद भी

मुख्य आरोपी की गिरफ्तार न होना प्रदेश मे कानून व्यवस्था कलई खोलता है, पुलिस इस मामले मे खानापूर्ति करने के लिए निर्दोष लोगो को तंग करना बंद करें और असली गुनहगारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पीडित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें।,

इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन खुर्शीद सैय्यद ने भी इस घटना को इंसानियत के लिहाज से गलत करार देते हुए उपस्थित समाज के लोगो से शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि इस मामले के दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नही जाएगा और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पीडित परिवार के साथ खडी है और उन्हे न्याय दिलाकर ही दम लेगी।

तावडू दंगे का घटनाक्र

दंगे के सरकारी दौरे के दौरान टीम सदस्यो ने घटना के केन्द्र बिन्दु बने मुख्य बाजार का दौरा किया। जहां हम आशू (सरपंच, बाजार मे लकडियों के आरे के मालिक) टैकराम सैनी (मण्डी मे आढती व कांग्रेसी नेता) से मिले। इसके बाद डम्पर और मोटर साईकल के बीच हुई भिडंत की जगह देखी, और वही दुर्घटना के बाद हुई घटनाओं के चश्मदीद गवाह सवाई सहरावत (इनैली पार्टी के नेता) से बातचीत की। दुर्घटना मे मृतक दानवीर के परिवार व पडौसियों से मिलने के बाद टीम ने इनैलों के भूतपूर्व एम.एल.ए शाहिदा खान, स्थानीय पुलिस, साधारण दुकानदारों से बातचीत की। टीम ने उन धार्मिक स्थलो का दौरा भी किया जिन्हे क्षतिग्रस्त करने के आरोप लगाए गए। इसमे पटले नगर स्थिति शिव मंदिर व शहर के बीचो–बीच मौजूद जामा मस्जिद व कुरैशी मस्जिद शामिल है।

क. 8 जून, 2014 की घटनाएँ

दिनांक 8.6.2014 की सुबह 7 बजे के आसपास पटौदी रोड पर मौहम्मदपुर मोड के पास दानबीर पुत्र सुखबीर की मोटरसाईकिल (नं. एचआर. 27ई–2368018) की भिडंत एक ट्रक (डम्पर नं. एचअआर 63–7105) के साथ हो गई। इस ट्रक की चालक व सहायक मेव समुदाय से थे। मोटरसाईकिल चालक दानवीर जोकि दलित समुदाय से थे, कि मौके पर ही मृत्यु हो गई।

ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। लेकिन सडक के आसपास रहने वाले लोग घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए और उन्होने ट्रक के सहायक मौहम्मदद रहीम पुत्र हाजर व एक अन्य सहयोगी मुनफेद पुत्र आशू को पकड लिया। भीड मे शामिल अधिकतर लोग दलित व जाट समुदाय से थे। इस पिटाई मे मुख्य भूमिका दुर्घटना स्थल के पास इसी बीच अफवाह फैल गई की भीड ने ट्रक के खलासियों को पीट–पीट कर मार दिया है। राह चलते मेवों की पिटाई ने इस अफवाह को मजबूती प्रदान कर दी। बताया गया कि पंचगांव के रहीम सिंह नम्बरदार ने गांवो मे मस्जिद से घटना के बारे मे जानकारी देनी शुरू कर दी, जिससे आस–पास के गांव के 1000–1500 मेव तावडू शहर के पटौदी चौक पर इकट्ठा हो गए। अफवाहो और घटनाओं से गुस्साई भीड ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमे कुछ दूकानो मे लाखो रूपये का सामान टुट गया या लूट लिया गया। इस बीच कुछ मेव नवयुवको ने फायरिंग भी कर दी, शहर के एक मन्दिर की दीवार पर फायरिंग के निशान मौजूद थे। शहर के नवयुवक रोहित के पेट और हसली मे और रिसाल पुत्र मनफूल की गर्दन मे गोली लगी। कई लोग इस फायरिंग मे चाटिल हो गए।

सवाई सिंह सेहरावत के अनुसार मेव समुदाय के कुछ लोग गुजरात नही मेवात है के नारे बुलंद कर रहे थे। मृतक परिवार से मुलाकात के समय

अचानक कमरे मे आए एक युवा लडके ने तैस मे आकर कहा कि आस–पास के तीन गएवं शिकारपुर, बावला, धुलावट ग्वारका गांव के मेव हमारे उपर हावी होते जा रहे है। आरोप है कि शहर मे एकत्र होने वाले मेवों मे शहर से सटे इन्ही गांवो के लोग ज्यादा थे।

दंगा भडकाने की नीयत से कुछ लोगो ने इस दंगे को पूर्णतया धर्मिक रंग मे रंगने की कोशिय की व अफवाहें फैलाई। सवाई सिंह के अनुसार उनके घर मे कुछ नवयुवको ने आकर कहा कि मेवों ने शहर के एक चौक मे गाय काट दी है। सवाई सिंह ने घटना के बारे मे तुरंत जानकारी इकट्ठी की, जिसमे पता लगा कि गाय काटने की खबर अपवाह मात्र थी। उसने मेवों से लडने के लिए चौक पर एकत्र हुए नवयुवको को तुरंत सही जानकारी देकर शांत किया।

मेवो द्वारा हिन्दु लडकी के अपहरण की अफवाह भी उडाई गई। इस घटन के बारे मे भूतपूर्व एमएलए शाहिदा खान ने उस मोहल्ले मे लोगो को सही सूचना इकट्ठी करने के लिए भेजा। वहा ंस पता लगो कि किसी लडकी का अपहरण नही हुआ है। इस खबर की जानकारी भी सभी तावडूवासियों को तुरंत दी गई, ताकि अफवाहो की असलियत जनता को बताकर दंगा भडकाने से रोका जा सकें।

इसी तरह एक और अफवाह फैलाई गई कि मेवो ने पटेल नगर स्थित मंदिर मे तोड–फोड की है व उसमे रखी हिन्दु देवी–देवताओ की मूर्तियो को तोड दिया है। इस घटना के बारे मे भी जानकारी एकत्र की गई। मेवो मे कुछ लोग जब फायरिंग कर रहे थे तो मंदिर की बाहरी दिवार पर भी गोली लगी थी। गोली के निशान मंदिर की बाहरी दिवार पर अभी भी मौजूद थे।

शोषण–उत्पीडन के खिलाफ हिन्दु–मुस्लिम जनता के एकजुट लडाकू संगठनों कि मिसाल का दौर

सांप्रदायिक आधार पर दंगे तो मेवात मे औपनिवेशिक काल की परिघटना ही है। मेव के कबिलो की इस इलाके मे बसावट और इस्लाम अपनाने के बाद से ही यहां का इतिहास शोषण–उत्पीडन के खिलाफ संर्घष का रहा है।

मेवात क्षेत्र मे मेवो का आगमन 11 सदी मे हुआ। उस समय वे कबिलाई अवस्था मे थे और घुमन्तु पशुचारी कबीले के बतौर अपनी जिंदगी बसर करते थे। 11 सदी से ही मेवों ने मुस्लिम धर्म अपनाना शुरू किया थां जब संत सलार ने मेवात की धरा पर कदम रखे थे। मेव उन्हे बहुत मानते थे और उन्होने ही मेवो को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कुछ इतिहासकारो का कहना है कि मेव राजपूतों के वंशज है। अंग्रेज प्रशासको एचएस रोज के अनुसार मसुआद गाजी ने 1002 ईसवी में राजपूतों को मुस्लिम कबूल करवाया, वही मेंवो के बारे मे कई किताब लिखने वाले शैल मायाराम के अनुसार चौदंवी सदी के मध्य मे मेव मुखिया नाहर सिंह ने तुगलक के समक्ष समर्पण कर दिया और इस्लाम कबूल करके अपना नाम नाहर खान रख लिया। नाहर खान ने तुगलक की अधीनता स्वीकार कर उसे नजराना ओर पेशकश देनी शुरू की। बाद मे मेवो का यह वंश खानजाद और बाद मे खानजादायस कहलाने लगा। मेवों के मुस्लिम धर्म अपनाने की प्रक्रिया जो भी रही हो, पर मेवों के लिए इस्लाम कबूल करने का मतलब कभी भी मेव सल्तनत या मुगल बादशाहत का साथ देना नही रहा। खुद को अधीन बनाए जान के खिलाफ वे लगातार संघर्षरत रहे।

मुहम्मद गौरी द्वारा चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा हराने के बाद से दिल्ली को अहं दर्जा मिलना शुरू हो गया और दिल्ली सल्तनत की राजधानी बन गई। उसी समय इस इलाके मे बसावट का दौर चल रहा था। यहां के जाट सहित कई कबिले खेतीहर जीवन अपना रहे थे।

दिल्ली को राजधानी बनाए जाने से मेवों के पशुचारी घुमंतु कबीले की जिंदगी मे दिक्कते पैदा हो गई। उनका जीवन निर्वाह मुश्किल हो गया। 13 वीं सदही के मध्य तक मेव दिल्ली, जिसमे महरौली को सल्तनत की राजधानी बनाया गया था, के दक्षिण मे बस गए। इसी इलाके को आधार बनाकर उन्होने सल्तनत के शोषण व जुल्मो का प्रतिरोध किया। इस इलाके में आने से पहले सिंध मे भी मेव, जहां उन्हे मेढ कहा जाता था। अरबो के कब्जे के खिलाफ लडते रहे थे। सल्तन काल मे उन्होने बलबन की बादशाहत के खिलाफ जबरदस्त लडाई लडी। इस लडाई के बाद मेवो के खेतीहर समाज मे बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और खेती मे पेदावार इतनी बढी की इस सरप्लस के कारण तुगलक काल मे इस इलाके मे कस्बे बनने भी शुरू हो गए।

बाबर के भारत आने तक यह इलाका अपनी खेती के लिए मशहूर हो चुका था। यहां के राजस्व को देखते हुए बाबर ने इस इलाके को नियंत्रित करने की कोशिश की। परंतु हसन खान मेवाती के नेतृत्व मे मेवो ने बडी बहादूरी के साथ बाबर की फौजो का मुकाबला किया। राणा सांगा के साथ मिलकर हसन खान मेवाती ने बाबर के खिलाफ मोर्चाबंदी की तथा आमने–सामने की लडाई लडी। इस लडाई मे हसन खान मेवाती खेत रहे। मेवात का इलाका मुगलो के मातहत आ गया। इसी दौरान मेव खेती–बाडी मे तरक्की करते हुए ताकतवर बन गए और मुगलो के प्रशासनिक व्यवस्था मे प्रवेश पा लिया। अकबर के काल मे तिजारा, अलवर और साहर की सरकारों के अंतर्गत बीस से अधिक परगनों मे मेवो को चौधरी नियुक्त किया गया।

गौरतलब है कि इसी दौरान हरियाणा के अन्य इलाकों मे जाटों को भी मुगल प्रशासनिक व्यवस्था मे शामिल कर चौधरी नियुक्त किया गया था।

18वीं सदी मे मुगलो के संरक्षण मे अम्बेर के कछवाहा राजपूतो ने इजारा व्यवस्था शुरू करके मेव जमींदारो को नियंत्रित करने की कोशिश की और मेव मुस्लिमों और खानजादासों से जमीन छीनकर राजपूतो को देनी शुरू की। इसी तरह की कोशिश नकुरा राजपूतो ने भी की। मुगलो–राजपूतो की मिलीभगत से जमीन छिनने की इस कोशिश के खिलाफ भी मेव मुस्लिमों ने जबरदस्त प्रतिरोध खडा किया। भरतपुर मे जाटों के शासन के खिलाफ भी मेव की लडाई जारी रही।

मेवो का संपूर्ण इतिहास राज्य के जुल्मो के खिलाफ लडने का रहा है चाहे राजा हिन्दू हो या मुस्लिम। उनके लोकगीत व किस्से बहादुरी की गाथाओ से भरे पडे है।

इस पथराव मे उनके घर की बैठक का शीशा भी टुट गया। कुछ लोग सवाई सिंह पर मेवो का समर्थन करने का आरोप लगा रहे थे। घायलो को भीड से बचाने के लिए पुलिस को भी काफी संघर्ष करना पडा। अन्तः ट्रक के खलासियों को भीड से बचाकर अस्पताल पहुचाया गया।

इसी बीच, कुछ असामाजिक तत्वो के भडकोने पर भीड ने सडक पर अवाजाही करने वाले मेव समुदाय के लोगो को भी पीटना शुरू कर दिया। उन्होने राह चलते मेवों को ही नही पीटा, बल्कि साईकलो और मोटरसाईकलो पर सवार मेव समुदाय के लोगो को वाहनो से उतार–उतार कर पीटा। उन्होने मेव समुदाय की 3 मोटरसाईकिल को आग के हवाले तक कर दिया, पुनहाना के हिरवादी गांव के एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की, एक नोजवान को चाकू से गोद दिया, कई लोगो को रॉड से भी पीटा गया, यहां तक की कानूनी

कार्रवाई करने आए पुलिसकर्मियो पर भी भीड ने पथराव किया। सवाई सिंह सेहरावत ने बताया कि भीड मे कुछ लोग मोदी की जय–जयकार का उद्घोष कर रहे थे। उनके अनुसार यदि पुलिस समय पर आ जाती तो सडक दुर्घटना को दंगे मे तब्दील होने से रोका जा सकता था।

जिसमे सैकडो की संख्या मे लोग शामिल हुए थे। आरोप है कि इस बैठक मे मेवों को सामान बेचने पर रोक लगाने व बाजार बंद रखने की का आह्वान करते हुए घोषणा की गई थी कि अगर कोई दुकानदार मेवो को सामान बेचता पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना किया जाएगा। बताया गया कि जुर्माने की रकम 11000 रखी गई थी।

8 जून को ही कर्फ्य के दौरान दोपहर 3 बजे के आसपास दस–पंद्रह नवयुवको ने शहर के बीचो–बीच मौजूद दो मस्जिदों, कुरैशी मस्जिद और जुम्मा मस्जिद मे घुसकर हुडदंगबाजी की। उन्होने कुरैशी मस्जिद मे मौलवी के कमरे मे रखे सामान मे आग लगा दी तथा जुम्मा मस्जिद मे मुसलामानों की पवित्र पुस्तक कुरान सहित सारा सामान एकत्र कर आग के हवाले कर दिया। शाम 4.30 बजे शहर के बीचों–बीच पाटुका गांव के निवासी अफसील उर्फ गदर द्वारा बनाए जा रहे नवनिर्मित शोरूम को भी जला कर खाक कर दिया गया, जिसमे करोडो रूपये का सामान स्वाह हो गया।

इन घटनाओं मे पुलिस ने 12 प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। जिसमे तीन लोगो को गिरफ्तार किया गया है। जिसमे दो मुस्लिम व एक हिन्दू है।

8 जून के बाद कई दिन तक तावडू शहर मे कर्फ्यू लगा रहा। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स की एक कम्पनी, सीआरपीएफ की 2 कम्पनी, बीएसएस की तीन कम्पनी तावडू मे तैनात रही। इसके अलावा हरियाणा के

1000 पुलिसकर्मियो की तैनाती भी तावडू मे की गई। इस दौरान हिन्दू धर्म को मानने वाले शहर के व्यापारियों ने बाजार, एडवोकेट रमजान, जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ता भी है, ने बताया कि उनके एक हिन्दू दोस्त के कारखाने को बंद करवाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता आर.पी. शर्मा ने ही फोन किया क्योंकि कारखाने के मालिक ने इस बंद के आह्वान पर अपना कारखाना बंद नही किया था।

12 जून को राजस्थान के टोंक लोकसभा क्षेत्र के सांसद व सोहनवासी सुखबीर सिंह जौनापुरिया, भिवानी महेन्द्रगढ से सांसद धर्मवीर सिंह और बीजेपी नेता रामविलास शर्मा ने तावडू के पास पतरेडी गांव मे जनसभा की। इस जनसभा मे बीजेपी के सांसदो ने तावडू सोहना के बीच मे अर्ध सैन्य बलो को स्थायी तौर पर तैनाती की मांग की। बताया गया कि इन जनसभा मे राम विलास शर्मा ने सभा को भडकाने के लिए कहा कि यह टेशन लेने का नही देने का समय है।

1990 के बाद आरएसएस की अगुआआई में सम्प्रदायिक आधार पर विभाजन

1990 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की मेवात मे आवाजाही बढ गई। 1991 मे बाबरी मस्जिद ढहाने अयोध्या गए कुछ लोगों में गृह के बनिया जाति के कुछ नौजवानों ने भी शिरकत की थी। बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद नूंह में कुछ लोगों ने पटाखे भी जलाएं और सडको पर नाचने लगे। आरएसएस और उसके संगठनो द्वारा हिन्दू जनता को धार्मिक आधार पर लामबंद करने के लिए चलाई जा रही सांप्रदायिक मुहिम का असर मेवात में भी दिखाई देने लगा। 1947 से शांत चले आ रहे माहौल मे हरकत पैदा होने लगी। मेंवात मे एक बार फिर धर्म के आधार पर गोलबंदी शुरू हो गई।

विभाजन के समय तो इस इलाके में मुस्लिम लीग भी सक्रिय थी और राजनीतिक लाभ के लिए वह भी मेवात मे सांप्रदायिकता को बढावा देती थी। 1947 मे विभाजन के बाद इस क्षेत्र मे मुस्लिम लीग तो नही रही, परंतु हिन्दू राष्ट्र के नाम पर हिन्दू जनता को गोलबंद करने के लिए आरएसएस का कामकाज इस क्षेत्र मे जारी रहा।

1990 के दशक मे अयोध्या मे राम मदिर निर्माण के जरिएण हिन्दुओ की धार्मिक आधार पर गोलबंदी ने मेवात के हालात भी बिगाड दिए। 1947 की यादें उभर गई और विषमयी सांप्रदायिकता एक बार फिर इस इलाके मे पैर पसारने लगी। इसी माहौल मे मेवो के कुछ लडको ने एक मदिर पर हमला कर दिया। इसके बाद मेवात के उजीना मे आरएसएस और बजरंग दल के नेतृत्व मे हिन्दू भीड ने चार मेवों को जिंदा चला दिया। मेवात मे तुरंत सुरक्षा बल भेजे गए। सुरक्षा बलो ने समुदाय विशेष की तरफदारी करते हुए मेव गांवो पर ही दबिश दी, मेवो से मारपीट की और सैंकडज्ञे मेवो पर केस दर्ज कर दिए। मेव पास के जंगलो ओर पहाडों मे शरण लेने पर मजबूर हो गए।

हथियारों के लाईसेंस देने तक मे सरकार ने भेदभाव किया। हिन्दुओ को हथियार के लाईसैंस तुरंत मिल जाता था, जबकि मेवो को हथियार का एक लाईसेंस भी जारी नही किया उस समय हरियाणा मे कांग्रेस का राज था।

मेवात मे हिन्दु–मुस्लिम समुदायों की एकता मे दरारे पडनी शुरू हो गई। हिन्दू मुस्लिम के बीच रोजमर्रा के व्यक्तिगत झगडों को भी दंगे की शक्ल देने की कोशिश की जाने लगी।

14 सितम्बर 2011 को भरतपुर जिले के गोपालगढ मे भी गुर्जरों और मेवों के बीच कब्रिस्तान की जमीन को लेकर हुए विवाद को भी दंगो का रूप दे दिया गया। गौरतलब है कि 13 सितम्बर को गुर्जर समुदाय के कुछ लोगों

ने मस्जिद के मौलवी की पिटाई की थी। 14 सितम्बर को जब मेव मस्जिद के पास इकट्ठे हुए तो आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद के नेताओ और गुर्जर नेताओं ने पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर का घेराव कर मेवों पर पुलिस फायरिंग करवाई। इस घटना मे 8 मेंव मारे गए। ये सभी पुलिस की गोली से मरे थे। पीयूसीएल की रिपोर्ट के अनुसार भी गोपालगढ मे प्रशासन ने आरएसएस बजरंग दल आदि के दबाव मे मेवो पर गोलियां बरसाई थी।

2012 मे पटियाला से पकडे गए चार नवयुवकों प्रवीण शर्मा, रामनिवास, गुरनाम सिंह और राकेश कुमार ने भी कबूल किया कि उन्होने हिन्दू धर्म को बचाने के नाम पर सन 2009 मे मेवात के एक कसाईखाने मे बम रखा था

मोदी के सत्तारोहण : आक्रमकता, भय, और मुकाबला करने की मानसिकता

देश मे राजनीतिक बदलाव का असर भी इस घटना के दौरान दिखाई दिया। नेरन्द्र मोदी के देश की सर्वोच्च सत्ता पर आसीन होते ही मेवात मे जहां आरएसएस बजरंग दल जैसे संगठनों के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हो गए और वे मोदी की जय–जयकार करके हर मुसलमान को भारत से खदेडने या फिर अपने नियंत्रण मे रखने का सपना देखने लगे है। मोदी के सत्तासीन होने के बाद गुजरात का 2002 का मुस्लिम जनसंहार मेवात के मेवो की आंखो के सामने घुमने लगा है। मोदी की जय–जयकार के जवाब मे उन्होने भी नारा बुलंद कर दिया– गुजरात नही मेवात है। मुस्लिम नरसंहार का भय ने उन्हे जल्दी गोलबंद कर दिया और उपरोक्त घटना के कुछ घंटो बाद ही आस–पास के गांव मे मेव तावडू मे जमा हो गए और तावडू मे कुछ जगह रोड जाम कर दिए और कुछ जगह फायरिंग भी कि, जिसकी गोलियां अन्य जगह के अलावा मंदिर पर भी लगी।

1947 : विभाजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे

जब पाकिस्तान बनने का आंदोलन तेज हुआ तो यहां की जामा मस्जि से भारी संख्या मे मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाए जाने की खिलाफत तक की थी। इसके बावजूद अखिल भारतीय स्तर की राजनीति का असर इस इलाके पर भी पडने लगा।

मुस्लिम लीग ने इस्लाम खतरे मे है के नारे का प्रचार किया, तो भरतपुर और अलवर के राजा के सरंक्षण मे हिन्दू महासभा के मुजे ने हिन्दू राष्ट्र बनाने के नारे को इस इलाके मे फैलाने की भरपूर कोशिश की। 1936 से ही धर्म के आधार पर द्वि–राष्ट्र के सिद्धांत की वकालत करने वाले आरएसएस के सरसंघचालक गोलवकर ने जुलाई 1947 मे इस इलाके मे लगाए गए साप्ताहिक शिविर मे खुद भागेदारी भी कि। बताया जाता है कि उस समय गुडगावं मे बनियों, जाट, जैन, और अनुसूचित जाति के कुछ लोग आरएसएस का समर्थन कर रहे थे। आरएसएस सभी मुसलमानो को विदेशी के रूप मे प्रचारित कर रही थी। ढिढवाना मे हुए बैठक मे मुस्लमानों को बाहर खदेडने के लिए हिन्दुओ को आह्वान किया गया। भरतपुर अलवर के राजाओ ने आरएसएस को हथियार और गोला–बारूद बनाने की इजाजत तक दी थी। अलवर और भरतपुर की रियासते आरएसएस व हिन्दू महासभा के सैन्य और राजनीतिक प्रशिक्षण का अड्डा बन गई थी।

उस समय डॉ. असरफ ने पाल प्रदेश के नारा दिया। वे पाल व्यवस्था को एक लोकतांत्रिक संस्था के रूप मे देखते थे जोकि हिन्दू–मुस्लिम विवादों को रोकने में दिवार का काम कर सकती थी। सांप्रदायिक ताकतो ने इसे गलत तरीके से पेश करते हुए पाल प्रदेश के निर्माण के नारे को मिनी पाकिस्तान का नाम दे दिया और डॉ. अशरफ को दूसरे जिन्नाह का तमगा

जडते हुए आरोप लगाया गया कि वे मेविस्तान के रूप मे दूसरा पाकित्सान बनाना चाहता है।

इसके अतिरिक्त डॉ.अशरफ के विचार इसके एक दम उल्टे थे। डॉ. अशरफ पाल प्रदेश के निर्माण के जरिए अलवर और भरतपुर जैसी रियासतों के खात्में का सपना देखते थे। वे पाल व्यवस्था को देहाती मेवात मे स्वायत प्रशासन चलाने के लिए अत्यंत उपयोगी मानते थे। मेवात किसान आंदालेन के चरम पर एक पर्चा जारी किया गया जिसमे उन्होने पाल प्रदेश बनाने का प्रस्ताव रखा। इसमे लिखा था कि पाल प्रदेश मेवात मे स्थानीय प्रोविंशीयल सरकार के बतौर काम करेगा और यह स्वंतत्र भारत की एक इकाई के रूप मे रहेगा।

वे पाल प्रदेश मे मेवात और आस–पास के इलाके को शामिल करना चाहते थे, जिसमे अलवर, भरतपुर, गुडगावं के इलाके के अलावा वे अलवर और भरतपुर की सारी रिसायत, समस्त गुडगावं जिला, आगरा व मेरठ डिविजन तथा दिल्ली शहर को छोडकर सारा दिल्ली प्रांत शामिल थे। ऐसे प्रदेश की सोच मे मेविस्तान नही थी, जैसा कि सांप्रदायिक ताकतो ने निहित स्वार्थो के कारण इसे पेश किया। उनके पाल प्रदेश मे मेव अल्पसंख्ख्यक ही रहते। पाल प्रदेश निर्माण हेतु मेवात की फिरोजपुर झिरका तहसील मे पहली पंचायत आयोजित कि गई जिसमे मेवात के जाट और मेव चौधरियों के अलावा मथुरा अलवर और भरतपुर के लोगो ने भी इसमे भागेदारी की थी।

जाटो के एक हिस्से और मुस्लिम लीग दानो ने ही पाल प्रदेश बनाने की खिलाफत की थी। जहां मुस्लिम लीग धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाने का नारा लगा रही थी, वही भरतपुर का राजा विजेन्द्र सिंह भी जाटिस्तान बनाने का सपना रच रहा था। इससे पूर्व की पंचायत मे चर्चित पाल प्रदेश का

मामला परवान चढ पाता, मेवात भारत पाक विभाजन के दंगो की चपेट मे आ गया।

जनवादी आंदोलन, हिन्दू मुस्लिम

आरएसएस जोर शोर से प्रचार मे जुटी थी कि मेवात मिनी पाकिस्तान बन गया है। इस बारे मे माहौल बनाने के लिए आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य लगातार लेख भी प्रकाशित कर रहा है। इन लेखो मे मेंवों के खिलाफ सांप्रदायिक दृष्टिकोण से दोषारोपण किए गए है। मेव लडके हिन्दू लडकी के प्रेम विवाह को लव–जिहाद या बहू–बेटियों के अगवा किए जाने का रूप दिया है तो हिन्दू लडके व मेव लडकी के बीच विवाह को धर्मान्तरण की साजिश की तरह पेश किया गया है। इसी तरह गांव मे हिन्दुओ की जनसंख्या मे आ रही कमी को भी धर्म के आधार पर दबाव बनाने की तरह पेश किया गया। गांव मे शमशान की जमीन पर कब्जा हो या गांव से हिन्दुओं को भगाने या तंग करके जमीन सस्ते दामो पर खरीदना–सभी मामलो मे आरोप लगाया गया है कि यहां के मेव मेवात को पाकिस्तान बनाना चाहते है इसलिए मेव मुस्लमान इस इलाके से हिन्दुओ को खदेडने के लिए उन्हे तंग कर रहे है।

वास्तव मे ये लेख तथ्यों की मनमर्जी से की गई व्याख्या है। प्रेम विवाह, शमशान भूमि पर कब्जा, हुक्का पानी बंद करना हरियाणा के लगभग हर गावं की रोजमर्रा की है कि हरियाणा मे दबंग गरीबो को दबाने के लिए रोजाना जूर्म ढहाते है जगजाहिर है कि हरियाणा मे दबंग जातिया द्वारा दलितों व पिछडी जातियों के सामाजिक बहिष्कार के किसी भी मसले मे आरएसएस व उससे संबद्ध संगठनो ने कोई विरोध तक दर्ज नही करवाया है चाहे वो मिर्चपुर, खरक पांडवा, हरसौला हो या भगाना हो। आरएसएस और मुस्लिम लीग जैसे सांप्रदायिक संगठन हर घटना को केवल हिन्दु मुस्लिम लीग जैसे

सांप्रदायिक संगठन हर घटना को केवल हिन्दु मुस्लिम नजरिए के चश्मे से ही देखते है और निहित स्वार्थ को पूरा करने के लिए हिन्दुओं को मुस्लमानों के खिलाफ खडा कर देते हे। इसके जरिए वे उन तत्वों पर भी पर्दा डाल देते है। वे हिन्दु मुस्लिम विद्वेष और दंगो के जरिए न केवल राजनीतिक हित साधते है, बल्कि समुदाय विशेष को दबंगई के जरिए दबाकर आर्थिक हित पूर्ति का साधन भी बनाते है।

हरियाणा मे गौकशी, दूसरे धर्म की औरतो के अपहरण व मन्दिर–मस्जिद की काम नही करने देता। इसलिए गदर पार्टी जैसे आंदोलन एकजुट व एकजान रहे जिसमे सिख बढ–चढकर फाँसियों पर चढे और हिन्दु मुसलमान भी पीछे नही रहे।

परंतु बीजेपी, मेवात भगत सिंह जैसे शहीदों के नाम का इस्तेमाल कर धर्म विशेष के खिलाफ विष फैला रही है और जनता मे महंगाई के खिलाफ रोष को मुसलमानों के खिलाफ रोष मे बदलने के लिए ऐसी पोस्ट डाल रही है। साप्रदायिक ताकतो के विचारो के उल्ट भगत सिंह आर्थिक समस्याओं के खिलाफ लडाई को ही वो मुक्ति का मार्ग मानते थे। इसी लेख मे उन्होने लिखा है–

''लोगो को परस्पर लडने से रोकन के लिए वर्ग–चेतना की जरूरत है। गरीब, मेहनतकशों व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूँजीपति है। इसलिए तुम्हे इनके हथकंडो से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे चढ कुछ न करना चाहिए। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही है। तुम्हारी भलाई इसी मे है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओं और सरकार की ताकत अपने हाथों मे लेने का प्रयत्न करो।

इन यत्नों से तुम्हारा नुकसान कुछ नही होगा, इससे, किसी दिन तुम्हारी जंजीरे कट जायेंगी और तुम्हे आर्थिक स्वंतत्रता मिलेगी।''

3.5 हरियाणा में व्याप्त आतंकवाद का राजनैतिक संदर्भ में अध्ययन

उधर पठानकोट में आतंकी घटना हुई और इधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव को रोहतक में हरियाणा की पूरी सरकार जुटी थी। यहां आतंकी घटना पर दुख जताते हुए आतंक के खिलाफ सरकार के रूख को साफ किया गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आतंकवादी हमले के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि एकजुट होकर रहना चाहिए। जिससे आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए सके। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार का किसी भी तरह से कोई ढिलाई नहीं है। आतंकवादियों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी और इसे जड़ से मिटाया जाएगा।

शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि आतंकी घटना का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि आतंकवादी भारत–पाकिस्तान के बीच सौहार्द कभी नहीं देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के विरोध में मुहिम चलाई हुई है।

प्रदेश प्रभारी के अनुसार पाकिस्तान के साथ शुरू हुई शांति प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं, सीएम मनोहर लाल खट्टर ओएसडी मीडिया राजकुमार भारद्वाज की मां सुशील प्रभा के निधन पर शोक जताने उनके गांव हसनगढ़ पहुंचे। सीएम भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष कृष्णलाल विज के निधन पर भी शोक जताने पहुंचे।

3.6 राजस्थान एवं हरियाणा में आतंकवाद के प्रमुख कारण

आतंकवाद एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो कई–एक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कारणों के ऊहापोह की उपज है। यह जरूर हो सकता है कि इनका प्रतिशत अलग हो, या विभिन्न स्थितियों में यह प्रतिशत कभी किसी एक कारण के पक्ष में ज्यादा हो तो दूसरी स्थिति में या समय में दूसरे कारण के पक्ष मे। यह भी जरूरी नहीं कि एक देश या क्षेत्र–विशेष में आतंकवाद के जो कारण रहे हों, वे दूसरी जगह भी होने से वहाँ आतंकवाद जन्म लें। अलग–अलग देशों या क्षेत्रों के लोगों की सहनशक्ति संवेदनाओं और जानकारियों में अन्तर होना स्वाभाविक है। मूलतः आतंकवाद का बीज एक छोटे से कारण के रूप में उगता है और धीरे–धीरे यह बीज एक विशाल विनाशकारी कांटेदार पेड़ का स्वरूप अख्तियार कर लेता है। यदि ऐतिहासिक परिपेक्ष्य को ध्यान में रखा जाए तो आतंकवाद के कई प्रकार के आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य कारण है।

आर्थिक कारण

निम्न आर्थिक कारण अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए उत्तरदायी है।

- बेरोजगारी या निम्न रोजगारी।
- गरीबी।
- धन–सम्पत्ति के स्वामित्व में भारी अन्तर।
- एक विशेष इलाके का पिछड़ापन।
- अतिभोगवाद।
- एक संम्प्रदाय, जाति, धर्म–समूह आदि का आर्थिक पिछड़ापन।

- उद्योगों की कमी।
- एक विशेष वर्ग का आर्थिक शोषण, जमीदारी प्रथा, बंधुआ मजदूरी आदि।
- राष्ट्र की कमजोर मुद्रा, नकली मुद्रा का प्रचलन।
- बाहरी आर्थिक मदद का आसानी और अधिकता से मिलना।
- आर्थिक अपराधों को बढ़ावा। कमजोर, भ्रष्ट और गैर जिम्मेदाराना न्याय प्रणाली और टैक्स प्रणाली, अनुचित व शिथिल आर्थिक तंत्र।

एक सामान्य सी कहावत है – भूखे पेट वाले व्यक्ति से कुछ भी गुनाह करवाया जा सकता है। एक तरह से विश्व में जो छोटी–मोटी आतंकवादी घटनाएँ होती है उनकी पीछे भूख, अभाव, शोषण और उपेक्षा बहुत बड़े कारण है। विश्व की आज हालत यह है कि उसकी 80 प्रतिशत जनसंख्या के पास संसार के 20 प्रतिशत से भी कम संसाधन है और 20 प्रतिशत जनसंख्या के पास 80 प्रतिशत से भी अधिक संसाधन है।[3]

राजनैतिक कारण

आतंकवाद के निम्न राजनैतिक कारण है।

- राजनैतिक भेदभाव
- राजनैतिक अस्थिरता
- विकास – कार्यों में राजनैतिक दबाव, भेदभाव, हस्तक्षेप और एक क्षेत्र–विशेष की अवहेलना।
- जन आकांक्षाओं के विपरित एक राजनैतिक तंत्र की स्थापना एवं संचालन।
- कमजोर, गैर जिम्मेदाराना, अनुभवहीन, निष्प्रभावी नेतृत्व।
- एक तंत्र विशेष (प्रजातंत्र, राजतंत्र, तानाशाही आदि)
- राजनैतिक और वैचारिक मतभेद

- कुंठा ग्रस्त नौजवानों या समूहों को राजनैतिक शरण, जो कम पढ़े लिखे लोगों या बेरोजगार युवकों को अपनी और आकर्षित कर लेती है।
- असन्तुष्ठ ग्रुपों/राजनीतिक दलों का विदेशी शक्तियों, सुपर पॉवर्स या दुश्मन पड़ौसी देशों द्वारा फायदा उठाना।[5]
- कठपुतली सरकारें या भ्रष्ट चुनावी प्रक्रिया से चुनी सरकारें।
- राजनीति और निजी स्वार्थों की तुलना में देश हित को कम महत्व।[6]
- सरकार और राजनेताओं द्वारा छोटी–छोटी समस्याओं और छोटे–छोटे आंदोलनों की अनदेखी।
- राजनीतिज्ञों एवं आम आदमी के मध्य बढ़ती दूरी।
- अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए राजकीय आतंकवाद का प्रचार–प्रसार और रेडियो, टी.बी., साहित्य आदि का गललत उपयोग।
- राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों को राजनैतिक शरण और शह।
- विदेशी शक्तियों या पड़ौसी दुश्मन राष्ट्रों द्वारा राजनैतिक अस्थिरता पैदा करना।[7]
- एक आतंकवादी संगठन का प्रभाव कम करने एवं राजनैतिक फायदे के लिए दूसरे आतंकवादी संगठन को राजनैतिक प्रश्रय और शरण देना।

सामाजिक कारण

कुछ सामाजिक कारण निम्नलिखित है–

- वर्ण व्यवस्था और छुआछूत।
- सामाजिक मूल्यों का गिरना और नैतिक शिक्षा का अभाव।
- अमीरी व गरीबी में दिन–ब–दिन बढ़ती खाई।
- वैज्ञानिक प्रगति और भौतिकता की ओर अग्रसर युवा वर्ग।

- समाज में अपराधियों और अपराधों की अनदेखी करने की प्रवृत्ति अपराधियों का डर और सामाजिक चेतना का अभाव।[8]
- शहरीकरण और अपराधियों के छिपने के पर्याप्त एवं सुरक्षित स्थान।
- आवागमन के तीव्र उपलब्ध साधन, संचार माध्यमों द्वारा सूचनाओं का समाज की बीचों–बीच तीव्रता से पहुंचने की सुविधा।
- खराब शिक्षा प्रणाली में जिसमें राष्ट्र–भक्ति, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा की अनदेखी की जाती है।
- संयुक्त परिवारों का टूटना, बुजुर्गों और उनकी नैतिक बातों की अनदेखी, सामाजिक अनुशासनहीनता।
- बेरोजगारों युवकों को सामाजिक संरक्षण प्राप्त न होना, सरकारी नौकरियों के लिए भागदौड़ और युवकों की भावनाओं की अवहेलना।
- बुद्धिजीवी व अभिजात्य वर्गों में हताश एवं मोहभंग की स्थिति।

मनोवैज्ञानिक कारण

आतंकवाद के मनोविज्ञान पर हम कुछ निम्नलिखित कारण मान सकते है।

- मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक अलगाव की भावना।
- प्रेस की भूमिका एवं गलत प्रचार–प्रसार का आम लोगों पर मनोवैज्ञानिक असर और विश्व जनमत का धीरे–धीरे बनना।
- भीड़ का मनोविज्ञान।
- स्वतंत्र होने की इच्छा, बलपूर्वक गुलाम बनाए गए राष्ट्रों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न होना।
- राष्ट्रीय एकता की कमी।
- उपराष्ट्रीयता

- किसी क्षेत्र, भाषा, धर्म– विशेष आदि की अनदेखी के कारण पनपते असंतोष से नए राष्ट्र की कल्पना।
- कट्टरतावाद
- अफवाहें और उन पर विश्वास
- आतंकवादियों में तीव्र भावनात्मक महत्वकांक्षाएँ
- आतंकवादियों द्वारा अपने कार्य को एक पवित्र कार्य के तौर पर पेश करना और जनता का उसे मान लेना।
- जनमत की शक्ति के पीछे होने का मनोविज्ञान उन्हें व्यक्तिगत तौर पर अपनी कार्यवाही करने, लोगों को कष्ट देने और मरने व मारने की शक्ति देता है।[9]
- आतंकवादियों में ऐतिहासिक प्रेरणा, विषय की भावना और उसके विपरित सैन्य बलों और प्रशासन में पराजय की भावना पनपना।
- किसी क्षेत्र, भाषा, धर्म की अनेदेखी एवं एक आंदोलन के पीछे का जनमत, उसकी प्रेस से चर्चा तथा अच्छा और प्रभावशाली नेतृत्व ऐसे कारण है जो इसे चर्चित करने के साथ–साथ देश और विदेश में कुछ ऐसे समूह इक्कठ्े कर देते है जो एक आंदोलन विशेष का समर्थन करने लगते है।

धार्मिक कारण

- अन्ध धार्मिक कट्टरवाद
- धर्म का अधूरा ज्ञान और उसकी शिक्षा को तोड़–मरोड़कर आम आदमी तक पहुंचना
- अनैतिक कार्यों को धर्म युद्ध का नाम देकर करना।
- अपने धर्म को सर्वोपरि बताना और गलत तरीकों से उसका प्रसार प्रचार करना।[11]

- धार्मिक स्थानों का कट्टरता फैलाने में उपयोग।
- वास्तविक अर्थों में धर्म निरपेक्ष राजनीतिज्ञों, क्षेत्रों, और राष्ट्रों का अभाव।
- धर्म और राजनीति का गठजोड़ स्थापित करना और वोट बैंक स्थापित करना।
- धर्म गुरूओं, पादरियों या मुल्लाओं का वर्चस्व और उनके द्वारा गलत शिक्षा। इनके द्वारा धर्मयुद्ध, जिहाद, होली वार आदि की शिक्षा और हिंसा को इसके लिए जायद ठहराने की प्रवृत्ति।
- धार्मिक स्थानों का आतंकवादियों द्वारा शरणस्थल के तौर पर उपयोग और सैन्य बलों की इन स्थनों पर कार्यवाही करने की सीमाएँ।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद या अन्य क्षेत्रीय समस्याएँकिसी एक कारण से जन्म जरूर ले सकती हैं किंतु समस्या तब खड़ी होती है जब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कई छोटे–बड़े कारण जुड़ जाते है। अगर एक स्थापित व्यवस्था में मनुष्य को मनुष्य की तरह रहने का अधिकार मिले, उसे अपने जीवन–यापन के लिए मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त हो और सबको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर बराबर का दर्जा प्राप्त हो तो आतंकवाद एवं क्षेत्रीय समस्याओं का अपनी जड़े जमाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

अध्याय चतुर्थ

क्षेत्रीय समस्या का तथ्यात्मक अध्ययन

अध्याय चतुर्थ

क्षेत्रीय समस्या का तथ्यात्मक अध्ययन

4.1 राजस्थान एवं हरियाणा में राजनीतिकरण एवं सांस्कृतिक मूल्य अर्थ एवं महत्व

राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों का अनुरक्षण और उनमें परिवर्तन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यह उस शिक्षण प्रक्रिया की ओर निर्देश करता है जिसके द्वारा सुसंचालित राजनीतिक व्यवस्था के लिए स्वीकार्य मानकों और व्यवहारों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक सम्प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार संकल्पना का उद्देश्य व्यक्तियों का इस तरीके से प्रशिक्षण और विकास करना कि वे राजनीतिक समुदाय के सदस्य बन सकें।

राजनीतिक संस्कृति में उस समाज की अभिवृत्तियों, विश्वास, भावनाएँ और मूल्य शामिल होते हैं जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों से सम्बन्ध होता है। राजस्थान हरियाणा राज्यों में राजनीतिक सामाजीकरण एवं संस्कृति मूल्यों का अध्ययन करने में परिवार, शिक्षा का स्तर एवं जातियों तथा धर्मों को मुख्य आधार माना है जो कि साम्प्रदायिकता के वीभत्सरूप एवं आतंकवाद को बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण मूल्य माने गये हैं।

इनके अलावा कुछ अन्य द्वितीयक समूह एवं संस्थाएँ भी इन अभिकरणों के अतिरिक्त जयपुर एवं हरियाणा में राजनीतिक सामाजीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें राजनीतिक दल, चुनाव, श्रमिक संघ, व्यावसायिक संघ, सरकार, संदर्भ–समूह, जन संचार आदि उल्लेखनिय हैं। राजनीतिक दल

राजनीतिक सामाजीकरण के आशय से ही निर्मित एक महत्त्वपूर्ण द्वितीयक समूह है जो राजनीतिक मूल्यों के प्रसार, राजनीतिक क्रिया के संग्रहण तथा राजनीतिक भर्ती में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जन संचार अथवा जन सम्पर्क के माध्यम (रेड़ियो, टेलीविजन, समाचार पत्र–पत्रिकाएँ आदि) राजनीतिक सूचना के स्रोत हैं, परन्तु इनका प्रभाव सामाजिक परिवेश पर निर्भर रहता है।

4.2 आतंकवाद, साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद (क्षेत्रवाद) का अध्ययन

राजस्थान तथा हरियाणा का विशिष्ट स्वरूप जानने के पश्चात् साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद के वास्तविक प्रतिमान को जानने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन एवं अवलोकन करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए तीन प्रविधियाँ प्रमुख रूप से काम में लायी गई है, जो निम्न है–

1. प्रश्नावली एवं अनुसूचि
2. सहभागी अवलोकन
3. विशिष्ट व्यक्तियों से साक्षात्कार

इनमें से प्रश्नावली को मुख्य माध्यम बनाया गया तो कम समय में तथा उपलब्ध साधनों एवं समय की सीमाओं के भीतर "साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद" सम्बन्धी तथ्य प्राप्त किये जा सकें। इसके लिए 'प्रश्नावली' तैयारी की गई। इसको चार भागों में विभाजित किया गया। प्रश्नावली प्रविधि का सफल नहीं होने पर अनुसूचि के रूप में परिवर्तित करके काम में लाया गया तथा समस्त जनसंख्या में से संस्तारिक दैव निर्देशन के आधार पर सूचनादाताओं का चयन किया गया। इनके उत्तरों को विभिन्न तालिकाओं में

संग्रहित किया गया है। सारणीयन की गई है, तालिकाओं में उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण सम्बन्ध तालिका के साथ–साथ ही दिया गया है।

किन्तु अनुसूचियाँ भी अपने आप में सीमित होती हैं। यद्यपि त्रुटियों को जाँचने, कमियों को पूरा करने तथा अधिक विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए यथासम्भव सहभागी अवलोकन को भी विशिष्ट अवसरों पर काम में लाया गया। किन्तु ये भी सामाजिक, राजनीतिक तथ्यों के अवबोधन में स्वतः पूर्ण नहीं होते। उन्हें अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिये राजस्थान तथा हरियाणा के विशिष्ट तथा सम्बद्ध लोगों से साक्षात्कार किये गये। साक्षात्कार का समय क्षेत्र तथाल क्ष्य सीमित रखा गया। इन सहभागी अवलोकन तथा साक्षातकार से प्राप्त पूरक सामग्री को भी तालिकाओं के विश्लेषण के साथ ही, जहाँ भी आवश्यक हुआ, दे दिया गया।

साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की वास्तविक स्थिति को जानने के सीमित मात्रा में लिये सहभागी अवलोकन तैयार की गई प्रनावली के आधार पर राजस्थान एवं हरियाणा की जनसंख्या में से दैव निर्देशन के आधार पर उत्तरदाताओं का चयन किया गया। उनका विवरण सारणीयन में दिया गया है।

सारणी संख्या 4.1: राजस्थान तथा हरियाणा में उत्तरदाताओं का धर्मानुसार वर्गीकरण

क्र. सं.	धर्म	राजस्थान में उत्तरदाताओं का धर्म के आधार पर वर्गीकरण	प्रतिशत	हरियाणा में उत्तरदाताओं का धर्म के आधार पर वर्गीकरण	प्रतिशत
1.	हिन्दू	120	40	100	50

2.	मुस्लिम	60	20	70	35
3.	सिक्ख	40	13.33	10	5
4.	जैन	30	10	20	10
5.	ईसाई	20	6.66	—	—
6.	अन्य	30	10	—	—
	योग	**300**	**100**	**200**	**100**

आरेख संख्या 4.1

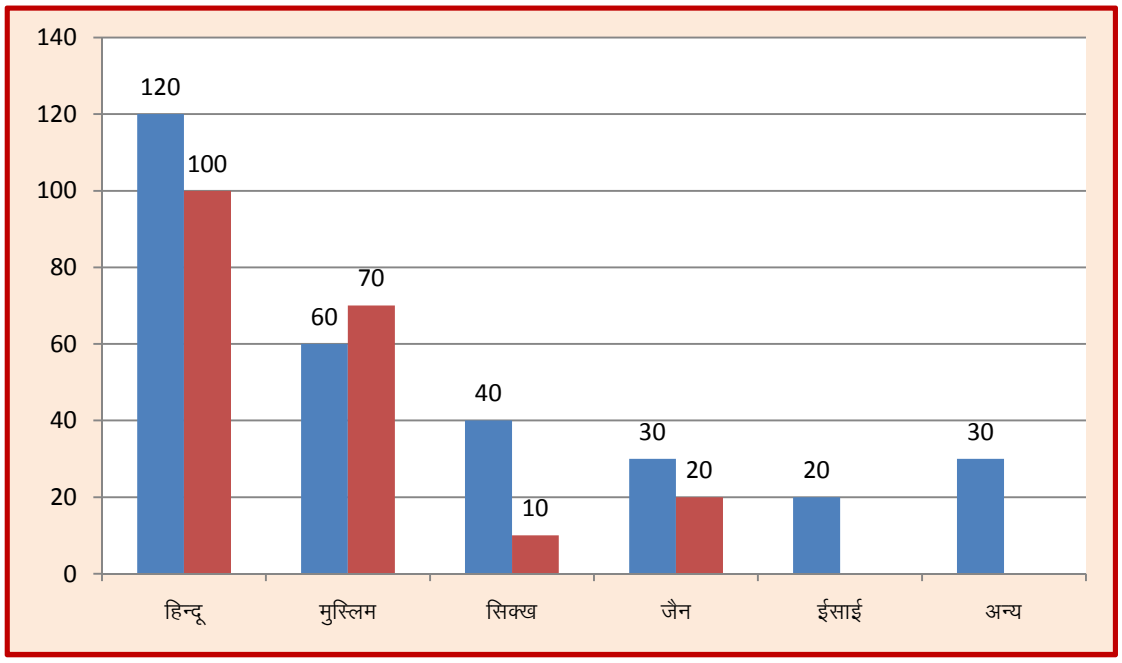

उक्त सारणी एवं आरेख के अनुसार राजस्थान के 300 उत्तरदाताओं में हिन्दू 120, मुस्लिम 60, सिक्ख 40, जैन 30, ईसाई 20 तथा अन्य विविध धर्मों के 30 लोग थे। किन्तु हरियाणा अपेक्षाकृत राजस्थान से छोटा राज्य होने के कारणइ तने अधिक विविध धर्मों वाला राज्य नहीं है, उसकी कम संख्या को देखते हुये केवल 200 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया।

उत्तरदाताओं की इस जनसंख्या से या समग्र से यह जानने का प्रयास किया गया कि उनके अनुसार स्वतन्ता के पश्चात् साम्प्रदायिकता या अलगाववाद की स्थिति सामान्य रूप से कैसी है? अर्थात् यहाँ उनका सामान्य प्रत्यक्षण जानने का प्रयत्न किया गया।

सारणी संख्या 4.2:राजस्थान एवं हरियाणा में स्वतन्त्रता के पश्चात् साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की स्थिति के बारे में उत्तरदाताओं के विचार

क्र. सं.	स्वतन्त्रता के पश्चात् साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद का स्वरूप	राजस्थान में उत्तरदाताओं के आधार पर	प्रतिशत	हरियाणा में उत्तरदाताओं के आधार पर	प्रतिशत
1.	स्वतन्त्रता के पश्चात् कुछ बढ़ी है।	60	20	30	15
2.	स्वतन्त्रता के पश्चात् वैसी ही है	100	33.33	80	40
3.	स्वतन्त्रता के बाद कम हुई है।	120	40	60	30
4.	स्वतन्त्रता के बाद बहुत कम हुई है	—	—	10	5
5.	कुछ नहीं कह सकते	20	6.66	20	10
	योग	**300**	**100**	**200**	**100**

आरेख संख्या 4.2:

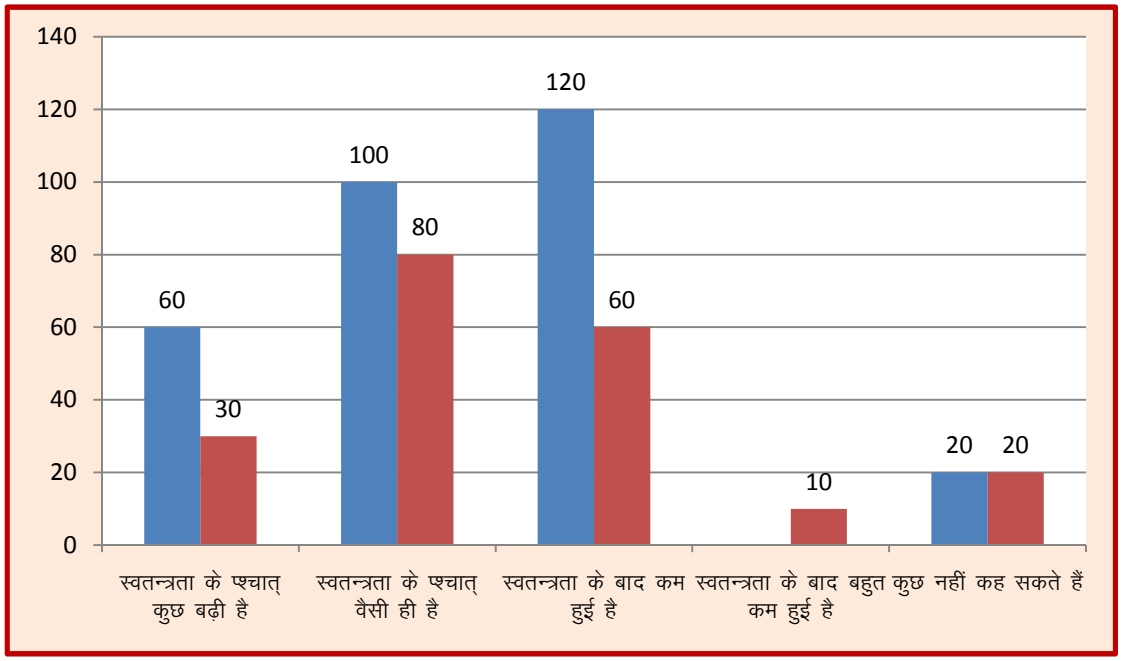

इन उत्तरदाताओं के उपरोक्त विवरण के अनुसार यह प्रश्न किया गया कि स्वतन्त्रता के पश्चात् साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की समस्या बढ़ी है। अथवा कम हुई है। इसके अनुसार बहुत कम उत्तरदाता सहमत थे, कि स्वतन्त्रता के पश्चात् साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की समस्या बहुत कम या समाप्त हो गई है, केवल 40 प्रतिशत राजस्थान एवं हरियाणा के 3त्र प्रतिशत लोगों का मानना था, कि स्वतन्त्रता के पश्चात् साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की समस्या कम हुई है। यही नहीं इन दोनों स्थानों के 20 प्रतिशत व 15 प्रतिशत लोगों का यह कहना था कि साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद बढ़ा है। यदि इन दोनों राज्यों के उत्तरदाताओं के प्रतिशत को मिलाया जाये तो ज्ञात होता है कि साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की समस्या पहले जैसी अर्थात् स्वतन्त्रता के समय एवं पूर्व जैसी ही है। जो इन दोनों राज्यों में समय–समय पर इनके विध्वंसतात्मक रूप को धारण कर लेती है, जिससे आतंकी हमले होते

रहे हैं। राजस्थान एवं हरियाणा में पिछले दस वर्षों में साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद का स्वरूप निर्धारित करने के लिये सारणी संख्या 3 दी गई है।

सारणी संख्या 4.3: पिछले दस वर्षों में इन राज्यों में साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की स्थिति की समस्या

क्र. सं.	साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद का स्वरूप	राजस्थान में उत्तरदाताओं के आधार पर	प्रतिशत	हरियाणा में उत्तरदाताओं के आधार पर	प्रतिशत
1.	कुछ बढ़ी है	30	10	20	10
2.	वैसी ही है	110	36.66	90	45
3.	कम हुई है	80	26.66	50	25
4.	बहुत कम हुई है	30	10	10	5
5.	कुछ नहीं सकते	50	16.66	30	15
	योग	**300**	**100**	**200**	**100**

जब इन दोनों राज्यों में उत्तरदाताओं से यह पूछा गया गया कि पिछले दस वर्षों में इन राज्यों में साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की समस्या घटी या बढ़ी है, तो भी उनके उत्तरों में कोई विशेष अन्तर दिखाई नहीं पड़ा और वह 50 प्रतिशत से अधिक ही पाया गया।

आरेख संख्या 4.3

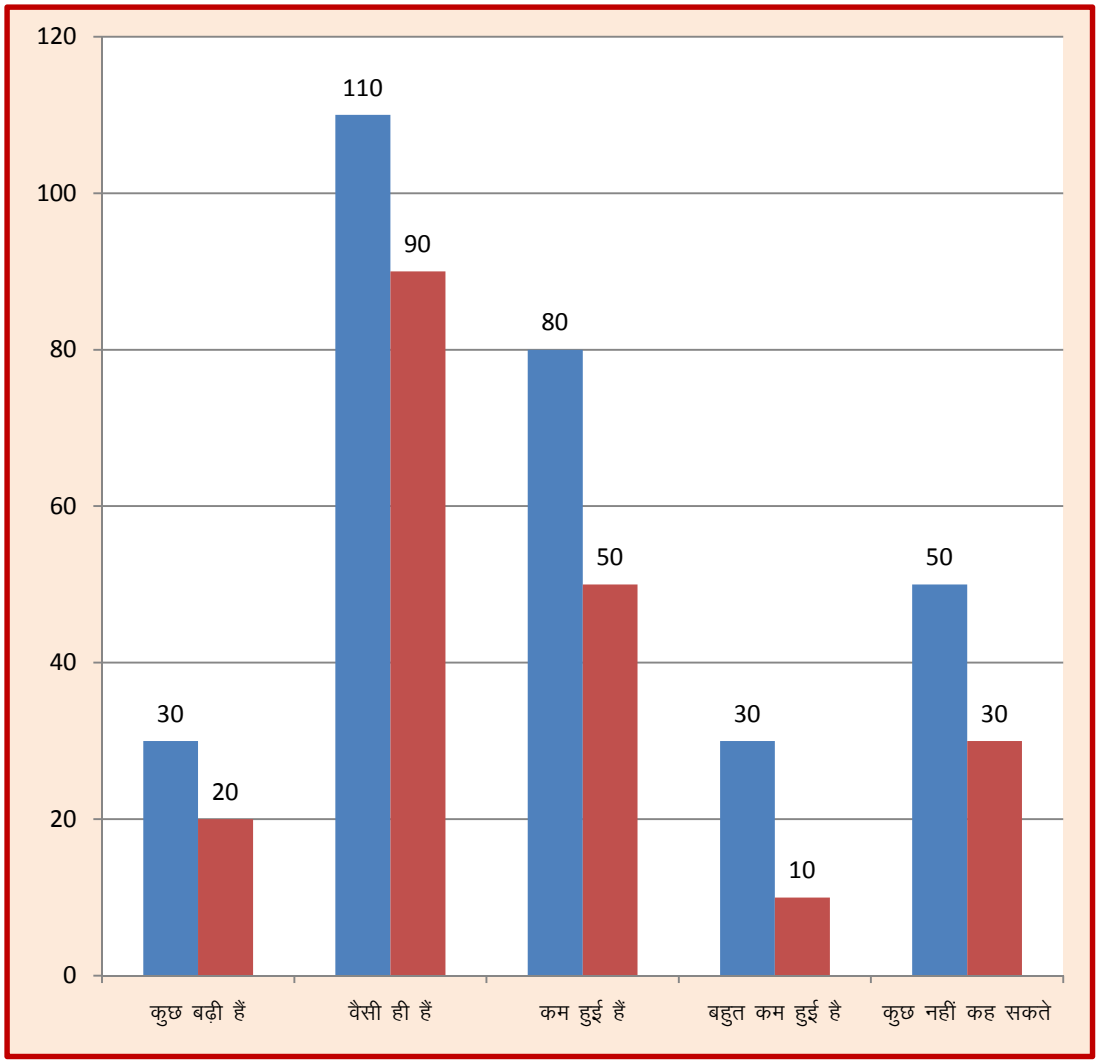

इसके साथ ही इन दोनों राज्यों में यह जानना आवश्यक हो गया कि यहाँ लोग यह बतायें कि विभाजन से पूर्व तथा बाद में कट्टरपंथी एवं अलगाववादी मुसलमानों के पाकिस्तान में चले जाने के पश्चात् साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की स्थिति में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। किन्तु इससे वस्तुपरक आधार पर जानना आवश्यक प्रतीत हुआ। अतएव यह जानने का प्रयत्न किया गया कि "क्या साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद आर्थिक कारणों से जुड़ा हुआ है?"

सारणी संख्या 4.4:साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद का आर्थिक आधार

क्र. सं.	साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद पर मत	राजस्थान में उत्तरदाताओं की राय	प्रतिशत	हरियाणा में उत्तरदाताओं की राय	प्रतिशत
1.	हाँ	170	56.66	70	35
2.	नहीं	10	3.33	20	10
3.	कुछ–कुछ	120	40	110	55
	योग	**300**	**100**	**200**	**100**

आरेख संख्या 4.4

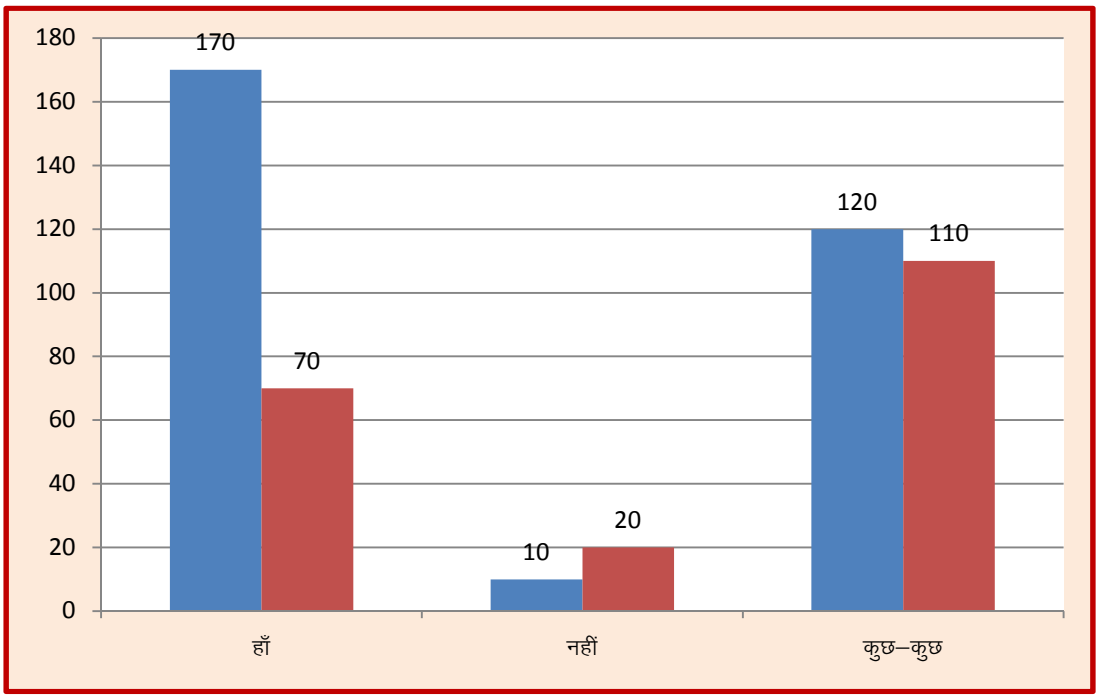

ऊपर लिखित उत्तरदाताओं को यह पूछा गया कि क्या उनके अनुसार साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद आर्थिक कारणों से जुड़ा है तो उत्तरदाताओं ने बताया कि इन दोनों शहरों में अर्थात् राजस्थान में (56.66 प्रतिशत) तथा हरियाणा में (35 प्रतिशत) जुड़ा हुआ है। फिर भी इसके केवल आर्थिक कारण

ही नहीं है, उसके साथ–साथ अन्य कारण भी मिश्रित हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा, अपने ही धर्म एवं जाति के लोगों के प्रति लगाव, व्यावसायिक लाभ आदि हैं।इसका एक प्रमाण 9, 10 एवं 11 प्रश्नों उत्तरों को पढ़ने से मिला कि अधिकांश उत्तरदाता अपने ही धर्म जाति के लोगों के बीच में या तो निजी मकानों में रहते हैं, अथवा ऐसे मकान मालिक के मकान में किराये पर रहते हैं जो उनके ही धर्म सम्बन्धित हैं। यही नहीं वे ऐसी बस्तियों में रहते हैं जहाँ उनके धर्म के लोग ही अधिकांश मात्रा में पाये जाते हैं।

फिर भी उनका यह अनुभव था कि अन्य धर्मावलम्बियों के मकानों अथवा बस्तियों में रहने पर अधिक कठिनाई नहीं आती केवल कुछ अवसरों एवं सामाजिक, धार्मिक व्यवहारों पर तालमेल का अभाव दिखायी पड़ता है। सारणी संख्या 5 में कठिनाई अनुभव करने वालों का प्रतिशत दोनों राज्यों में क्रमशः 10 प्रतिशत एवं प्रतिशत रहा है।

सारणी संख्या 4.5:विभिन्न धर्मावलम्बियों के साथ निवास करने में कठिनाईयाँ

क्र. सं.	विभिन्न धर्मावलम्बियों के साथ रहने में परेशानी	राजस्थान में उत्तरदाताओं के विचार	राजस्थान में प्रतिशत	हरियाणा में उत्तरदाताओं के विचार	हरियाणा में प्रतिशत
1.	हाँ	30	10	50	25
2.	नहीं	150	50	90	45
3.	कुछ–कुछ	120	40	60	35
	योग	**300**	**100**	**200**	**100**

आरेख संख्या 4.5

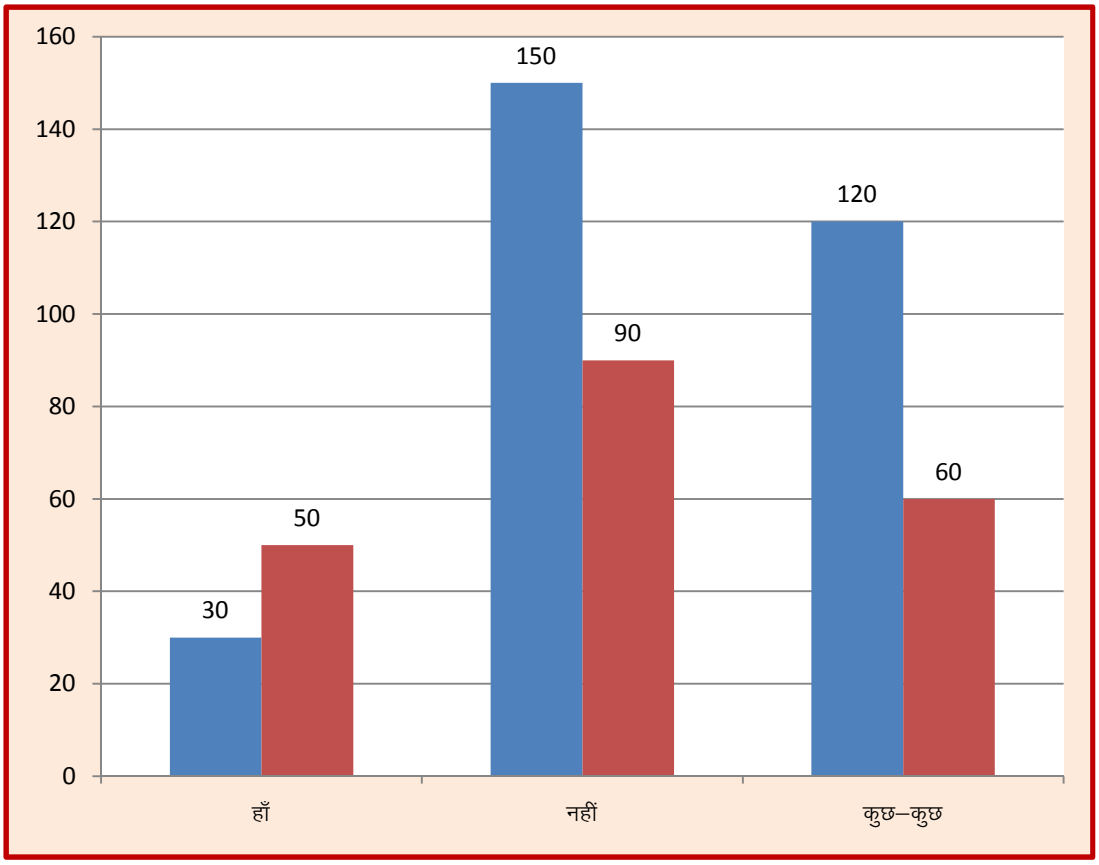

प्रायः साम्प्रदयिकता एवं अलगाववाद का प्रारम्भ अन्य धर्मावलम्बियों के प्रति भिन्नता से नहीं होता। जब यह अलगाव विद्वेष, घृणा आदि में परिवर्तित हो जाती है, तब साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद व्यवहार में दिखायी देने लगता है। इस विद्वेष के भी अनेक कारण होते हैं। इसके लिए शोधार्थी ने पाँच वरीयताओं का क्रम निर्धारण के लिए उत्तरदाताओं से जानना चाहा–

सारणी संख्या 4.6:राजस्थान में साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद विद्वेष विषय की वरीयता का क्रम

क्र. सं.	साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद विद्वेष के कारण	आवृत्ति वरियताक्रम 300 उत्तरदाताओं के आधार पर					राजस्थान में कुल प्रतिशत 300वें योग
		I	II	III	IV	V	
1.	धर्मों में विभिन्नता	10 3.66%	30 10%	90 30%	100 33.33%	70 23.33%	100%
2.	सत्ता का लोभ	40 13.33%	60 20%	120 40%	20 6.66%	60 20%	100%
3.	आर्थिक होड व प्रतियोगिता	100 33.33%	80 26.66%	60 20%	40 13.33%	20 6.66	100%
4.	परम्परागत एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	90 45%	50 25%	30 15%	20 10%	10 5%	100%
5.	राजनेताओं के स्वार्थ	100 50%	50 25%	30 15%	10 5%	10 5%	100%

जब उपरोक्त के अनुसार उत्तरदाताओं से पूछा गया कि वे साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद के विद्वेष के कारण किन्हीं मानते हैं और उनके अनुसार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण कौनसा है, तो राजस्थान के उत्तरदाताओं के अनुसार प्रथम वरीयता में राजनेताओं के स्वार्थ (46.66 प्रतिशत) को तथा द्वितीय वरीयता में परम्परागत एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को (40 प्रतिशत) तथा तृतीय वरीयता में आर्थिक होड़ व प्रतिस्पर्धा (33 प्रतिशत) को बताया है। इसका यह अर्थ हुआ कि आम जनता में साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद विद्वेष जन्मजात या स्वीााविक तौर पर नहीं होता, उनमें विद्वेष की भावना उत्पन्न की जाती है।

हरियाणा में भी लगभग मिलती–जुलती स्थिति दिखाई पड़ती है वहाँ पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयताओं का क्रमशः 50 प्रतिशत, 45 प्रतिशत व 40 प्रतिशत मिले हैं।

साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की स्थिति–

राजस्थान एवं हरियाणा के उत्तरदाताओं से जब यह पूछा गया कि आपके अपने पड़ोस या राज्य में साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की स्थिति किस रूप में पायी जाती है तो 16 + 13 + 13 अर्थात् लगभग 42 प्रतिशत लोगों ने उनमें तालमेल, शांतिपूर्वक निवास व भाईचारा पाया तथा 33 प्रतिशत लोगों ने दंगे, तनाव तथा कुछ खास वर्गों से संघर्ष की स्थिति बताई तथा लगभग 13 प्रतिशत लोगों ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा का अनुभव किया। हरियाणा राज्य में भी लगभग यही स्थिति थी, किन्तु वहाँ तनाव की स्थिति अधिक पायी गयी। इन दोनों राज्यों में ही जब तनाव, संघर्ष एवं आपस में प्रतिस्पर्धा अधिक हो जाती है तो यह साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद विध्वंसतात्मक रूप धारण करके अपने समुदाय विशेष के हितों को सर्वोपरि मानते हुए ये लोग दंगों एवं विस्फोटक सामग्रीयों का प्रयोग करके जन–धन की हानि करते हैं जो साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की उच्च प्रकाष्ठा को प्राप्त करता हुआ आतंकवाद का रूप धारण कर लेता है। जो इन प्रदेशों में समय–समय पर भारत में विभिन्न समुदायों द्वारा धर्म तथा उससे सम्बन्धित संतों, अवतारों, त्योहारों आदि को बड़ा महत्व दिया जाता है। प्रायः सभी धर्मावलम्बी अपनी धार्मिकता को पुष्ट एवं प्रबल बनाने के लिये अधिकाधिक मात्रा में उत्सव, त्योहार आदि मनाते तथा उसका प्रदर्शन करते हैं। इन प्रदर्शनों से वे अपने आपको सशंक्त तथा संगठित अनुभव करते हैं। इस विषय में शोधार्थी द्वारा यह जानना महत्त्वपूर्ण था कि ऐसे प्रदर्शन करने तथा उत्सव मनाने में क्या उन्होंने कोई कठिनाई अनुभव हुई है? उत्सवों, प्रदर्शनों आदि को संगठित करने में

राजस्थान उत्तरदाताओं का यह कहना है कि ऐसी कोई विशेष कठिनाई नहीं आयी। हरियाणा राज्य में कठिनाई अनुभव करने वालों का प्रतिशत राजस्थान राज्य की तुलना में अधिक दिखायी पड़ा।

सारणी संख्या 4.7:अपने धर्म से सम्बन्धित उत्सवों, प्रदर्शन आदि का राजस्थान तथा हरियाणा में संगठित आयोजन करने में कठिनाईयाँ

क्र. सं.	कठिनाई का अनुभव	राजस्थान में उत्तरदाताओं के विचार	प्रतिशत	हरियाणा में उत्तरदाताओं के विचार	प्रतिशत
1.	हाँ	20	6.66	30	15
2.	नहीं	60	20	50	25
3.	कभी–कभी	140	46.66	100	50
4.	तटस्थ	80	26.66	20	10
	योग	**300**	**100**	**200**	**100**

आरेख संख्या 4.6

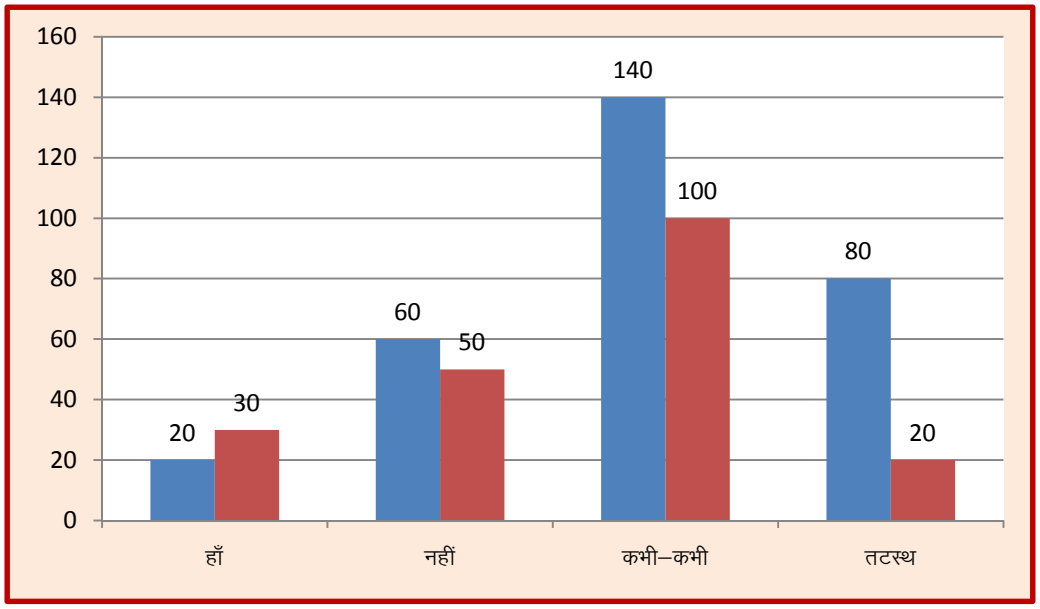

जब अन्य धर्मावलम्बियों के द्वारा सामान्य जीवन में आपके प्रति किये गये व्यवहार का स्वरूप कैसा है, तो उत्तरदाताओं ने सारणी संख्या 8 में बताया है।

सारणी संख्या 4.8: अन्य धर्मावलम्बियों के द्वारा सामान्य जीवन में आपके प्रति किये गए व्यवहार का स्वरूप

क्र. सं.	व्यवहार का स्वरूप	राजस्थान में उत्तरदाताओं के विचार	राजस्थान में प्रतिशत	हरियाणा में उत्तरदाताओं के विचार	हरियाणा में प्रतिशत
1.	बहुत अच्छा	70	23.33	30	15
2.	अच्छा	140	46.66	50	25
3.	ठीक–ठीक	80	26.66	70	35
4.	तटस्थ	10	3.33	40	20
5.	विरोध पूर्व	–	–	10	5
	योग	**300**	**100**	**200**	**100**

आरेख संख्या 4.7

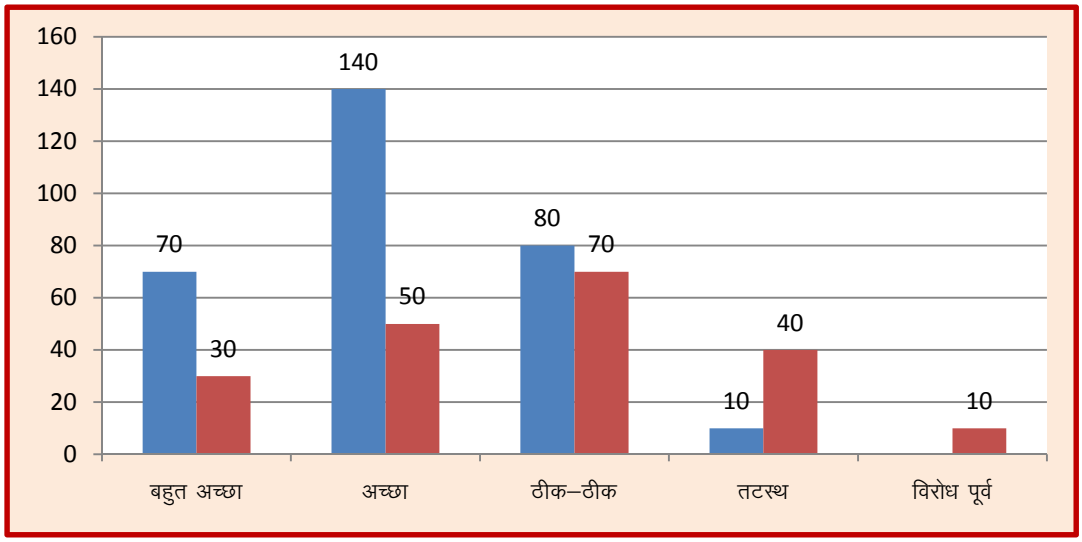

जब उत्तरदाताओं से उपरोक्त सारणी के आधार पर अन्य धर्मावलम्बियों के द्वारा सामान्य जीवन में राजस्थान तथा हरियाणा में आपसी व्यवहार के स्वरूप के बारे में पूछने से पता चला है कि राजस्थान में 46.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अच्छा व्यवहार, 26.66 प्रतिशत का ठीक–ठीक तथा 23.33 प्रतिशत का बहुत अच्छा व्यवहार पाया है। इसी तरह हरियाणा में 25 प्रतिशत का व्यवहार अच्छा, 35 प्रतिशत का ठीक–ठीक तथा 20 प्रतिशत तटस्थ व 15 प्रतिशत का बहुत अच्छा व्यवहार पाया गया है। अर्थात् इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही राज्यों में विभिन्न धर्मावलम्बियों के प्रति आपसी व्यवहार लगभग अच्छा है।

साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद तथा राजनीति

जब उत्तरदाताओं से एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा गया कि वे धर्म, राज्य, व्यक्ति, राष्ट्र, जाति, व्यवसाय तथा राजनीतिक दलों में से किसे वरीयता की दृष्टि से क्या स्थान प्रदान करते हैं, तो राजस्थान में 33 प्रतिशत लोगों ने व्यक्ति को, 26 प्रतिशत लोगों ने राज्य को तथा 20 प्रतिशत लोगों ने राष्ट्र को प्रथम वरीयता प्रदान की केवल 20 प्रतिशत लोगों ने धर्म को सबसे ऊपर बताया। हरियाणा राज्य में उत्तरदाताओं ने 25 प्रतिशत ने राज्य को, 40 प्रतिशत ने व्यक्ति को तथा 20 प्रतिशत ने राष्ट्र को प्रथम वरीयता में माना, द्वितीय व तृतीय वरीयता क्रम से माना, वहाँ धर्म को वरीयता देने वाले 15 प्रतिशत ही पाये गये। यहाँ इनका वर्णन सारणी संख्या 9(क) व 9(ख) में देखा जा सकता है।

सारणी संख्या 4.9(क):राजस्थान में विभिन्न घटकों की सर्वोपरिता

क्र. सं.	साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद को बढ़ाने वाले सर्वोपरिता के घटक	राजस्थान में घटकों वरीयता 300 उत्तरदाताओं के क्रम में						कुल प्रतिशत
		I	II	III	IV	V	VI	
1.	धर्म	40 13.33%	80 26.66%	100 33.33%	60 20%	10 3.33%	10 3.33%	100%
2.	राज्य	80 26.66%	120 40%	40 13.33%	30 10%	20 6.66%	10 3.33%	100%
3.	व्यक्ति	100 33.33%	70 23.33%	50 16.66%	40 13.33%	20 10%	20 10%	100%
4.	जाति	20 6.66%	80 26.66%	120 40%	40 13.33%	20 6.66%	20 6.66%	100%
5.	राष्ट्र	60 20%	100 33.33%	80 26.66%	50 16.66%	10 3.33%	–	100%
6.	व्यवसाय	20 6.66%	120 33.33%	70 26.66%	40 20%	40 20%	–	100%
7.	राजनीतिक दल	30 10%	120 40%	70 23.33%	40 13.33%	40 13.33%	–	100%

सारणी संख्या 4.9 (ख):हरियाणा में विभिन्न घटकों की सर्वोपरिता

क्र. सं.	सर्वोपरिता के घटक	हरियाणा में घटकों वरीयता 200 उत्तरदाताओं के क्रम में						कुल प्रतिशत
		I	II	III	IV	V	VI	
1.	धर्म	30 15%	50 25%	80 40%	20 10%	10 5%	10 5%	100%
2.	राज्य	50 25%	80 40%	20 10%	30 15%	14 7%	6 3%	100%
3.	व्यक्ति	80 40%	40 20%	30 15%	20 10%	20 10%	10 5%	100%
4.	राष्ट्र	30 15%	50 25%	40 20%	30 15%	30 15%	20 10%	100%
5.	जाति	30 15%	50 25%	40 20%	30 15%	30 15%	20 10%	100%
6.	व्यवसाय	20 10%	60 30%	40 20%	30 15%	40 20%	10 5%	100%
7.	राजनीतिक दल	30 15%	80 40%	50 25%	30 15%	10 5%	–	100%

ये उत्तर इन राज्यों में साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद के कारणों को प्रदर्शित करते हैं किन्तु इनके पीछे इस तत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अधिकांश उत्तरदाता हिन्दू धर्म से जुड़े हुए हैं जो कि सामान्यतः बहुलवादी एवं उदारवादी दृष्टिकोण अपनाता है तथा उसे व्यक्ति तथा राज्य को सर्वोपरी मानने में किसी विशेष बाधा का अनुभव नहीं करते। जो लोग धर्म को सर्वोपरि मानते हैं उनमें से सभी कट्टपरपंथी तथा अन्य धर्मों के विरोधी नहीं है, किन्तु इनसे यह पता अवश्य चलता है कि साम्प्रदायिक दंगे, तनाव, अलगाव फैलाने में इनमें से कुछ मुट्ठी भर लोग ही होते हैं।

सारणी संख्या 4.10:राजनीति और धर्म की पृथक्ता के रूप में

क्र. सं.	स्वरूप	राजस्थान में उत्तरदाताओं के विचार	प्रतिशत	हरियाणा में उत्तरदाताओं के विचार	प्रतिशत
1.	हाँ	160	53.33	100	50
2.	नहीं	40	13.33	30	15
3.	कोई पता नहीं	100	33.33	70	35
	योग	**300**	**100**	**200**	**100**

आरेख संख्या 4.8

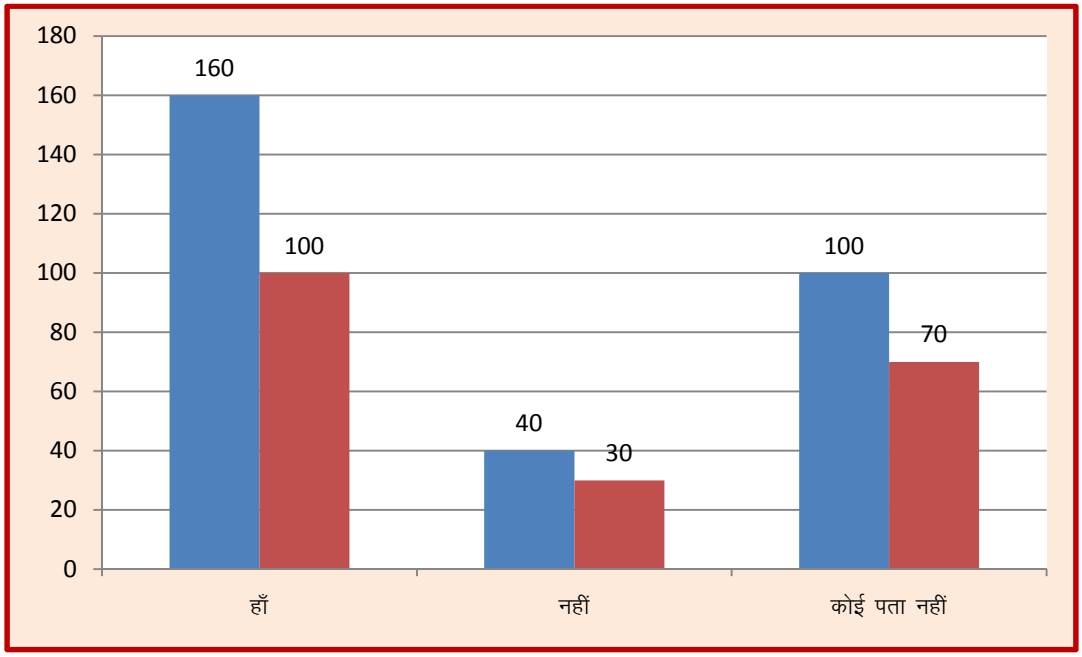

उपर्युक्त सारणी के आधार पर जब उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि क्या राजनीति और धर्म पूर्णरूप से पृथक् कर दिये जाने चाहिए तो दोनों राज्यों में 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पृथक्करण के पक्ष में तथा 35 प्रतिशत ने तटस्थता जाहिर की। शेष 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसके विपक्ष में राय दी है।

वर्तमान राजनीति और साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की समस्या को बढ़ाने में अधिकांश लोगों की यह विचारधारा नहीं है कि वर्तमान राजनीति ने उसको बढ़ावा दिया है फिर भी उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि वर्तमान राजनीति ने क्या साम्प्रदायिक समस्या एवं अलगाववाद को अधिक गहरा बनाया है अथवा उनका स्वरूप बदला है। इस पर राजस्थान में 53 प्रतिशत उत्तरदाताओं का तथा हरियाणा में 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना था कि वर्तमान राजनीति ने साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की समस्या को गहरा किया है अर्थात् इसको विभत्सरूप दिया है जो समय–समय पर इन राज्यों में आतंकी घटनाओं को घटित कराने में सहयोग दिया है और शेष 30 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि राजनीति ने ही इन समस्याओं का विस्तार किया है और ये समस्याएँ पहले जैसी ही हैं केवल इनका रूप बदला है।

सारणी संख्या 4.11: वर्तमान राजनीति में साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की समस्या की भूमिका

क्र. सं.	**साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद का स्वरूप**	**राजस्थान में उत्तरदाताओं के विचार**	**प्रतिशत**	**हरियाणा में उत्तरदाताओं के विचार**	**प्रतिशत**
1.	गहरी हुई है	160	53.33	120	60
2.	विस्तार हुआ है	80	26.66	60	30
3.	समस्या का रूप बदला है	60	20	20	10
	योग	**300**	**100**	**200**	**100**

आरेख संख्या 4.9

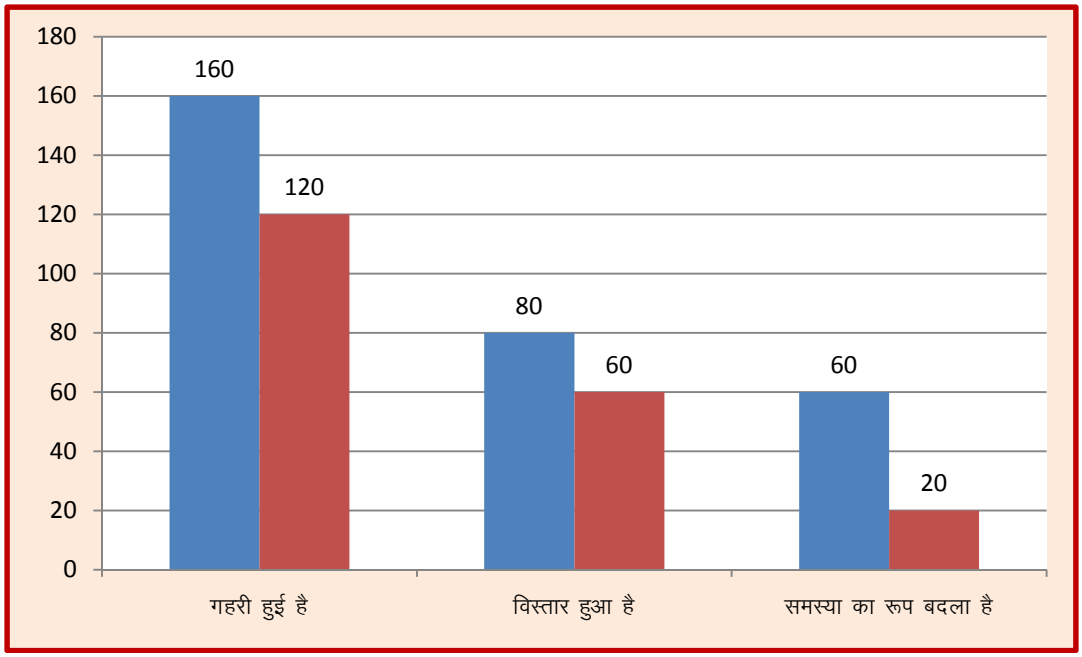

राजस्थान एवं हरियाणा राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों के विषय में जब उत्तरदाताओं ने यह प्रश्न पूछा गया कि विभिन्न राजनीतिक दलों में से कौनसा दल साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद में वृद्धि के आधार पर (वरीयता) वाला दिखायी पड़ता है तो अधिक से अधिक (59 प्रतिशत) जयपुर के उत्तरदाताओं ने कांग्रेस (आई)को साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद में वृद्धि के लिए प्रथम वरीयता वाला तथा साम्यवादी दलों को 17 प्रतिशत लोगों ने द्वितीय वरीयता वाला बताया अन्य दलों एवं क्षेत्रीय दलों को क्रमशः 10, 7 व 3 प्रतिशत मतदाताओं ने साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद में वृद्धि वाला माना। हरियाणा राज्य में उत्तरदाताओं ने 70 प्रतिशत, प्रथम वरीयता में कांग्रेस (आई) तथा 25 प्रतिशत द्वितीय वरीयता में क्षेत्रीय दलों को तथा 15 प्रतिशत तृतीय वरीयता में भारतीय जनता पार्टी को वृद्धि में पक्षधर माना है।

सारणी संख्या 4.12(क):राजस्थान में राजनीतिक दलों में साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की वृद्धि में वरीयता क्रम

क्र. सं.	राजनीतिक दल	राजस्थान में राजनीतिक दलों के वृद्धि में राय 300 उत्तरदाताओं के क्रम में							कुल प्रतिशत
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
1.	कांग्रेस (आई)	120 46.66%	70 23.33%	40 13.33%	30 10%	20 6.66%	10 3.33%	10 3.33%	100%
2.	साम्यवादी दल	50 16.66%	90 30%	40 15%	50 16.66%	40 13.33%	20 6.66%	10 3.33%	100%
3.	भारतीय जनता पार्टी	40 13.33%	60 20%	40 13.33%	70 23.33%	40 13.33%	20 6.66%	30 20%	100%
4.	लोकदल	60 20%	80 26.66%	50 16.66%	40 13.33%	30 10%	20 6.66%	20 6.66%	100%
5.	जनता पार्टी	70 23.33%	80 26.66%	50 16.66%	40 13.33%	30 10%	20 6.66%	10 3.33%	100%

सारणी संख्या 12 (ख):हरियाणा में राजनीतिक दलों में साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद की वृद्धि में वरीयता क्रम

क्र. सं.	राजनीतिक दल	हरियाणा में राजनीतिक दलों के वृद्धि में राय 200 उत्तरदाताओं के क्रम में							कुल प्रतिशत
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
1.	कांग्रेस (आई)	140 70%	40 20%	10 5%	10 5%	–	–	–	100%
2.	साम्यवादी दल	60 30%	50 25%	30 15%	40 20%	10 5%	10 5%	–	100%

3.	भारतीय जनता पार्टी	20 10%	40 2%	50 25%	60 30%	20 10%	5 2.5%	5 2.5%	100%
4.	लोकदल	60 30%	50 25%	30 15%	20 10%	20 10%	10 5%	10 5%	100%
5.	जनता पार्टी	50 25%	40 20%	30 15%	20 10%	30 15%	20 10%	10 5%	100%

अल्पसंख्यकों की स्थिति

यद्यपि यह स्पष्ट है कि राजस्थान एवं हरियाणा दोनों राज्यों में हिन्दू धर्म मतावलम्बियों का बाहुल्य है, फिर भी यह जानना शोधार्थी के अति आवश्यक था कि क्या अन्य धर्मों के लोग इस बाहुल्य के मध्य अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं तथा वे अपने आपको सुरक्षित बनाने के लिए क्या–क्या उपाय करते हैं। दोनों राज्यों में अधिकांश उत्तरदाताओं ने यह विचार व्यक्त किया की हिन्दू बहुसंख्यक के मध्य में असुरक्षा का भय बना रहता है तथा वे अपने समुदाय के लोगों के बीच मिलने–जुलने, त्योहार, पर्व आदि मनाने, विवाह तथा समाज सुधार, रोजगार आदि के विषय में सेवायें करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं करते। जब उनसे पूछा गया कि क्या हिन्दू बहुल सरकार उनके हितों का ध्यान रखती है तो राजस्थान एवं हरियाणा के उत्तरदाताओं ने कुछ असमर्थन किया। यद्यपि उनकी दृष्टि से अल्पसंख्यकों के हितों के लिये और क्या उपाय किये जाने चाहिए, तो उन्होंने अनेक सुझाव विचार प्रकट किये, जिनमें अधिकांश उत्तरदाताओं ने–

- सरकार में उचित प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकों में शिक्षा का प्रसार, रोजगार की सुविधा एवं सामाजिक सुरक्षा।

- धर्म के संस्थात्मक स्वरूप का निराकरण को बताया तथा शेष उत्तरदाताओं ने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण बनाया जाना चाहिए।
- राजनीति में अल्पसंख्यकों को उचित स्थान देना तथा आर्थिक विकास करना चाहिए।

सारणी संख्या 4.13:बहुसंख्य धर्मों के मतावलम्बियों से बनी सरकार और अल्पसंख्यकों के हित में विचार

क्र. सं.	अल्पसंख्यकों के हित में विचार	राजस्थान में उत्तरदाताओं के विचार	प्रतिशत	हरियाणा में उत्तरदाताओं के विचार	प्रतिशत
1.	हाँ	100	33.33	70	35
2.	नहीं	50	16.66	30	15
3.	कुछ–कुछ	80	26.66	50	25
4.	तटस्थ	70	23.33	50	25
	योग	**300**	**100**	**200**	**100**

आरेख संख्या 4.10

सारणी संख्या 4.14:दोनों राज्यों में नौकरशाही के निष्पक्ष आचरण पर विचार

क्र. सं.	नौकरशाही के निष्पक्ष आचरण पर विचार	राजस्थान में उत्तरदाताओं के विचार	प्रतिशत	हरियाणा में उत्तरदाताओं के विचार	प्रतिशत
1.	हाँ	100	33.33	70	35
2.	नहीं	50	16.66	30	15
3.	कभी–कभी	70	23.33	40	20
4.	तटस्थ	80	26.66	60	30
	योग	**300**	**100**	**200**	**100**

आरेख संख्या 4.11

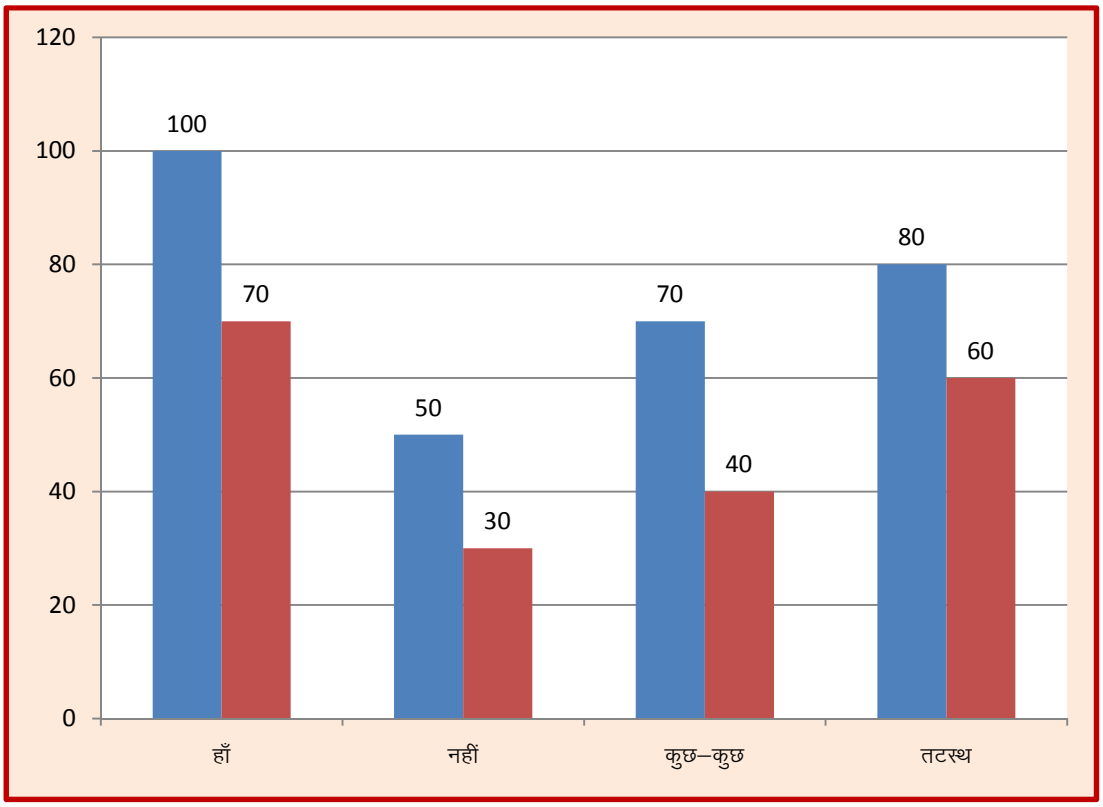

वर्तमान राजनीति एवं समाज में नौकरशाही की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशासन तन्त्रीय राष्ट्रीय शासन में नीचे से ऊपर तक सूत्र एवं स्टॉफ एक रूप में कार्य करता है अर्थात् सभी राष्ट्रीय नीतियों का क्रियान्वयन नौकरशाही करवाती है। नौकरशाही का लोकतंत्र में महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि लोकतंत्र में निर्णय लेने व लागू करने में प्रशासन तन्त्र सरकार का महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है।

अतः जब उत्तरदाताओं से नौकरशाही के आचरण के बारे में दोनों राज्यों में पूछा गया तो राजस्थान व हरियाणा राज्यों में क्रमशः 50 व 35 प्रतिशत लोगों के अनुसार निष्पक्ष कार्य करने के आचरण को स्वीकार किया है तथा शेष 26 व 30 प्रतिशत ने तटस्थ जाहिर की है।

सारणी संख्या 4.15: क्या आपने कभी आतंकवादी परिस्थितियो का सामना किया है?

क्र. सं.		**राजस्थान उत्तरदाता आवृत्ति**	**प्रतिशत**	**हरियाणा उत्तरदाता आवृत्ति**	**प्रतिशत**
1	हां	100	33.33	50	25
2	नहीं	200	66	150	75
	योग	**300**	**100**	**200**	**100**

सारणीसंख्या4.15 में राजस्थान और हरियाणा राज्य के प्रशासनिक राजनैतिक समाजसेवी, मानवाधिकार आयोग के सदस्य, आचार्य सहायक आचार्य शोधार्थी से शोध हेतु ''आतंकवादी परिस्थितियों का सामना' के बिन्दू पर व्यक्तिगत प्रश्नोत्तरी की गई जिसके परिणामस्वरूप 66.66 प्रतिशत न्यायदर्शयों द्वारा इन परिस्थितियों का सामना नहीं किया गया मात्र 33.33 प्रतिशत न्यायदर्शयों द्वारा इन परिस्थितियों का सामना किया गया और

हरियाणा में 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने परिस्थितियों का सामना नहीं किया 25 प्रतिशत लोगों ने सामना किया। अतः तालिका से निष्कर्ष निकलता है कि राजस्थान में आतंकवाद की परिस्थितियाँ हरियाणा की अपेक्षा ज्यादा पायी गयी।

सारणी संख्या 4.16: क्या आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है?

क्र.सं.		राजस्थान उत्तरदाता आवृत्ति	प्रतिशत	हरियाणा उत्तरदाता आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	200	66.66	180	90
2	नहीं	100	33.33	20	10

सारणीसंख्या4.16 में राजस्थान और हरियाणा राज्य के प्रशासनिक राजनैतिक समाजसेवी, मानवाधिकार आयोग के सदस्य, आयार्य सहायक आचार्य शोधार्थी से शोध हेतु ''आतंकवाद एक वैश्विक समस्या' के बिन्दू पर व्यक्तिगत प्रश्नोत्तरी की गई जिसके परिणामस्वरूप 66.66 प्रतिशत न्यायदर्शयों द्वारा एक वैश्विक समस्या माना तथा 33.33 प्रतिशत लोगों ने वैश्विक समस्यानहीं माना और हरियाणा में 90.00 प्रतिशत लोगों ने आतंकवाद को एक वैश्विक समस्या माना और 10 प्रतिशत लोगों ने आतंकवाद को एक वैश्विक समस्या नहीं माना परिणामस्वरूप राजस्थान के लोगों ने हरियाणा की अपेक्षा इसे एक वैश्विक समस्या ज्यादा माना हैं।

सारणी संख्या 4.17: क्या सांप्रदायिक दंगे आतंकवाद की श्रेणी में आते है?

क्र.सं.		राजस्थान उत्तरदाता आवृत्ति	प्रतिशत	हरियाणा उत्तरदाता आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	200	66.66	112	56
2	नहीं	100	33.33	88	44
योग		**300**	**100**	**200**	**100**

सारणी संख्या4.17 में राजस्थान और हरियाणा राज्य के प्रशासनिक राजनैतिक समाजसेवी, मानवाधिकार आयोग के सदस्य, आचार्य सहायक आचार्य शोधार्थी से शोध हेतु ''सांप्रदायिक दंगे आतंकवाद की श्रेणी में आते है' के बिन्दू पर व्यक्तिगत प्रश्नोत्तरी की गई जिसके परिणामस्वरूप 66.66 प्रतिशत न्यायदर्शयों द्वारा माना गया तथा 33.33 प्रतिशत लोगों ने सांप्रदायिक दंगों को आतंकवाद नहीं माना तथा हरियाणा में 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सांप्रदायिक दंगों को आतंकवाद की श्रेणी माना तथा 44 प्रतिशत ने नहीं माना। परिणामस्वरूप राजस्थान की अपेक्षा हरियाणा के उत्तरदाताओं ने सांप्रदायिक दंगों को आतंकवाद की श्रेणी में अधिक माना।

सारणी संख्या 4.18: क्या अलगाववाद आतंकवाद को बढ़ावा देने का एक कारण है?

क्र.सं.		राजस्थान उत्तरदाता आवृत्ति	प्रतिशत	हरियाणा उत्तरदाता आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	200	66.66	160	80
2	नहीं	100	33.33	40	20
योग		**300**	**100**	**200**	**100**

सारणी संख्या 4.18 में राजस्थान और हरियाणा राज्य के प्रशासनिक राजनैतिक समाजसेवी, मानवाधिकार आयोग के सदस्य, आचार्य सहायक आचार्य शोधार्थी से शोध हेतु ''अलगाववाद आतंकवाद को बढ़ाना देने का एक कारण' के बिन्दू पर व्यक्तिगत प्रश्नोत्तरी की गई जिसके परिणामस्वरूप 66.66 प्रतिशत न्यायदर्शयों द्वारा माना गया तथा 33.33 प्रतिशत लोगों ने अलगाववाद आतकवाद को बढ़ावा देने का एक कारण नहीं माना तथा हरियाणा में 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अलगाववाद को आतंक का कारण माना तथा 20 प्रतिशत लोगों ने नहीं माना। अतः परिणामस्वरूप राजस्थान की अपेक्षा हरियाणा में अलगाववाद के उत्तरदाता अधिक थे।

सारणी संख्या 4.19: क्या भौगोलिक परिस्थितियों व विषमता के कारण आतंकवाद पनपता है?

क्र.सं.		राजस्थान उत्तरदाता आवृत्ति	प्रतिशत	हरियाणा उत्तरदाता आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	170	56.66	144	72
2	नहीं	130	43.33	56	28
योग		**300**	**100**	**200**	**100**

सारणी संख्या4.19 में राजस्थान और हरियाणा राज्य के प्रशासनिक राजनैतिक समाजसेवी, मानवाधिकार आयोग के सदस्य, आयार्य सहायक आचार्य शोधार्थी से शोध हेतु ''भौगोलिक परिस्थितियों व विषमता के कारण आतंकवाद'' के बिन्दू पर व्यक्तिगत प्रश्नोत्तरी की गई जिसके परिणामस्वरूप 56.66 प्रतिशत न्यायदर्शयों द्वारा माना गया तथा 43.33 प्रतिशत लोगों ने भौगोलिक परिस्थितियों व विषमता के कारण आतंकवाद नहीं माना तथा हरियाणा में भौगोलिक विषमता को 72 प्रतिशत लोगों ने आतंवाद का कारण

माना तथा 28 प्रतिशत लोगों ने इसे कारण नहीं माना। परिणामस्वरूप भौगोलिक विषमता राजस्थान की अपेक्षा हरियाणा में अधिक पाये गये।

सारणी संख्या 4.20: क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया आतंकवाद का प्रचार करता है?

क्र.सं.		राजस्थान उत्तरदाता आवृत्ति	प्रतिशत	हरियाणा उत्तरदाता आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	100	33.33	60	30
2	नहीं	200	66.66	140	70
	योग	300	100	200	100

सारणी संख्या 4.20 में राजस्थान और हरियाणा राज्य के प्रशासनिक राजनैतिक समाजसेवी, मानवाधिकार आयोग के सदस्य, आयार्य सहायक आचार्य शोधार्थी से शोध हेतु ''सोशल मीडिया आतंकवाद का प्रचार'' के बिन्दू पर व्यक्तिगत प्रश्नोत्तरी की गई जिसके परिणामस्वरूप 33.33 प्रतिशत न्यायदर्शयों द्वारा माना गया तथा 66.66 प्रतिशत लोगों ने सोशल मीडिया को आतंकवाद का प्रचार नहीं माना तथा हरियाणा में 30 प्रतिशत लोगों ने मीडिया को आतंकवाद का प्रचारक माना तथा 70 प्रतिशत लोगों ने आतंकवाद का प्रचार नहीं माना तथा परिणामस्वरूप सोशल मीडिया को आतंक के प्रचार का हरियाणा की अपेक्षा राजस्थान के उत्तरदाताओं ने अधिक माना।

सारणी संख्या 4.21: क्या आर्थिक असमानताएं आतंकवाद को बढावा देने मे योगदान देती है?

क्र.सं.		राजस्थान उत्तरदाता आवृत्ति	प्रतिशत	हरियाणा उत्तरदाता आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	200	66.66	120	60
2	नहीं	100	33.33	80	40
योग		**300**	**100**	**200**	**100**

सारणी संख्या4.21 में राजस्थान और हरियाणा राज्य के प्रशासनिक राजनैतिक समाजसेवी, मानवाधिकार आयोग के सदस्य, आयार्य सहायक आचार्य शोधार्थी से शोध हेतु ''आर्थिक समानताएं आतंकवाद को बढ़ावा देने में योगदान'' के बिन्दू पर व्यक्तिगत प्रश्नोत्तरी की गई जिसके परिणामस्वरूप 66. 66 प्रतिशत न्यायदर्शयों द्वारा माना गया तथा 33.33 प्रतिशत लोगों ने आर्थिक समानताएं आतंकवाद को बढ़ावा देने में योगदान नहीं माना तथा हरियाणा में आर्थिक असमानताएं आतंकवाद को 60 प्रतिशत लोगों ने कारण माना तथा 40 प्रतिशत लोगों ने आर्थिक असमानता को कारण नहीं माना। परिणामस्वरूप हरियाणा की अपेक्षा राजस्थान की अपेक्षा आर्थिक असमानता को आतंकवाद का कारण मानते हैं।

सारणी संख्या 4.22: क्या शैक्षणिक स्तर का प्रभाव आतंकवाद पर पडता है?

क्र.सं.		राजस्थान उत्तरदाता आवृत्ति	प्रतिशत	हरियाणा उत्तरदाता आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	100	33.33	50	25
2	नहीं	200	66.66	150	75
योग		**300**	**100**	**200**	**100**

सारणी संख्या4.22 में राजस्थान और हरियाणा राज्य के प्रशासनिक राजनैतिक समाजसेवी, मानवाधिकार आयोग के सदस्य, आयार्य सहायक आचार्य शोधार्थी से शोध हेतु ''शैक्षणिक स्तर का प्रभाव आतंकवाद पर'' के बिन्दू पर व्यक्तिगत प्रश्नोत्तरी की गई जिसके परिणामस्वरूप 33.33 प्रतिशत न्यायदर्शयों द्वारा माना गया तथा 66.66 प्रतिशत लोगों ने शैक्षणिक स्तर का प्रभाव आतंकवाद पर पड़ना नहीं माना तथा हरियाणा के उत्तरदाताओं द्वारा 25 शैक्षिक स्तर का प्रभाव आतंकवाद को माना तथा 75 प्रतिशत लोगों ने शैक्षणिक स्तर को आतंकवाद का कारण नहीं माना। परिणामस्वरूप हरियाणा की अपेक्षा राजस्थान के उत्तरदाताओं ने शैक्षणिक स्तर का प्रभाव आतंकवाद को माना।

राजस्थान एवं हरियाणा राज्यों के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के इस अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि यहाँ "साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद" लोगों के परम्परागत दृष्टिकोणों, विचारों, आपसी हितों तथा अभिरुचियों आदि में न्यूनाधिक मात्रा में पाया गया है और वर्तमान में भी यहाँ यही स्थिति बनी हुई है।

प्रस्तुत अध्याय में सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य राजस्थान तथा हरियाणा राज्यों में राजनैतिक जागरूकता तथा सामाजिक एवं राजनीतिक समन्वय के सम्बन्ध में दृष्टिगोचर होता जा रहा दिखायी देता है। राजनीतिक जागरूकता व आपसी समन्वय के मध्य पाये जाने वाले पूर्ण सकारात्मक सम्बन्ध से प्रतीत होता है कि जागरूकता समन्वय के निर्माण में एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कारक है। जिससे इन राज्यों में "साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद" की समस्या अपना विस्तार नहीं कर पायी और और न ही इनके विभत्सस्वरूप का विस्तार हो पाया, जिससे यहाँ आतंकी घटनाएँ न्यूनाधिक मात्रा में हो पायी है। अर्थात् राजस्थान एवं हरियाणा में ये घटनायें अवसरवादी परक है।

अध्याय पंचम

निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय पंचम

निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 निष्कर्ष

आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन कर उभरा है। आतंकवाद की मानवीय त्रासदी दिनोंदिन गंभीर होती जा रही है। आज स्थिति यह है कि पूरा विश्व आतंकवादी गतिविधियों की चपेट में है। कहीं विद्रोही संगठन अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए हथियारबंद संघर्ष कर रहे हैं, कहीं सरकारें आतंक का सहारा लेकर अपना वर्चस्व स्थापित करने में लीन हैं। आतंकवाद पर अब तक जहाँ भी चर्चा होती रही हैं, उनका क्षेत्र साधारणतया विभिन्न देशों के विद्रोही संगठनों की हिंसक गतिविधियों तक सीमित रहा है। इन चर्चाओं में सिर्फ यह बताने का प्रयास किया गया हैं कि आतंकवाद को कुछ सशस्त्र गिरोहों अथवा संगठनों की विस्फोटक एवं अवैध कार्रवाइयों के रूप में देखा जाना चाहिए।

मानव जाति के इतिहास में आतंकवादी गतिविधियाँ आरम्भ से ही जुड़ी हैं। सिर्फ उनके रुप, साधन और लक्ष्यों (टारगेटों) में बदलाव आता रहा है। 20 वीं शताब्दी के दौरान और अब 21 वीं शताब्दी में कुछ विशेष स्थितियों में ऐसे सामान्य नागरिकों ने भी आतंक के जरिये विनाश की लीला रची, जिन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं था।

दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान आतंक का नया रुप देखने को मिला। जर्मनी की नाजी सरकार ने जब जाति–विशेष (यहूदियों) को समूल नष्ट करने का अभियान छेड़ा तो असैनिक उसके विरुद्ध खड़े हुए। सुदूर पूर्व में जापान ने भी

नाजियों जैसे अत्याचार ढाए थे। दोनों राष्ट्रों ने बीमारों, बच्चों, वृद्धों और महिलाओं को निर्ममतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया, जबकि सैनिक अभियान के लिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरे विश्वयुद्ध में शत्रु राष्ट्रों ने एक–दूसरे के असैनिक ठिकानों पर भी हमले किये। कुछ हमले तो ऐसे नागरिक ठिकानों पर भी किये गये थे जो युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर थे। दरअसल इन क्षेत्रों पर बम वर्षा इसलिये की गयी थी कि नागरिक संचार–साधन, पुल, फैक्टरियाँ, ऊर्जा के स्रोत, पेट्रोल पंप आदि नष्ट हो जाए और अपने देश की सेनाओं की सहायता में जुटे नागरिकों के जान–माल की इतनी हानि हो कि उनके हौसले पस्त हो जाए, ताकि वे अपनी सरकार को समर्थन देना बंद कर दें। हिरोशिमा और नागासाकी में फेंके गये पमाणु बम इसका ज्वलंत उदहारण हैं।

प्राचीन काल से ही मानव–संस्कृति के इतिहास में विभिन रुपों में आतंकवाद की पुनरावृत्ति होती रही है। प्राचीन काल में विरोधी को आतंकित करके समर्पण के लिये विवश किया जाता था। उस काल में आतंक का प्रयोग प्रायः शासक नीति के अंग के रुप में होता था। मध्यकाल के आरंभ में विशेषकर 5 वीं से 11 वीं शताब्दी तक आतंक का प्रयोग शत्रुओं को आतंकित और भयभीत करने के लिये किया जाता था। पराजित लोगों के घर लूटे जाते और बंदियों को दास बनाकर बाजारों में बेच दिया जाता था। पकड़े गये शासकों और सैनिक कमांडरों को प्रताड़ित करना और मौत के घाट उतारना आम बात थी।

1979 में धार्मिक कट्टरपंथियों ने आंदोलन किया और ईरान के शाह का तख्ता पलट दिया। इसके साथ इस्लाम के कट्टरपंथ की नई लहर शुरु हुई जिसका उददेश्य मध्यपूर्व, अफ्रीका और अन्य मुस्लिम बाहुल्य देशों में इस्लाम पर आधारित सरकारें स्थापित करना रहा है। इन चरमपंथियों का उददेश्य

मुख्यतः इस्त्राइल, पश्चिमी जीवन–शैली और इस्लाम के सिद्धांत से मेल न खाने वाली संस्कृतियों को मटियामेट करना रहा है। धार्मिक उन्माद से प्रेरित उग्रवादियों ने हिंसा, अपहरण, बम विस्फोट और आतंक फैलाने के उन सभी साधनों का प्रयोग किया, जिनसे उन्हें आत्मतुष्टि मिलती थी।

1980 के दशक के आरंभ से ही इस्लामी कट्टरपंथियों का उग्रवाद अजगर की तरह मुंह बाए आकार में बढ़ता ही गया है। ये उग्रवादी सहनशील और धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों के विरोधी हैं। ये इस्राइल को नष्ट करने के लिये कृतसंकल्प हैं। इनका संदेश धार्मिक रुप से शक्तिशाली है– इनका मानना है कि मुसलमान पददलित और पूरी तरह पिछड़े हुए हैं, जिसके कारण विदेशों की पूँजीवादी और मार्क्सवादी विचारधराएँ उनके समाज में घुसपैठ कर गयी हैं, इसी कारण इस्लाम के सांस्कृतिक और दार्शनिक मूल्यों में बदलाव आया और वह जीवन–शैली, जिसे विश्व महान सभ्यता के रुप में जानता था, अस्त–व्यस्त हो गयी। इन कट्टरपंथी लोगों का विश्वास है कि इस्लामी समाज अब भी अपने लिये आधुनिक सभ्यता । संजोए रख सकता है, बशर्ते पश्चिमी नियम–कानून और परंपराएं निकाल फेंकी जाएं और इस्लाम का शरियत कानून लागू हो।

1971 के भारत–पाक युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की शर्मनाक पराजय और समर्पण के बाद वहाँ की सत्ता पर हावी सेनाओं, सैनिक शासकों और गुप्तचर संस्थाओं का प्रमुख उददेश्य भारत में पराजय का बदला लेना रहा है। जनरल जियाउलहक ने अपने शासनकाल में भारत–विरोधी षड्यंत्र 'आपरेशन टोपेक' के नाम से रचा। यह आपरेशन 1985 में शुरु हुआ। कश्मीर को भारत विरोधी गतिविधियों का केन्द्र बनाने की योजना बनाई गयी। भारत को इस दुश्चक्र की भानक लगी तो इसका नाम बदलकर 1990 में 'टोपेक–2' रख दिया गया। विभिन्न धर्मों में हिंसा को अच्छा नहीं माना गया है। कहीं–कहीं अगर हिंसा की वकालत की भी गयी तो वो बुराई पर अच्छाई को

विजय दिलाने हेतु, कमजोर का साथ देने के लिये या फिर धर्म के बचाव के लिये। विभिन्न धर्मों में आजकल एक प्रतिस्पर्धा का युग शुरु हो चुका है। कुछ गिने चुने लोग, जो अपने को सर्वश्रेष्ठ बताकर दूसरे का अस्तित्व नकारते हैं। इसी विचारधारा के साथ आम नागरिक को गुमराह करने के लिये धर्मों पर स्वामित्व की लड़ाई चल रही है।

आतंकवाद जब अपने बाल–रुप में ही था तभी उसका संबंध धर्म से स्थापित हो चुका था। तब से अब तक कई हजार युद्ध धर्म के नाम पर ही हो चुके हैं। इसमें धर्मगुरुओं ने हिंसा को जायज ठहराया और उसकी शिक्षा भी इसी तरह दी। उन्हें अपने हिंसक कृत्यों का कोई दुःख या पछतावा नहीं। वो हिंसा को धर्म की रक्षा के लिए, धर्म बचाने के लिए या उसको फैलाने के लिये उपयोग किया हुआ एक जायज साधन मानते हैं जिसमें उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद, लोगों का पुण्य और मरने पर स्वर्ग या जन्नत मिलने की गारंटी दी जाती है। कट्टरपंथ ऐसा धार्मिक जुनून है जिसमें सारी तार्किक शक्तियों को ताक में रखकर चंद लोग इसका दुरुपयोग कर द्य रहे हैं और इस षड्यंत्र में पिस रहा है आम आदमी और इसका खमियाजा उठा रही है पूरी मानवजाति। धार्मिक कट्टरपंथी कुछ राजनैतिक और कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण खुलकर इस तरह के आतंकवाद से नाता नहीं जोड़ते हैं, पर दिल–ही–दिल में वो इसे एक सहारा मानते हैं। वो मानते हैं कि जब सब कुछ फेल हो जाए तो इस हथियार का उपयोग किया जाये। 2003 के इराक–युद्ध में जब सद्दाम हुसैन अपने को कमजोर और असहाय महसूस करने लगे तो उन्होंने शायद पहली बार जिहाद का नारा बुलंद किया और मुस्लिम आवाम तथा मुस्लिम देशों से सहायता की गुहार लगाई। आतंकवाद ने केन्द्र तथा कई राज्यों में कानून व्यवस्था को तार–तार कर दिया है जिस कारण सामान्य जनजीवन अस्त–व्यस्त हो गया है। पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर–पूर्वी राज्यों में तो आतंकवाद

पैर पसार ही रहा है साथ ही उत्तर में। जम्मू–कश्मीर में दहशतगर्दी के कारण आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है।

जम्मू–कश्मीर में चल रहा इस्लामी आतंकवाद पूर्णतया पाकिस्तान द्वारा प्रयोजित है और ये अलगाववादी कश्मीर को भारत से काट कर पाकिस्तान में मिला देना चाहते हैं। इसके विपरीत उत्तर–पूर्वी भाग के कुछ राज्यों में जो आतंकवाद चल रहा है वह जातीय तथा सीमागत संकीर्णताओं को लेकर है। उत्तर–पूर्व के आतंकवादी किसी अलग राज्य की मांग तो नहीं कर रहे हैं लेकिन वे चाहते हैं कि उनके राज्य में मूल निवासियों को और अधिकार दिए जाएँ। उनकी लड़ाई किसी अन्य राज्य से आकर उनके राज्य में बस गये नागरिकों से है। इसी प्रकार दक्षिणी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं लेकिन इनका प्रेरणास्त्रोत नक्सलवाद है न कि अलगाववाद। ये नक्सली आतंकवादी हिंसा के बल पर समाजवाद लाना चाहते हैं, पूँजीवाद को हटाना चाहते है। इस प्रकार भारत के कई राज्यों में चल रहे इस आतंकवाद के कारण और उद्देश्य भले ही अलग–अलग हो लेकिन इन सबका मूल स्वभाव हिंसक है और ये हिंसा, शक्ति और हथियारों के बल पर अपनी बात मनवाना चाहते है। आतंकवाद की लड़ाई सामान्यतः सरकार से एंव शासन की व्यवस्था से होती है लेकिन इसके तले पिसता है आम आदमी। त्रिपुरा एक शांत और आपस में मिलजुलकर रहने वाला आदिवासी क्षेत्र रहा है। लेकिन यहाँ अलगाववादी समस्या को पैदा करने वाले बीज 1939 में उस समय पड़ने शुरू हो गए थे, जब संयुक्त बंगाल में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद काफी बड़ी संख्या में बंगाली शरणार्थी यहाँ आकर बसने लगे। 1939 में ढाका में होने वाला यह सांप्रदायिक दंगा त्रिपुरा के सामाजिक संतुलन को बिगड़ने का कारण बना। जून 1980 में पूरा त्रिपुरा रक्तपात का मैदान बन गया। अनगिनत लोग मारे गए, संपत्तियाँ लूट ली गईं या जला दी गईं। स्थिति ऐसी

हो गई कि त्रिपुरा उपजाति 'जुवा समिति के कार्यकर्ता हथियारों से लैस होकर बंगालियों को मारते, उनकी बस्तियों में आग लगाते और फिर सुरक्षाबलों से बचकर पहाड़ी क्षेत्रों या जंगलों में छिप जाते।

मीजोरम में आतंकवाद का दौर 1966 में आरंभ हुआ और 1984 तक अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। 1947 में आजादी के बाद मीजोरम भारत के साथ जुड़ा था। इससे पहले कि ब्रिटिश शासन में यह पहाड़ी क्षेत्र असम का एक भाग था। उसकी यह स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक बनी रही। लेकिन मीजो कबीले असम के साथ बने रहने पर संतुष्ट नहीं थे।

नागालैंड के नागाओं में अलगाव की भावना बढ़ी, नागा विद्रोहियों के नेता फीजो तथा उसके चीनी अनुयायियों ने यह भ्रम फैलाया कि वे भारत की सैनिक शक्ति को पराजित करके एक न एक दिन स्वतंत्र हो सकते हैं। नागा विद्रोहियों के जत्थों ने भारी आतंक फैलाया, हत्याएँ तथा अन्य हिंसक वारदातें की। असमी संस्कृति, असमी भाषा तथा असमी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए बोडो आंदोलन शुरू हुआ। उनका तर्क था कि जब नागालैंड बन सकता है तो अलग बोडोलैंड भी बन सकता है। लंबे समय से अलगाववाद की जो स्थिति पैदा होती रही, उसने भयंकर रूप धारण कर लिया। नक्सलवादियों ने महात्मा गांधी के साहित्य की खुलेआम होली जलाई। उन्होंने भारत के बड़े नेताओं राजा राममोहनराय, ईश्वरचन्द विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाषचन्द्र बोस तथा चितरंजनदास आदि की प्रतिमाओं को भी खंडित कर दिया।

पश्चिमी बंगाल से निकलकर नक्सलवादी आन्दोलन जब बिहार में पहुँचा तो अनेक जिलों के दूरस्थ गाँवों में लाल झंडे फहराते दिखाई देने लगे। वहाँ इस आन्दोलन का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि माओ की लाल किताब ने धार्मिक पुस्तकों–जैसा स्थान प्राप्त कर लिया। आन्ध्र प्रदेश में करीमनगर जिला

नक्सलीदियों का सबसे बड़ा केन्द्र है। करीमनगर के अतिरिक्त आदिलाबाद और बारंगल जिले भी

इस राजनीतिक आतंकवाद की चपेट में है। चूंकि मध्य प्रदेश के नक्सलवाद–प्रावित जिले महाराष्ट्र की सीमा से मिलते हैं, इसलिए यह हिंसक आन्दोलन महाराष्ट्र में भी फैल गया।

हिंसा पर आधारित नक्सलवादी विभिन्न संगठनों के रूप में आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तरपूर्व के राज्यों में पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हैं और आपराधिक वारदातें कर रहे हैं। पुलिस राजनैतिक हस्तक्षेप के चलते उनके विरुद्ध पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाती या फिर यह समस्या अकेले पुलिस–प्रयास से नहीं बल्कि प्रशासनिक तथा राजनैतिक पहल से ही हल हो सकती है।

आतंकवाद का दानव पंजाब से चलकर उत्तरप्रदेश के तराई क्षेत्र तक पहुँच गया और विगत वर्षों में अनेक आतंकवादी संगठनों ने इस क्षेत्र में संगीन वारदातें कर पुलिस और प्रशासन को ही नहीं, उत्तर प्रदेश की शान्तिप्रिय जनता को बुरी तरह चौंकाया एवं झकझोर दिया है। 1984 के आपरेशन ब्लू स्टार के बाद तराई क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियाँ विकट रूप से बढ़ गई थीं। पुलिस स्तब्ध थी और उसे इस संकट से जूझने तथा उससे मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आतंकवादी निरन्तर हत्याएँ कर रहे थे। नैनीताल, काशीपुर, हल्द्वानी, बाजपुर से लेकर पीलीभीत तक आतंकवादी गिरोह का दबदबा जनता को कई वर्षों तक आतंकित किए रहा। पीलीभीत क्षेत्र में पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में दस उग्रवादियों की हत्या हुई थी। लेकिन इसे राजनीतिक रंग दे दिया गया। वास्तविकता जो भी हो, लेकिन इससे पुलिस का मनोबल जरूर गिरा। ऐसी चर्चाएँ चलती रहीं कि पुलिस निर्दोष

परिवारों को अकारण प्रताड़ित कर रही है। ऐसे अनेक लोगों को जेलों में कैंस दिया गया है, जो बिल्कुल निर्दोष थे और जिनका आतंकवादियों से कुछ लेना–देना नहीं था। इसमें कुछ न कुछ सच्चाई भी हो सकती है। लेकिन पुलिस को आम सिख समुदाय का दुश्मन सिद्ध करना पूरी तरह दूरदर्शिता के विपरीत था। क्योंकि ऐसे प्रचार से सिख परिवारों में आतंकवादियों से हमदर्दी और पुलिस से घृणा की भावनाएँ पैदा हुईं। परिणामतः तराई में आतंकवाद को दबाने में कठिनाई आई।

आतंकवाद के प्रभाव की तुलना अगर एक आणुविक विस्फोट से की जाए तो अनुचित नहीं होगा। जिस तरह हीरोशिमा और नागाशाकी पर बम गिराए जाने के बाद न केवल मुनष्य जाति प्रभावित हुई बल्कि जीव–जन्तु, पेड़–पौधे, और पूरा पर्यावरण प्रभावित हुआ तथा वर्तमान के साथ–साथ भविष्य भी प्रभावित हुआ। कई पीढ़ियों तक यह बोझ हम झेलते रहेंगे और यही हाल होता है आतंकवाद की बीमारी लग जाने के बाद आप किसी एक क्षेत्र की कल्पना कीजिए और पाएंगे कि वो क्षेत्र इससे प्रभावित है।

समाज में आतंकवाद के पैदा होने और जड़ जमा लेने के बाद वहाँ पर एक सामाजिक असुरक्षा (Social Insecurity) की भावना पनपती है। विघटनकारी ताकतें अपना सिर उठाने लगती हैं, युवा जगत बिना सोचे समझे हिंसक रास्ते अख्तियार करने लगता है और अपने मूल उददेश्यों से भटक जाता है। भारतीय परिवेश में तो जहाँ पर विभिन्न धर्म, जातियाँ, भाषाएँ आदि हों और इतने विशाल देश की भौगोलिक स्थिति भी अलग–अलग प्रकार की हो, वहां पर आतंकवाद के विपरीत प्रभाव बहुत ही विस्फोटक हो सकते हैं।

आतंकवाद एक हिंसा की रणनीति जरुर है पर उसके मूल में एक स्पष्ट राजनैतिक उद्देश्य पल रहा हैं। आतंकवादी एक स्थापित व्यवस्था को उखाड़

फेंकना चाहता है। उसका संघर्ष राजनैतिक है पर कृत्य हिंसात्मक। यह एक विद्रोह के अस्त्र के रूप में जरूर प्रारंभ होता है पर इसकी नजरें उन राजनीति के गलियारों पर होती हैं जहाँ वो अपनी हुकूमत अपने ढंग से और अपने कायदे कानूनों से चला सकें।

आतंकवाद ग्रसित क्षेत्रों में धर्मिक नेताओं और कट्टर पंथियों का प्रभाव स्वतः ही होता है जो देश–विदेश में बढ़ता जाता है। शिक्षा और ज्ञान के अभाव में लोग इनके कुप्रचार और दकियानूसरी दलीलों को खूब सुनते हैं और मानने लगते हैं। इसके बाद की स्थिति और विस्फोटक हो जाती है जब यह लोग राजनीति को प्रभावित करने के साथ–साथ स्वंय भी राजनेता बन बैठते हैं। इन नए प्रयोगों और। समीकरणों से विकास सीधे–सीधे प्रभावित होता है और प्रगति की जगह इंसान के कुछ सदियों पीछे चले जाने का डर जायज हैं।

आतंकवादी जंगलों में अपना प्रशिक्षण शिविर चलाने के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, वन संपदा का निहित स्वार्थों के लिए दोहन करते हैं। चाहे कुछ भी हो लेकिन कटना तो प्रकृति के इन बेजुबान रखवालों को ही पड़ता है। उत्तर–पूर्व और कश्मीर में जंगलों की अवैध कटाई आतंकवादियों की आय का भी एक जरिया है। एक तरफ आतंकवादियों को लकड़ी से पैसा मिलता है तो दूसरी तरफ सरकार की आमदनी में कमी होती है। जहाँ सरकारी कटाई में औषधीय गुण वाले और अन्य बहुमूल्य पेड़ों का ध्यान रखा जाता है वहीं आतंकवादी केवल अपने स्वार्थों के खातिर अंधाधुंध कटाई करने में विश्वास रखते हैं।

नाभिकीय, जैविक और रासायनिक हथियारों का आतंकवादियों द्वारा उपयोग भी पर्यावण को प्रभावित करता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि

आज का आतंकवादी पायलेट, डाक्टर और वैज्ञानिक हो सकता है। यह विनाश का अभिनव प्रयोग करता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद जिस गति से फैल रहा है। उतनी ही गति से यह पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। चाहे वो पहाड़ियों और जंगलों में फैला कचरा और प्लास्टिक हो, जल स्त्रोतों को रासायनिक हथियारों से विषाक्त होने का डर या जैविक हथियारों द्वारा फैलाई गयी महामारियाँ, यह सब और मंडल के सबसे जीवंत और सुंदर ग्रह को नष्ट करने की साजिश है।

5.2 आतंकवाद, साम्प्रदायिकता एवं क्षेत्रवाद (अलगाववाद) के समाधान की दिशा में कुछ सुझाव

- आतंकवादी संगठनों के आर्थिक स्रोतों तथा सीमापार से मिलने वाले सहयोग को बन्द किया जाना चाहिए। उनके वित्त पोषण पर कड़ी निगरानी रखकर और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न किये जाने चाहिए।
- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो क्रान्ति हुई है उससे मीडिया की प्रसारण क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। मीडिया का प्रभावशाली तरीके से उपयोग आतंकवाद के विरुद्ध कारगर संघर्ष में किया जा सकता है क्योंकि दूरदराज क्षेत्रों तक उनकी पहुँच है। अतएव मीडिया की सहायता से आतंकवाद के वास्तविक चरित्र को जनसामान्य के समक्ष उद्घाटित किया जा सकता है ताकि आतंकवादी जनसामान्य को भ्रमित करने में सक्षम न हो सकें। साथ ही इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि मीडिया द्वारा किसी प्रकार से आतंकवाद या आतंकवादियों का महिमामंडन न हो सकें।

- धर्म में लोगों की गहरी आस्था होती हैं धर्म गुरूओं और धार्मिक संस्थाओं को दिग्भ्रमित लोगों का पथ प्रदर्शन करना चाहिए जिससे वे हिंसक गतिविधियों को छोड़कर राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। इसके साथ ही साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में बेरोजगारी, निर्धनता, अशिक्षा, असमान विकास, अविकास एवं निम्नस्तरीय नागरिक सुविधाओं को समाप्त करके विकास की सनुचित प्रक्रिया को बढ़ावा देने की आश्यकता है।
- समस्याग्रस्त क्षेत्र में तकनीकी व रोजगार परक शिक्षा का विस्तार होना चाहिए ताकि युवकों के जीवन को उचित दिशा मिल सके और वे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आतंकवाद की ओर उम्मुख न हों।
- आतंकवादग्रस्त पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग विकसित होना चाहिए जिससे उस क्षेत्र का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले और देश के अन्य भागों से सम्पर्क बढ़े। इस प्रकार पृथकतावाद की भावना समाप्त होगी और राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिलेगा।
- आतंकवाद के विरुद्ध सतत् सैन्य संघर्ष की आवश्यकता है। क्योंकि आतंकवादी संघर्ष विराम को भावी संघर्ष हेतु तैयारी का समय मानते हैं न कि शान्ति प्रयास। ऐसा कई बार देखा गया है कि सैन्य–बलों की कर्रवाइयों से आतंकी संगठन समाप्त प्राय हो गये थे किन्तु संघर्ष विराम की नीति अपनाने से उन्हें संजीवनी–सी मिल गयी। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि सैन्य बलों का आम नागरिकों के साथ मानवीय तथा गरिमापूर्ण व्यवहार हो अन्यथा आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्रों में सेना विरुद्ध ही माहौल तैयार होने लगेगा।
- आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों से वार्तालाप द्वारा समस्या के समाधान का प्रयास करना चाहिए। ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को अभिव्यक्ति की

स्वतंत्रता प्रदान की जाय ताकि उनके विचारों व समस्याओं का विश्लेषण हो सके।

- आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र में मानवाधिकारों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विविध आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों की संस्कृति का संरक्षण, परिरक्षण व संवर्धन होना चाहिए।
- स्थानीय नायकों तथा महान व्यक्तियों को विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाय जिससे बच्चों को उनसे प्रेरणा एवं मार्गदर्शन मिल सकें और उन्हें विश्वास हो सके कि उनके निवास क्षेत्र से किसी भी प्रकार के अन्याय अथवा भेद–भाव की नीति नहीं अपनायी जा रही है।
- महिलाओं का सशक्तीकरण हो, क्योंकि महिलाएँ ही अपने परिवार को एक उचित दिशा देती हैं। यदि वे जागरूक और साधन–सम्पन्न होंगी तो निश्चय ही वह अपने परिवार एवं बच्चों को सकारात्मक मार्ग पर चलाने के लिए उत्प्रेरित कर सकती है।
- आर्थिक वैषम्य की खाई को पाटा जाय ताकि देश के हर नागरिक को प्रजातांत्रिक प्रणाली से लाभाविन्वत होने का अवस मिल सके।
- वर्गानुसार वेतनक्रम में जा विसंगतियाँ है उसे दूर किया जाय तथा ऐसा नियम बनाया जाय कि हर क्षेत्र के कार्मिक चाहे वह बौद्धिक श्रम करता हो या शारीरिक श्रम उनके वेतनों में अन्तर को सामान्य किया जाय ताकि देश से आर्थिक विषमता समाप्त किया जा सकें।
- भूमिहीनों को उनके परिवार एवं परिवार की आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्धता करायी जाय भूमिहीन परिवार के सदस्य नक्सल आतंकवादियों से दूर रहते हुए अपनी जीविका चला सकें।
- आदिवासी परिवार की परम्परागत भूमि, जंगल आदि को सरकार द्वारा किसी दूसरे को न तो पट्टा दिया जाय और न ही उसे औद्योगिक घरानो

के हाथों बेचा जाय, ताकि आदिवासी परिवार अपने परम्परागत व्यवसाय से वंचितन होने पायें।

- आतंकवाद को समूल विनष्ट करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समस्याग्रस्त क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रीत करते हुए कार्यवाही किए जाने के लिए समयबद्ध एजेण्डा तैयार किया जाना आवश्यक है।
- आतंकवाद से निपटने के लिए गृह मंत्रालय एवं सुरक्षा एजेन्सियों को चुस्त–दुरूस्त बनाने की जरूरत है।
- पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर लगाम लगवाने हेतु वैश्विक कूटनीतिक दबाव आवश्यक रूप से बनाया जाना चाहिए।
- आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु हमारे पुलिस तंत्र में सुधार करने के लिए हमारे पुलिस कर्मियों को बेहतर उपकरणों, प्रशिक्षण, प्रोत्साहित एवं समय–समय पर उत्प्रेरित करने की आवश्यकता है।
- भारत में आतंकवाद का उन्मूलन करने हेतु आधुनिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को प्रशिक्षित करने पर ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाना चाहिए।
- भारत में आतंकवाद पर कारगर नियंत्रण स्थापित करने हेतु खुफिया तंत्र के उन्न्यन करने की जरूरत है। खुफिया सूचना एकत्र करने और उसे बांटने हेतु ढांचे में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।
- महानगरों की सुरक्षा पुख्ता करने हेतु देश के बडे शहरों के चारों ओर एक सुरक्षा कचव बनाने की जरूरत है।
- आतंकवाद का पूरा सफाया करने के लिए समुद्री तटो, हवाई अड्डों, रेल्वे– बस स्टेशनों, सार्वजनिक स्थलों और लोकतंत्र के अन्य प्रतीकों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।

- कानुन को सख्त बनाने के लिए आपराधिक न्यायिक व्यवस्था में त्वरित एवं शीघ्र निस्तारण हेतु वर्तमान कानून में उपयोगी संशोधन करने की जरूरत है।
- आतंकवादियों को अत्याधिक हथियारों, उपकरणों एवं आर्थिक सहायता देने वाले देशों के विरूद्ध लामबद्ध होकर विस्फोटकों की तस्करी का पता लगाने और आतंकवादियों की वित व्यवस्था पर चोट करने की जरूरत है।
- आंतकवाद से कारगर मुकाबले के लिए सशस्त्र बलों द्वारा नई चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करने के लिए आतंकवाद निरोधक विशेष बल बनाने की जरूरत है।
- आतंकवाद पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जिम्मेदारी नागरिक बनाने और जनता में जागरूकता फैलाने के लिए नागरिक चार्टर जारी किया जाना चाहिए।
- विभिन्न गुप्तचर ऐजन्सियों के बीच बेहतर तालमेल की व्यवस्था स्थापित होना आवश्यक है।
- आतंकवादियों पर नियंत्रण स्थापित करने में विफल सुरक्षा अधिकारियों को अविलम्ब बर्खास्त किए जाने की जरूरत है।
- आंतकवाद पर सफल कामयाबी के लिए आंतरिक सुरक्षा को गृह मंत्रालय के दूसरे कार्यो से पृथक किया जाना चाहिए।
- आतंकवाद के खिलाफ लडाई लडने के लिए प्रतिरोधक रणनीति बनाकर आंतकी घटना को अंजाम देने वाले सरगनाओं के प्रत्यर्पण के लिए निरन्तर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव डलवाने की जरूरत है।
- आतंकवाद के सफाये के लिए निरन्तर कूटनीतिक अभियान, पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत पेश करके अन्तर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की जरूरत है।

- पाकिस्तान के अंदरूनी झगडों और अंतर्विरोधों और बूलिस्तान एफ.टी.ए. और पी.ओ.के. में उसकी कमजोरियों को बेनकाब किया जाए और सेना और जेहादियों के बिच फूट डलवाए तथा उदार लोकतात्रिक शक्ति वाले देशों का दिल जीतने की भी जरूरत हैं।
- आतंक के खिलाफ जंग शुरू करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक नगरिक को शपथ लेने की जरूरत है कि सुरक्षा एजेन्सियों का साथ देंगे। गरीबी और भ्रष्टाचार के विरूद्ध निकम्मेपन को बेनकाब करेंगे, आतंक को जरा भी बर्दाश्त कीए बिना देश के विरूद्ध घृणा फैलाने वाले ताकतों को खत्म कर देंगे तथा अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए सभी आम–खास जन एकजुट होकर संघर्ष करेंगे।
- आतंकवाद के नियंत्रण के लिए नई बनाने की आवश्यकता है। इसमें भारत के खुफिया तंत्रों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए।
- विश्व के सभी देशों द्वारा आतंकवाद से मुकाबला करने के दौरान मारे गए सशसत्रबलों, पुलिस, खुफिया एजेन्सी एवं नीजी व्यक्तियों को आर्थिक सहायता के साथ उन्हें विशेष पैकेज के तहत सम्मानित किया जाना चाहिए।
- जहॉ जहॉ भी आतंकवाद के अड्डे शरण स्थल बने हुए है। वहां विशेष खुफिया दलों का गठन करके उन पर लगातार चौकसी का कार्य की जिम्मेदारी ईमानदारी, कर्तव्यपरायण, साहसर बहादुद निडर लोगों को सौंपनी चाहिए।
- भारत में आतंकवाद के कारणों का निराकरण उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करके किया जाना चाहिए।
- आतंकवाद से मुकाबले करने वाले परिवारों के किसी सदस्य के मारे जाने पर उसके परिवार में आश्रित को सरकारी रोजगार दिलवाया जाना चाहिए।

- जैविकीय, रसायनिक, परमाणुविक, नाभकिय, विकिणीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, आणविक साइबर आदि प्रकार के स्वरूपों के आतंकवाद से निपटने के लिए निम्न उपाय सुनिश्चित किए जा सकते है।
- आतंकवाद के रोकथाम हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के सहयोग से खुफिया प्रणाली को चुस्त बना कर इस तरह के आतंकवाद को मौके पर कम करने के प्रयास करने आवश्यक है।
- आतंकवादी गतिविधियों पर सक्रिय रूप से निगरानी रखते हुए दोषियों को बिना विलम्बन किए सजा दिलवाई जाना चाहिए। विश्व स्तर पर सभी देशों में समान एवं कठोर नियम बनाए जाने चाहिए ताकि दोषियों को भागने का अवसर न मिल सकें। अगर वह सीमा पार करके दुसरे का अवसर न मिल सकें। अगर वह सीमा पार करके दुसरे देश में आश्रय, प्रश्रय, सहायता या शरण लेता है। तो उसे देश के मुकदमा चलाने की भी इजाजत होनी चाहिए।
- महामारियों के बारे में निगरानी और क्षमता का सृजन कर सभी राज्यों में उपयुक्त प्रयोगशालाएं और संस्थानों को संबद्ध कर दिया जाना चाहिए। नमूनों की जांच से बिमारियों और महामारियों को समय रहते फैलने से रोका जा सकता है।
- चिकित्सकीय एवं पुनर्वास- प्रबन्धन करने की तीव्र आवश्यकता है। पुलिस एवं सेना में ज्यादा बम्ब मारक दस्तों को स्थापित करने की आवश्यकता है।
- आंतकवाद के रोकथाम के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन समाधान करने वाली योजनाएं बनाकर सूझबूझ के साथ व्यूहरचना सफल करनी चाहिए। आज एक ऐसी विश्वव्यापी आचार संहिता की आवश्यकता है जो समस्त धार्मिक भावनाओं से उपर उठकर समरसता फैलाए। विभिन्न देशों

समुदायों और जातियों के बीच राष्ट्र के ससाधनों और अवसरों आदि को लेकर जो असमानता नजर आती है। उसे दूर करने के प्रयास करना चाहिए।

- आतंकवाद से मानव सभ्यता का विनाश हो सकता है। सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण की सही स्थिति रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, दृष्टि से सम्पन्न बनाना जरूरी है।
- आतंकवाद का खात्मा पूरी तरह से तभी हो सकता है। जब सुरक्षा कर्मचारियों, अधिकारियों एवं एजेन्सीज से ज्यादा आम नागरिकता जागरूकता, सजकता एवं तत्परता लाकर आतंकवादियों का मुकाबला करने का साहस एवं हौसला रखे।
- स्वस्थ प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति का प्रचार–प्रसार व स्वीकृति का माहौल तैयार करना चाहिए।
- गांधीवादी जीवन मूल्यों अहिंसा, सत्य, दया, परोपकार का व्यापक प्रचार–प्रसार होना चाहिए। हिंसा के बदले हिंसा के सिंद्धात को भी त्यागना चाहिए।
- आंतकवाद मानवता के विरूद्ध अघोषित युद्ध है आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए केन्द्र सरकार को संघीय कानून बनाकर उसमें राष्ट्रीय जांच एजेंन्सी नवगठित की जाए। आतंकवाद की अंदरूनी एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति को देखते हुए इस एजेन्सी की सख्त आवश्यकता रहेगी।
- पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा पर आंतकियों के ठिकानों पर ड्रोन विमानों द्वारा हमला करने की कुशल रणनीति बनाने की जरूरत है। ताकि महज घंटे भर में ही ड्रोन विमान अपने लक्ष्य को भेदकर आ सकेंगे।
- अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसी भयावह चुनौति से निपटने के लिए दुनिया के सभी छोटे–बडें देशों को एकजुट होकर आंतकवाद के नेस्तनाबुदिकरण में

लग जाना चाहिए। क्योंकि यह चुनौति किसी एक देश की नहीं है बल्कि पूरी मानवजाती की है।

- जम्मू कश्मीर राज्य में सामान्य हालात बहाल करने के लिए भारत सरकार को निम्न प्रसाय करने चाहिए ताकि आंतकवाद का जड से सफाया हो सके। पाक प्रयोजित आतंकवादी गुटों द्वारा सीमापार से चलाए गए आतंकवाद से सुरक्षाबलों की सहायता लेकर प्रतिकारक रूप से निपटाना होगा।
- राज्यों के आर्थिक विकास में गति लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज, योजनाओं को चलाने की घोषणा करना चाहिए और आम लोगो की शिकायतों का अविलम्ब निवाराण किया जाना चाहिए।
- जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गुटों के ऐसे लोगो से सकारात्मक एवं सौहार्द्धपूर्ण बातचीत करनी चाहिए जो हिंसा का रास्ता छोड की मंशा रखते हुए बातचीत करने के इच्छुक हो।
- जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आतंकवादी प्रशिक्षण एवं हथियारों से निजात पाने के लिए उन नवयुवकों को सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। तथा उन्हें वापस मानवातावादी उसूलों को आत्म सात करने की शिक्षा देना चाहिए।
- आतंकवाद पर फतह के लिए हमें आतंकवादियों को राष्ट्रीय जीवन धारा में लाना होगा जिसके लिए मनोविज्ञान व दर्शन विज्ञान का सहारा लेना पडेगा। देश में पूर्ण जो भी अलगावादी, उग्रवादी आतंकी रहे है। या भारतीय फौज के जवान रहे है उनको यदि वे देश सेवा करना चाहते है तो उन्हें आंतक निरोधी दस्ते का सदस्य बनकर अपनी सेवाएं राष्ट्र को समर्पित करनी चाहिए।

- आंतकवादी को जड से ही नष्ट करने के लिए आतंकवादियों के मन की थाह लेकर उनमें फूट डालने का कार्य सर्वोपरि हो सकता है। कुछ उग्र एवं खूंखार प्रकृति के आतंककारी तो इतने शातिर, बदमाश, चतुर होते है। कि उनकी मनसा या भावना को पहचानना हर एक सुरक्षा अधिकारी के बूते से बाहर की बात हो जाती है।
- आतंकवाद निवारण अधिनियम के प्रावधानों को कठोरता से लागू करना चाहिए। भारत में जो भी व्यक्ति डकेत रहे हो की सेवांए भी आतंकवाद के उन्मूलीकरण के लिए प्रयोग में ली जा सकती है। क्योंकि इनका जीवन भी खौपनाक, साहस, निडरता, हमले, हौसले से परिपूर्ण रहा होता है। आतंकवादियों के हौसले पस्त करने के लिए डकैतों की सहायता ली जा सकती है। जैसे बाबू जय प्रकाश ने अपनी समझ से डकैतों को राष्ट्रीय जीवनधारा में लेकर आए थे।
- निःसन्देह आतंकवाद आज मानव सम्पदा के विकास आदि वैज्ञानिक तरक्की पर बहुत बडा प्रश्न चिह्न है। लेकिन यह प्रश्न चिन्ह अटल नहीं है इसे हटाया जा सकता है। या सरल किया जा सकता है। इसे हल करके ही हम विकास की राह पर आगे बढ सकते है।

शोध–प्रबन्ध में दिये गये तथ्यों के आलोक में हम कह सकते हैं कि सरकार को आतंकवाद के मूल कारणों की तह तक जाना चाहिए। व्यक्ति आखिर आतंक का मार्ग क्यों चुनता है? इसके पीछे उसकी क्या विवशता रही? आदि कारणों का निष्पक्षता के चश्में से देखकर उसका यथोचित समाधान निकालना चाहिए। प्रभावित व्यक्ति के साथ यदि त्वरित न्याय किया जाय तो कोई भी इंसान विधि–विधान के उल्लंघन के विषय में सोच भी नहीं सकता। आतंकवाद को बढ़ावा देने में जहाँ देश के दुश्मनों की कुटिल विचारधारा उत्तरदायी है वहीं पर जनसमस्याओं के निराकरण के प्रति हमारी सरकारों के

उदासीनतापूर्ण नीति भी आतंकवाद का पुष्पित एवं पल्लिवत होने के लिए जिम्मेदार है। यदि सरकार और उसका तंत्र जनता के हितों पर न्यायपूर्ण कार्यवाही करे तो काफी हद तक आतंकवाद के प्रवाह को रोका जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- अलेक्जेंडर युना (1992): "इन्टरनेशनल टेररिज्म", लंदन, मर्तिनुस निजोपक पब्लिकेशन, पृ. 300.341.
- फडिया, बी.एल. (2007): "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति", साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
- चन्द्र, विपिन (1996): "आधुनिक भारत में साम्प्रदायिकता", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- चौधरी, पूनम (2009): "आतंकवाद चुनौती ओर समाधान (भारत के विशेष संदर्भ में)" लघु शोध पत्र, वर्धमान खुला कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
- चौधरी सुरेन्द्र (2009): "आतंकवाद एक वैश्विक चुनौति के रूप में", लघु शोध पत्र, वर्धमान खुला कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
- हुसैन, माजिद (2009): भारत का भूगोल, टाटा मैक्ग्राहिल पब्लिकेशन, दिल्ली।
- गुप्ता, दीपिका (2009): "आतंकवाद का बदलता स्वरूप और भारत की सुरक्षा चिंताएँ", शोध समीक्षा–2009, वर्धमान खुला कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, पृ. 29–35.
- गोस्वामी अर्नब (2002): "कोम्बाइटिंग टेरेरिज्म दी लीगल चैलेंज", न्यू देहली, हर आनन्द पब्लिकेशन प्रा. लि.।
- गौड, विरेन्द्र कुमार (2004): "विश्व में आतंकवाद", सामयिकी प्रकाशन, दिल्ली।
- जगमोहन (1991): "माई फ्रोजन टुर्बुलेन्स इन कश्मीर", न्यू देहली एलाइड पब्लिशर्स।

- कोठारी, रजनी (1970): "पोलिटिक्स इन इंडिया", लन्दन केम्ब्रिज पब्लिकेशन, देहली, पृ. 6–7.
- कुमार. डी.पी. (1993): "कश्मीर : पाकिस्तन्स प्रोक्सी वार", न्यू देहली : हर आनन्द पब्लिकेशन्स।
- केपेल, गिल्लेस (2002): "जिहादः दी ट्रेल ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम", केम्ब्रिज हार्वर्ड युनविर्सिटी प्रेस।
- क्रीसवेल, जे. डब्ल्यू (2009): "रिसर्च डिजाइन", सेज पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ. 211.
- खण्डेला, माणकचंद (2009): "आतंक का अर्थशास्त्र", अरिहंत पब्लिकेशन, जयपुर।
- लखनपाल. पी.एल. (1959): "कश्मीर कॉन्सीप्रेसी केस", देहली इन्टरनेशनल पब्लिकेशन्स।
- लाहिनी, प्रतीप के. (2012): "भारत में साम्प्रदायिक दंगे और आतंकवाद", राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
- लाल, मनोहर (2003): "आतंकवाद चुनौती ओर संघर्ष", मेघा बुक्स प्रकाशन, दिल्ली।
- मिश्रा के.पी. (1979): "कश्मीर एंड इंडियाज फोरेन पॉलिसी", इलाहाबाद, चाघ पब्लिकेशन्स।
- माहेश्वरी अनिल (1993): "क्रेसेंट ऑवर कश्मीरः पालिटिक्स ऑफ मुल्लाहिल्म", न्यू देहली, रूपा एंड कम्पनी।
- नारंग ए.एस.(1978): "टेरेरिज्म दी ग्लोबल प्रेसपेक्टिव", न्यू देहली।
- पॉल विलकिंगसन (1974): "पॉलिटिकल टेरेरिज्म" लन्दनः मैकमिकलन।
- प्रभा, क्षितिज (2000): "टेरेरिज्म एन इन्स्टूमेंट फॉरेन पॉलिसी" न्यू देहली साउथ ऐशियन पब्लिकेशर्स।

- पंत पुष्पेश एंड श्रीपाल जैन (1997): "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति", मेरठ, मीनाक्षी प्रकाशन।
- पांडेय अरूण त्रिपाठी अरूण (2002): "मुस्लिम आतंकवाद बनाम अमेरिका", वाणी प्रकाशन 21ए दरियागंज नई दिल्ली।
- रेड्डी एल. आर. (2002): "दी रोस्ट ऑफ ग्लोबल टेरेरिज्म" न्यू देहली : ए. पी.एच. पब्लिशिंग हाउस।
- राम, समय (2002): "टेकलिंग इम्जरजेन्सी एंड टेरेरिज्म", न्यू देहली मानस पब्लिकेशन्स।
- राजावत ममता (2003): "कश्मीर ऑफ टेरेरिज्म", न्यू देहली, अनमोल पब्लिकेशन्स।
- सहगल, विनोद (2004): "अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद", प्रभात पब्लिकेशन, देहली, पृ. 1–15.
- सुशीला (2008): "आतंकवाद में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्ष", लघु शोध पत्र, वर्धमान खुला कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
- शुक्ल, डॉ. कृष्णानंद (2011): "आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ", राधा पब्लिकेशन, दिल्ली।
- शुक्ल, डॉ. कृष्णानंद (2009): "नक्सलवाद बनाम आंतरिक सुरक्षा (चुनौतियाँ एवं समाधान), राधा पब्लिकेशन, दिल्ली।
- सिंह, ए.के. (2011): "मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ", पृ. 191–192.
- सिंह, सुधीर कुमार (2000): "टेरेरिज्म ए ग्लागबल फिनॉमेनन", न्यू देहली: ऑथर्स प्रेस।
- सिंह, पवन कुमार (2001): "भारत की खुली सीमायें, सुलगते राज्य, उखड़ते पड़ौसी", बलराज पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ. 20–27.

- सईद एम. एच. (2002): "इस्लामिक टेरेरिज्म : मिथ एंड रियलिटी" देहली, कल्याण पब्लिकेशन्स।
- शिवा, एस. के. (2001): "टेरेरिज्म इन दी यू मिलेनियम", देहली : ऑथर्स प्रेस।
- सिंह, नौनिहाल (2002): "वर्ल्ड टेरेरिज्म एंड न्यू ऐज मूवमेंट", न्यू देहली ऑथर्स प्रेस।
- शुक्ल, डॉ. कृष्णानंद (2009): "नक्सलवाद बनाम आंतरिक सुरक्षा (चुनौतियाँ एवं समाधान)", राधा पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ. 1–15.
- ठाकरान, एस. (2007): "आतंकवाद समस्या और समाधान", राजभाषा पुस्तक प्रतिष्ठान, दिल्ली।
- त्यागी, देशबंधु (1994): "भारतीय राजनीति", जैन एंड जैन पब्लिकेशन, जयपुर।
- वाजपेयी, अरूणोदय (2009): "प्रतियोगिता दर्पण", दिसम्बर, पृ. 881–885.
- विनायक, अचिन (2008): "ग्लोबल पोवर्टी एंड वायोलेंस", कनिष्का पब्लिकेशन, देहली, पृ. 76–79.
- वीर, गौतम (2009): "भारत में राज्यों की राजनीति", ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली।
- वर्मा, एल.एन. (2004): "भारत का भूगोल", राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
- यादव, धराराम (2014): "आतंकवाद तीन चेहरे", http://www.facebook.com/parts/352895428/2747/13.11.2014/1:30pm.

पत्र–पत्रिकाएँ

- इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली (मुम्बई)
- हेराल्ड (करांची)
- इंडिया टुडे (नई दिल्ली)
- न्यूजलाईन (करांची)
- न्यूज वीक (न्यूयॉर्क)
- पाकिस्तान इकोनोमिस्ट (करांची)
- द डॉन (करांची)
- द फाइनेन्सियल टाईम्स (लंदन)
- द हिंदू (देहली)
- द मुस्लिम (पेशावर)
- द मुस्लिम (इस्लामाबाद)
- द न्यूज स्टेट्समैन (लंदन)
- द न्यूज (लाहौर और इस्लामाबाद)
- द पाकिस्तान इकोनोमिस्ट (करांची)
- द इकोनोमिक टाइम्स (नई दिल्ली)
- द टाइम्स ऑफ इंडिया (नई दिल्ली)
- द ट्रिब्यूनल (चण्डीगढ़)
- द इंडियन एक्सप्रेस
- वर्ल्ड फोकस
- सेमिनार
- जनसत्ता
- द एशियन एज

संकेताक्षर सूची

ए.आई.एम.एल.	ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
एएनपी	आवामी नेशनल पार्टी
एपीसी	आल पार्टी कांग्रेस
सीए	कांस्टीट्यूट असेम्बली
सीआईए	सेंटर इंटेलिजेंस एजेंसी
सी–इन–सी	कमांडर इन चीफ
सीओएएस	चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ
एफएटीए	फेडरल एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया
एफआईए	फेडरल इंथेस्टीगेशन एजेंसी
आईबी	इंटेलिजेंस ब्यूरो
आईडीए	इस्लामिक डोमेस्टिक अलायंस
आईजेआई	इस्लामी जम्हूरी इतेहाद
आईएमएफ	इंटरनेशनल मोनिटरी फंड
आईएसआई	इंटर सर्विस इंटेलिजेंस
जेसीएससी	ज्वाइंट चीफस ऑफ स्टॉफ कमेटी
एमएल	मुस्लिम लीग
एमक्यूएम	मुताहीद कौमी मुवमेंट
एनएपी	नेशनल आवामी पार्टी
एनडीपी	नेशनल डोमेस्टिक पार्टी
एनडब्ल्यूएफपी	नॉर्थ–वेल्ट फ्रंटियर प्रोविंस
पीडीए	पाकिस्तानी डोमेस्टिक अलायंस
पीएमएल	पाकिस्तानी मुस्लिम लीग
पीएनए	पाकिस्तान नेशनल अलायंस

परिशिष्ठ